राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तैंतालीसवां दिवस [संख्या: 22

बुधवार,

23 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रताप सिंहजी आ गये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं खुद ही हाजिर हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, प्रताप सिंहजी। सोरी।

जयपुर में बीयर बार का संचालन

392. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में कितने बीयर बार संचालित किये जा रहे हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में बिना स्वीकृति के संचालित उक्त बीयर बार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) आबकारी जिला जयपुर शहर में वर्तमान में 90 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र प्राप्त कर संचालित हैं।

(2) वर्ष 2021-22 में आबकारी जिला जयपुर शहर में वैध अनुज्ञापत्र के बिना संचालन पाये जाने पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि रेस्टोरेंट बीयर बार की लोकेशन मंजूरी के लिए कोई नियमावली नहीं है? अगर है तो नियमावली सदन के पटल पर रखें। माननीय उच्च न्यायालय के ये

(श्री प्रताप सिंह)

निर्देश हैं कि बीयर बार को भी शराब की रिटेल आउटलेट मानते हुए लोकेशन के नियमों की पालना की जाये, नम्बर वन।

नम्बर-टू, क्रम संख्या दो पर जो आपने मुझे जवाब दिया है, उस पर क्राऊजर रेस्टोरेंट, मालवीय नगर का प्रकरण, इसमें 65 हजार रुपये की पैनल्टी लगाकर आपने यह बन्द कर दिया है जबकि मदिरा निर्माण सम्बन्धी मशीनरी मिलने पर प्रकरण को कम्पाउंड करने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर यह कम्पाउंड कैसे किया गया?

सर, और आगे पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह काफी है दो ही। दो ही प्रश्न अलाउ हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा कि रेस्टोरेंट पर किसी तरह का कोई रूल्स लागू नहीं होता है, जहां पर रेस्टोरेंट होता है, हमारी जो एक पालिसी है, उसमें हम इनको लाइसेंस दे सकते हैं बीयर का, केवल बीयर का और निश्चित रूप से इसमें हाई कोर्ट का फैसला, जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने भी यह कह दिया बाद में, जब वहां डी.बी. में हुआ तो उन्होंने यह कह दिया कि इस पर कोई किसी तरह की पाबन्दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न मालवीय नगर वाला है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दूसरा कौनसा?

श्री अध्यक्ष: मालवीय नगर के सम्बन्ध में पूछा है उन्होंने कि कम्पाउंड करने का प्रोविजन नहीं है और कम्पाउंड किया है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो भी नियमों में आयेगा, उसको कम्पाउंड भी कर सकते हैं, उसको चालान भी कर सकते हैं, उसकी जांच करके अभियोग दर्ज करके जो भी उसमें जिस तरह की इर्रेगुलरिटी पायी जाती है, उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एक तरह से प्रोसेस है विभाग का, अधिकारियों का, कोर्ट में चालान भी करते हैं, कम्पाउंड भी करते हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, जिसमें शराब बनाने की मशीनरी पायी

(श्री प्रताप सिंह)

जाती है, क्या उसको आप कम्पाउंड करके छोड़ सकते हो? यह आपका नियम है तो नियम टेबल कर दो।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, इस तरह का कोई प्रकरण मेरे सामने तो आया नहीं। अगर आप इस प्रकरण की जानकारी देंगे और अधिकारियों ने गलत किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री खड़े हैं और आप भी खड़े हो रहे हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर नियमों के खिलाफ कोई कम्पाउंड किया है तो निश्चित रूप से मैं उसकी जांच करवाकर जो भी सही होगा, वह कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2021-22 की सूची आपने दी, ग्यारह ऐसे केस बने थे जिनमें उनको अनुज्ञा पत्र नहीं था फिर भी वे इस काम को करते हुए पकड़े गये। यह 2021 के मामले हैं सातवें महीने के, आठवें महीने के। क्या इनको निर्णय करने में इतना अधिक समय लगता है? क्या प्रोसीजर है जो अनुज्ञा पत्र नहीं है और शराब पकड़ा गया है। अब इसमें आपको क्या और एविडेंस इकट्ठी करनी है जिससे इतना डिले होता है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ये प्रकरण हैं, इनमें लिखा है कि अनुसंधान लम्बित है तो निश्चित रूप से यह चिन्ता की बात है कि एक साल तक भी इनका अनुसंधान नहीं हुआ। मैं आज ही विभाग को यह कहूंगा कि इनका अनुसंधान जल्दी से जल्दी करके जो भी कार्यवाही करनी है, जो भी अपेक्षित कार्यवाही हो, वह निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से करे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभारानी कुशवाह। अगला प्रश्न। श्री राकेश पारीक। (व्यवधान) अच्छा, मैम, खड़े हो। आक्याजी, आप डिस्टर्ब करते हो सबको। आक्याजी, आप डिस्टर्ब करते हो। इनको पीछे बैठा दिया आपने।

धौलपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

393. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। धौलपुर जिले के बसेड़ी में पहले से ही वर्ष 2019-20 से कृषि महाविद्यालय संचालित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): हमारे भी यह खोलने का प्रयास करें।

प्रश्न संख्या 394

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राकेश पारीक।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): जी।

जोधपुर में डी.एम.एफ.टी. फंड से स्वीकृत कार्य

395. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में डी.एम.एफ.टी. फंड से 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कितनी राशि के विकास कार्य कराये गये? विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्यों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फंड का उपयोग उक्त जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में डी.एम.एफ.टी. फंड का उपयोग प्रत्येक

(श्री पब्बाराम)

विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जोधपुर जिले में डी.एम.एफ.टी. फंड से 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर रुपये 3,020.00 लाख व्यय किये गये हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। जोधपुर जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन अनुसार ट्रस्ट फंड की राशि का उपयोग किया गया है।

(3) जी नहीं। विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग संख्या-2 के जवाब में दिया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने डी.एम.एफ.टी. फंड के द्वारा मुझे मेरे क्षेत्र में फंड अलाट करने के बारे में यह प्रश्न पूछा था। आपके उत्तर के अनुसार, माननीय मंत्री महोदय ने 01 जनवरी, 2019 से लेकर अब तक जिले में 59 करोड़ 70 लाख रुपये स्वीकृत किये जो सभी अन्य विधान सभाओं में हैं पर फलौदी में बिलकुल भी नहीं किये। आप मेरे क्षेत्र में हास्पिटल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, विद्यालय भवन अथवा सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए राशि जारी करने का मानस रखते हैं? क्या आप मेरे विधान सभा क्षेत्र का बैकलाग पूरा करके जो पूर्व में कम राशि दी गयी है, बिलकुल नहीं दी गयी है, क्या अधिक राशि जारी करने का मानस रखते हैं? मैंने आपसे यह निवेदन भी किया है कि आप मुझे फलां-फलां चीज दीजिए।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ.टी. कार्यों की स्वीकृति की जो प्रक्रिया है, जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष हैं और माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं और जो भी निर्णय होता है वह गवर्निंग काउंसिल करती है। जहां तक माननीय सदस्य ने जो बात कही, विकास कार्यों में तो आपके यहां पर कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई लेकिन सिलिकोसिस के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपया आपके यहां स्वीकृत हुए हैं।

(श्री प्रमोद भाया)

साथ ही, आपने जो बात रखी आपके अस्पताल के उपकरण आदि के बारे में तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगली बैठक में आप, क्योंकि आपकी ये जो समस्याएं हैं, यह प्रथम वरीयता में आती हैं तो आप जब भी बैठक हो, उसमें यह प्रमुखता से रखें, निश्चित रूप से वहां पर निर्णय हो, वह निर्णय लेने की सक्षम गवर्निंग काउंसिल ही है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न पूछा है 01 जनवरी, 2019 से, अर्थात, आपकी सरकार जब से आयी तब से लेकर अब तक डी.एम.एफ.टी. का जो पैसा है, क्या फलौदी जोधपुर जिले में नहीं आता है क्या? बाकी सारे विधान सभा क्षेत्र आ रहे हैं, फलौदी विधान सभा क्षेत्र नहीं है क्या जोधपुर में? जो आपने मुझे सूची दी है कि जहां-जहां आपने यह पैसा स्वीकृत किया है, उसमें फलौदी का नाम मैं तो इसमें पढ़ नहीं पाया। आपने पढ़ा हो तो बता दो कि यह फलौदी उसमें जोधपुर जिले में है कि नहीं है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में ही फलौदी विधान सभा क्षेत्र है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी की जो भावना है वह बिलकुल सही है लेकिन कार्यों की स्वीकृति गवर्निंग काउंसिल करती है। जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद महोदय, राज्य सभा सदस्य, माननीय विधायकगण, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य उसके सदस्य हैं। जो निर्णय होता है, वहां पर ही होता है और फलौदी में सिलिकोसिस के पेशेंट्स के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपये वहां पर स्वीकृत हुए हैं। विकास कार्यों के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है यह बिलकुल सही बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या फलौदी के जन-प्रतिनिधि ने अपनी कोई डिमांड आपके पास कभी रखी है कि नहीं रखी इस फंड के लिए वर्ष 2019 से लेकर अब तक?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): डी.एम.एफ.टी. की जो डिमांड होती है, मेरे पास तो माननीय सदस्य ने लिखित में कोई दिया नहीं, मेरी चर्चा जरूर हुई थी माननीय सदस्य से अभी, लेकिन जिला गवर्निंग काउंसिल की उसमें डिमांड रखी या नहीं रखी, वह मैं जानकारी करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में कार्य

396. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानीवाड़ा कलां क्लस्टर में ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां, रानीवाड़ा खुर्द, जालेरा कलां, दईपुर, आजोदर का चयन किया गया है? यदि हां, तो क्लस्टर का चयन कब हुआ एवं विकास कार्य कब प्रारम्भ हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों के वार्षिक प्लान में कब-कब व क्यों परिवर्तन किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वार्षिक प्लान में संशोधन करने के लिए किस स्तर का अधिकारी सक्षम है एवं संशोधित वार्षिक प्लान के अनुमोदन हेतु क्या जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति अधिकृत है? यदि हां, तो प्लान परिवर्तन एवं अनुमोदन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रानीवाड़ा कलां क्लस्टर का चयन विभागीय आदेश दिनांक 21.01.2016 के द्वारा किया गया है। कार्य दिनांक 22.12.2019 से प्रारम्भ हुए। विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 (कुल पृष्ठ 2)

(2) योजना के अन्तर्गत वार्षिक प्लान के स्थान पर विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) बनाये जाने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत अनुमोदित डी.पी.आर. में स्वीकृत कार्य उपयोगी नहीं होने व अन्य उपयोगी विकास के कार्य जोड़े जाने के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.05.2019 में वर्णित प्रावधान के मध्यनजर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से केवल एक बार डी.पी.आर. में संशोधन दिनांक 31.12.2021 द्वारा किया गया। संलग्न परिशिष्ट-2 (कुल पृष्ठ 3)

(3) डी.पी.आर. में संशोधन हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति अधिकृत है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

जी नहीं। डी.पी.आर. में संशोधन हेतु जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति अधिकृत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन स्कीम के तहत रानीवाड़ा क्लस्टर में 105 करोड़ की स्वीकृति थी और इस योजना का उद्देश्य था कि शहरों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वे गांवों में भी दी जायें, लेकिन इसमें जितना काम हुआ है, उस काम की क्वालिटी बहुत खराब है। उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप राज्य स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मंशा रखते हैं या नहीं?

दूसरा, मेरा निवेदन है, मंत्रीजी ने कहा कि एक बार डी.पी.आर. बनी है, डी.पी.आर. कई बार चेंज हुई है। काम पहले जो उपयोगी थे, बाद में उनको अनुपयोगी बता दिया गया। अनुपयोगी होने के क्या कारण रहे? यह मैं जानना चाह रहा हूं। धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी ये लिखित में कम्प्लेंट लिखकर देंगे, पर्टिक्यूलर कोई पाइन्ट हैं तो उनकी हम जांच करवा लेंगे। स्टेट से जांच करवा देंगे, जैसा ये कहेंगे। दूसरा बिन्दु है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य तो यह हैं कि ग्रामीण जो व्यवस्था है वह मूल स्वरूप में रहे, आज के आधार पर, वहां जो व्यवस्था है वह होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना का जो सिस्टम है कि वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी हो, वहां की भौतिक व्यवस्था कैसी हो, आर्थिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में कौशल विकास, प्रशिक्षण, कृषि प्रशिक्षण, कृषि सेवा भण्डारण, वेयरहाउस, मोबाइल हैल्थ यूनिट, डिजिटल साक्षरता, विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था हेतु उन्नयन, स्वच्छता, पाइप के जरिये जल आपूर्ति का प्रावधान, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन....

श्री अध्यक्ष: श्रीमानजी, आपने एनेक्सचर दे दिये।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, ये सारी चीजें हैं। इसमें इन्होंने जो प्रश्न किया है, उसमें कुछ कार्यों को जोड़ा गया है, कुछ कार्यों को हटाया गया है। उन कार्यों में से कुछ कार्यों की राशि

(श्री रमेश चन्द मीना)

अधिकतम थी, उनको कम किया गया है और कुछ काम ऐसे हैं जो पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा कराये जाने थे तो पी.डब्ल्यू.डी. ने कहा कि हमारे नोर्म्स में नहीं आते हैं और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से कराये जा रहे हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कृषि और किसानों से संबंधित थे पॉली/ग्रीन हाउस वाले, उनमें किसी भी किसान ने आवेदन नहीं किया तो उस वजह से वह काम नहीं हो पाये। दूसरा, उसमें यह भी था कि अंशदान उनका ज्यादा था, इस वजह से भी आवेदन नहीं आये। कुछ कार्य ऐसे थे, जिनमें भूमि विवाद था। इस तरह की चीजें थीं और कुछ हमने नये वर्ग जोड़े कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकता और संरचना है कि उनको कैसे जोड़ा जाये। ज्यादातर स्कूल्स के काम हैं, आई.टी. क्षेत्र के काम हैं। सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जो व्यवस्था है, उसमें यह काम लिये गये हैं। ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि काम घटिया क्वालिटी के हैं तो हम उसकी जांच करवा देंगे। आप लिखित में हमें भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-1 जो आपने दिया है, 21 जनवरी, 2016 को जिस क्लस्टर का चयन हुआ है, उसमें मेरे ट्राइबल क्षेत्र का भी, उदयपुर के गोगुन्दा का चयन हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन में जो चुना है गोगुन्दा को, इसमें कितना पैसा खर्च किया?

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, आप सीनियर आदमी हैं। यह इस क्वेश्चन से संबंधित ही नहीं है। रानीवाड़ा का पूछा है, गोगुन्दा में जाओगे तो कैसे होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो क्लस्टर बने हैं।

श्री अध्यक्ष: पढ़ा है मैंने। Please don't confuse it. आपने स्पेसिफिक रानीवाड़ा के बारे में पूछा है। उसमें रेफरेंस है कि रानीवाड़ा के साथ यह भी क्लस्टर है। गोगुन्दा के बारे में अभी जानकारी, मैं समझता हूं, होगी नहीं। मंत्रीजी के पास जानकारी हो तो बता दें। क्लस्टर का चयन तो है लेकिन जानकारी रानीवाड़ा के बारे में पूछी है। प्लीज बैठें, I will not allow it.

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया।

अलवर में कोविड-19 में राशन सामग्री का वितरण

397. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(1) क्या सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन के माध्यम से कमजोर तबके व निराश्रित जरूरतमंदों को फूड पैकेट व ड्राई राशन सामग्री का वितरण करवाया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में उक्त अवधि में कितने लोगों को उक्त का लाभ दिया? ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सामग्री वितरण के दौरान जिला प्रशासन अलवर को अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने विधायक कोष से राशन का वितरण किया गया था? यदि हां, तो जिला अलवर में किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरण किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में इस दौरान 6,985 (छह हजार नौ सौ पिच्चासी) लोगों को इस योजना का लाभ मिला लाभार्थियों की ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार संख्यात्मक विवरण की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ड्राई राशन सामग्री और फूड पैकेट्स वितरण के दौरान जिला प्रशासन को अनियमितता की कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं।

(3) जी हां। अलवर जिले में जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने विधायक कोष से राशन का वितरण किया गया है, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

डूंगरपुर में पोषाहार व बेबीमिक्स की राशि का भुगतान

398. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़) (श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर) के स्थान पर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ब्लाक डूंगरपुर व

(श्री रामलाल मीणा)

बिछीवाड़ा में आंगनबाड़ियों में पोषाहार की राशि का भुगतान जून, 2019 से मार्च, 2020 तक एवं बेबीमिक्स की राशि का भुगतान जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक का बकाया चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ब्लाक डूंगरपुर व बिछीवाड़ा में विभाग के अधीन आंगनबाड़ियों में पोषाहार का भुगतान जून, 2019 से मार्च, 2020 तक एवं बेबीमिक्स का भुगतान जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक के बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में एम.डी.आर. के तहत सड़क का चौड़ाईकरण

399. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में एम. डी. आर. के तहत हरनावदा वाया मनोहर थाना, दांगीपुरा सड़क की चौड़ाईकरण का कार्य स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? क्या ग्रामीण आबादी में भी डामरीकरण अथवा सीमेंट सड़क चौड़ाईकरण होना शेष है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के साथ मनोहर थाना बाईपास भी स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बाईपास स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि योजनान्तर्गत कलमोदिया हरनावदा-मनोहर थाना राजगढ़ रोड एम.डी.आर. 176 किमी 13/750 से 48/750 तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी लम्बाई 35.00 किमी है तथा राशि रु. 6,221.00 लाख की स्वीकृति है। इस कार्य को दिनांक 14.07.2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त स्वीकृति में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में कुल 3398 मीटर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लम्बाई में 7 मीटर चौड़ी सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र के मनोहर थाना ग्राम में बाईपास निर्माण की उक्त सड़क के साथ स्वीकृति नहीं है। मनोहर थाना में बाईपास निर्माण कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय ससांधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आबादी क्षेत्र में सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कारण हुए क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने का विचार रखती है या नहीं?

दूसरे बिन्दु पर इन्होंने जवाब दिया कि मनोहर थाना में बाईपास निर्माण कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में सी.आर.एफ. के तहत प्रस्ताव भिजवाने का विचार रखती है, जिससे जनता को इस बाईपास का लाभ मिल सके?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम रोड का चौड़ाईकरण करते हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां पर ग्रामीणों को समझाइश करके चौड़ाईकरण का काम करते हैं। वहां पर अभी तक ऐसी कोई रुकावट आई नहीं है कि वहां के स्थानीय लोगों ने किसी तरह का कोई विवाद किया हो। नम्बर दो, आपने पूछा कि सी.आर.एफ. के तहत प्रस्ताव भेजने का विचार रखते हैं क्या तो मान्यवर, आपकी यह सड़क एम.डी.आर. है, इसमें सेन्टर का रूल है कि वह इसमें कोई फण्ड उपलब्ध नहीं कराते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन

400. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के तहत जिला कोटा में विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों को विकलांग साइकिल उपलब्ध करवाई गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उक्त अभियान के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अभियान में कितने लोगों द्वारा वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के आवेदन किये गये व कितनों को मौके पर पेंशन जारी की गई व कितने व्यक्ति किन-किन कारणों से वंचित रहे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान के तहत कोटा जिले में कुल विशेष योग्यजनों को 127 ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उक्त अभियान के तहत 1198 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान के तहत वृद्धावस्था एवं विशेष योग्यजन पेंशन के कुल 5,518 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से समस्त कुल 5,518 लोगों को पेंशन मौके पर जारी की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, खण्ड-1 के परिशिष्ट-अ में यह जवाब दिया गया है कि कोटा जिले में 127 ट्राई साइकिल दिये गये। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि कुल कितने आवेदन आये और कितने आवेदन रिजेक्ट हुए?

दूसरा, माननीय अध्यक्षजी, खण्ड-2 के परिशिष्ट-ब में योजनाओं से लाभान्वित के विवरण में यह बताया गया है कि लगभग एक महीने के अभियान के दौरान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में केवल 2, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक में केवल 1 और इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में जीरो पात्र पाये गये। क्या इनके अलावा और पात्र व्यक्ति नहीं मिले इनको? फिर मैं तीसरा पूछ लूंगी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिशिष्ट-अ की बात है, जहां जितने आवेदन आये थे और जितनी भी डिमांड थी, उनको हमने ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाई है।

(श्री टीकाराम जूली)

खण्ड-ब के अन्दर बताया गया है कि जितने भी लोग इसके अन्दर आये हैं, उन सबको, यह जरूर है कि इसमें संख्या कम है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिली हो तो आप बताएं कि किसी ने एप्लाई किया हो और हमने नहीं दिया हो। जितने भी लोग आये थे, जो भी इसके पात्र थे, उन सबको हमने हाथों-हाथ, मैंने आपको बताया न कि 5,518 पेंशन के आवेदन आये और 5,518 लोगों को ही हमने दिये हैं। इसमें आवेदन ही कम आये थे इसलिए संख्या कम है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): केवल दो विधवा मिलीं आपको? इस अभियान के अलावा भी अगर कोई पात्र पाया जाए तो क्या आप उनको भी इस पेंशन और इस स्कीम से लाभान्वित करने की मंशा रखते हैं? अगर रखते हैं तो कब तक इनको यह पेंशन दिलायी जाएगी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतत प्रक्रिया है और कभी भी ई-मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। जितने भी पात्र लोग हैं, उनको हम पेंशन देंगे। दूसरा, अभियान को भी अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा के अन्दर एक साल और बढ़ा दिया है, तो आप जितने भी आवेदन बताएंगे, उन सबको हम इसके अन्दर सम्मिलित करेंगे।

प्रश्न संख्या 401

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। मोहन राम चौधरी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रतापगढ़ में आश्रम छात्रावासों के जर्जर भवन

402. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में आश्रम छात्रावास, नागदी सहित कई ऐसे छात्रावास हैं, जहां के भवन जर्जर हैं?

(2) क्या सरकार उक्त जर्जर भवनों का नव निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के निम्न तीन छात्रावास के भवन जर्जर हैं-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

1- बालक आश्रम छात्रावास, अरनोद

2- बालिका आश्रम छात्रावास, अवलेश्वर

3- बालक आश्रम छात्रावास, नागदी

(2) जी हां। विभाग द्वारा बालक आश्रम छात्रावास, अरनोद एवं बालिका आश्रम छात्रावास, अवलेश्वर के जर्जर छात्रावास के पुनर्निर्माण करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। (परिशिष्ट-अ)

आश्रम छात्रावास, नागदी के पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट-ब)

(स्वीकृति की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि नागदी छात्रावास की वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी हो जाएगी और जो स्वीकृति जारी की, इसके लिए माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, टी.एस. जारी होने के बाद में तुरन्त जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

उनियारा व दूनी के राजकीय चिकित्सालयों में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

403. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने राजकीय चिकित्सालयों में ट्रोमा सेंटर स्थापित किये गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय चिकित्सालय, उनियारा व राजकीय चिकित्सालय, दूनी में ट्रोमा सेंटर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत किये गये ट्रोमा सेन्टर का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) भारत सरकार की ट्रोमा गाइडलाइन के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े, इस क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रोमा सेन्टर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा से नजदीकी ट्रोमा सेन्टर टोंक की दूरी 38 किलोमीटर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी से नजदीकी ट्रोमा सेन्टर देवली की दूरी 31 किलोमीटर एवं ट्रोमा सेन्टर टोंक की दूरी 41 किलोमीटर है। अत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। इट इज वैरी अनफोर्च्युनेट। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप पीछे से बोल रहे हैं।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, वह मैंने ध्यान से सुना। सरकार की नीति मैंने पढ़ी है, पर ट्रैफिक का घनत्व देखते हुए और एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अनेकों दर्जनों जगह इसमें शिथिलता दी गयी है और कम दूरी पर ट्रैफिक का वोल्यूम देखते हुए किया है। सर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं और मंत्रीजी, अगर नहीं दिया हो तो बताएं। मैं उदाहरण देता हूं, मेरे पास उदाहरण हैं, आपके जिले का ही है। पांच जगह आपने 20-20 किलोमीटर पर ट्रोमा सेन्टर खोले हैं। क्या मेरे इलाके में भी इसमें शिथिलता देते हुए आप खोलने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं पर 25-30 किलोमीटर पर भी खोले गये हैं, मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा और जहां सम्भव होगा, मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, सम्भव तो मंत्रीजी चाहें तो मैं बताना चाहता हूं, मंत्रीजी के खुद के जिले में दौसा से भरतपुर 128 किलोमीटर रोड है दौसा मुख्यालय से, उसमें दौसा से सिकन्दरा 26 किलोमीटर पर, दौसा से महवा 35 किलोमीटर पर, महवा से हलैना 25 किलोमीटर पर, हलैना से भरतपुर 29 किलोमीटर पर और उच्चैन से भरतपुर 20 किलोमीटर पर आपने खोला है। मंत्री महोदय, अभी हाल ही में सिकन्दरा से बसवा 25 किलोमीटर पर खोला है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, केकड़ी का मैं बताऊं, मैं तो हैल्थ मिनिस्टर के बारे में ही बात करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बात कर लें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मंत्रीजी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, दया करें। मेरे यहां एक तो खोलें।

श्री अध्यक्ष: दया नहीं करें, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा कि कम दूरी पर भी खोले गये हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया कि परीक्षण करवाकर जहां सम्भव होगा, इनके दूनी या उनियारा में, उनियारा एक तरह से हाईवे है, सवाई माधोपुर से भी आता है, फिर आपके बूंदी वगैरह आगे जाता है, तो आवश्यकता है उनियारा में करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति का निराकरण

404. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पशुधन सहायकों का वेतनमान 1987 तक आयुर्वेद कम्पाउंडर के समान था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुनरीक्षित वेतनमान (5वें वेतन आयोग) में आयुर्वेद कम्पाउंडर का वेतनमान अधिक कर दिया गया, जो छठे एवं सातवें वेतन आयोग में भी पशुधन सहायकों के वेतनमान से अधिक रहा?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के पशुधन सहायकों का वेतनमान भारत के अन्य प्रांतों के समकक्ष पशुधन सहायकों के वेतनमान से काफी कम है जबकि उक्त की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता लगभग समान है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): प्रश्न संख्या 3629.

श्री अध्यक्ष: 405 प्लीज। नम्बर 405 बोलें। कोई बात नहीं।

अलवर में ईसरदा बांध से पेयजल की आपूर्ति

405. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत बजट सत्र में जिला अलवर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ईसरदा बांध से पानी लाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पानी लाने हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लाक के 4 कस्बों एवं 01 हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने बाबत घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 1.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सलाहकार फर्म द्वारा डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

(2) जी हां। उक्त परियोजना में अलवर जिले के प्रस्तावित 4 कस्बों में विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर भी सम्मिलित है। परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य उक्तानुसार सलाहकार फर्म द्वारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा डी.पी.आर. माह जून, 2022 तक तैयार की जानी प्रस्तावित है।

उक्त डी.पी.आर. ईसरदा बांध के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जल उपलब्धता के आधार पर तैयार की जा रही है तथा ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही ईसरदा बांध में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। इस प्रस्तावित लिंक परियोजना के पूर्ण होने की अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष है।

ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में उक्तानुसार अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने के उपरान्त ही अलवर जिले के सम्मिलित कस्बों एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया कि प्रस्तावित नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही ईसरदा बांध में अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। इस प्रस्तावित लिंक परियोजना के पूर्ण होने की अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष है। क्या माननीय मंत्री महोदय, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था अलवर जिले के जो स्थान आपने चयनित किये हैं, उसका कोई प्रस्ताव रखते हैं तथा अलवर शहर में ईसरदा बांध परियोजना का पानी किस समयावधि तक पहुंच जाएगा? माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न पूछा, उसका जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है। यह सारी चीजें कंडिशनल हैं। ईसरदा का जो द्वितीय चरण है, वह और पानी की उपलब्धता, इसके बाद ही हम इनको शामिल कर पाएंगे। पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो मैं यह कहूं कि शामिल हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की उपलब्धता भी हो। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव हमने बनाए हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं समय के भी, हम उसके हिसाब से कार्य पूर्ण कर सकें। अभी वर्तमान में जो वैकल्पिक व्यवस्था है, वह आलरेडी चल रही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के वैकल्पिक रूप में मेरे ख्याल से कोई अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना में तो मेरी मात्र ढाई पंचायतें आती हैं और अलवर शहर में पानी की विकट समस्या है, वहां पर इस वक्त त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो अलवर जिले के बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़बास, तिजारा व रामगढ़, जो ईसरदा बांध परियोजना से जुड़ने से रह गये हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय आने वाले समय में इन क्षेत्रों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह सवाल के

(डा. महेश जोशी)

स्कोप में नहीं है, सर। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो मुझे प्रस्ताव देंगे, तो मैं उसको अधिकारियों को भेजूंगा और अगर व्यावहारिक रूप में सम्भव हुआ तो उनको जुड़वाने की कोशिश करेंगे। आपने जो पहला सवाल किया था, ग्राउण्ड वाटर की जो सप्लाई है, वह तब तक जारी रहेगी जब तक कि जे.जे.एम. का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में डी.एम.एफ.टी. से विकास कार्य

406. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत जमा राशि को उसी जिले के विकास कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 व 2021-22 में जिला नागौर में कितनी राशि उक्त फण्ड में जमा हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में उक्त राशि में से कहां-कहां, कौन-कौनसे विकास कार्य करवाये गये व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12.07.2021 के अनुसार ट्रस्ट फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 28.02.2022 तक जिला नागौर में उक्त फण्ड में राशि रुपये 7,983.08 लाख अंशदान के रूप में जमा हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में उक्त अवधि में जमा राशि में से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जायल विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी. से कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है, सरकार क्या कोई विकास कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ.टी. के कार्य जिला गवर्निंग काउंसिल स्वीकृत करती है। उसमें माननीय सदस्या उसकी सदस्य हैं, आगामी जो बैठक हो वह अपना प्रस्ताव रखे। जो निर्णय वह करेगी वह सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

डूंगरपुर में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में पट्टों का आबंटन

407. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में कितने लोगों को पट्टों का आबंटन किया गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में प्रशासनिक कार्यालय हेतु कितनी जमीन का आबंटन किया? विभागवार एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जिला डूंगरपुर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में 24,072 पट्टे आबंटित किये गये। पट्टों का तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान में प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण किये जाने हेतु 2.89 हैक्टेयर जमीन आबंटित की गई। आबंटित जमीन का विभागवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह कहना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के अन्दर ही छिपा हुआ है। मेरा यह कहना था कि हमारे उस क्षेत्र में जो भूमि आबंटित की थी, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों का क्या मापदण्ड है, जो इतनी भूमि छोड़कर के उसका अलाटमेंट किया जाये?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर कम से कम डेढ़ सौ मीटर इस तरफ और डेढ़ सौ मीटर उस तरफ, इस तरह कम से कम एक किलोमीटर की जमीन पर किसी भी प्रकार का अलाटमेंट नहीं किया गया है जो केवल उदयपुर सम्भाग के लिये ही है या पूरे स्टेट के लिये है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे हैं, फोर लेन हैं, सिक्स लेन हैं, स्टेट रोड हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उनमें अलग-अलग डिस्टेंस रहती है। इन्होंने केवल पट्टों की बात की है कि पट्टे इतने मिले और सरकारी जो विभाग हैं, उनको कितनी जमीन आबंटित की, उस बारे में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर व भरतपुर सम्भाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच

408. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2008 से 2013 के कार्यकाल में अजमेर एवं भरतपुर सम्भाग मुख्यालयों पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त बेंचों की स्थापना कर दी गई है? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक्ट में परिवादों के निस्तारण हेतु 90 दिनों की समय-सीमा का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर में वर्ष 2015 तक के दर्ज मामले अब तक क्यों लम्बित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के पचास प्रतिशत पदों को वकील कोटे से भरने का विचार रखती है?

उपभोक्ता मामले मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में सर्किट बेंच स्थापित करने की घोषणा की गई थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिनांक 18.05.2012 से सर्किट बेंच जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर एवं भरतपुर की अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में सर्किट बेंच जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर क्रियाशील है। भूमि एवं भवन की उपलब्धता के अभाव में अजमेर एवं भरतपुर में सर्किट बेंच क्रियाशील नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। अधिसूचना प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर में वर्ष 2015 तक के मामले अभी तक लम्बित रहने हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद

(उपभोक्ता मामले मंत्री)

प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना अनुसार अभिभाषकगण द्वारा बहस हेतु बार-बार अवसर चाहना, विभिन्न अवधि में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर का पद रिक्त होने से अतिरिक्त कार्यभार अन्य आयोगों के अध्यक्षों के पास होना, विगत 02 वर्षो में कोरोना महामारी से नियमित सुनवाई न होना आदि कारण बताये गये हैं।

(3) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की घोषणा के 12 वर्ष पश्चात् भी भूमि और भवन की उपलब्धता के अभाव में भरतपुर और अजमेर की सर्किट बेंच क्रियाशील नहीं हैं, तो क्या मंत्री महोदय, इसको भूमि और भवन की उपलब्धता के लिए पिछले 12 वर्षो में कभी राज्य सरकार ने कोई बजट आबंटित किया है? एक तो पहले पूरक प्रश्न के लिए आप यह जवाब दें कि कोई बजट आबंटन किया है या कोई पद जो राज्य की सर्किट बेंच के लिए आवश्यक हैं, वह सृजित किये हैं क्या? पहला पूरक प्रश्न यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय ने 3 कारण बताये हैं, पहला कारण है अभिभाषकगण द्वारा बहस हेतु बार-बार अवसर चाहना, दूसरा कारण बताया विभिन्न अवधि में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर का पद रिक्त होना और तीसरा कारण बताया है कि 2 वर्षो से कोरोना महामारी। 2015 तक के केस पैंडिंग हैं, जबकि 2 वर्ष तो, 2019 में ही आया कोविड तो, 2015 से लेकर 2019 तक के किस कारण से पैंडिंग हैं? कितने मामले हैं जो अभिभाषक द्वारा बार-बार अवसर चाहने के कारण से पैंडिंग हैं और कितने कारण ऐसे हैं जो अध्यक्ष की नियुक्ति, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य सरकार ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें न। आप एक्सप्लेन भी करते हो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं यह पूछ रही हूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है, तो राज्य सरकार ने समय पर अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं की? दूसरा मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रही हैं कि उत्तर दे रही हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 ही प्रश्न पूछे हैं। आपका संरक्षण चाहती हूं, क्योंकि 12 वर्ष हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। तीनों कारणों के कारण कितने पैडिंग हैं, बात खतम होती है। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत कहां है? माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार के नियम, कायदे-कानून के अनुसार यह नियुक्तियां होती हैं। आप जो यह कह रहे हैं कि जुडिशियरी को गाइड नहीं किया जा सकता।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने तो यह कहा..

श्री अध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहतीं तो मैं अगले प्रश्न पर जाऊं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप क्या भजन-कीर्तन कर रहे थे 5 साल तक? भूमि उपलब्ध कराने के लिए मना किया था?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इधर देखकर।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजमेर और भरतपुर में खोलने के लिए सरकार सीरियस है। कलेक्टर को भूमि चिह्नित करने के लिए लिख दिया गया है। आदेश दिये गये हैं। कल भी मैंने मीटिंग बुलायी थी, रजिस्ट्रार को बुलाया, इन लोगों को बुलाया और बात की है।

यह जो सारा मामला है, भारत सरकार पैसा उपलब्ध कराती है। दिक्कत यह हो रही है कि जिस तरह से यह सवाल करते हैं, उसमें यह समझना पड़ेगा कि यह जुडिशियरी है। बार-बार यह कहा जाता है कि कितने मामले पैंडिंग हैं, क्यों पैंडिंग हैं। वहां पर डेट मांगते हैं। कल भी मैंने कहा कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नियम है, लेकिन यह जो नियुक्तियां हुई हैं, इसमें डी.जे. लेवल का, हाई कोर्ट लेवल के लोग जिनकी नियुक्तियां की गयीं, वह फैसले करते हैं। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी भरतपुर में और अजमेर में लोगों को अधिकार मिले और सर्किट बेंच चालू हों। और बता दो आपका कोई क्वेश्चन हो तो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, that is her freedom. पूछें, प्रश्न पूछें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह पूछा है कि भूमि और भवन की उपलब्धता के लिए इस सरकार ने कोई बजट आबंटन किया है क्या पिछले 12 वर्षों में? दूसरा प्रश्न मैंने यह पूछा था कि कितने पद आपने स्वीकृत किये राज्य की सर्किट बेंच के लिये?

श्री अध्यक्ष: आप फिर एक्सप्लेन पर आ जाते हैं। प्रश्न पूछते नहीं हैं। बैठो आप। दोनों प्रश्न का जवाब दे दो। आप उसको वापस जस्टिफाई करते हैं। माननीय मंत्री जी, दोनों प्रश्न का जवाब दे दें। माननीय मंत्री जी, दोनों प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न हैं कि यह आपके 2012 से लगाकर 2022 हो गया, उसमें भवन के लिए क्या प्रयत्न किये गये और सर्किट बेंच क्रिएट कर दी तो उसके लिए पद क्रिएट किये कि नहीं किये? हां, पद के लिए पूछा है, पद क्रिएट किये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राठौड़ साहब कितने खुश हो रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, please, don't do it. I am extremely sorry. Please.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप हाउस को क्या कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं एवरी थिंग।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष जी, सोरी, लेकिन वह बीच-बीच में बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मेरी तरफ ध्यान दें। उनको बोलने दें। मैं कर लूंगा कंट्रोल। आपकी मित्रता को ठीक कर लूंगा बिलकुल। आप मेरी तरफ देखकर बोलें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं तो इनके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं तब यह रोज अखबारों में छप रहे हैं। मैं बोलना चालू करूंगा तो इनको दिक्कत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या ...

श्री अध्यक्ष: मेरा काम आप करेंगे? मैं बैठ जाऊं? अब मेरा काम भी आप करना चाहें तो बैठ जाऊं। मैंने बोल दिया। माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सोरी सर।

श्री अध्यक्ष: There are certain things which as a Minister you have to adhere.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सोरी, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। यह परम्पराएं सदन में ठीक नहीं हैं। मुझे अनप्लीजेंट काम करना पड़ेगा। आप चेयर को एड्रेस करें। माननीय सदस्य का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप दें, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें, प्लीज you have to behave like a Minister.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मिनिस्टर तो बंध गये बुरी तरह से। अध्यक्षजी, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: या तो आप बंध जाओ या मैं बंध जाऊं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: दोनों में से किसी एक को बंधना पड़ेगा। (व्यवधान) प्लीज, प्रताप सिंहजी, बैठें एक मिनट, प्लीज। अनफोर्च्युनेट काम मुझे ही करना है क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता। हाउस के अन्दर यदि हमें कोई परम्पराएं बनानी हैं, आप उस लीगेसी के, सदस्य हैं उस फैमिली के, जिसमें भैरोंसिंहजी शेखावत ने हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन यार्डस्टिक्स फिक्स किये हैं। You represent that legacy and you have to maintain this legacy. And for the purpose, I will always, मैं हरदम आपको टोकूंगा और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप प्रताप सिंहजी एक अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, but, you have to prove yourself as a good minister. And in order to do so, take certain cautions. Please behave like a Minister.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्षजी, यह जो जमीन का आबंटन है, जमीन के आबंटन के लिए कलेक्टर

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

को लिख दिया गया है, सरकार ने आदेश जारी किया है, जमीन का आबंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए अध्यक्षजी, मैं आपको और पूरे सदन को भरोसा देता हूं कि वापस कलेक्टर को बुलाकर और दबाव देकर कहा जायेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बारह साल हो गये, पिछली सरकार ने भी इसमें आबंटन में रुचि नहीं दिखायी थी, हम पूरी रुचि दिखा रहे हैं। कल मैं मीटिंग कर चुका हूं और आगे भी मैं आपको और सदन को भरोसा देता हूं कि जल्दी से जल्दी जमीन का आबंटन कराया जायेगा। जहां तक राज्य आयोग, जिला आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की संख्या का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 28(2) के अनुसार प्रत्येक जिला आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर आयोग बनता है। धारा 42(3) के अनुसार राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष और चार से अन्यून और उतनी संख्या से अनधिक संख्या के जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर विहित किये गये हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के नियम 4 (3) के तहत जिला आयोग में कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।

जोधपुर, उदयपुर में सर्किट बेंच माह में दो सप्ताह तथा कोटा बीकानेर में माह में एक सप्ताह में आयोजित की जाती है।

अध्यक्षजी, राज्य आयोग का अध्यक्ष निर्धारित कर दिया गया है। वर्तमान में जिला आयोग।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप तो एक बता दें कि जो दो सर्किट बेंच इंटेंसली, भरतपुर और अजमेर, वहां पर कोई पोस्ट क्रिएट की है क्या सर्किट बेंच के लिए? दैट्स आल।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बजट में पोस्ट क्रिएट नहीं की है। जहां तक इनके अधिकारियों की बात है, पोस्ट क्रिएट नहीं की है। हमने अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबु लाल खराड़ी। माननीय मंत्रीजी, मैंने उनको बोलने का अलाउ किया है। प्रश्न ये पूछ रहे हैं।

सलूम्बर में राजश्री योजना की लाभार्थी बालिकाएं

409. श्री बाबु लाल (झाडोल) (श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर) के स्थान पर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबु लाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र, सलूम्बर में विगत तीन वर्षों में राजश्री योजनान्तर्गत कितनी बालिकाओं को कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया है? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में महिला एवं बालकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु किस-किस योजना में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं किस-किस योजना पर कितना-कितना व्यय हुआ? वर्षवार, योजनावार सलूम्बर, सराड़ा सी.डी.पी.ओ. का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विगत 3 वर्षों में राजश्री योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाओं को दी गयी राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित	व्यय
1.	2018-19	3 हजार 5 सौ 3	87 लाख 57 हजार 5 सौ रुपये
2.	2019-20	5 हजार 4 सौ 10	1 करोड़ 35 लाख 25 हजार रुपये
3.	2020-21	4 हजार 2 सौ 88	1 करोड़ 7 लाख 20 हजार रुपये

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विगत 3 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु योजनावार, वर्षवार आबंटित बजट एवं व्यय का पृथक-पृथक विवरण सी.डी.पी.ओ. सलूम्बर प्रथम का परिशिष्ट-1 पर, सूलम्बर द्वितीय का परिशिष्ट-2 पर तथा सराड़ा का परिशिष्ट-3 पर एवं महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया, आपने जो तालिका मुझे दी है, जो विवरण मुझे दिया है, उससे काफी आंकड़ों से तो हम संतुष्ट हैं। खण्ड-2 में आपने विवरण दिया है तालिका का जिसमें एक योजना सबला राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण एवं पोषाहार योजना, इसके आंकड़े मुझे समझ में नहीं आते। मैं थोड़ा-सा इसको पढ़ दूंगा। वर्ष 2018-19 में इसमें आपने रखा है, 1 लाख 20

(श्री बाबु लाल)
हजार रुपये, इसमें से आपने खर्च 'शून्य' किया है। इसी प्रकार से आपने वर्ष 2019-20 में रखा है, 8 लाख रुपये, इसमें से आपने 19 हजार रुपये खर्च किये हैं। इसी प्रकार 2020-21 में आपने रखा था, इसमें सन्तुष्ट हैं हम लोग, इसमें आपने ठीक किया है। तीसरा, आपने जो अलग-अलग सराड़ा और जो बताया है उसमें यही है, वर्ष 2018-19 में आपने अलाटमेंट किया है, 2 लाख 20 हजार, इसमें खर्च 'शून्य' है। आगे भी आपने खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें आप।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस योजना का या तो महत्व कम हो गया है या कोई और कारण है, वह बतायें कि क्यों कम खर्च हुआ है?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सबला राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण एवं पोषाहार योजना पर खर्च की स्थिति पूछी है। इन्होंने कहा है कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं कि 2018-19 से, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018-19 में इन्हीं की सरकार थी, उसमें खर्च 'शून्य' हुआ है हम लोग सरकार में आये तो हमने उसके ऊपर कार्यवाही चालू की और 2019-20 में, 6 लाख रुपये आबंटित भी किये। हमने प्रयास भी किये क्योंकि यह योजना 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक करने हेतु पोषकीय एवं गैरपोषकीय सेवाओं से लाभान्वित करने के लिए है, 11 से 14 वर्ष की बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती हैं उनको हम किस तरह से घर पर शिक्षित करें, क्या करें तो मुझे दु:ख है कि 2018-19 के अन्दर तो 'शून्य' खर्च हुआ जबकि सरकार इनकी थी, इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्यवाही करने की कोशिश नहीं की। हमने 2019-20 में प्रयास किया, कोरोना काल आ गया, आंगनबाड़ियों को बन्द रखना पड़ा इसलिए इन चीजों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाये। अब जाकर हमारा व्यय बढ़ रहा है। हम लोग इस वर्ष इस योजना पर अच्छा-खासा व्यय कर रहे हैं और जागरूकता के लिए 11 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को इस योजना के तहत जोड़ने का भरपूर प्रयास हमारे विभाग द्वारा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, मैं कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन इस योजना में जो एलोकेशन आपका है, कोरोना के बाद में उतना भी एग्जास्ट नहीं हुआ। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि स्कूल की जो ड्राप आउट बच्चियां हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए हम करें तो ज्यादा

(श्री अध्यक्ष)

उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस योजना पर ज्यादा ध्यान दें। मैंने खुद ने आंकड़े देखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग को इस योजना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे स्कूल की ड्राप आउट बच्चियां आत्मनिर्भर हो सकें। इसलिए जितना एलोकेशन है आपके आने के बाद का उतना भी एग्जास्ट नहीं हुआ है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने कहा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस योजना के तहत हम ज्यादा से ज्यादा ड्राप आउट बच्चियों को जोड़ सकें और उनके सशक्तीकरण के लिए कार्य कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

केकड़ी में स्वीकृत सड़कें

410. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) (श्री रघु शर्मा (केकड़ी) के स्थान पर): क्या सार्वजनिक निर्माण निर्माण मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र, केकड़ी में सरकार द्वारा किस-किस योजनान्तर्गत कितनी नई सड़कें स्वीकृत की गयीं तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय की जानी थी? क्या उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए नवीन सड़कें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यो?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र, केकड़ी में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 17 नई सड़कें राशि रुपये 53.96 करोड़ की स्वीकृत की गयी थी, जिनमें से 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 2 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 1 कार्य की भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। बजट घोषणा 2022-23 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए नोन पेचेबल/नवीन सड़कों हेतु 10 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी है।

इसके अतिरिक्त नवीन सड़कें स्वीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल स्टेट हाईवे 26 पर बाईपास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भूमि अवाप्ति के लिए एसडी.एम., केकड़ी और सरवाड़ ने जन सुनवाई कब की और सेक्शन 11 की कार्यवाही कब तक कर दी जायेंगी?

दूसरा, वर्ष 2019-20 में डी.एम.एफ.टी. से 14 सड़कें जिनके लिए 14 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति थी, आपने 9 करोड़ रुपये में इसको पूरा कर दिया, बचे हुए 5 करोड़ से केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में और कौनसी सड़कें मंजूर की जायेगी?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सेक्शन 11 का काम कब पूरा कर दिया जायेगा। इसमें समय लगता है। जैसे ही सैंक्शन होता है, उसके बाद हमारी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति निकलती है उसके बाद में जो वहां के खातेदार होते हैं, उनसे एक एजेंसी द्वारा जमीन जो अवाप्ति करने का प्रोसेस होता है उसको हम लोगों ने शीघ्र पूरा कर लिया है, तकरीबन 87 प्रतिशत खातेदारों ने वहां सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद हमने कल ही 21 तारीख को जो वहां के एडिशनल चीफ हैं उनको हमारे चीफ इंजीनियर ने एक पत्र भी निकाल दिया है, शीघ्र ही हम इसकी निविदा करा देंगे क्योंकि कई बार क्या होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भूमि अवाप्त होने में निविदा लगा दें तो फिर वहां के खातेधारक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि 100 परसेंट वहां पर भूमि अवाप्त हो जाये तो शीघ्रता हम उसमें करेंगे। हमने मात्र 90 दिवस में गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया। शीघ्र ही हम उसमें निविदा लगा देंगे। नम्बर दो, आपने कहा सड़कों का, सड़कों का मैंने परिशिष्ट-1 में सारा कुछ दे रखा है, आप उसे पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मनीषा पंवार।

शेरगढ़ में छात्रवृत्ति के आवेदन

411. श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर) (श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? छात्रवृत्ति योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

(2) उक्त छात्रवृत्ति आवेदनों में से कितने आवेदन पत्रों में स्वीकृति जारी की गयी व कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित छात्रवृत्ति प्रकरणों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (20 मार्च, 2022 तक) योजनावार एवं वर्षवार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (20 मार्च, 2022 तक) योजनावार एवं वर्षवार स्वीकृत एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण वर्ष 2020-21 के लम्बित आवेदन पत्रों का चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 2021-22 उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2022 निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्रीमती मनीषा पंवार)
माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में छात्रों द्वारा जो छात्रवृत्ति के आवेदन दिये गये, उनमें जीरो संख्या बतायी जा रही है। ये कब तक स्वीकृत हो जायेंगे और इन लोगों को कब तक छात्रवृत्ति मिल जायेगी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हायर एजुकेशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं, यह उनके लिये है तो उन्होंने किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है इसमें। अभी भी ओपन है, 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, तारीख बढ़ा रखी है इसकी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में आर्ट गैलेरी की स्थापना

412. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार किशनगढ़ की विश्वविख्यात कला, संस्कृति व कृति को देखते हुए यहां आर्ट गैलेरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): वर्तमान में उद्योग विभाग की ओर से किशनगढ़ में आर्ट गैलेरी खोलने का कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न कला और संस्कृति मंत्री को लगाया था, पर यह जवाब उद्योग मंत्री के यहां से आया है। मैं यह चाहता हूं, यह प्रश्न गलत लग गया है, इसे डेफर कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है, प्लीज बैठें। बैठें, माननीय मंत्री जी, हो गया। आप हमको गाइड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप बिलकुल ही? अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य

413. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या जनजाति विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माडा योजना के तहत कौन-कौनसे विकास कार्य करवाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त

(श्रीमती इन्द्रा)

योजनान्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन-से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक किस-किस ग्राम के विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) माडा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभ योजना, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा से सम्बन्धित विकास कार्य करवाये जाते हैं। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गत तीन वर्षों के दौरान 2 विकास कार्य सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य 20 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये जो प्रगतिरत हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक जिन ग्रामों के विकास कार्य के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं तथा विभाग के पास अभी तक लम्बित हैं, उनकी सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा लम्बित कार्यों के सम्बन्ध में बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की सापेक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्रवाई की जाती है।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने दें उन्हें। इन्द्रा जी, डायरेक्ट प्रश्न पूछें आप।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि माडा योजनान्तर्गत छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन व जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के लिये छात्र-छात्राओं की क्या योग्यता निर्धारित की गयी है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छात्राएं कालेज में पढ़ रही हैं या अलग-अलग 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, इन्हें स्कूटीज और जो कालेज में पढ़ रही हैं, उन्हें गृह किराये के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौशल विकास योजनान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर कोई कार्य चल रहा हो तो मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें और नहीं चल रहा है तो आगे क्या ऐसा विचार रखते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कौशल विकास योजनान्तर्गत कोई कार्य चलाये जायेंगे? एक आश्रम छात्रावास इसमें दिया गया है। आश्रम के लिये मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या हम इस योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम विधान सभा क्षेत्र में खोल सकते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास का अभी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। माननीय सदस्य यदि इस तरह के प्रस्ताव देंगे तो जरूर उन्हें आगे शुरू किया जायेगा और वृद्धाश्रम का ऐसा कोई प्रस्ताव या गाइडलाइन नहीं है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ में शहीद की मूर्ति की स्थापना

414. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार झालावाड़ जिले में शहीद मुकुट बिहारी मीणा की मूर्ति लगाने का विचार रखती है? यदि हां तो कहां व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): जी नहीं। राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत शहीद हुए जवानों की मूर्तियां राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाई जातीं। शहीद के परिजनों एवं गांव के निवासियों द्वारा शहीद स्मारक के निर्माण हेतु आवेदन करने पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 14(1) राजस्व-VI/2005/pt/22 दिनांक 01.10.2009 द्वारा शहीद की मूर्ति लगाने हेतु 500 वर्ग मीटर नि:शुल्क भूमि आबंटन का प्रावधान है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद मुकुट बिहारी मीणा की मूर्ति के लिये जमीन और स्मारक के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है? दूसरा, यदि आवेदन प्राप्त हुआ है तो शहीद स्मारक के लिये कब तक भूमि आबंटित

(श्री नरेन्द्र नागर)

कर दी जायेगी? तीसरा, जन भावनाओं को देखते हुए आगे आने वाले समय में क्या सरकार शहीदों की मूर्ति बनाने के लिये पैसा खर्च करने का विचार रखती है?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): अध्यक्ष महोदय, शहीद मुकुट बिहारी मीणा, जो पैरा स्पेशल फोर्सेज में कार्यरत थे, दिनांक 11.07.2008 को कुपवाड़ा, जम्मू में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में शहीद हो गये थे। शहीद की मूर्ति की स्थापना हेतु प्रशासन द्वारा अकलेरा तहसील में तीन बत्ती सर्किल पर 10X10 फीट जगह आबंटित कर दी गयी थी। इस आबंटित भूमि पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 को तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्र मीणा द्वारा शहीद मुकुट बिहारी मीणा की मूर्ति का अनावरण करवा दिया गया है।

इसके लिये फंड भी तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा ही दिया गया था। शहीद की वीरांगना द्वारा उपरोक्त आबंटित भूमि के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया था। शहीद की वीरांगना श्रीमती अंजना मीणा, गांव लसाड़िया, पोस्ट गडवाडा, नूरजे तहसील, खानपुर द्वारा झालावाड़ जिला प्रशासन को मूर्ति हेतु भूमि के लिये वर्ष 2020 में आवेदन करने पर प्रशासन द्वारा शहीद स्मारक परिसर में खानपुर रोड, झालावाड़ में 0.8 बिस्वा, 122 वर्ग गज भूमि का आबंटन किया गया है। शहीद की मूर्ति की स्थापना कर दी गयी है। अनावरण दिनांक 15 अप्रैल को किया जाना प्रस्तावित है। मूर्ति बनवाने एवं अनावरण का पूरा व्यय मीणा समाज द्वारा ही झालावाड़ में किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं तो झालावाड़ के लिये ही जानना चाहता हूं। खानपुर विधान सभा में स्मारक के लिये जो जमीन दी थी, उनका जो आवेदन था, वह झालावाड़ मुख्यालय के लिये था। अभी यह जो आप जवाब दे रहे हैं, क्या झालावाड़ में अनावरण होगा? उन्होंने मुख्यालय पर आवेदन किया है तो आप जो मूर्ति के अनावरण की बात कर रहे हैं, क्या यह खानपुर में होगा या झालावाड़ मुख्यालय पर होगा?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): जहां पर आवेदन किया है, वहीं अनावरण किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): झालावाड़ के लिये किया है आवेदन।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शहीद की मूर्ति के लिये सरकार के द्वारा कहीं से भी कोई खर्चा वहन नहीं किया जाता है। हम सिर्फ विधायक कोटे से 4 लाख रुपये दे सकते हैं और सरकार इसके लिये कोई खर्चा वहन नहीं करती है। जहां आवेदन किया था, वहां आबंटित कर दी गयी है। शहीद की मूर्ति बन गयी है। 15 तारीख को उसका अनावरण होना है। उससे पहले एक बार एक मूर्ति और भी मीणा समाज द्वारा बना दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो सदस्य एब्सेंट रह गये हैं, यदि वे आ गये हों तो मैं एक बार उनका नाम पुकार लेता हूं प्रश्न के लिये। श्री राकेश पारीक (अनुपस्थित)। श्री मोहन राम चौधरी (अनुपस्थित)।

मैं समझता हूं कि प्रश्न काल में पहली बार हमने 23वें प्रश्न को किया है और कोशिश की कि यदि कोई माननीय सदस्य एब्सेंट रहे हों तो उन्हें भी हम मौका दें। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ निर्णय मुझे हार्श लेने पड़ते हैं, लेकिन उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के प्रश्न के उत्तर आयें और जनता की समस्याओं का निराकरण हो। इसलिये आप सबसे निवेदन है, प्रश्न का जो फार्मुलेशन है, उसे जितना प्रभावशाली ढंग से करेंगे, उतना ही प्रभावशाली ढंग से हम उसका उत्तर ले पायेंगे। मैं एक बार पुन: आप सभी माननीय सदस्यों को को-आपरेशन के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद-हुरड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से आबू पर्वत के नेपाली मार्केट के पास गरीब परिवारों द्वारा टैंट लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले परिवारों को माउण्ट आबू उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना नोटिस के हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर जिले में कलेक्टर,

(श्री अध्यक्ष)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर व आयुक्त, नगर परिषद् के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा पंचायत समिति में बिना टेण्डर प्रक्रिया के पंचायत समिति परिसर में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमंद झील से निकलने वाली भई माइनर नहर को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के रसियावास के नजदीक जवाई नदी में अवैध बजरी खनन एवं नदी के किनारे खड़े बबूल के पेड़ों से जमीन के बंजर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले के जयनारायण व्यास कालोनी थाने में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा शहर में पौराणिक राजराजेश्वर मन्दिर की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में देबारी से डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के मध्य हाईवे निर्माण के दौरान कई स्थानों पर पानी के प्राकृतिक बहाव के मार्ग को अवरुद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता, सदस्य की ओर से कोटा-बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रणथम्भौर अभयारण्य, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अभयारण्य एवं चम्बल घड़ियाल अभयारण्य से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में रेलवे अण्डरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में

(श्री अध्यक्ष)

छीपाबड़ौद व छबड़ा कस्बे में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल परियोजना अन्तर्गत कार्यों में की जा रही अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर की एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को अनदेखा करते हुए अवैध काम्प्लैक्स का निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से लाई.सी.एम. सीनियर सैकण्डरी स्कूल, महावरी कालोनी, करतारपुरा, जयपुर की दो छात्राओं का 3 फरवरी, 2022 को अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री संदीप शर्मा एवं 20 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले में एक माह के लिए धारा 144 लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री शंकर सिंह रावत, श्री अशोक लाहोटी एवं श्री संदीप शर्मा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से महिलाओं के प्रति अपराध की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के गांवों में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में डी.एम.एफ.टी. की बैठकों के नहीं होने से विकास कार्यों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से आबू रोड में सीवर लाइन कार्य अनुभवहीन सब-कांट्रेक्टर्स से करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालौर से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा वाया जसवंतपुरा बस सेवा को पुन: संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में यू आई टी पैरीफेरी एरिया में वर्षों से निवास कर रहे आदिवासी जनजाति के सभी लोगों को पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अमानक औषधि के प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से महुवा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बूंदी शहर में स्थित गुरुनानक कालोनी में गन्दा पानी व कीचड़ होने से स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से बंजारा जाति की उपजाति भाट को पिछड़ा वर्ग में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) को समान वेतन के अध्यापकों के पदों पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोपाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माण्डलगढ़ में चम्बल परियोजना के कार्यों में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके द्वारा चम्बल जल योजना स्वीकृत करायी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे क्षेत्र में कुछ पंचायतों में पानी का वितरण हो रहा है और कुछ पंचायतों में पाइप लाइन का कार्य चल रहा है। मेरे क्षेत्र में इस कार्य में संवेदकों व अधिकारियों द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही निविदा की शर्तों के अनुसार पाइप लाइन एक मीटर गहरी डालनी थी, परन्तु आनन-फानन में अधिकारियों और संवेदक द्वारा एक फीट गहरी डाली जा रही है तथा पी.वी.सी. पाइप धूप में पड़े-पड़े खराब हो गये हैं, सड़ गये हैं और ऐसे पाइपों को ही जमीन में डाला जा रहा है। उनका उपयोग बिलकुल भी नहीं हो सकता, फिर भी ले रहे हैं। गांव वालों द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस कार्य में अधिकारियों व संवेदकों द्वारा केवल जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पूरे गांवों की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गयी हैं तथा उनको वापस ठीक नहीं कर रहे हैं। बार-बार कहने के बावजूद लीपापोती करते हैं, परन्तु उनको अच्छी तरह ठीक नहीं करते हैं। अधिकारी मूकदर्शक रहकर कार्य करवा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें करने के बाद कोई भी सुनने वाला नहीं है। जो पानी की टंकियां बना रखी हैं उन पर जो आदमी लगा रखे हैं उनको केवल 4 हजार रुपये सैलेरी दी जा रही है। ठेकेदार बीच में रख रखा है और गांव के गरीब निवासियों को केवल 4 हजार रुपये दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इतनी घोर अनियमितता व लापरवाही को रोकें और गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर की दो छात्राओं का अपहरण

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष

(श्री अशोक लाहोटी)

महोदय, जयपुर के सम्माननीय अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पुरोहित की दो पुत्रियां भावना पुरोहित व रमा कंवर राजपुरोहित, जिनकी उम्र मात्र 17 एवं 16 वर्ष है, दोनों नाबालिग हैं, दोनों लाई.सी.एम. सीनियर सैकण्डरी स्कूल, करतारपुरा में पढ़ती हैं और 03 फरवरी, 2022 से स्कूल से ही दोनों बच्चियां लापता हैं। उस दिन शाम को उनके परिवार के द्वारा जयपुर के ही थाना महेश नगर में 54/2002 एक एफ.आई.आर. दी गयी। अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. देने के बाद आज 49 दिन बीत गये पर अभी तक दोनों नाबालिग बच्चियों का कहीं कोई अता-पता नहीं है। न पुलिस द्वारा उनको अब तक ढूंढने का प्रयास किया गया, न उनको कहीं ढूंढा गया। अध्यक्ष महोदय, जब दोनों बच्चियां नाबालिग हों तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी? यदि हम सुनते हैं तो सुनकर ही हमारा रोम-रोम कांप जाता है। हमारा बच्चा भी यदि एक घण्टे लेट आता है तो पूरा परिवार चिन्ता में चला जाता है। दोनों बच्चियां, दोनों नाबालिग आज 49 दिन से लापता हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह भारी दु:ख के साथ मैं कह रहा हूं कि इतने दिनों के बाद में जब पुलिस की इसमें कोई प्रगति नहीं हुई तो जयपुर की द बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जयपुर का आम नागरिक जब इसमें कूदा तो प्रशासन को इसकी सुध आयी और 21 तारीख को लगभग 46 दिन बाद एक एस.आई.टी. का गठन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज 49 दिन हो गये हैं। 49 दिन बाद भी यदि कोई नाबालिग बच्चियां नहीं मिलती हों तो मैं समझता हूं कि शायद हम सबके लिए, राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि हमारे परिवार की बच्चियां खो गयीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राजधानी में यह हाल है तो गांव-गरीब का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस केवल रुतबे पर ही काम करेगी? माननीय राठौड़ साहब जब मंत्री थे तो इनका चार्ली खो गया तो 5 मिनट में ढूंढकर ले आये, आजम खान की तो भैंस ढूंढ लाये....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): और हमारी बहन-बेटियां खो रही हैं, हमारे साथियों की बहन-बेटियां चली गयीं। हम यहां चिल्ला-चिल्लाकर राजस्थान में 45 दिनों से न्याय मांग रहे हैं और सरकार सो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, पुलिस सो रही है। यह राजधानी का हाल है तो आखिर आम आदमी कहां जायेगा, किससे न्याय मांगेगा?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मामले में न्याय दें और सरकार को डायरेक्शन दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत। आई विल नाट अलाउ। प्लीज, मदन जी, हर बार गम्भीर हो जाता है आपके। प्लीज।

ब्यावर में अवैध काम्प्लैक्स का निर्माण

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव। नगर परिषद्, ब्यावर की एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को छिपाकर स्वीकृत किये गये मानचित्र को निरस्त कर निर्माणाधीन अवैध काम्प्लैक्स के निर्माणकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर निर्माण को ध्वस्त कराने के सम्बन्ध में।

श्री सूरज प्रकाश पुत्र श्री सन्तराम व अन्य द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन पत्रावली में 601.28 वर्गगज का ही आवेदन किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को छिपाकर सम्पूर्ण 6178.34 गज।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, बिना देखे बोलें। What is the issue. पढ़ना है तो फिर ले कर दें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, उसमें 6178.28 गज का पूरा का पूरा जमा करा दिया गया है। अब कमेटी के अन्दर, जो 197/7 म्यू. नं. 4/141 के तहत 601.28 वर्गगज का ही कृषि औद्योगिक से वाणिज्यिक उपयोग किया गया है जबकि उसमें लिखा हुआ है कि यह कृषि में हैं और उसका आवासीय कर दिया है। एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को छिपाकर आवेदन किया गया। संशोधित विज्ञप्ति जारी कर उसके अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की शर्त पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी है।

भू-उपयोग परिवर्तन में 14 दिन का समय दिया गया। उसमें आदेश परिवर्तन में 27 माह क्यों लगे? यह विचारणीय प्रश्न है। एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय 20.12.2012 में उक्त भूमि को कृषि औद्योगिक से वाणिज्यिक बताया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं। आप पूरा पढ़ रहे हैं, 295 थोड़े ही है। अपनी बात को बोलें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इसमें मैन बात है कि एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय को छिपाकर के यह जो भूमि परिवर्तन किया गया है, अभी काम्प्लैक्स खड़ा किया जा रहा है। उसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन है, आप सरकार को आदेश दें कि ऐसे अवैध काम्प्लैक्स, जो निर्णय को छिपाकर किया जा रहा है, उस पर रोक लगाकर ध्वस्त करने की कार्यवाही करें, आम जनता को राहत पहुंचायें। यही आपसे आग्रह है। धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में फिल्म प्रदर्शन की दृष्टि से लागू धारा 144

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में 21 मार्च सुबह कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला, जिसमें उन्होंने एक माह के लिये कोटा शहर को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करते हुए निषेधात्मक धारा 144 लगा दी। कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट के हवाले से जारी हुई सूचना में अगले महीने अप्रैल 22 तारीख तक त्योहार व द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखते हुए होने वाली भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिये यह धारा 144 लगाना बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के बाद थोड़ी स्थिति सम्भली है, लोग-बाग़ अपने त्योहार मनाने लगे हैं, होली मनाई। इस माह में इतने महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे थे। जिसमें चेटीचण्ड सिंधियों का त्योहार, महावीर जयन्ती हमारे जैन समाज का त्योहार। जिला प्रशासन का कहना है कि त्योहार संवेदनशील हैं, इनसे लोगों की शान्ति भंग हो सकती है। इसके साथ-साथ मूवी द कश्मीर फाइल्स वहां चल रही है, जो पूरे देश में चल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को लेकर हमारे कोटा का जिला प्रशासन चिन्तित है कि यहां लोगों में शान्ति भंग हो सकती है, भीड़भाड़ एकत्र न हो जाये। मेरा आपसे कहना है कि जिस तरीके से यह जो धारा 144 कोटा शहर में लगाई गयी है, अकारण व बिना किसी तर्क लगाई गयी है, जिसमें नहरों में बिना सुरक्षा दीवारों के लोग-बाग़ डूब रहे हैं और उसमें मात्र कुछ पैसे से उन नहरों की सुरक्षा दीवार बन सकती थी। उसको भी इसमें उन्होंने प्ली लिया है कि इसके कारण भी धारा 144 कोटा शहर में लगाई जा रही है। द कश्मीर

(श्री संदीप शर्मा)

फाइल्स मूवी को लेकर मुख्य बात इन्होंने कही है। मेरा कहना है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर पहले भी इन लोगों को आब्जैक्शन रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, द कश्मीर फाइल्स मूवी में ऐसा क्या है? इस विषय में मेरा आपसे इतना-सा निवेदन है कि यदि कोई कॉज हो तो आप धारा 144 लगाओ। देश में किसी जिले में धारा 144 लग रही है क्या? अपने प्रदेश में किसी जिले में धारा 144 लग रही है तो अन्यथा क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, द कश्मीर फाइल्स मूवी अगर लग भी रही है, उसको लोग-बाग़ शान्ति से देखकर अपने घर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसमें किसी बात का आब्जैक्शन किसी को क्यों होना चाहिये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो एक आदेश आया है। उसमें कहा कि हमने द कश्मीर फाइल्स मूवी और त्योहारों को देखते हुए इनको मुक्त कर दिया है तो फिर यह धारा 144 किसलिए लगाई गयी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, उसका कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया बस।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ये धारा 144 वापस लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं सुनना है। प्लीज बैठें, 144 क्यों लगाई इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। It is the wisdom of the administration. यह इश्यू नहीं हैं। कल जिस बात पर आप एजिटेटेड थे। माननीय कटारिया साहब ने कहा, आज कटारिया साहब मिले, उसके बाद मैंने कलेक्टर से सूचना मंगाई है। उन्होंने सूचना में बिलकुल लिखा, जो मैं पढ़ देता हूं, आपके सामने कन्फ्यूजन दूर होगा।

"इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश 810 दिनांक 21.03.2022 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आदेश के क्रम में उत्पन्न भ्रम के कारण, पूर्व में जारी आदेश को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:-

यह आदेश जिला कोटा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित द कश्मीर फाइल्स

(श्री अध्यक्ष)

फिल्म अथवा अन्य किसी फिल्म के प्रदर्शन पर लागू नहीं होगा। आगामी त्योहारों यथा-चेटीचण्ड, रामनवमी, श्री महावीर जयन्ती, गुड फ्राईडे, बैशाखी, जमात-उल-विदा आदि के शान्तिपूर्ण आयोजन में कोई रोक नहीं रहेगी।"

मैं समझता हूं कि आपकी भावना के बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से पता लगाया और आपकी भावना के अनुरूप जो कन्फ्यूजन था, उसको दूर कर दिया गया है और यही आपकी भावना होनी चाहिए।

295, श्रीमती सफिया जुबेर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

महिलाओं के प्रति अपराध की बढ़ती घटनाएं

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि भारत की महिलाओं के ऊपर कन्या वध, बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा दहन, विधवा जीवन, डाकन, दासी एवं अन्य कई प्रथाएं उल्लेखनीय हैं।

(समय: 12.17 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि सामन्तवादी व्यवस्था ने स्त्रियों के जीवन को चारदीवारी में समेट दिया था। आज की ग्रामीण महिला जब अपने घर से निकलती है, असुरक्षित और अशान्ति तथा डर उसके मन में निवास करता है कि वह अपने घर पुनः सुरक्षित पहुंचेगी या नहीं।

इसी डर से ग्रामीण बालिकाएं पढ़ाई को बीच में छोड़कर घर बैठ जाती हैं। शायद ही कोई दिन जाता हो जब महिलाओं के साथ अभद्रता का समाचार न मिलता हो। महिलाओं के प्रति अत्याचार, चेन झपटना, छेड़छाड़, ताक-झांक, उन पर गलत नजर रखना, उनका पीछा इत्यादि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर गलत तस्वीरें और दुष्प्रचार इत्यादि पोस्ट करना यह तो आम-बात हो गयी है।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिये कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करे। सादर।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

मावली ग्रामीण क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

विधान सभा क्षेत्र मावली के गांवों में पेयजल का भीषण संकट है। अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन शेष है, लेकिन अभी से पेयजल समस्या विकराल रूप ले रही है। विगत तीन-चार महीनों से मावली मुख्यालय सहित कई गांवों में चार-पांच दिन में एक बार जलापूर्ति हो रही है, वह भी अति अल्प दबाव से।

मेरा निवेदन है कि मावली विधान सभा क्षेत्र के गांवों की पेयजल समस्या के लिये आपात योजना बनाई जाये। पेयजल संकट के गांवों को चिह्नित कर वहां टैंकरों से जलापूर्ति की जाये। मावली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के समुचित प्रबन्ध के लिये सरकार विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करे।

जिन स्थानों पर हैण्डपम्प, ट्यूबवैल व पनघट आवश्यक हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति हो। विगत वर्ष में बजट स्वीकृति के जो हैण्डपम्प, ट्यूबवैल व पनघट, अभी तक नहीं लगे हैं, उन्हें 15 दिन में अविलम्ब लगवाने के निर्देश प्रदान किया जायें।

पेयजल आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार उसको प्राथमिकता दें। साथ ही मावली की जीवन रेखा बागोलिया बांध को भरने की योजना की स्वीकृति की भी मांग करता हूं, जिससे क्षेत्र में जल संकट का समाधान हो और क्षेत्र के गांवों के जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में डी.एम.एफ.टी. की बैठकों का आयोजन नहीं होना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुरोध है कि नागौर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सालों से डी.एम.एफ.टी. की मीटिंग आयोजित नहीं हुई और कोरोनाकाल में भी प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से नियमों को दरकिनार करके सिर्फ कागजों में ही मीटिंग का आयोजन करके स्वीकृतियां जारी कर दीं। नागौर जिले में पिछली मीटिंग 16.07.2018 को हुई। इसके बाद तीन साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन

(श्री नारायण बेनीवाल)

कोई मीटिंग नहीं हुई। डी.एम.एफ.टी. से जहां प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित गांव हैं जो प्रदूषण की मार झेलते हैं, ब्लास्टिंग के समय जान-माल को कई बार नुकसान पहुंचाते आये हैं और कई जगह खनन की गतिविधियों से प्रदूषण भी तेज गति से फैला है। इसमें जहां खनन क्षेत्र है, डी.एम.एफ.टी. का पैसा वहीं खर्च करना चाहिए जहां से प्रत्यक्ष रूप से रायल्टी आ रही है, जबकि अधिकारी इस मामले को गम्भीरता से नहीं लेकर उन प्रत्यक्ष गांवों की बजाय और कहीं अन्य गांवों में मोटा बजट खर्च कर देते हैं और जो शिक्षा, चिकित्सा, पानी सहित अन्य सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो डी.एम.एफ.टी. में प्रत्यक्ष गांव हैं, इन गांवों में माडपुरा से चावंडिया तक, माणकपुर से लालाप तक, शिव से नोखा चांदावता तक, दांतिना से देवीसागर तक, अखासर से बामणियावाला तक, रोल चांदावता से मांगलियावास तक, शिव से मांगलियावास सहित अनेक ऐसे प्रत्यक्ष गांव में सड़क का निर्माण डी.एम.एफ.टी. फंड से करवाया जाए। माणकपुर, भोजास, तांतवास, भावंडा, देऊ, सैनणी, डुकीयों की ढाणी, कड़वासरों की ढाणी, रिया श्यामदास, रोल चांदावता, जनाना, खजवाना, बूनरावता, करनू, ताडावास, बैरावास, खोडवा, हरिपुरा, डेहरू, लालाप, गोवा कलां, शीलगांव, बैराथल, भेड़, चावंडिया, माडपुरा सहित अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित गांवों में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग का निर्माण करने, कक्षा कक्षों का आवश्यकतानुसार निर्माण कराने, खेल मैदान विकसित करना, चारदीवारी निर्माण सहित अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये कार्य करवाकर इसका फायदा खनन प्रभावित गांवों के लोगों को दिया जाये।

अत: महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत उक्त लोक हित के महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

आबूरोड में सीवरेज कार्य का सम्पादन

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत सरकार से आग्रह है कि जिला सिरोही के सबसे बड़े शहर आबू रोड में राशि रुपये 482 करोड़ का सीवरेज कार्य एल.एन्ड.टी. कम्पनी ने अनुभवहीन सब-कान्ट्रेक्टर्स

(श्री जगसी राम)

को देकर समूचे सीवरेज प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से दोषपूर्ण, गुणवत्ताहीन बना दिया है और सीवरेज कार्य में निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। उसमें नाममात्र का सीमेंट, क्रेशर डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। भूमिगत सीवरेज मैटेरियल गुणवत्ताहीन लगाया जा रहा है। सीवरेज के लिए खोदे गये गड्ढों, सड़कों की मरम्मत बहुत ही घटिया तरीके से की जा रही है। समूचे सीवरेज प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं, मापदण्डों के विपरीत कार्यों को लेकर नगरपालिका के पार्षदों, आमजन, सामाजिक व्यापारिक संगठनों एवं कार्य के जानकार तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरन्तर पुरजोर लिखित मौखिक आपत्ति जताने के बावजूद कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ और कोई जांच कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय नगरपालिका आबू रोड जिसको सीवरेज प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर रखरखाव के लिए हस्तान्तरित किया जाना है, को भी पूछे जाने पर भी नक्शा, प्रोजेक्ट प्लान की जानकारी नहीं देना समूचे सीवरेज प्रकरण में बड़े आर्थिक घोटाले की ओर इशारा कर रहा है।

अत: लोक महत्व में आबू रोड सीवरेज कार्य को रुकवा कर अब तक किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच, तकनीकी जांच एवं अब तक कार्य कर चुके सब-कान्ट्रेक्टर्स की गुण-अवगुण की जांच की जाकर न्यायोचित कार्यवाही अमल में लायी जावे।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा वाया जसवंतपुरा बस सेवा का पुन: संचालन

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 1986 के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय जसवंतपुरा एवं आसपास के गांवों सहित बड़ी संख्या में जालौर जिले के प्रवासी राजस्थानी काम धन्धे एवं व्यापार तथा इलाज के लिए प्रतिदिन जसवंतपुरा से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा आते-जाते हैं। जसवंतपुरा उपखण्ड मुख्यालय रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए यहां आवागमन का एकमात्र साधन परिवहन निगम की बसें ही हैं जो कोरोना से पहले जालौर से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा वाया जसवंतपुरा संचालित हो रही थी, परन्तु पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण इन्हें बन्द कर दिया गया था। हमारे प्रदेश एवं देश में कोरोना का प्रभाव

(श्री नारायण सिंह देवल)

काफी कम हो चुका है और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन भी हो चुका है और आवागमन के सभी साधन कोरोना से पहले की तरह संचालित किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त बस सेवा को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जिले के प्रवासी राजस्थानियों की मांग है कि इस बस सेवा को दुबारा शुरू किया जाये।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर से सूरत अहमदाबाद, बड़ौदा वाया जसवंतपुरा बस सेवा को पुन: संचालित करवाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर में यू.आई.टी. पैरीफेरी क्षेत्र में आदिवासी जनजाति को पट्टे

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि पूर्व में सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान लगाया गया था, मगर आज यह शिविर स्थगित कर दिया गया है। बहुत सारी पंचायतें व शहर के वार्डों में यह शिविर तुरन्त लगवाकर, मेरे उदयपुर जिले में यूआईटी पैरीफेरी एरिया में वर्षों से आदिवासी जनजाति परिवार की ज्यादा आबादी है व सभी जाति के लोग यहां निवास कर रहे हैं और पैरीफेरी एरिया में सभी जनप्रतिनिधियों ने शिविरों का विरोध भी किया था और सरकार के मंत्रीगणों ने विश्वास दिलाया था कि यू.आई.टी. पैरीफेरी एरिया में सभी लोगों को पट्टा दिया जायेगा। शिविर को तुरन्त प्रभाव से चालू करवाया जाये और सभी गरीबों को पट्टा दिलवाने की कृपा करें ताकि इन बी.पी.एल. परिवारों को सरकारी योजना से जो लाभ मिलना है वह मिल सके। इससे सभी गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। उदयपुर नगर निगम की एक कालोनी विजय सिंह पथिक नगर ऐसी भी है जहां कच्ची बस्ती सेक्टर-9 के कुछ लोगों को 1999 में पट्टे यू.आई.टी. के द्वारा दिये गये थे लेकिन बाद में यह पूरी जमीन देवस्थान विभाग के नाम कर दी गयी है। इस कारण इन्हें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं।

अत: इस जमीन को पुन: नगर निगम या यू.आई.टी. के नाम करके उक्त लोगों को पट्टे प्रदान करवाकर उनको राहत प्रदान करें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

अत: मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति: श्री हीराराम।

बिलाड़ा में सड़कों का नवीनीकरण, मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति

श्री हीराराम (बिलाड़ा): सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण, मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों के सम्बन्ध में निर्माण करने के क्रम में विशेष उल्लेख।

महोदय जी, सर्वप्रथम माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दस करोड़ की सड़कों की घोषणा की। साथ ही मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र से पाली, नागौर जिलों की सीमा लगती है तो क्षेत्रवासियों के परिवहन के माध्यम से घरेलू, चिकित्सा आदि कामों से आना-जाना रहता है।

सभापति महोदय जी, बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों का निर्माण करवाये जाने हेतु स्वीकृति सरकार से दिलवाई जावे जिसमें सबसे पहले एक दूसरे ग्राम पंचायत से राजस्व गांवों में आने-जाने की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। महोदय, हर वर्ष अतिवृष्टि होने की वजह से ग्रेवल/टूटी हुई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन पानी से भरे रहते हैं जिनसे आवागमन बाधित रहता है और बच्चों को स्कूल व किसानों को घर से खेतों में जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। महोदय, सड़कें टूटी हुई होने के कारण परिवहन विभाग की बसें जो चल रही थीं वे भी बन्द हो गयीं जिससे ग्रामीणों में बहुत रोष है। सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग से ग्रामीणों की मांग के अनुसार निम्न सड़कों का निर्माण करवाये जाने हेतु स्वीकृति सरकार से दिलवायी जावे:-

महत्वपूर्ण सड़कें प्रस्तावित -

लाम्बा से तिलवासनी तक डामर रोड निर्माण कार्य	12 कि.मी.
रूड़कली से बीसलपुर तक डामर रोड निर्माण कार्य	3 कि.मी.
चिरढाणी से खारीया (आनावास) तक डामर रोड निर्माण कार्य	4 कि.मी.

(श्री हीराराम)

बोयल से रियानगर तक	4 कि.मी.
झाक से घारूओं की ढाणी होते हुए भगासनी तक	7 किलोमीटर
बिजासनी से जैतीवास वाया जेलवा	8 किलोमीटर
जसवन्तपुरा से बांजड़ा सड़क	6 किलोमीटर
बोरून्दा पीपली चौरया से रामसागर मालियों की ढाणी तक	1.5 किलोमीटर
झाक मघरा नाड़ा से बेड जाने वाले रास्ते पर	1.5 किलोमीटर
जालुपुरा से देवासिया की ढाणी तक	5 किलोमीटर
हर्ष देवल से देवली सीमा तक	5 किलोमीटर
मंगला नाड़ा से बेड सीमा तक	2 किलोमीटर
रणसीगांव से मुरकासनी बाईपास होते हुए मेघवालों की ढाणी तक	4.5 किलोमीटर
गुरुकुल अरावली से बजरंग स्टोन क्रेशर कापरड़ा	3 किलोमीटर

साथ ही पालासनी से बीसलपुर पुलिया निर्माण, पालासनी से चांदेलाव, जालेली फौजदारा से 16 मील एवं विष्णु की ढाणी से चांदेलाव, इन सडकों का निर्माण करवाना आवश्यक है।

उक्त सड़कों का निर्माण हो जाने से लम्बे समय से आवागमन हेतु जो ग्रामीणजन वंचित हैं उनको आवागमन की सुविधा हो जायेगी और समय की बचत होगी।

अत: सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा (अनुपस्थित)। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

महुवा का जिले में क्रमोन्न्यन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत महुवा को जिला बनाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि टोडाभीम, वैर, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, रैणी और महुवा मिलाकर एक जिला बनाया जा सकता है। उक्त सभी कस्बे एक दूसरे से मिले हुए हैं। महुवा दो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्थित है तथा एक स्टेट हाईवे भी महुवा से

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

होकर गुजरता है। महुवा जिला बनाने की सभी शर्तें पूर्ण करता है। क्षेत्रवासियों की भी लम्बे समय से मांग है कि महुवा को जिले का दर्जा दिया जाए। अगर महुवा को जिला बनाया जाता है तो उक्त सभी कस्बों में विकास होगा।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि महुवा को जिला बनाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

बून्दी की गुरुनानक कालोनी में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि जिला मुख्यालय बून्दी शहर में लगभग 50 वर्ष पुरानी आबाद गुरुनानक कालोनी में पुराने तहसील कार्यालय के पीछे निर्मित नाला की चौड़ाई कम होने से अवरुद्ध हो जाता है एवं उस पर अतिक्रमण होने के कारण नियमित सफाई व्यवस्था के अभाव से गंदा पानी भरा रहता है। पानी की निकासी तथा ढलान नहीं होने से मकानों से निकलने वाला गंदा पानी एवं बरसात के पानी से कीचड़ तथा गंदगी बनी रहने से मच्छरों के पैदा होने से बीमारियां फैल रहीं हैं। नाली में पानी भरा रहने के कारण दोनों ओर के मकानों में सीपेज व सीलन पैदा हो रही है जिसके कारण मकान क्षतिग्रस्त होकर गिरने की आशंका है।

बून्दी में राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों में भी इस जनहित के कार्य को नजर अंदाज किया गया है। जबकि मांजी साहब के कुंड के आस-पास बने मकानों से निकलने वाला गंदा एवं बरसाती पानी की उचित निकासी नहीं होने से ऐतिहासिक मांजी साहब के कुंड का स्वरूप बिगड़कर गंदे तालाब में तब्दील हो रहा है जिससे आस-पास निवासरत नागरिकगण व्याप्त दुर्गन्ध एवं गंदगी से तकलीफ में हैं। गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आगे की आबादी में भी गंदगी फैलाता है। नागरिकों द्वारा कई मर्तबा अवगत कराने के बावजूद नगर परिषद, बून्दी द्वारा उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं करने से समस्या गम्भीर से अति गम्भीर होती जा रही है।

(श्री रामनारायण मीना)

अत: अनुरोध है कि जिला मुख्यालय बून्दी की गुरुनानक कालोनी वाले पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मांजी साहब के कुंड के आस-पास एवं पुराने तहसील कार्यालय के पीछे के हिस्से के रिहायशी क्षेत्र से गंदे पानी एवं फैल रही गंदगी के निस्तारण के लिये नाली की चौड़ाई बढ़ाई जाकर सही ढलान रखे जाने के लिये उचित कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(समय: 12.31 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

बंजारा जाति की उपजाति भाट का पिछड़ा वर्ग में सम्मिलन

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में बंजारा व भाट जाति के लोग मुख्य रूप से पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, गंगानगर जिले में निवास करते हैं। यह जाति मूल रूप से ओबीसी वर्ग में आती है। बंजारा व भाट जाति के लोग आदिकाल से मुख्य रूप से अनाज खाद्य सामग्री, युद्ध के समय आवश्यक सामग्री काबुल से लेकर म्यांमार तक परिवहन का कार्य बैलगाड़ियों से करते थे। इस जाति के लोग शस्त्र चलाने व लड़ाई लड़ने में माहिर थे। बाद में ये लोग पशुपालन, खेतीबाड़ी व मजदूरी का कार्य करने लगे। वर्तमान में यह जाति अति पिछड़ी जाति में है, इसमें शिक्षा की कमी है। राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में बंजारा को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, परन्तु उपजाति भाट को शामिल नहीं किया है जबकि बंजारा व भाट एक ही जाति है। जिस तरह राज्य सरकार ने गुर्जर, देवासी व गाड़ोलिया लोहार जातियों की उपजातियों को अति पिछड़ा वर्ग में जोड़कर आरक्षण का लाभ दिया है, उसी तरह बंजारा जाति की उपजाति भाट को भी अति पिछड़ा वर्ग में जुड़ावें जिससे इस पिछड़े वर्ग का शैक्षणिक स्तर ऊपर उठ सके व समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी आवाज यहां तक आती है। सामने वाला आदमी इंट्रप्ट होता है, प्लीज।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): इसी तरह राजस्थान में कुम्हार जाति के लोग हजारों वर्षों से अपनी आजीविका चलाने के लिये खुले आसमान में

(श्री जोराराम कुमावत)

ईंटों के आवा कजावा, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, पानी के मटके, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के दीपक आदि बनाते आ रहे हैं। खुले आसमान में मिट्टी के विभिन्न प्रकार के आइटम बनाते हुए कई बार अतिवृष्टि से भीग कर नष्ट हो जाते हैं, पानी से गल जाते हैं। आपदा से पूरे के पूरे परिवार की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। पूरा परिवार बरबाद हो जाता है, जिससे कुम्हार जाति के लोग आज भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। मिट्टी को विभिन्न रूपों में आकार देकर उपयोगी बनाने वाले वर्ग का आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस वर्ग के हित में मिट्टी के काम करने के लिये जमीन आबंटन करने का सरलीकरण करने, आपदा से नष्ट होने पर जिस तरह किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उसी तरह सरकार की तरफ से मुआवजा देने, कुटीर उद्योग की सामग्री का बीमा करने का प्रावधान करने व ईंट-भट्टों पर लगाये गये टैक्स को हटाने का प्रावधान किया जाये जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश पारीक (अनुपस्थित)। 131, श्री खुशवीरसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कुंभलगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य के ईको संसेटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होटल व्यवसाय

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी, कुम्भलगढ़ के ईको सेंसेटिव जोन घोषित होने से होटल व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन का ड्राफ्ट, उद्घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2020 को जारी की गई। ईको सेंसेटिव जोन को कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 5 किलोमीटर तक रखा गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। जिला कलेक्टर, राजसमन्द की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाना

(श्री हेमाराम चौधरी)

है। तत्पश्चात् प्रक्रिया पूरी होने पर भारत सरकार द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ईको सेंसेटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन विनियमित करने के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुरूप ईको सेंसेटिव जोन में टूरिज्म मास्टर प्लान व ईको टूरिज्म मास्टर प्लान बनाकर होटल व्यवसाय को संचालित एवं विनियमित किया जाएगा।

अत: उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अग्राह्य किया जाना उचित होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि मास्टर प्लान में पर्यटन को परमिट किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो 18 जून, 2020 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, इसकी समय सीमा दो माह थी, कोई बात नहीं, लंबा हो गया। विभाग ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आपने स्पष्ट मना किया हुआ है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का प्रोसीजर भी नहीं अपनाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या ईको सेंसेटिव जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, नये वाणिज्यिक होटलों, रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी, परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर ईको सेंसेटिव जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना लागू दिशा-निर्देश के अनुसार, इनमें जो भी अधिक निकट हो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक किलोमीटर का तो आपने इसमें मना कर दिया। अब एक किलोमीटर के बाहर विभाग कैसे परमिशन देगा या नहीं देगा, इसमें भी कंट्राडिक्शन है। आपने 5 किलोमीटर तक की बात की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी 610 वर्ग किलोमीटर की है और आपने ईको सेंसेटिव जोन 1001 किलोमीटर का बना दिया, यानी उससे लगभग डबल का आप ईको सेंसेटिव जोन बनाने जा रहे हैं तो यह कहां तक तर्कसंगत है? आपने 31 मार्च, 2015 को एक डिफेक्टिव आदेश जारी किया, उसमें आपने स्पष्ट लिखा है कि - Ranthambore Tiger Reserve, Critical Tiger Habitat of Sariska Tiger Reserve, Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary and Jawai Bandh Leopard Conservation Reserve, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने लिखा है,

(श्री खुशवीरसिंह)
इसमें आपने स्पष्ट तौर पर प्रोटेक्टेड एरिया और क्रिटिकल टाइगर जोन (सीटीजेड), इन दोनों को शामिल कर दिया, जबकि इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वह Wild Life Act, 1972 में नेशनल पार्क के लिये सेक्शन 18 है, सेंक्चुअरी के लिये 35 है और कम्युनिटी रिजर्व के लिये 36(सी) और कन्जर्वेशन के लिये 36(ए) है। लेकिन इसमें आपने सी.टी.एच. (Critical Tiger Habitat) डाल दिया है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 36(बी) के तहत इन दोनों को शामिल कर दिया, किसको माना जाये? सी.टी.एच. को माना जाये या जो प्रोटेक्टेड एरिया है? अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल डिफेक्टिव आदेश है। इस आदेश को एग्जामिन करवाया जाये। तुरन्त प्रभाव से इस आदेश की आज से ही घोषणा करके इसको निरस्त करवाया जाये।

मेरा निवेदन है कि हर विभाग एक बात करता है, विभाग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, गोवा फाउंडेशन वर्सेज भारत संघ, ईको सेंसेटिव जोन डिक्लेयर होता है, तब तक सेंक्चुअरी/नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर एरिया तक जो भी वाणिज्यिक गतिविधि की जाती है और उसमें पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता हो तो National Board for Wild Life से अनुमति लेना आवश्यक होगा। EIA (Environment Impact Assessment, 2006) के तहत 50 वर्ग मीटर तक पर्यावरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो जवाब दिया और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में आपने जो लिखा है, उसमें आप एक किलोमीटर करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं टेबल करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि 31 मार्च, 2015 का आदेश डिफेक्टिव है। सी.टी.एच. और प्रोटेक्टेड एरिया, दोनों को एक साथ डाल दिया है। अध्यक्ष महोदय, कुंभलगढ़ में टाइगर नहीं है और न ही जवाई में टाइगर है। इसको एक साथ डालकर आप इसका इस तरह से एग्जामिन करायें, ताकि सही न्याय मिल सके। आप माइनिंग और अन्य गतिविधियों के लिये रोक लगा सकते हैं, लेकिन होटल के लिये छूट दी जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी की बात सुन लें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, यह फर्स्ट स्टेज है। इस पर अभी आपत्तियां आमन्त्रित की गयी हैं। आपकी या जनप्रतिनिधि की कोई आपत्ति है या वहां की जनता की आपत्ति है, किसी की भी आपत्ति आयेगी, उस आपत्ति को सुनने के बाद और विचार करने के बाद, उनकी राय को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए यह बाद में भारत सरकार को भेजा जायेगा। अभी सरिस्का का भी ईको सेंसेटिव जोन का मामला चल रहा है। उसमें जिन जनप्रतिनिधियों ने भी आपत्ति प्रस्तुत की, उसमें मंत्री तक भी शामिल थे। सबको मैंने मंत्रालय भवन में बुलाया, दो बार मीटिंग की। इस मामले में माननीय सदस्य खुशवीरसिंह जी या किसी भी अन्य सदस्य या किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करायें और पेश करें। मुझे इसके बारे में बतायें तो अधिकारियों के साथ बैठकर बिलकुल ऐसा ही काम करेंगे, जिससे जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। ईको सेंसेटिव जोन घोषित करना भी जरूरी है, लेकिन ईको सेंसेटिव जोन घोषित करके जनता को परेशानी में डालने का हमारा काम नहीं है, इसलिये आप बिलकुल निश्चिंत रहें। जो भी फाइनल होगा, उसमें मैं, आप और अधिकारी साथ में बैठकर इसको फाइनल करेंगे, जिससे आपकी जो भी आपत्ति या शिकायत है, वह दूर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा हो गयी। माननीय मंत्री जी, मैं एक ही कमेंट करूंगा, बाकी सब बात हो गयी। कावड़िया एक जगह है। मैं चाहूंगा कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां जायें। जिस तरह से आजादी के बाद कावड़िया में फोरेस्ट के लॉज और सारे लॉज को मानते हुए हैं, जिस तरह का टूरिज्म डवलप किया, क्या राजस्थान सरकार के विभाग के अधिकारी वहां जाकर उस चीज को देखकर हमारे राजस्थान में जितना फोरेस्ट है, उसके टूरिज्म का डवलपमेंट करने के लिये कुछ नियम-कानून में परिवर्तन करेंगे, जिससे राजस्थान में टूरिज्म और ईको जोन की सब चीजें ठीक ढंग से एड्रेस हो सकें? यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं वहां जाकर आया हूं, as a Speaker. स्ट्रक्चर डवलपमेंट करना अलग चीज है। आज की डेट में टेक्नोलोजी इतनी ज्यादा डवलप हो गयी है कि कोई ब्रिक और ईंट से मकान बनाना जरूरी नहीं है। स्विस टैंट आ गये, इतनी ज्यादा चीजें आ गयीं। टूरिज्म का डवलपमेंट करने के लिये फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, उस

(श्री अध्यक्ष)

अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिये, जिससे राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर टूरिज्म डवलप हो सके।

मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि विभाग के अधिकारियों को आप एक बार भेजकर देखें कि कैसे उन्होंने एक नया टूरिज्म डवलप किया है। जब मैं वहां गया था तो पता चला कि 45 लाख आदमी वहां आकर देख चुके हैं। मैं समझता हूं कि इन चीजों के सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हम पांच-दस लोगों की एक कमेटी बनाकर भेजें।

श्री अध्यक्ष: जब आवश्यकता होगी। पहले विभाग के अधिकारी चले जायें, फिर भेजेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपका अनुरोध नहीं आदेश है। आपने जो आदेश दिया है, मुझे अब आदेश देने की जरूरत नहीं है, आपका आदेश ही आदेश है। वहां पर अधिकारी लोग जायेंगे, आपके आदेश के अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

नीमराणा फोर्ट के पास वन भूमि पर अतिक्रमण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नीमराणा फोर्ट के पास वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में होटल नीमराणा फोर्ट पैलेस के प्रबंधन द्वारा वर्ष 2009 में होटल के पूर्वी दिशा में पहाड़ के ऊपर लोहे के पांच पिलर्स लगाकर उन पर स्टील वायर डाला जाकर रोप-वे बनाया गया, जिसकी जांच उप जिला कलेक्टर, बहरोड़; सहायक वन संरक्षक, अलवर; तहसीलदार, अलवर की मौजूदगी में दिनांक 12.12.2011 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के तकनीकी कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे किये जाने पर पाया गया कि नीमराणा महल का निर्मित क्षेत्र खसरा नम्बर 506 गैर मुमकिन आबादी में स्थित है तथा लगभग 0.08 हैक्टेयर क्षेत्र खसरा नम्बर 505, 593 में स्थित है और महल के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित रोप-वे के पिलर खसरा नम्बर 505, 593 में स्थित है तथा

(श्री हेमाराम चौधरी)

शेष सभी रोप-वे के पिलर जो महल के उत्तर की तरफ हैं, वे जंगलात विभाग की भूमि में स्थित हैं।

ग्राम नीमराणा के हाल खसरा नम्बर 505, 593 जिसका गत खसरा नम्बर 259 रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा था, का वर्ष 1984 से पूर्व वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन था। भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान तत्कालीन सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 1186/84 निर्णय दिनांक 01.12.1984 से गत खसरा नम्बर 259 से बने हाल खसरा नम्बर 505 रकबा 10.93 हैक्टेयर में से 4.75 हैक्टेयर रकबा कम कर नवीन खसरा नम्बर 505, 593 कायम कर भूतपूर्व नरेश नीमराणा श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र उमराव सिंह चौहान कौम राजपूत के नाम दर्ज किया गया। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 505, 593 की 4.75 हैक्टेयर भूमि मैसर्स देहली वेयरहाउस प्रा.लि., नई दिल्ली डायरेक्टर अमरनाथ आर.ओ.ए. 51 निजामुद्दीन ईस्ट, न्यू देहली के नाम अंकित है।

सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा वन भूमि को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2011, 23.08.2013, 06.08.2015, 27.08.2018 एवं 19.03.2021 द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को लिखा गया कि वर्ष 1984 में भू-प्रबंध संक्रियाओं के दौरान वन भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन तथा प्रकरण 202/95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.12.2001 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। विभाग द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को उक्त भूमि को वन विभाग के नाम वापस दर्ज करवाये जाने की व्यवस्था करवाने हेतु लिखा गया। अन्यथा यह भी लिखा गया है कि सम्बन्धित लोकसेवकों के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानानुसार प्रकरण दर्ज करने हेतु वन विभाग द्वारा बाध्य होना पड़ेगा।

जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को दिनांक 06.12.2013 एवं 24.02.2014 से वांछित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), अलवर द्वारा तहसीलदार, नीमराणा को अपने पत्र दिनांक 12.12.2018 से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर में नीमराणा महल संबंधित

(श्री हेमाराम चौधरी)

एल.आर.ए. की धारा 91 के तहत प्रकरण दिनांक 01.01.2020 को दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में कार्यवाही प्रगति पर है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 06.04.2022 नियत है।

अत: उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अग्राह्य किया जाना उचित होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, हैरान हूं यह देखकर कि मंत्री जी ने बताया 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में और 2021 में इतनी बार आपके सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने लिखा कलेक्टर को कि ये जमीन हमारी है और ये गलती से राजेन्द्र पुत्र उमराव के नाम दर्ज हो गयी सैटलमेंट में और इसको वापस वन विभाग में दर्ज किया जाये। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं, आदेश हैं कि वन भूमि, कभी-भी गलती से, कैसे भी किसी भी प्राइवेट आदमी के चली गयी तो वापस दर्ज होगी। इतनी बार लिखने के बाद भी कलेक्टर उसको वन विभाग के नाम से दर्ज नहीं कर रहा है। यदि गरीब आदमी का जरा-सा कुछ भी हो जाये, कोई छोटा-सा मकान बना ले या झोपड़ी बना ले तो बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं अधिकारी लेकिन ये दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये जमीन इतनी बेशकीमती है, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपये की जमीन है। इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। एक साल पहले भी मैंने कहा था तो राजस्व मंत्री ने जब जवाब दिया था कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और तुरन्त अतिक्रमण हटाने के हमारे आदेश दे दिये। आज तक न तो ये 19 बीघा जमीन खाली हुई है और बीडा की और है 6 बीघा, उस पर भी कब्जा कर रोप-वे बना रखा है, वो भी खाली नहीं हुई है। कोई किसी पर कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में कानून का राज है या इस देश में पूंजीपतियों का राज चल रहा है? बड़े लोगों का राज चल रहा है कि उनके लिये अलग कानून और गरीब आदमी के लिए अलग...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टोपिक पर बोलिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने बोला, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। क्यों नहीं की जा रही है उनके खिलाफ कार्यवाही? ऐसी कौनसी, क्या मजबूरी है? किसकी मजबूरी है? कौनसी एप्रोच है?

(श्री बलजीत यादव)

कहां से दबाव मान रहे हैं? सरकार दोनों बदल गयी। पहले भाजपा की सरकार बदल गयी और अब कांग्रेस की सरकार आ गयी पर कार्यवाही हो नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर देखना है या उधर देखना है। कुर्सी पर इधर बैठे हैं और आप उधर देख रहे हैं। अब आप सीख़ें कि जिनको भी बोलना है चेयर को एड्रेस करें। माननीय मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय वर्ष 1984 में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किया गया और उस समय उन्होंने 4.75 हैक्टेयर भूमि जो वन विभाग के नाम थी, उसको एक व्यक्ति के नाम से जिसका मैंने उल्लेख किया, उनके नाम से कर दी गयी। उसके बाद में 1984 से लेकर अब तक ये मामला चलता आ रहा है।

माननीय सदस्य ने पहले भी इसे विधान सभा में उठाया। राजस्व विभाग का भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण किया। कोरेस्पोंडेंस जो हुआ, पत्र लिखे गये कलेक्टर के द्वारा, जाइंट सर्वे, ये सब कार्यवाही हुई। इनके खिलाफ 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए प्रकरण विचाराधीन है, परंतु ये जो 91 की कार्यवाही विचाराधीन है, ये तो जो जंगलात भूमि है, वन भूमि पर रोप-वे बनाया है, आज की तारीख में अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिये उसमें कार्यवाही हो पायेगी।

दूसरा, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने जो निर्णय पारित किया, उसमें जो मैं समझ पाया हूं, यह निर्णय जो हुआ इस निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी, जो किसी ने भी आज तक सक्षम न्यायालय में अपील की नहीं और खाली कलेक्टर को लिखते रहे। कलेक्टर तहसीलदार को लिखता रहा और वन विभाग व रेवेन्यू विभाग का आपस में पत्र व्यवहार हुआ। इस पत्र व्यवहार से इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि कोई होगा क्योंकि लिखते रहिए, लिखते रहिए, कलेक्टर भी किस कैपेसिटी में कार्यवाही करेगा? नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है। ये जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे सामने आया और इसको मैंने देखा तब मुझे ऐसा लगा कि कानून के हिसाब से कोई भी कोर्ट, अगर कोई निर्णय पारित करता है तो उसकी अपील आगे सक्षम न्यायालय में ही करने का प्रावधान है। सक्षम न्यायालय में अपील नहीं हुई है, गलती हुई है ये विभाग की। विभाग ने सक्षम न्यायालय में अपील नहीं करके नीचे कोरेस्पोंडेंस में ही मामला चलता रहा। इसलिए मैंने आज ही

(श्री हेमाराम चौधरी)
अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं कि सक्षम न्यायालय में आप अपील नहीं करेंगे तब तक आपको कोई राहत नहीं मिलेगी और निर्णय नहीं बदलेगा। जब तक निर्णय नहीं बदलेगा, आप कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते किसी कोर्ट के निर्णय पर। चैलेंज करना पड़ेगा आपको सक्षम न्यायालय में। ये गलती यहां हुई है। जो मैं समझ पाया हूं एज ए एडवोकेट् अपील करनी चाहिये। नहीं की है तो आज ही मैं इनको निर्देश दे देता हूं कि आप सक्षम न्यायालय में कानूनी, आज मैंने इनसे भी पूछा, विभाग के पास भी लीगल विभाग है, कोई देखता ही नहीं है। लीगल विभाग से राय लेनी चाहिये। 1984 में फैसला हुआ, उसके बाद में कितनी बार आपकी भी सरकार रही, हमारी भी सरकार रही, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वन विभाग की भूमि पर कौन ध्यान दे? इसमें तो जो कब्जा कर ले वह कर ले।

अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सही है। यह भी सही कहा, जैसा इन्होंने कहा कि कोई साधारण आदमी अगर वन भूमि पर एक झोपड़ी भी बना लेगा तो उसको उसी समय बेदखल कर देंगे और प्रभावशाली लोग, पैसे वाले लोग हैं, वह कब्जा कर लेते हैं। उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिये मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि कानून के हिसाब से कार्यवाही कीजिए तो इसमें सफलता मिलेगी अन्यथा आप पत्र व्यवहार करते रहिए, यहां जवाब देते रहिए, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इतना अच्छा जवाब है तब भी? बैठिए आप। Not allowed.

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अच्छा जवाब है।

श्री अध्यक्ष: Not allowed. Not allowed. मिस्टर बलजीत, बैठिए। I said, गलत बात है। इतना अच्छा जवाब देने के बाद, nothing is left. श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली के बांगड़ चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं में अव्यवस्था एवं जांच सुविधाओं का अभाव

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांगड़ चिकित्सालय, पाली जो मेडिकल कालेज से संबद्ध है, में मरीजों की आवश्यक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जांचें नहीं होने एवं कुछ जांचों में काफी अधिक दिनों बाद की तारीख दिये जाने से मरीजों को हो रही भारी असुविधा और निजी जांच केन्द्र में भारी राशि खर्च होने के सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 131 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण किया, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कालेज, पाली में अगस्त, 2018 से एम.बी.बी.एस. का प्रथम बैच प्रारम्भ हुआ है। बांगड चिकित्सालय, पाली इस कालेज से संबद्ध है। बांगड चिकित्सालय में 395 शय्याएं हैं तथा चिकित्सक शिक्षक सहित 192 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 131 कार्यरत हैं। बांगड चिकित्सालय के रेडियोलोजी विभाग में एक सहायक आचार्य कार्यरत है। उनके द्वारा सोनोग्राफी के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यस्तता के उपरान्त भी गम्भीर रोगी, प्रसूताओं एवं अतिआवश्यक रोगियों की प्रतिदिन सोनोग्राफी जांच की जा रही है एवं साधारण बीमार रोगियों को आगे के दिनों की तारीख जांच हेतु दी जाती है।

अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन जो कार्यरत है वह पुरानी होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए 64 स्लाइस की नई मशीन क्रय के लिए पी.पी.पी. पर टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं एवं बिड मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में ईको-कार्डियोग्राफी की जांच प्रशिक्षित फिजिशियन द्वारा की जा रही है। ईको-कार्डियोग्राफी मशीन कार्यशील है एवं टी.एम.टी. मशीन काफी पुरानी व रिपेयर योग्य नहीं होने के दृष्टिगत नई मशीन खरीद के टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं एवं शीघ्र स्थापित कर दी जावेगी।

वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं में पाली में आगामी वर्ष में सुपर स्पेशियलिटी सुविधायें प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी है जिसमें न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी की सुविधायें शामिल हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बांगड चिकित्सालय में शीघ्र ही कार्डियोलॉजी विभाग प्रारम्भ करने के प्रयास चल रहे हैं। साथ ही आई.पी.डी. एवं ओ.पी.डी. में सभी प्रकार की जांच एवं इलाज भी निःशुल्क करवाने की घोषणा की गयी है। बांगड चिकित्सालय, पाली में मरीजों की असुविधा को देखते हुए बांगड चिकित्सालय में पी.पी.पी. मोड पर एम.आर.आई. मशीन की स्थापना का कार्य विचाराधीन है।

(समय: 13.00 बजे)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना है, सबको नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिले। माननीय मंत्री महोदय, पर जमीनी हकीकत क्या है? सामान्य जांचों के लिये भी मरीजों को भारी राशि चुकानी पड़ रही है। आपने जवाब दिया है कि 131 डाक्टर इस अस्पताल में कार्यरत हैं। रेडियोलॉजी विभाग में मात्र एक डाक्टर। आपने खुद ने जवाब में लिखा है कि उसको और भी कामों की वजह से व्यस्तता रहती है। उसको एम.एल.सी. की रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। कहीं कोर्ट में एवीडेंस देने जाना पड़ता है, तो वह दिन तो उसका पूरा गया। 395 शय्याओं वाला अस्पताल और उसमें रेडियोलॉजी का एक डाक्टर, आप कल्पना करो, कैसे सारा सम्भव होगा कि वह इतनी सोनोग्राफी कर सके।

आपने जवाब दिया, गम्भीर रोगी, भर्ती रोगी या प्रसूता, उनकी सोनोग्राफी समय पर हो रही है, यह भी माननीय मंत्री महोदय पूरा सही जवाब नहीं है। उनको प्राथमिकता दी जाती है यह सही है, पर वह भी पूरे नहीं कर पाता। पहला तो मेरा निवेदन है, आपका एक डाक्टर कार्यरत है, आप कब तक कितने और डाक्टर लगा देंगे? यह थोड़ा, एक बार आप मुझे बता देना।

अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा जवाब आपने दिया है सीटी स्कैन मशीन, यह भी लम्बे समय से बन्द पड़ी है। आपका मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है, आप इसको कितनी अवधि में करवा देंगे? आजकल सी.टी. स्कैन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर जायें तो चार-साढ़े चार हजार रुपये लगते हैं, ठीक है। एच.आर.सी.टी. के लिये आपने प्रावधान किया, आपको धन्यवाद दूंगा कि वह बाहर भी 1700 रुपये में हो रही है। बाकी की सी.टी. है, उसके चार-साढ़े चार हजार रुपये लगते हैं। यह प्रक्रियाधीन है तो इसको आप जल्दी कब तक करवा देंगे? आप मुझे अभी यह बता दें।

एक आपने जवाब दिया है कि वर्तमान में ईको-कार्डियोग्राफी की जांच प्रशिक्षित फिजिशियन द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, अधिकारियों ने आपसे असत्य जवाब दिलवाया है। कभी-कभार किसी डाक्टर की यूनिट में, कोई मरीज भर्ती है, उसका आग्रह रहता है, तो उसकी है। आप एक साल का रिकार्ड मंगवाकर देखेंगे, तो आपको खुद को पता चल जायेगा कि आपके माध्यम से यह गलत जवाब दिलवाया जा रहा है। आपके मेडिकल विभाग में लगभग 12 डाक्टर कार्यरत हैं, 3 यूनिट हैं। यह सारा सिस्टम, आसानी से, सुचारु रूप से वह चला सकते हैं। आप उनको थोड़ा पाबन्द करें। ईको जिसका भी लिखा गया है, अस्पताल में ही हो। उसी ब्रांच का नहीं, किसी का आपरेशन है और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सर्जन डाक्टर ने लिख दिया, इसको ईको की आवश्यकता है, तो वह भी वह करे। और भी कोई ऐसा केस है, जिसमें आवश्यकता लगती है और ईको करने की जरूरत है, तो वह भी करवाने के लिये आप मेहरबानी करके पाबन्द कर दें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो मैटर और हैं। ये सारे मरीजों से सम्बन्धित हैं। टी.एम.टी., आपने खुद ने माना कि मशीन लम्बे समय से खराब पड़ी है। मेहरबानी करके, इसको भी आप कितने दिनों में चालू करवा देंगे? मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा। आपने लिखा यह प्रक्रियाधीन है। जल्दी करवा देंगे न टी.एम.टी. तो वह भी बाहर नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एम.आर.आई. मशीन का भी लिखा है, यह विचाराधीन है। विचाराधीन नहीं, मेहरबानी करके, आप प्रक्रियाधीन कितनी अवधि में कर दोगे? अभी तो आप सिर्फ सोच रहे हो।

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में आ गयी। Why are you explaining it?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एम.आर.आई. मशीन की भी आज आप यहां घोषणा कर दो ताकि विभाग जल्दी कार्यवाही कर दे। मेरा सिर्फ एक अंतिम है। जो मानसिक रोगी है उनको अगर विकलांग प्रमाण पत्र लेना होता हैं तो आई.क्यू. टेस्ट की मशीन पाली में नहीं है जबकि वह अस्पताल मेडिकल कालेज से सम्बन्ध रखता है। सारे मरीजों को आई.क्यू. टेस्ट के लिये जोधपुर भेजा जाता है। यह कोई बहुत बड़ी लागत की मशीन नहीं है। एक आई.क्यू. टेस्ट की मशीन पाली में लग जाये ताकि जो मानसिक रोगी हैं, उनको भी जांच की सुविधा पाली में मिल जाये, उनका विकलांग प्रमाण पत्र पाली में बन जाये। मान लीजिये, आप अभी जल्दी नहीं लगा सकते तो डाक्टर्स को यह हिदायत दे दें कि जो भी मानसिक रोगी जो उनको क्लिनिकली लगते हैं कि वाकई में यह मानसिक रोगी है तो उनका विकलांग का प्रमाण पत्र वहीं बनवा दें। इतना मेरा आपसे आग्रह है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया कि वहां जांच में विलम्ब होता है, आपकी बात सही है। पाली में सी.टी. स्कैन मशीन बहुत पुरानी है। वन स्लाइस की है, हमने सोलह स्लाइस सी.टी. स्कैन मशीन के टेंडर आमंत्रित कर लिये। बहुत जल्दी उसको स्थापित कर देंगे जिससे जांच में सुविधा मिले।

(श्री परसादी लाल)

दूसरा, आपने कहा सोनोग्राफी। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, वहां अभी 2 हजार के लगभग वेटिंग लिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, इनको मई तक तारीख दे रखी है। यह भी सही है, वहां 4 मशीनें हैं सोनोग्राफी की और डाक्टर एक। सोनोलॉजिस्ट एक डाक्टर वहां से बहुत समय पहले से, शायद आपके समय से ही, कहीं डेपुटेशन पर है। डेपुटेशन की समाप्ति की तो उसने वापस आकर ज्वाइन कर लिया। दो डाक्टर हो गये। अध्यक्ष महोदय, ऐसी जगह सोनोलॉजिस्ट डाक्टर लगा रखे हैं, जहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है। वहां 4 मशीनें हैं। दो डाक्टर और ट्रांसफर करके वहां पर लगा देंगे जिससे आपकी चारों मशीनें बराबर काम करें।

जो वेटिंग लिस्ट 2 हजार की है, यह सही बात है कि वहां पर दो-दो, तीन-तीन महीने की वेटिंग दी जाती है। उसको निश्चित रूप से, हम कम करेंगे। टी.एम.टी. मशीन तो आपकी बिलकुल बन्द है। उसके भी टेंडर दिये हुए हैं एम.एफ.टी. फण्ड से। कलेक्टर ने सैंक्शन कर दी, टेंडर हो गये। उसको भी हम जल्दी स्थापित कर देंगे।

आपकी जो भी इसमें है, निश्चित रूप से, हमने डाक्टर्स की भर्ती का भी वहां निकाला था। ई.सी.जी. की कोई पेंडेंसी नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं बन्द कर दूंगा। प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं। खड़े हो रहे हैं, don't set a wrong precedent. प्लीज।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ई.सी.जी. पर-मंथ 600-650 हो रही है। ई.सी.जी. की आज वहां कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने अभी जो बजट घोषणा की है, एक कार्डियोलॉजी प्रोफेसर, एक असिसटेंट प्रोफेसर, दो सहायक प्रोफेसर, दो एस आर के पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। बहुत जल्दी हम उनकी भर्ती करेंगे।

जांच की जो प्रक्रिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी की जो भावना है, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवाइयां, आई.पी.-ओ.पी.डी. फ्री। आपके मशीनों का जो अभाव है, बहुत पुरानी मशीनें हैं। जब कालेज यहां हुआ, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, नया रूप देकर, जो भी आवश्यक होगा, करेंगे। आपके दो डाक्टर वहीं जिले में लगे हुए हैं। वहां सोनोग्राफी मशीन नहीं है और वहां डाक्टर लगा रखे हैं। सोनोलॉजिस्ट हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात करके, ट्रांसफर पर बैन है इसलिये बहुत जल्दी बात करके, आपके दो डाक्टर और लगा देंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट कम हो और आम जनता को जांच का

(श्री परसादी लाल)

फायदा मिल सके।

मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। आपने ध्यान दिलाया, सरकार इसमें निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. I will not allow. I said.

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा, please be seated. I am on legs. यह गलत परम्परा है। सीनियर आदमी होकर ऐसा करते हैं, what precedent you want to establish? अध्यक्ष खड़ा है, फिर अपन बोलते जा रहे हैं। That's why I am not allowing you. I give you full credit, बहुत संजीदा बातें करते हैं लेकिन this is not allowed.

चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसचूना

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 9 अधिसूचनायें सदन की मेज़ पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या: एफ.36(1)गृह-9/09 पार्ट दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान विष संग्रहण एवं विक्रय नियम, 2015 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020, एस.ओ. संख्या 244 दिनांक 12.05.2020, एस.ओ. संख्या 248 दिनांक 21.05.2020 एवं एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 244 दिनांक 12.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 248 दिनांक 21.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 302 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था। आपने गृह विभाग की जो अधिसूचनायें सदन की मेज़ पर रखी हैं उनमें एक राजस्थान विष संग्रहण एवं विक्रय नियम, 2015. आपको राजस्थान में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विष का संग्रहण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? नियमों के नियम के अन्दर, यह अधिकार भी है कि आप पेपर ले-डाउन करते हैं तो, मैं इतना पूछ सकता हूं कि आप राजस्थान में विष का संग्रहण कर रहे हो। यह विष किसको देंगे? क्या बात है, बताओ तो सही?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। समिति के प्रतिवेदन। श्री गिरधारीलाल।

समिति प्रतिवेदन

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 2 व 3)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2021-22 के निम्न दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन, एवं

2. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न पदों में आरक्षण दिये जाने संबंधित तृतीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज तीन बिल हैं। सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि be brief. जो चीज माननीय सदस्य कह दें उसको दुबारा रिपीट न करें। कोई चीज आ गयी है, कोई नयी चीज आये तो जरूर बोलें उस बारे में। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन एक ऐसे बिल पर बैठकर विचार कर रहा है जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में हम संविधान में जिन बातों का बार-बार उल्लेख करते हैं वह हमारे भाई-बहिन, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो बिल में आपने लिखा है कि उसकी विकास निधि, योजना, आबंटन, वित्तीय संसाधनों का उपयोग।

(समय: 13.11 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्ष बाद आप इसका उद्देश्य देखिये। यह उद्देश्य में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में न्यस्त है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और इनमें भी विशेष रूप से उनकी आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनियोजित करने के साथ-साथ उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास पर केन्द्रित होते हुए इनके परिव्ययों के रूप में एक कतिपय रकम निश्चित की जायेगी। विकास सूचकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों में अभावों को पूर्ण करना इसका उद्देश्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2012 में इसी मंशा के साथ तत्कालीन सरकार और मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने एक आदेश जारी किया था 04.09.2012 को और उसमें दो कमेटियां गठित की थीं। एक कमेटी बनायी थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री के अधीन और दूसरी कमेटी बनायी थी जिला कलेक्टर के अधीन। इन दोनों कमेटियों की भावना यही थी, जो इस बिल की भावना है।

इसके साथ-साथ बिल में आपने यह भी लिखा है कि जनजाति, उप जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप-योजना और अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना की योजना क्रमश: पांचवीं

(श्री अशोक लाहोटी)

पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना में, इन प्रवर्गों को योजना फायदों और परिव्ययों के यथोचित अंश को दिशा देने के लिए प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय सभापति महोदय, 2012 के बाद में 2016 में भी इसी तरह का एक आदेश निकला 28.12.2016 को और इस आदेश की मैं दो लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस आदेश की भी मूल भावना वही थी जो आज इस बिल की है। राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान किये जाने की मूल भावना इस आदेश की थी और इसमें भी अलग से पृथक-पृथक जिम्मेदारी तय की गयी थी कि ये जिम्मेदारियां किसकी होंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार के बिल कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में आये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये जो बिल इन राज्यों में आये हैं और हम उनके बाद में यह बिल ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने बिल में सारे प्रावधानों का समायोजन नहीं किया है। हमने इस बिल में, सारी वे ही गाइडलाइन्स दी हैं और, जो एक्ट में देना चाहिए था, वह हमने इस बिल में भी लिखा है कि हम इनके लिए अलग से नियम बनाएंगे। जैसे इसमें आप देखो कि अध्याय-2 के खण्ड-3 में यह लिखा है कि- राज्य सरकार अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि में रखे जाने वाली कुल रकम के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर पृथक आदेश जारी करेगी। माननीय सभापति महोदय, जब हम बिल ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं तो फिर पृथक से आदेश जारी तो पहले भी किये हुए हैं। यदि पृथक आदेश जारी करने से हमारे उन भाई-बहनों का उत्थान होता तो आज आजादी के 75 वर्ष बाद जो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, उस अमृत महोत्सव को वास्तविक रूप में यदि हम धरातल पर उतारते तो आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का वह उत्थान हो जाता।

मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमको जानकारी नहीं है, हमको यह भी जानकारी है। आप यह देखो कि अनुसूचित क्षेत्र की एक छोटी-सी जानकारी है, मैंने आप ही के, राज्य सरकार का ही एक डाकूमेंट लिया है, इसमें यह स्पष्ट रूप से चिह्नित है कि आठ जिलों की 31 तहसीलों में इतने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। वल्लभनगर में 22 गांव है, मावली में 4 गांव है, उदयपुर की तीन-चार तहसीलें हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़

(श्री अशोक लाहोटी)

सम्पूर्ण जिले हैं, उदयपुर की 8 पूर्ण तहसीलें हैं, पिंडवाड़ा है, बड़ी सादड़ी के 51 गांव हैं, कुम्भलगढ़ के 16 गांव हैं, बाली तहसील के 33 गांव हैं तो इसका मतलब गांव हमारे चिह्नित हैं। गांव चिह्नित हैं, योजना पहले से यह चल रही है, दो-दो आदेश सरकार ने ये निकाल रखे हैं, मंत्री स्तर की कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर की कमेटी बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे उन भाइयों और बहनों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि वाकई उत्थान हुआ है और आप यह कह रहे हो कि हम इनकी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन गांवों में आज भी किसी भी जाति और जनजाति के उत्थान के लिए सबसे पहले आवश्यकता यह देखने की है कि वहां की शिक्षा की स्थिति क्या है। आज भी वहां पर स्कूलों की हालत क्या है? टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, बैठने के लिए दरी नहीं है, कमरों की हालत दड़बों जैसी हो रखी है, लाइट जल नहीं रही है, पंखें चल नहीं रहे हैं, पढ़ाने को शिक्षक नहीं हैं और हम अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान की यहां बैठकर बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, खुशी होती कि इस एक्ट में ये सारे प्रावधान होते और प्रावधान के साथ-साथ इसमें एक गाइडलाइन तो आप दे रहे हो लेकिन गाइडलाइन के साथ-साथ, इसमें आपने यह तो लिखा कि एक्ट में गाइडलाइन है और यह इसको करेंगे, इसके प्रावधान हैं, लेकिन यदि इनकी पालना नहीं की और एक्ट के अनुसार काम नहीं किया तो उसकी वहां पर सज़ा कौन भुगतेगा? उसकी वहां जिम्मेदारी किसकी होगी? यह जिम्मेदारी एक्ट में कहीं तय नहीं है। एक्ट यह तो कहता है कि इनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक्ट यह नहीं कह रहा है कि जिम्मेदारी से यह जो काम नहीं करेगा, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी।

माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट का जो उद्देश्य था कि हम इस एक्ट के अनुसार बजट के प्रावधान करेंगे। हमने आलरेडी एस.सी., एस.टी. और इसके साथ ओ.बी.सी. को भी जोड़ लें तो इसका, बजट का एक खण्ड बनाया हुआ है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि उस बजट में हमारी स्थिति क्या है? यह एक्ट एक दिन में तो नहीं बना। सरकार को पता था, तीन-चार महीने से एक्ट की तैयारी चल रही थी। 2012 और 2016 में भी ये आदेश निकाले हैं। सरकार किसी की भी रही हो, आदेश निकले हैं, उसके बाद

(श्री अशोक लाहोटी)

अधिकारियों ने क्या किया और अभी बजट जब पेश हुआ तो इसी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के हमारे भाइयों एवं बहनों के लिए सरकार ने क्या बजट पेश किया है, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सरकार ने पूरे बजट में, आप यह देखो वेलफेयर आफ एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., यह एक खण्ड है। इसमें ओ.बी.सी. भी यदि जोड़ लें। मैं केवल एस.सी., एस.टी. की यदि आपको इसमें बताऊं तो हमारी जनसंख्या का, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी 18 प्रतिशत एस.सी. की जनसंख्या है और हमारी 13.84 प्रतिशत एस.टी. की जनसंख्या है और उस जनसंख्या के अनुपात में जो हमने बजट इस बार का पेश किया है, वह बजट पेश किया है केवल 2,567 करोड़ रुपये। माननीय सभापति महोदय, केवल 0.09 परसेंट, केवल 0.09 परसेंट, एक परसेंट से भी कम। दूसरे स्टेट्स में, जिन स्टेट्स का मैंने कहा कि जो एक्ट लेकर आये हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति, आंध्र प्रदेश में 13.1 परसेंट, तेलंगाना में 7.9 परसेंट, महाराष्ट्र में 4.8 परसेंट, मिजोरम में 4.2 परसेंट, कर्नाटक में 3.8 परसेंट, गुजरात में 3.4 परसेंट, पश्चिम बंगाल में 2.4 परसेंट और नेशनल एवरेज 3 परसेंट। हमारा बजट कितना है? केवल 0.09 परसेंट और उस 0.09 परसेंट में भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि हम ब्याज, तनख्वाह और पेंशन हटा दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, एस.सी., एस.टी. के हमारे भाइयों-बहनों के लिए चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, समग्र विकास की बात करें तो इस बजट में केवल 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है, केवल 340 करोड़ जो 0.01 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, केवल इस सदन में बिल लाना और उसमें चार लाइन लिखने से हमारे इन भाइयों-बहनों का यदि भला होता तो यह 2012 में और पंचवर्षीय योजना में उस समय ही हो जाता। मैं सदन में यह निवेदन करूंगा कि बेशक इस बिल का हमारी पूरी पार्टी स्वागत करेगी, एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए कोई बिल आये तो हम सब स्वागत करेंगे, लेकिन बिल में यह प्रावधान तो करो, मंत्री महोदय। बिल में बिना प्रावधान के केवल यहां पर भाषण देकर चले जाने से एस.सी., एस.टी. का उत्थान हो जाता तो इस बजट में कोई एक लाइन तो रखते। फिर आप कहोगे, मंत्रीजी हमारे विद्वान हैं, जैसे ही वे बोलने के लिए खड़े होंगे तो मुझे तो एक मिनट में ही उड़ा देंगे और वे यह कहेंगे कि आपने केवल एक मद पढ़ी, अन्य योजनाओं में

(श्री अशोक लाहोटी)

हमने सब में डाल रखा है तो मैं, मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि सरकार ने अन्य योजनाओं में एस.सी., एस.टी. के लिए ये प्रावधान किये हुए हैं, हर वर्ग में ये प्रावधान किये हुए हैं, हर सैक्टर में यह प्रावधान किया हुआ है, रोड में किया हुआ है, मेडिकल में किया हुआ है, एजुकेशन में किया हुआ है तो एस.सी., एस.टी. के सैक्टर्स पर कितना खर्च किया हुआ है, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग का आंकड़ा भी आप जरूर सदन में प्रस्तुत करें कि ईमानदारी से उसमें खर्च कितना हुआ है क्योंकि यदि बजट एलोकेट हुआ है तो खर्च भी हुआ होगा और उसकी मॉनिटरिंग भी की होगी तो यह आंकड़ा तो आपको एक मिनट में अधिकारी दे देंगे। आज तो दीर्घा में भी काफी अधिकारी बैठे हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एस.सी. का जो हमारा परसेंट है, वह हमारे 2 लाख 94 हजार करोड़ के बजट में 52 हजार करोड़ बनता है और यदि एस.टी. का परसेंटेज देखें तो एस.टी. का बनता है 38 हजार 220 करोड़ रुपये का। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप राजस्थान के सारे बजट के हर मद में से निकालकर यह फिगर मैच करा दें कि वाकई एस.सी. और एस.टी. के हमारे भाइयों और बहनों के लिए, 18 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत के लिए हमने उस बजट का प्रावधान किया है तो वाकई हम आपकी बात मान लेंगे और जो बजट आपने 0.09 परसेंट किया है, इसमें भी साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार आपको दे रही है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन आप यह देखें कि हमारे एस.सी. और एस.टी. के लिए आपने कहा कि विभाग में सृजित पदस्थापन कितना है। यह तो बहुत छोटी-सी बात है। हम एस.सी., एस.टी. वर्ग के उत्थान के लिए बात करते हैं। कुल पद है 260 और उनमें से 119 भरे हुए हैं।

इसी प्रकार यह देखो, यहां पर बजट 2022-23 में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है पेज नम्बर 24 और बिन्दु संख्या 54 पर, ''साथ ही मैं एस.सी. व एस.टी. विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपये से बढ़ा कर आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।'' हमने भी टेबल बजायी, वाकई 500 करोड़ किया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि 2020-21 में जब आपने घोषणा की थी, 100 करोड़ रुपये बजट राशि का आपने रखा था, आप ही का आंकड़ा यह बता रहा है कि आपने 2021 तक 100 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया था, उसके जन-भागीदारी योजना में आपने 10 करोड़

(श्री अशोक लाहोटी)

का प्रावधान किया और रिलीज किया जीरो। आपने मारवाड़ सम्भाग में रहने वाले जनजाति समुदाय के उन्नयन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया, रिलीज किया जीरो। आपने सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के वितरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया, रिलीज किया जीरो। मैं केवल उसी 100 करोड़ का बता रहा हूं, सभापति महोदय, उसके इतर नहीं जा रहा। आवासीय विद्यालयों में 450 की क्षमता विकसित करने हेतु निर्माण कार्य के लिए आपने 10 करोड़ का आबंटन किया और रिलीज किया जीरो। कुपोषण, टीबी, स्किल सेल्स चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपने 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, रिलीज किया जीरो। आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार के लिए 10 करोड़ रखा, रिलीज किया जीरो। टी.आर.आई. प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के लिए 3 करोड़, रिलीज किया जीरो। विविध गतिविधियां छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता कोचिंग गेस्ट फैकल्टी में 12 करोड़, रिलीज किया जीरो। केवल दो मद में आपने 5-5 करोड़ रुपये दिये हैं। भवन-रहित मां-बाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 5 करोड़, डेयरी पशुपालन, कृषि, उद्यान, कुसुम कौशल योजना उन्नयन इत्यादि में आपने 5 करोड़ दिये, यानी 100 करोड़ की घोषणा के बाद केवल 10 करोड़ रुपये आपने अभी तक रिलीज किये हैं, मार्च, 2021 तक। आप कह रहे हो कि हम इसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर रहे हैं। आप तो 5000 करोड़ कर दो, कौन पूछने वाला है। एक्चुअल आयेगा तब तक तो आपकी सरकार चली जायेगी।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, उस समय में कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदों पर खरा नहीं उतर रही है और आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, ये राजस्थान सरकार के आंकडे हैं, जो मैंने बताये हैं। मंत्री महोदय, आप जवाब देते समय बता दें कि वाकई एस.सी., एस.टी. के भाई और बहनों के लिए हमने यह प्रावधान किये हैं क्या? सभापति महोदय, यहीं पर घोषणा थी कि पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। कितनी जगह अम्बेडकर भवन बन गये? मंत्री महोदय बतायें कि इतने जिले में अम्बेडकर भवन बनकर तैयार हो गये। मैं बाकी घोषणाओं में नहीं जा रहा, बहुत सारी तो जन-घोषणा पत्र में भी हैं और हर बजट में भी आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार यदि हम देखें, आपने इस बिल में वर्ड

(श्री अशोक लाहोटी)

लिखा है कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। दूसरी तरफ आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? संरक्षा की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है दलितों पर अत्याचार, हैरान करने वाले हैं ये पांच साल के आंकड़े। 2016 में जब हमारी सरकार थी तब भी मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन 6 हजार 329 हुए और 2020 में ये बढ़कर पहुंच गये 8 हजार 744, इनमें से सज़ा मिली है सिर्फ 7.84 प्रतिशत, केवल 686 मुकदमों में। कैसी संरक्षा करोगे, कैसी संरक्षा दोगे? सभापति महोदय, केवल बिल में बड़े-बड़े शब्दों को लिखने से यदि किसी वर्ग का, किसी पूरे एक समुदाय का उत्थान हो जाता तो हम यहां बैठे-बैठे ही सब कुछ कर देते। मेरा निवेदन है कि इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार बिल के उद्देश्य और कारणों में जो मंशा लिख रही है, वह मंशा बिल के एक्ट और प्रावधानों में कहीं नहीं है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार आप देखो पूरे देशभर में, हमारे यहां पर यह कहा है कि प्रदेश में दलितों पर हमले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सितम्बर तक 5 हजार 740 केस नये दर्ज हो गये। पिछले साल 3.28 प्रतिशत केस बढ़े, इस साल 6.8 परसेंट केस बढ़े हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार नीति आयोग ने अभी इंडेक्स जारी किये थे, उनमें भी एस.सी., एस.टी. वर्ग के सम्बन्ध में नो-पोवर्टी का था, उसमें हम रेड जोन में खड़े हैं, 100 में से केवल 63 अंकों के साथ। इसी प्रकार अन्य राज्यों का देखो, रिड्यूस इक्विलिटीज में जो एस.सी., एस.टी. से ही संबंधित है, वह 100 में से केवल 45 अंकों के साथ हम रेड जोन में खड़े हैं। जीरो हंगर पर हम 53 अंकों के साथ रेड जोन में खड़े हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप कुल मिलाकर जो यह बिल लाये हो, यह केवल एक चुनावी जुमले की तरह इस बिल का उपयोग नहीं करें। आप ईमानदारी से जितने प्रतिशत एस.सी. और एस.टी. के लोग हैं, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम उतना तो प्रावधान कर दें कि एस.सी. और एस.टी. भाइयों के लिए हम इतना प्रावधान करके चलेंगे और इसकी मॉनिटरिंग होगी। इस मॉनिटरिंग के साथ इतना बजट खर्च होगा और खर्च नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, यह भी इस एक्ट में आप प्रावधान कर दें। यह तो सत्तापक्ष के लोग भी चाहेंगे और हम भी

(श्री अशोक लाहोटी)

चाह रहे हैं, इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम किसी वर्ग के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करें, उनका मजाक नहीं उड़ायें कि केवल बिल रख कर हम उनको भूल जायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेशक बिल लायें, हम स्वागत करेंगे, लेकिन बिल में सारे प्रावधानों के साथ हमारे एस.सी., एस.टी. के भाइयों के उत्थान के लिए बिल लाया जाये, न कि उनको गुमराह करने के लिए। इसलिए इस बिल को अभी रोक कर, पूरी तैयारी के साथ, भले ही दो महीने बाद ले आयें, इसको सदन में जनमत जानने के लिए भेजा जाये, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत आभार।

हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत ढांचे में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समता देने का संकल्प अंगीकार किया है। आजादी के बाद बनी सरकारों ने इसके प्रयास भी किये हैं, प्रयास जारी हैं और सरकारें प्रयत्न कर भी रही हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए प्रदेश में वर्षों से विभाग बने हुए हैं। वे काम भी कर रहे हैं। तब विषय है कि इस विधेयक को क्यों लाया गया है, इसमें नया क्या है? माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरे विधेयक के प्रारूप को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आयी कि राज्य सरकार अनुसूचति जाति और जनजाति विकास निधि के माध्यम से दोनों वर्गों के लिए प्रत्येक को 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है, अच्छी घोषणा है यह। मेरे विचार से बजट में इतना-सा प्रावधान कर देते तो भी हो जाता, लेकिन मुझे लगता कि इस सरकार को काम की चिन्ता नहीं है, काम के प्रचार की ज्यादा चिन्ता है। सरकार की कार्यशैली देखकर मुझे व्यंग्यकार की पंक्तियां याद आती हैं।

'तू काम मत कर, काम की फिक्र कर,

फिक्र मत कर, फिक्र का जिक्र कर।'

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बार-बार कहते हैं कि तेरा काम नहीं हुआ, तेरा काम नहीं हुआ, मैं सोचता हूं सरकार इसके अलावा कुछ कर नहीं रही है। ठीक इसी प्रकार यह सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति का काम नहीं कर रही है, केवल काम के फिक्र का जिक्र कर रही है। आप धनराशि का प्रावधान कर देंगे, आपने दो-दो कमेटियों का गठन किया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में। अब मुख्य मंत्रीजी को समय नहीं है तो कब कमेटियों की बैठकें होंगी, कब क्या करेंगे। आप धनराशि का प्रावधान तो कर देंगे पर राशि को व्यय करने के लिए आधारभूत ढांचा है क्या? इसकी घोषणा जमीन पर उतरी है क्या या हवा में तैर रही है? उनका भी हिसाब-किताब पहले होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस जनजाति के उत्थान की बात की जा रही है, उस विभाग के मुखिया जनजाति आयुक्त का कार्यालय उदयपुर में है और जनजाति आयुक्त, मैंने पहले भी निवेदन किया इस सदन में, जनजाति आयुक्त का कार्यालय एक कोने में बना रखा है। डिविजनल कमिश्नर साहब वहां बैठते हैं। वहां कोई आधार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, दो-दो, तीन-तीन जनजाति के मंत्री मेवाड़ के रहे हैं, उसके बाद भी उस कार्यालय पर डिविजनल कमिश्नर का कब्जा है और जनजाति का अधिकारी एक कोने में बैठा हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोजना लागू हुए 40 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। मेवाड़ में आप देखें, तो सर्वाधिक जनजाति का क्षेत्र मेवाड़ है और वहां की स्थिति हमारे सबके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, दो बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे जनजाति के मंत्री महोदय बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने 09 अगस्त को उदयपुर में एक योजना लान्च की। वह योजना यह थी, माननीय मंत्री महोदय, धारीवाल साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि 09 अगस्त को योजना लान्च की कि 100 करोड़ रुपये जनजाति क्षेत्र में सहभागिता के अन्तर्गत रखेंगे, जिसमें विधायक, एम.पी. कोटा का 30 प्रतिशत देंगे, 70 प्रतिशत सरकार और कुल 100 में से जनजाति के विकास के लिए खर्च होंगे। मैंने 50 के आस-पास आवेदन दिये हैं। वे सब आवेदन धूल खा रहे होंगे, पता नहीं कहां हैं वे। आपको आश्चर्य होगा 09 अगस्त की बात है वह। उसके बाद यह स्थिति है, 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया, पर एक भी रुपया जारी नहीं किया। 90 हजार अगर मैं विधायक कोटे से देता हूं तो 2 लाख 10 हजार सरकार देती है और उसमें भी एक प्रावधान है कि 10 लाख

(श्री धर्मनारायण जोशी)

तक की मंजूरी केवल कलेक्टर दे सकता है। उसके बाद भी एक भी कागज नहीं निकला है। माननीय सभापति महोदय, यह योजना केवल जमीन पर नहीं उतरी है। हमारा जो आदिवासी भाई है या जनजाति और अनुसूचित जनजाति का भाई है, आज भी उसकी यही स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, यहां बार-बार हाई कोर्ट बेंच की मांग आती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान में सर्वाधिक, जिसे निरपराध कहना चाहिए, पानी का झगड़ा, खेत में एक बोतल दारू निकाल रहा है आदिवासी भाई, दारू के कारण पुलिस पकड़कर ले गई, उसकी जमानत नहीं हुई। उसके पास कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिये पैसा नहीं है। आज उदयपुर की जेल में 40 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं, जो सामान्य अपराध के हैं। उनकी एप्लीकेशन लगाने वाला कोई नहीं है जोधपुर में। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हाई कोर्ट बेंच स्थापित नहीं कर सकते हैं तो आदिवासी भाइयों के लिए उदयपुर में कैम्प कोर्ट स्थापित की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि जनजाति का पैसा जनजाति के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले सालों में पैसा कहां पर खर्च हुआ। जनजाति का 20 करोड़ रुपया उदयपुर के सर्किट हाउस में दे दिया, माननीय मंत्री महोदय, बांसवाड़ा पुलिस लाइन में आर.ओ. लग गया, प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में ए.सी. लग गये, उदयपुर के कमिश्नर आफिस में 20 लाख का फर्नीचर बन गया। यह सब जनजाति के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। पहले तो यह किया था, पता नहीं आजकल स्वच्छ डिपार्टमेंट है कि नहीं, जनजाति का पैसा स्वच्छ डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते थे और उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता, कोई आडिट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वास्तव में मन में, आपका मन साफ है, आप विधेयक लाए हैं, विधेयक को एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए लाए हैं, परन्तु वास्तव में उसका ठीक से उपयोग हो, यही मेरा निवेदन है। मुझे इतना ही कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्रस्ताव है कि जब तक लोगों को समझ में नहीं आए, इस विधेयक को विदड्रा किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार वास्तव में एस.सी., एस.टी. की विरोधी है।

श्री सभापति: बैठिए, प्लीज। बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान का विधान मण्डल ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सरकार एस.सी., एस.टी. की विरोधी नहीं है। इसको एक्सपंज कराया जाए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, विरोधी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, कोई विरोधी नहीं हैं। आप लोग विरोधी हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): विरोधी हैं आप कांग्रेस के लोग। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप शुरू करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं कि ए.सी. लगे। यह किसके राज में लगे और किसके आर्डर से लगे, वह जानकारी करा लें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, जिसके भी राज में लगा हो, यह अपराध किया, उसको क्यों नहीं दण्डित कर रहे हैं आप? चाहे भाजपा के राज में लगा हो, जनजाति के पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, मैंने पिछली बार भी उठाया था, आप कार्यवाही करने में सक्षम हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करिये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। प्लीज, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का यह विधान मण्डल आज ऐसे वर्ग के उत्थान और बहबूदी के लिए लाए हुए एक कानून पर चर्चा कर रहा है, जिसको जंग-ए-आजादी में महात्मा गांधी ने भगवान का जन कहा था। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार उद्देश्यों और कारणों के कथन के अन्दर आपने डायरेक्टिव आफ प्रिंसिपल के आर्टिकल 46 का उल्लेख करते हुए इस बिल को आप लेकर आये हैं और उसमें लिखा कि राज्य सरकार जनता के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और आर्थिक व सामाजिक हितों की सुरक्षा करते हुए उनके शोषण की संरक्षण करेगी। यानी इतने वर्ष बाद भी यह बिल और इस बिल के अन्दर, बिल की आत्मा यह कह रही है कि हम उन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोगों को मुख्य धारा में लाने में विफल रहे। मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो परिपत्रों का उल्लेख किया। एक परिपत्र, जो 04.04.2012 को इसी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान आयोजना (ग्रुप-5) ने निकाला और एक 28.12.2016 को निकाला। माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखें तो इस पूरे बिल के पारण के पश्चात् जिन कमेटियों का गठन होगा, जो आप परिपत्र जारी करेंगे, वह लगभग-लगभग हूबहू होगा। यानी इन सबके पश्चात् भी सरकार की मंशा पर सवाल उठता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जन घोषणा-पत्र आपने बनाया और उस जन घोषणा-पत्र को पहली काबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया और आपने उसमें कहा कि ट्राइबल प्लान, शिड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा उसके लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च करने को सुनिश्चित करने के लिए कारगर नीति आप लेकर आएंगे और प्रत्येक छह माह में समीक्षा करेंगे। राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति के अवाम के साथ आपका यह कमिटमेंट था। इसके बाद आपकी तन्द्रा कब टूटी, मंत्री महोदय? आपकी तन्द्रा टूटी 2021-22 में। समय गुजरता गया और काल का चक्र चलता गया और 2021-22 में आपने बजट पैरा 114 में घोषणा की कि हम एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी की कम्युनिटी के समावेशी विकास के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 100 करोड़ के विकास बोर्ड का गठन करते हैं। इसके बाद उस 100 करोड़ के बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा, यही मैं पूरा आंकड़ा बोलने वाला था।

माननीय सभापति महोदय, जब डेडिकेटेड आप किसी डवलपमेंट फण्ड का जिक्र करते हो और उसके बाद उसके व्यय का जिक्र करते हो, तो सरकार की मंशा शीशे में साफ दिखाई देने लगती है और निश्चित तौर पर मंत्री महोदय जरूर बताएं कि यह जो आपकी 2021-22 के बजट पैरा 114 के अनुसार घोषणा थी, उसके अनुसार आपने 100-100 करोड़ के उस बजट फण्ड के अन्दर, डवलपमेंट फण्ड के अन्दर कितनी राशि खर्च की? 2021-22 में फिर आप बजट पैरा में घोषणा करते हैं कि हम इस राशि को बढ़ाकर, राशि को बढ़ाएंगे नहीं, इसके साथ एक घोषणा बड़ी की, आपने कहा कि राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास अधिनियम बनाएंगे। एक साल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहले आपने इसी सर्वोच्च सदन के अन्दर यह घोषणा बजट में मुख्य मंत्रीजी से करवाई। एक साल तक आप विराजे रहे। दुबारा इस बार जब आप आये हैं तो इस बार आपने बजट 2022-23 के अन्दर पैरा 54 में 100 करोड़ की राशि एस.सी., एस.टी. डवलपमेंट फण्ड को बढ़ाकर 500-500 करोड़ किया और राजस्थान स्टेट एस.सी. एण्ड एस.टी. डवलपमेंट फण्ड प्लानिंग एलोकेशन यूटिलाइजेशन एण्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल, 2022 आप सदन में लेकर आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने खुद ने क्या माना है, मैं समझता हूं बिल जब हम ड्राफ्ट करते हैं हम रहें न रहें, यह सदन की कार्यवाही और यह जो सदन के सामने हम बिल रखते हैं, ये रहेंगे। मंत्री महोदय, आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में और छठी में अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोजना के लिए बजटीय प्रावधान किया, बहुत अच्छा है। आप फिर यह कहते हैं, परन्तु इनका लाभ नहीं मिला उनको। इतने साल के बाद इस बिल के माध्यम से एस.सी., एस.टी. विकास अधिनियम में जो डवलपमेंट फंड आप लेकर आये हैं। मैं सदन का ध्यान इस बिल के सेक्शन 3 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना का आबंटन वार्षिक बजट का अनुपात होगा जो राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगा। यह आप कह रहे हैं सेक्शन 3 (2) में। सेक्शन 3 (1) का जिक्र सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। मैं सदन का समय जाया नहीं करूंगा। सभापति महोदय, लेकिन आपने क्या किया? दो तरह की बात है। आजकल यह मैसेज की राजनीति, यह शब्द पकड़ लिया और सदन के नेता का तो तकिया कलाम हो गया। हम मैसेज की राजनीति करना चाहते हैं या वल्नरेबल ग्रुप को हम वास्तव में लाभ देना चाहते हैं?

आप यह जो एस.सी., एस.टी. डवलपमेंट एक्ट लेकर आये हैं और जनसंख्या का जिक्र कर दिया, राजस्थान में आभास दे दिया कि नये युग का प्रारम्भ हो गया। अब राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उनको इस एक्ट के बाद में इस बजट के अन्दर अधिकार मिलेगा। आज 2011 की जनगणना में एस.सी. की 17.83 और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एस.टी. की 13.48, कुल मान लो 32 भी मानूं, आपका बजट 2022-23, पैरा 216 जिसमें बजट साइज का जिक्र किया है, मार्गोपाय रकम सहित वह है 3,46,182 करोड़ 83 लाख का। मैं बैठा-बैठा गणित निकाल रहा था। मेरी सप्लीमेंटरी नहीं आयी गणित में। मैं एक झटके में पास हुआ हूं इसलिए मैंने एक झटके में इसको निकाला। यह लगभग 1,13,082 करोड़ के लगभग आती है। मैं उस बजट को खोज रहा था। इस पूरे बजट साइज के अन्दर 32 परसेंट उस राशि का एलोकेशन ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं मिला।

सभापति महोदय, इसके साथ ही यह जो हमारी वार्षिक योजना है। जिसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, योजना व्यय कहते हैं। जो एनुअल प्लान बनता है। मंत्री महोदय, बजट एट ए ग्लांस 2022-23 पेज 1, आपका इस साल का प्लान 1,59,655 करोड़ है। इसके अन्दर एस.सी., एस.टी. के 32 परसेंट का हिस्सा, मैंने सोचा कि चलो बजट साइज के अन्दर तो वेज एंड मीन्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, तो प्लान जो आपने पेश किया है इसके अन्दर तो निश्चित रूप से जब बिल लेकर आये हो और इस मंशा के साथ लेकर आये हो कि एस.सी. और एस.टी. को उनकी जनसंख्या के अनुपात में एलोकेशन मिलेगा, मैंने इसमें भी ढूंढने की कोशिश की।

सभापति महोदय, बजट एट ए ग्लांस में मुझे जो एक बात दिखी, वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, बाकी बातें उन्होंने बता दीं, मैंने सोचा कि चलो इसका आंकड़ा मिलाकर देखें। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान पेंशन, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग के मैट्रिक व सारी मिलाकर यह 12,578 करोड़ होता है। चलो, इसमें सारी मान ली मैंने। अगर इसको भी प्लान साइज के साथ जोड़कर मैं देखूं तो कहीं अनुपात निकलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने इसी बजट के, जो आपने वित्तीय ज्ञापन लिखा है, उसमें 500-500 करोड़ के एलोकेशन की बात लिखी है।

सभापति महोदय, मैं अपने आपको ज्ञानवान नहीं समझता। मंत्री महोदय ज्ञानवान हैं। सामने आफिसर्स गैलेरी का असिस्टेंस है। आप मुझे बता दो कि यह 500-500 करोड़ का जो बजटीय प्रावधान इस फाइनेंशियल मेमोरेंडम में लिखा है, यह किस बजट हैड में है? यह मुझे बता देते तो बहुत ठीक रहता। यह ठीक वैसी ही बात है, पिछली बार आपने क्या किया था, 100-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

100 करोड़ की बात तो हुई और आप घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु और विमुक्त समाज के लिये डी-नोटिफाइड ट्राइबल पालिसी लेकर आयेंगे और आपने 50 करोड़ का प्रावधान किया। मेरा आरोप है कि एक रुपया आपने खर्च किया हो तो बता देना कि आपने किसमें खर्च किया।

सभापति महोदय, यह अभी 2021-22 के अन्दर जिस एस.सी., एस.टी. डवलपमेंट फंड का जिक्र 100-100 करोड़ का किया, आप अपने आंकड़े से बता देना, यह 10 करोड़ 82 लाख से ज्यादा राशि आपने खर्च की हो तो, मैं उन सारी टेबल को पढ़ूंगा तो समय लगेगा। मैं समझता हूं कि मंशा क्या है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। अगर इनकी मंशा होती तो जन घोषणा-पत्र की वह घोषणा जिसमें इन्होंने कहा कि हम कारगर नीति भी बनायेंगे और 6 महीने में समीक्षा भी करेंगे और एस.सी., एस.टी. के लिये बजट का अलग से प्रावधान करेंगे, उसको इतने दिन तक आप रखते नहीं।

सभापति महोदय, अब आपने क्या-क्या बात कही? आपने कहा न कि जन घोषणा-पत्र अधिकृत दस्तावेज है, सारे बैकलाग समाप्त कर देंगे। सभापति महोदय, मैं आपको वहां से बोलते हुए देख रहा था। आपसे ज्यादा ज्ञानवान यहां कोई नहीं होगा। इस बैकलाग की बात आप भी कर रहे थे। मंत्री महोदय, यह आपका जन घोषणा-पत्र सरकारी डाक्यूमेंट है। आपने क्या कहा? प्रदेश भर की अनुसूचित जातियों की बस्तियों में बिजली, पानी, लिंक रोड, हो गयी सारी सुविधाएं, दे दीं आपने?

अगला बजट जब आप पेश करोगे तो चुनाव की घण्टी बज रही होगी। तब कोटा की जनता आंख दिखाना चालू कर देगी। आज मुस्कुरा रहे हो। जो चेहरे पर ओज है वह तब नजर नहीं आयेगा।

अब इस सेक्शन 3 के अन्दर, आपने क्या किया है? आपने स्टेट काउंसिल बनाने की बात कही। आपने एम्पावर्ड कमेटी बनाने की बात कही, नोडल कमेटी की बात कही।

सभापति महोदय, सेक्शन 4 के अन्दर, यह जो इस एक्ट में डवलपमेंट फंड की राशि खर्च होगी, उसके प्रस्ताव से लेकर, यह जब जायेगी मुख्य मंत्री की सदारत में बनने वाली स्टेट काउंसिल में तो यह बीरबल की खिचड़ी बन जायेगी। आप 100-100 करोड़ में तो पैसा खर्च नहीं कर पाये। मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा।

आपने एम्पावर्ड कमेटी बना दी। एम्पावर्ड कमेटी में मुख्य सचिव, इस सरकार को न जाने अधिकारी लोगों से इतना क्या डर लगता है, विभाग के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय थे, उनको बना देते, लेकिन नहीं, यह मुख्य सचिव को बनायेंगे। इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बड़े विचारणीय विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने सेक्शन 5 में अनुसूचित जाति विकास परिषद् के गठन की बात इसमें कही। सेक्शन 6 में अनुसूचित जनजाति विकास परिषद् की बात कही। इसकी सदारत राज्य के मुख्य मंत्री करेंगे। आप इस एक्ट में लेकर आये हैं कि कुछ माननीय सदस्य जो इस विधान मण्डल के हैं, उनको भी लेंगे। आपकी जो अब तक की आदत और ट्रैक रिकार्ड रहा है, आपकी निगाह हमारी तरफ बढ़ेगी नहीं, अब उधर ही रहेगी, चलो उधर करें।

सभापति महोदय, लेकिन मुझे यह बता दें कि यह जो संविधान है, इसके संवैधानिक प्रावधानों से इतर आप कोई एक्ट लेकर आओगे, संविधान के अन्दर आर्टिकल 246 और 252 (2) इस बात को कहता है कि आपके द्वारा संविधान के प्रावधान के अनुसार जो पहले कमेटियां बन गयीं, पहले जो कानून बन गया उससे इतर कानून बनाने का अधिकार आपको नहीं है। आप अगर बनाओगे तो वह राज्यपाल महोदय के पास जायेगा और स्ट्रक डाउन होगा।

सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह आर्टिकल 244 इसके अन्तर्गत हमारा फिफ्थ शेड्यूल बना है। फिफ्थ शेड्यूल में एंट्री 4, 'उसमें महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास सलाहकार समिति के गठन', मतलब आप मल्टीपल बात कैसे कर सकते हो? संविधान के आर्टिकल 246 में बनी शेड्यूल 5 के अन्दर जो हमारी पांचवीं अनुसूची है, उसकी एंट्री 4 के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय की सदारत में आप कमेटी बनाते हो और इधर आप इसी सेक्शन 5 के अन्दर मुख्य मंत्री जी की सदारत में स्टेट काउंसिल बनाते हो। मैं समझता हूं कि यह धरातल पर उतरने वाली बातें नहीं हैं।

मंत्री महोदय, आप जब जवाब देंगे तो मेरी इन बातों का जरूर जवाब दें। मैं कोई लंबी बात, व्याख्यान करने खड़ा नहीं हुआ। मेरे बाद भी बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन जिस बात को सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और जिस आर्टिकल 46 में प्रिंसिपल आफ डायरेक्टिव की बात आपने कही और जिस अनुसूचित जाति के सामाजिक अन्याय और सोशल संरक्षा की बात आपने कही, यह हो क्या रहा है मंत्री महोदय? आप तो गृह मंत्री के रूप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में भी कर रहे हो। यह नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, पुलिस के प्रतिवेदन, ये आंकड़े चिल्ला-चिल्ला करके क्या कह रहे हैं कि आज अनुसूचित जाति पर अत्याचारों में राजस्थान इस देश में तीसरे पायदान पर खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, सुबह से शाम होती है, 24 घण्टों के चक्र में राजस्थान में अनुसूचित जाति के 20 लोग शिकार होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी निवेदन करूं, आपके जो मुकदमे दर्ज हुए उसके अन्दर इसी साल की बात मैं करूं, 01 जनवरी, 2022 से 15.64 प्रतिशत मुकदमे तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, क्योंकि गरीब आदमी जायेगा, किसको चिन्ता और आपने आधे से ज्यादा मामलों में 7,524 मामले दर्ज हुए इसी वर्ष में और उसमें आपने 3,260 में एफ.आर. लगा दी।

मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, इसी तरह की हालत अनुसूचित जनजाति, जिन्होंने राणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के अन्दर पूंजा भील की अगुवाई में युद्ध लड़ा, उनकी हालत इससे भी बुरी है। पूरे देश के अन्दर, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अतिरंजित बात भी कभी नहीं करता, यह मेरी आदत में शुमार भी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और पुलिस का प्रतिवेदन कहता है कि इस पूरे मुल्क के अन्दर एस.टी. पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनमें राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है, दूसरी पायदान पर खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे पहले मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड, आपको मालूम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत लाभकारी योजना से लेकर इस निगम के द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनेकों योजनाएं हैं पर उन योजनाओं में जब से आप पधारे हैं, क्या हालत है? 2018-19 में, भौतिक लक्ष्य की बात करूंगा मैं, भौतिक लक्ष्य थे 58,065 और आपकी उपलब्धि थी 23,059; यानी 39.73 परसेंट, आप नया एक्ट ला रहे हो, डवलपमेंट फंड ला रहे हो, वोट ठगने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो। 2019-20 में आपकी उपलब्धि थी 78,648 में 36,153, यानी 45.9 परसेंट, 2020 में 62,840 और आपकी उपलब्धि थी 38,303, यानी 61.03 परसेंट, इस बार इस वित्तीय वर्ष में 52,103, उपलब्धि रही 15,944; यानी 33.4 प्रतिशत।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर मैं देखूं तो राज्य निगम योजना, यह एस.टी. की पोप योजना, प्रतिपक्ष के नेता, 7.4 परसेंट की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपलब्धि है इस सरकार की, जो एस.टी. के लिए कानून बनाकर उन्हें कह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुसार हम उनको देंगे।

इसी प्रकार का आंकड़ा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की वित्तीय प्रगति का है। माननीय सभापति महोदय, इसमें अलग-अलग योजनाएं हैं, जनजाति कल्याण निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(ए) के अनुसार मिलने वाली राशि का जिक्र भी है। केन्द्र प्रवर्तित योजना, छात्रावास निर्माण, वन बन्धु कल्याण योजना, सहरिया विकास योजना, सब का मैं जिक्र करूं, 2021-22 में 715 करोड़ रुपये और रिलीज क्या किया आपने, 240 करोड़ रुपये।

माननीय मंत्री महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले आपको एक खतरे से आगाह करता हूं। वह समय नहीं है जब एससी., एस.टी. का व्यक्ति साक्षर तक नहीं हुआ करता था। आज राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति के अन्दर 74 परसेंट साक्षरता पहुंच गयी है। अनुसूचित जनजाति में 67 परसेंट, यह खतरा है। आज का नौजवान इस बहस को भी ऑनलाइन देख रहा है, आपका असली चेहरा भी देख रहा है। मैं समझता हूं कि आपको अनुसूचित जनजाति का चेहरा तो दिख गया होगा जब 22 में से 15 हम इधर बैठे हैं। आपको आने वाले समय में अनुसूचित जाति का चेहरा भी दिख जायेगा। मैं उम्मीद करता हूं और पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि कई ऐसे लम्हें आते हैं जब हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस वर्ग के लिए, जो आजादी से पहले शोषित था, पीड़ित था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसे मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों बातें कहीं, कम से कम इसके लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप निश्चित तौर पर जनसंख्या के अनुपात में बजट का एलोकेशन करोगे, गांव में एस.सी. की बस्ती में सड़क जाने में, गांव में एस.सी. की बस्ती के अन्दर बिजली पहुंचाने में, नल पहुंचाने में, बच्चों को छात्रवृत्ति देने में, कल्याण की योजनाओं में अगर आप काम करोगे तो सबसे पहले मैं आपको माला पहनाने आऊंगा। आप चाहे मेरा कोटा में आने पर, जैसा पहले कराया न स्वागत, चाहे वैसे ही करा देना, लेकिन फिर भी मैं आपके घर आकर माला पहनाऊंगा, पर मैं आपको जानता हूं। बरसों से छद्म रूप से इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने वोट की मशीन माना है एस.सी., एस.टी. के लोगों को, इस बार चेहरे से नकाब उठेगा और असली चेहरा दिखेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं, मैं मेरी बात समाप्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने से पहले कहना चाहता हूं कि चेहरे से नकाब जिस दिन उठ जायेगा, नीचे चला जायेगा, असली चेहरा आपका सामने आ जायेगा, तब आपके साथ एक नहीं टिकेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि पर चर्चा करने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों का पठन जब मैंने किया तो उसमें बातें तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गयी हैं कि विकासात्मक अन्तराल को कम करने और राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधान मण्डल के सदन में 24 फरवरी, 2021 को बजट भाषण में राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास अधिनियम के नाम से एक विधि अधिनियमित करने की उद्घोषणा की गयी थी। उसी के क्रम में राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को केन्द्रित करते हुए समानता प्राप्त करने पर महत्व देने के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि अनुसूचित जाति विकास निधि, अनुसूचित जनजाति विकास निधि के परिव्ययों के रूप में एक कतिपय रकम निश्चित की जायेगी। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य विकास सूचकों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के अभावों को पूर्ण करना है।

माननीय सभापति महोदय, ये उद्देश्य इस बिल को लाने के लिए रखा गया है पर मैं कुछ आंकड़े 2020-21 के इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगी। अनुसूचित जाति के हैड में आप देखिये, हैल्थ के सैक्टर में आपने 2020-21 में बजट एस्टिमेट किया था 1,400.924 करोड़ रुपये और आपने उसको रिवाइज किया, 756 और फिर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, वह है 631 करोड़ रुपये। आप रखते हैं 1,400 करोड़ रुपये और खर्च करते हैं 631 करोड़ रुपये, यानी कि 768 करोड़ रुपये के आसपास का खर्चा आपने कम किया है। इसी तरह से वाटर सैनिटेशन और अरबन

(श्रीमती अनिता भदेल)

डवलपमेंट के लिए जो आपने पैसा रखा है, मैं बताती हूं आपको, आपने 3,891 करोड़ रुपये एस्टिमेटेड किया था, रिवाइज किया 3,552 और आपका जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है वह है 3,496 रुपये, यानी कि 994 करोड़ रुपये इसमें भी कम हुआ है। आगे आप देखिये वाटर और सैनिटेशन के लिए, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में वाटर और सैनिटेशन के लिए आपने रखा था बजट एस्टिमेट 74.55 करोड़ रुपये और आपने खर्च किये 57.86 लाख रुपये, यानी कि कितना कम। फिर आप देखिये अरबन डवलपमेंट में भी आपकी यही स्थिति है तो ऐसे आपकी सरकार के कार्यकाल की तीनों वर्षों की टेबल उठाकर देखूं तो यही स्थिति है। आप देखिये, वेलफेयर आफ एस.सी., एस.टी. एंड ओ.बी.सी., इसके अन्दर 1,666.95 करोड़ रुपये और आपने खर्चा किया है एक्चुअल में 1,551 तो इसमें भी आपका कम खर्चा दिखाता है। जब टोटल कैपिटल और रेवेन्यू का अगर हम जोड़ देखते हैं तो इसमें 1,914 करोड़ रुपये आपने रखा है, आपका खर्चा हुआ 1,804 करोड़ रुपये तो सभी हैड को अगर मैं उठाकर देखती हूं तो इसमें लगता है कि आपको फुर्सत नहीं है, यह बात जो कही जा रही है कि काम करने की इच्छा नहीं है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि करना नहीं है, सिर्फ उस बात का हल्ला करना है, ताकि लोगों को लगे कि आप एस.सी. एस.टी. के लोगों के वेलफेयर की कितनी चिन्ता करते हैं।

(समय: 14.00 बजे)

अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 74 प्रतिशत है, यह खतरे की घण्टी है। मैं उलट कहती हूं, यह खतरे की घण्टी नहीं है, यह उस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने की घण्टी है, जो वर्षों से उनके वोट लेकर 70 सालों तक सरकार बनाती आयी है। अब सरकारों में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जाति-जनजाति का रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि वे बहुत अच्छे से समझ गये हैं। जिस पार्टी ने अम्बेडकर जी को यह कहते हुए उन्हें चुनाव हराने में अपना प्रतिनिधि खड़ा किया कि कहीं ये लोक सभा में जीतकर चले गये तो अनुसूचित जाति, जनजाति के वेलफेयर की बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे। इसीलिये पं. नेहरू ने उनको वहीं मिटा दिया जाये, उनको वहीं रोक दिया जाये, ऐसा कृत्य करने वाली यह कांग्रेस पार्टी...

श्री सभापति: बिल पर बोलें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिल पर ही बोल रही हूं। यह बिल तो अनुसूचित जाति, जनजाति का ही है न, इसलिये इसी बिल पर आ रही हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, यह जो प्रस्तावित अधिनियम है, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना का प्रावधान विगत चालीस वर्षों से होने के बावजूद उक्त वर्गों की विभिन्न विकास मानकों के तहत अन्य वर्गों के समक्ष स्थिति विकसित नहीं हो पायी। यह बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसीलिये तो जरूरत पड़ी कि इतने सालों से, पचास साल से कांग्रेस राज कर रही है और फिर भी अनुसूचित जाति-जनजाति का विकास नहीं कर पायी, नहीं तो यह बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती।

प्रस्तावित अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं जो समानता और भेद-भाव की स्थिति को वास्तविक रूप से समाप्त करने के लिये सशक्त करते हों। इन वर्गों के लिये विभिन्न फोकस क्षेत्रों में विकास की सभ्यता स्थापित करने की दृष्टि से आवश्यक है कि विशेष संस्थाएं राज्य, जिला व ब्लाक स्तर पर सृजित कर सक्रिय की जाएं, जो निर्णय, निर्देश और दण्ड प्रेरणा के लिये समुचित हों।

माननीय सभापति महोदय, यह बिल जब मैं देख रही थी तो मुझे ज्ञात हुआ कि सरकार ने इस बिल को यहां रखने से पहले पब्लिक डॉमेन में भी डाला था और जब पब्लिक डॉमेन में डाला तो बहुत सारी अनुसूचित जाति, जनजाति के बंधुओं ने इसके लिये बहुत सारे सुझाव दिये और न केवल सुझाव दिये, बल्कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बिल का यह प्रारूप बना था। यह प्रारूप भी मेरे हाथ में है। आप चाहेंगे तो मैं इसे टेबल कर दूंगी। इस प्रारूप में इस बिल में सिर्फ पांच अध्याय हैं और वे अध्याय क्या कहते हैं, यह देखिये आप। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जो बिल है, यह कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूर्व में ही कानून के रूप में बनाया जा चुका है। स्वर्गीय टी.एस. कृष्णन जो आन्ध्र प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी हैं, उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में रहते हुए इसे ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करके यह बिल तैयार किया। इसके बाद इन राज्यों की सरकारों ने हूबहू जैसा उन्होंने ड्राफ्ट किया था, वैसा ही स्वीकार किया, क्योंकि वे चाहते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास हो।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास कानून का जो ड्राफ्ट श्री कृष्णन द्वारा तैयार किया गया था, उसके आधार पर अन्य राज्यों ने इसे बनाया है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, आप उस ड्राफ्ट को देखें और इन राज्यों के बिलों को भी देखें। राजस्थान राज्य में जो बिल लाया गया है, उसमें उन प्रावधानों को जोड़ा ही नहीं गया है जिनसे अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास सम्भव हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अधिसूचना द्वारा राज्य परिषदों यथा अनुसूचित जाति विकास निधि के लिये राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिये राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद् का गठन किया जायेगा। सिर्फ राज्य स्तर पर गठन करने की बात यह बिल कहता है, जबकि होना तो यह चाहिये था, जिसका प्रावधान इन दूसरे राज्यों के बिलों में है, स्टेट के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एस.टी., एस.सी. डवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया जाना चाहिये था और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलना चाहिये था, तभी इस बिल के प्रावधानों के तहत इस बिल की सारी राशि जो सरकार तय करने वाली है, उसका उपयोग कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप कानून बना दें, लेकिन उस कानून में जब तक किसी के पास उत्तरदायित्व न हो, जब तक आप दण्ड का प्रोविजन नहीं करेंगे तो आपकी बात कहते रहें, कौन सुनने वाला है? 70 सालों से नहीं सुनी तो अब क्या गारंटी है कि कोई सुन ही लेगा? इसीलिये निवेदन करती हूं, प्रस्तावित बिल में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का सिर्फ और सिर्फ उल्लेख है।

माननीय सभापति महोदय, कानून के दांत होने चाहिये। डर के बिना कानून की पालना सम्भव नहीं है। अत: दण्ड का प्रावधान इस बिल में निश्चित रूप से होना चाहिये, जो कि नहीं किया गया है। अच्छा कार्य, प्रभावी क्रियान्विति और संवेदनशीलता के साथ प्रोत्साहन की भी इस बिल में व्यवस्था हो। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बिलों को आप देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह से प्रावधान जोड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, इन प्रावधानों का राजस्थान के प्रस्तावित कानून में स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। यह कानून नहीं है। यह सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी, 2012 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करते हैं और आज दस साल बाद भी 2012 की घोषणा पूरी नहीं होती है, तो यह भी इसी तरह का छलावा है, वर्षों-वर्ष बीतते जायेंगे, लेकिन यह काम होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये निर्धारित फंड के हस्तान्तरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध व निषेध होना चाहिये। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये जो फंड हम रिजर्व करते हैं। वह जब उपयोग में नहीं होता है तो उसे दूसरे हैड में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस स्थानान्तरण पर जब तक निषेध नहीं होगा, तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। दूसरे हैड में स्थानान्तरित करने की बजाय इसी हैड में उसे रखा जाये और उसका हस्तान्तरण न हो, तब जाकर हम कह सकेंगे कि वास्तव में सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के वेलफेयर के लिये काम करना चाहती है। विभागानुसार क्रियान्विति एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यदि किसी विभाग में फंड राशि शेष बचती है तो उसका भी उल्लेख करते हुए विस्तृत रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, यदि किसी फंड का उपयोग नहीं हुआ है तो कारणों सहित वह रिपोर्ट विधान सभा के सदन के पटल पर रखी जायेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकारी मशीनरी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उसे पूरा करे। नहीं पूरा करने पर उसे ज्ञात होगा कि यह विधान सभा के पटल पर भी रखी जा सकती है। प्रस्तावित अधिनियम की अनुपालना के सम्बन्ध में समीक्षा, निर्देश और अनुशासित कार्यवाही के अधिकार राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रदत्त किये जाने चाहिये ताकि वह इन अधिकारों के द्वारा इनकी पूर्ति करा सके, जिनकी पूर्ति 70 सालों से अभी तक नहीं हो पायी है।

इसी प्रकार एक सुझाव मैं और देना चाहूंगी, उक्त विकास निधि के तहत व्यय की गणना में। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही कि अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर जो राशि इसमें शामिल कर दी जाती है, यह वेलफेयर के लिये, आप तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह ही डील करें न। जो अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें जितनी तनख्वाहें

(श्रीमती अनिता भदेल)

मिलती हैं, भत्ते मिलते हैं, उन्हें भी आप अनुसूचित जाति, जनजाति के वेलफेयर फंड में काउंट करते हैं। यह कितना बड़ा धोखा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि उसे काउंट नहीं किया जाये। आधारभूत संरचनाओं, जिनका लाभ सभी नागरिकों को समान तौर पर मिलता है कि इस सृजन पर व्यय उक्त निधि के तहत व्यय में सम्मिलित नहीं की जाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह प्रस्तावित बिल मेरे पास है और इस बिल की धारा 13 - उत्तरदायित्व एवं दण्ड, इसमें यह जो प्रारूप था, जो 2017 में बनाया गया था, उसमें लिखा गया है, ''जो अधिकारी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं, उनकी भूमिका में चूक/चूकों के लिये दण्ड निर्धारित किये जायेंगे।'' माननीय मंत्री महोदय, यह प्रारूप बिल में है, लेकिन जो यह बिल आपने इस सदन में रखा है, उसमें यह प्रावधान नहीं है तो इसमें इसे जोड़ा जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आगे लिखा है, ''ऐसी चूक/चूकों के मामले में राजस्थान अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और राजस्थान अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण द्वारा, जहां वह इसे आवश्यक एवं उपयुक्त समझे, ऐसे अधिकारियों पर निर्धारित दण्ड अधिरोपित करते हुए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को सिफारिश भी कर सकेंगे। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार पर सामान्यत: बाध्यकारी होगा।'' ये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी होने चाहिये, ऐसा इसमें प्रोविजन था, जिसे आपने हटा दिया है।

इसी के अतिरिक्त इस धारा 13 का बिंदु संख्या-2 है, उसमें देखिये, ''इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति के असफल रहने पर या किसी अन्य चूक में जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (उत्पीड़न निवारक) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारी सम्बन्धित आचरण/नियमों के अन्तर्गत भी विभागीय कार्रवाई के लिये उत्तरदायी होंगे।'' लेकिन ये सारी चीजें इसमें से डिलीट की गयी हैं। अभी हम उल्लेख कर रहे थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ कितने अत्याचार बढ़े हैं। हमारा प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में दूसरे नम्बर पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल रही हूं, इसलिये आप प्लीज घण्टी न बजाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, एक आर्डर जो सरकार का 2016 में निकला और इसी तरह से एक आर्डर 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय निकला, उनका उल्लेख करना चाहूंगी। यह देखिये, यह तारीख 04.09.2012 है। अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति, मूल्यांकन एवं दिशा-निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है। यह जो राज्य स्तरीय कमेटी बनी हुई है, अब उस कमेटी को करना क्या है, यह भी इसमें लिखा हुआ है। आप देखिये, इस समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। प्रदेश लेवल की यह कमेटी है और इसको 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करनी ही करनी है, उन बिन्दुओं की समीक्षा करनी ही करनी है, पर मुझे नहीं लगता कि 2012 से लेकर आज तक 3 माह में कभी इस समिति की बैठक आयोजित हुई होगी।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक आदेश है 04.09.2012 का, उसमें लिखा है- अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जिलों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति, मूल्यांकन एवं दिशा-निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन किया जायेगा। वह गठन कर दिया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में? मैंने पिछली बार, अनेकों बार यह बात बोली है, जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आपने कितनी सारी कमेटियां बना रखी हैं और यदि वे कमेटी की ही मीटिंग करते रहें तो पूरे महीनेभर मीटिंग ही मीटिंग होंगी और उसकी कोई समीक्षा, कोई कुछ होने वाला नहीं है। इसमें लिखा है कि इस समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी आवश्यक है। मुझे बता दीजिये, कोई कलेक्टर एक महीने के अन्दर-अन्दर यह मीटिंग आयोजित करते हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बिल पर आपको और कुछ बोलना हो तो बोलें। बिल पर बोलिये। जो करंट बिल है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिल की ही तो बात कर रही हूं। यह जो आर्डर निकला है न, यह सरकार ने ही तो निकाला है, यह बिल की ही तो बात कर रही हूं। यह बिल में लिखा है कि राज्य परिषद् का गठन

(श्रीमती अनिता भदेल)

करेंगे, वह सुझाव देंगे। सुझाव क्या भाटा देंगे? बिल पर ही तो बोल रही हूं, और किस पर बोल रही हूं? मैं अनुसूचित जाति से आती हूं इसलिए इस तर्क को बहुत अच्छे से समझ सकती हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: पुराने आदेश पढ़ रही हैं आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या हाल है? आप बताइये न, यह मेरे पास है। मंत्री महोदय बतायेंगे, अब कहां गये मंत्री महोदय? यह पदोन्नति में आरक्षण, यह रिजर्वेशन दिया था न? 70 साल तक कांग्रेस यह कहती आयी है कि हमने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन दिया। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का क्या हाल है, बतायें। यह रोस्टर प्रणाली हम लागू करेंगे, पदोन्नति में रिजर्वेशन देंगे, यह अधिकारी सुनते हैं क्या? रोस्टर प्रणाली के आदेश कितनी बार जारी किये डी.ओ.पी. ने? डी.ओ.पी. मुझे बताये कि एक बार भी किसी विभाग ने रोस्टर का संधारण किया है क्या? रोज डी.पी.सी. हो रही है, रोज डी.पी.सी. हो रही है, डैली डी.पी.सी. हो रही है पर किसी विभाग ने रोस्टर का संधारण नहीं किया है। कोई पूछने वाला है इनसे? इस बिल को क्या मैं माथे में मारूं? क्या होगा इस बिल से? सिर्फ बताने के लिए यह बिल है और कुछ होने वाला नहीं है इस बिल का। मैं कहूंगी कि इस बिल को जनमत जानने के लिए जारी किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू। मैं सभी माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि 27 लोग इस बिल पर अभी और बोलने वाले हैं, दूसरा बिल जो आज है उस पर भी 27 बोलने वाले हैं और तीसरा बिल है उस पर भी 25 लोग बोलने वाले हैं, जो लगभग 80 हो गये। इसलिए रिपीटेशन करने के बजाय अपनी बात जरूर कहें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बिल है और सरकार को सोचना चाहिए था, इस बिल के साथ दो बिल और क्यों डाले? पूरी लम्बी चर्चा होने दीजिये, बार-बार नहीं होती है इस पर। सालों में एक बार याद आती है सरकार को हमारी।

श्री सभापति: पूरा करेंगे अपन, आज की कार्य सूची को बिलकुल पूरा करेंगे। अपन बैठे इसीलिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्री बिहारीलाल जी।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): गर्ग साहब, यह फैसला बी ए सी की मीटिंग में हुआ था और बी ए सी में माननीय कटारिया साहब भी मौजूद थे और राठौड़ साहब भी मौजूद थे। सबसे मिलकर यह फैसला हुआ है।

श्री सभापति: पूरा करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। श्री बिहारीलाल जी, बोलिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण बिल राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर डिस्कशन हो रहा है। सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है कि पिछले 50 वर्षों से हम एस.सी., एस.टी. की बहबूदी के लिए, उनके हितों के लिए अनेकों योजनाएं चला रहे हैं और उन योजनाओं का अगर सही तरीके से क्रियान्वयन करती तो निश्चित तौर पर इस बिल के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। वह वंचित और पिछड़ा हुआ तबका आज सामान्य वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ चलता, लेकिन सरकार ने सिर्फ बातें कीं।

योजनाओं की वित्तीय स्थितियों का आकलन अभी आंकड़ों के माध्यम से हमारे साथियों ने बताया कि जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करने के लिए इस बिल में लेकर आये हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पहले भी इसी तरह से योजनाएं सारी लागू रही हैं पर उनका पालन यदि हम सही तरीके से कर पाते तो इस बिल के लिए कोई जगह नहीं थी। आज आप इस बिल को जिस भावना और जिन उद्देश्यों के साथ लेकर आये हैं, लेकिन इन उद्देश्यों की पूर्ति आप जो बिल के प्रावधान लेकर आये हैं, उनसे होती नहीं है। इससे अच्छा था कि आपको यह विधेयक लाने से पहले जिन राज्यों में यह विधेयक पहले से है उनका बेहतर अध्ययन किया जाता, दलित, वंचित तबकों, संगठनों से मिला जाता, जन-प्रतिनिधियों की राय को जाना जाता।

माननीय सभापति जी, आंकड़ों की बातें हमारे साथियों ने कही कि किस तरह 32 प्रतिशत आबादी के लिए बजट का क्या प्रावधान है वह 0.09 प्रतिशत, यह स्थिति है तो सरकार को चिन्ता करनी चाहिए और सारा प्रदेश और हमारी 32 प्रतिशत आबादी इस बात को सुन रही है, देख रही है कि सरकार सिर्फ बातें ही करती है पर इस बात के लिए कितनी चिन्ता करती है।

माननीय सभापति जी, मैं कुछ सुझाव इस बिल के द्वितीय अध्याय की धारा 3 और 6, योजना और आबंटन में देना चाहूंगा। राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में एस.सी.डी.एफ. और एस.टी.डी.एफ. का निर्धारण करेगा, यह धारा 3 (1) कहती है। माननीय सभापति जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि का आबंटन नॉन लेप्सेबल और नॉन डायवर्टेबल होना चाहिए और

(श्री बिहारीलाल)

सभी सदस्यों ने इस बात की चिन्ता की है। आबंटित किये गये बजट का उपयोग अनिवार्य रूप से केवल अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि के लिए इन योजनाओं में ही खर्च किया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार ऐसा करे। अभी तक इस तरह की अनेकों योजनाएं चलती हैं लेकिन बजट किधर का किधर चला जाता है, कहां लैप्स हो जाता है, डायवर्ट कर दिया जाता है जो इस 32 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय हम करते हैं।

आदरणीय सभापति जी, आयोजना और आबंटन में सहभागिता, समावेशी दृष्टिकोण रखते हुए अन्तिम व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो पंचायती राज अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम, पेसा अधिनियम पर लागू होने वाले अधिनियम के प्रावधानों के साथ नियोजन और आबंटन में बाटम-अप दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अलग-अलग विशेष ग्राम सभा, वार्ड सभा के प्रावधान भी शामिल किये जाने चाहिए। जेंडर व बाल आधारित बजटिंग के सिद्धांतों को इस पर लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु भी बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।

उक्त निधि के अन्तर्गत योजनाएं इस तरह से बनायी जानी चाहिए कि सामान्य योजनाओं के तहत एस.सी., एस.टी. की महिलाओं, किशोरियों, युवा महिलाओं, वृद्धों को मिलने वाले लाभ से वंचित न रहे। उक्त निधि के अधीन निर्मित योजनाओं का लाभ भी मिलना सुनिश्चित हो। राज्य सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक्स एण्ड सोशल अफेयर के परिभाषा के अनुसार समता स्थापित करने के लिए अतिरिक्त लाभ मिलने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति जी, अध्याय (3) धारा 7 से 9 संस्थागत व्यवस्थाओं में मेरा सुझाव है कि यदि विधेयक के रूप में मुख्य मंत्री के अधीन राज्य परिषद् एवं अधिकार प्राप्त समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, परन्तु कर्नाटक राज्य के अधिनियम में वर्णित किये गये संस्थागत प्रावधानों को अधिनियम व नियमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा सके। एस.सी.डी.एफ. और एस.टी.डी.एफ. के लिए प्रस्तावित राज्य परिषदों एवं अधिकार प्राप्त समितियों में गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को, ग्रामीण परिवेश के अनुभवी अनुसूचित जाति,

(श्री बिहारीलाल)

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भी शामिल किया जना चाहिए। उक्त विधेयक में जिला और ब्लाक, तहसील स्तर की निगरानी समितियों के गठन के प्रावधान भी शामिल किये जाने चाहिए जिस तरह एस.सी., एस.टी. एट्रोसिटी एक्ट में किया जाता है।

माननीय सभापति जी, अध्याय (4) कहता है, पारदर्शिता और जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी एक्ट की बात जन घोषणा पत्र में भी आप लेकर आये थे, पिछले बजटों में भी आपने यह बात लगातार कही कि हम जवाबदेही कानून लेकर आयेंगे, रामलुभाया जी के नेतृत्व में समिति बनी, उसकी रिकमंडेशन आपके पास पड़ी है, लेकिन जवाबदेही आप अधिकारियों और अफसरों की करना नहीं चाहते क्योंकि राजस्थान की सरकार सिर्फ बातें ही बनाना जानती है। जिस तरह से अभी हमारे मावली से आने वाले साथी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिये, काम हो या नहीं हो, पर चर्चा में दिखना चाहिये, ऐसा आप करना चाह रहे हो। पारदर्शिता में, जैसे अभी अनिता भदेल जी ने कहा, आप यह कानून लेकर आये हैं, इस कानून में दण्डात्मक प्रावधान नहीं होंगे तो बिना नख-दंत का कानून किस काम का है? इसलिए इसमें दण्डात्मक प्रावधान भी किये जाने चाहिये।

विधयेक में योजना, आबंटन एवं निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्पष्ट रूप से वर्णित करने की आवश्यकता है और सम्बन्धित जानकारी व आंक़ड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्म के माध्यम से उपलब्ध होने चाहिये, जैसे जन सूचना पोर्टल में होता है।

सामाजिक आडिट को पारदर्शिता और जवाबदेही के तंत्र के रूप में विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा अंकेक्षण के लिये अलग से दो-तीन प्रतिशत बजट का निर्धारण भी किया जाना चाहिये और अधिकारियों की तनख्वाहों में जो बजट खर्च किया जाता है, जैसे पहले भी बात आई तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाये।

माननीय सभापति जी, इन सारे सुझावों को अगर शामिल करके सरकार इस विधेयक को पुन: लेकर आयेगी तो निश्चित तौर पर आप जो उद्देश्य मय कथन लेकर आयेंगे, उनको सही मूर्त रूप दे पायेंगे, नहीं तो केवल 50 सालों से आपकी मंशा, आप जो बातें करते आ रहे हैं और वोट बैंक के रूप में एस.सी., एस.टी. की 32 प्रतिशत आबादी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनका भला नहीं कर पायेंगे। इसलिये, मेरा सदन में आपके मार्फत सरकार से

(श्री बिहारीलाल)

आग्रह है कि इन सभी सुझावों को इसमें शामिल करते हुए इस विधेयक को प्रभावी रूप से दुबारा लेकर आयें, तब तक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर अपने विचार रखते समय मैं उन बात को नहीं दोहराऊंगा, जो अब तक बोली जा चुकी हैं।

सभापति महोदय, 2021 के बजट भाषण से कहानी की शुरुआत होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अति संवेदनशील मुख्य मंत्री जी, गरीबों के मसीहा, ऐसी जिन्होंने अपनी छवि बना रखी है, उन्होंने अपने बजट भाषण 2021 में पैरा संख्या 106 पर कहा, ''प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये मैं विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत राजस्थान शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब डवलपमेंट कानून बनाया जायेगा।''

सभापति महोदय, बहुत उम्मीदें जगीं, हम लोग खुश हो गये, वाह, अब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं 32 साल से राजनीति में हूं, चौथी बार इस सदन के अन्दर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। महाराष्ट्र पैटर्न की बहुत चर्चा सुनते थे। जब भी कभी यहां चर्चा होती थी, चाहे प्लानिंग कमीशन के निर्देशों के कारण हो या और किसी भी कारण से हो या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की डिमाण्ड पर हो, यह चर्चा आती थी कि महाराष्ट्र पैटर्न बहुत अच्छा है, उसको राजस्थान में लागू करना चाहिये। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि हम राजस्थान पैटर्न लागू करेंगे तो हमको लगा कि महाराष्ट्र से भी कोई बढ़िया चीज आने वाली है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है।

सभापति महोदय, फरवरी, 2021 में यह बजट भाषण हुआ। 2021 के अन्त में या 2022 की शुरुआत में, एक प्रेस कांफ्रेस वित्त विभाग द्वारा की जाती है, सिर्फ 10 महीने बाद, बजट घोषणा एस.सी., एस.टी. के लिये, इतनी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

महत्वपूर्ण घोषणा, सालों से जिसका इन्तजार है, उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है, सिर्फ 10 महीने बाद। सरकार बहुत संवेदनशील है, धन्यवाद। 10 महीने बाद वित्त विभाग एक प्रेस नोट जारी करता है। उसमें इस घोषणा का उल्लेख करता है और उसमें अन्त में यह कहता है कि सभी से विनम्र आग्रह है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित सुझाव वित्त विभाग (बजट) की ई-मेल आई.डी. पर दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक प्रेषित करावें और उसके साथ में उन्होंने ड्राफ्ट भेजा कि ऐसा-ऐसा कानून बनाने की हम सोच रहे हैं। उन्होंने पूरा ड्राफ्ट भेजा।

सभापति महोदय, उस पर आप जैसे विद्वान, वरिष्ठ जानकार, रिटायर्ड अधिकारियों ने विचार किया, रिटायर्ड आई.ए.एस., रिटायर्ड आई.पी.एस., रिटायर्ड आर.ए.एस., रिटायर्ड आर.पी.एस., उन लोगों ने उस पर विचार किया और बहुत बारीकी से इसका एक-एक शब्द पढ़ने के बाद उन्होंने अपना सुझाव दिया। सबसे पहले सुझाव दिया था, हमारे रिटायर्ड आई.पी.एस.के.एल. बैरवा साहब, जो आर.पी.एस.सी. के मेम्बर भी रहे, अम्बेडकर पीठ के महाप्रबन्धक भी रहे। उनके उस सुझाव को कोई तवज्जोह नहीं मिली। शायद इसलिए कि वे बी.जे.पी. से जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके तुरन्त बाद जब उनको लगा कि तवज्जोह नहीं मिल रही है तो उन्होंने तुरन्त एक दूसरा एक्शन लिया, दूसरा काम किया।

डा. बी. आर. अम्बेडकर पीठ सिविल सोसायटी जयपुर में बनी हुई है। सभापति महोदय, सम्भवत: आप भी उसके मेम्बर हो सकते हैं जिसमें जसवन्त सम्पतराम जी, महेन्द्र सिंह जी प्रेसिडेंट थे, रिटायर्ड आई.ए.एस., जो जालौर से एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर बयाना से कांग्रेस के टिकट पर एम.पी. का चुनाव लड़े, कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में सिविल सोसायटी बनी हुई है जिसमें जसवन्त सम्पतराम जी भी हैं, टी.सी. डामोर साहब भी हैं, बी.एम. मीणा साहब भी हैं, एस.एस. पंवार साहब भी हैं, आर.पी. सिंह साहब, जो डीजी रहे, वे भी हैं। इस तरह से लम्बी-चौड़ी वरिष्ठ लोगों की सूची है। उन लोगों ने मिलकर इसमें एक संशोधन बताया आपको और उन्होंने लास्ट के पत्र में लिखा - "after consideration of above mentioned instruments, we have redrafted the bill in 'letter and spirit'. The redrafted bill is submitted for your kind consideration and we are of the opinion that it will fulfill the Rajasthan Pattern requirement

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

too." राजस्थान पैटर्न जैसा होना चाहिये, उसको यदि वास्तव में परिलक्षित करना है, उसको सामने लाना है तो हमने यह सुझाव दिया कि आप इनको मानिये। इसमें जो अधिकांश अफसर हैं, जो नाम मैंने बोले हैं, अधिकांश कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके सुझाव देने के बाद जब मेरे पास यह कापी आयी तो मुझे लगा कि अब तो इस बिल में बहुत अच्छा हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, अफसोस के साथ कह रहा हूं, उनके दिये गये सुझाव में से एक अक्षर भी काम में नहीं लिया गया। यह संवेदनशीलता है इस सरकार की? इतने वरिष्ठ आई.ए.एस., आई.पी.एस., रिटायर्ड लोग कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सोच-समझकर दे रहे हैं, बैठक करके, तय करके, वर्ड एण्ड लैटर इन स्पिरिट, एक-एक शब्द आपको बता रहे हैं कि इस जगह यह जोड़िये, इस जगह ये जोड़िये, उस पर कोई हलचल नहीं हुई। उसमें से एक भी शब्द को भगवान जाने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, पर कम से कम उसे जोड़ा नहीं गया। उसके कारण से जो स्थिति बनी तो यह लूला-लंगड़ा बिल इस सदन में पेश हुआ। मैं लूलम्लंगड़ा क्यों कह रहा हूं, उसके बारे में भी आपसे निवेदन करता हूं।

इससे पहले इसकी कहानी की एक शुरुआत और होती है, 2012 में। पी.सी. कृष्णन साहब, सीनियर आई.ए.एस. हुए हैं।

श्री सभापति: पी.एस. कृष्णन।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): केरल के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और फिर आई.ए.एस. बन गये आन्ध्र प्रदेश में, फिर भारत सरकार में बहुत लम्बे समय तक अपनी सेवाएं दीं। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपने पूरे नौकरीकाल में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के वेलफेयर के लिये जो काम किया शायद कोई अफसर नहीं कर पाया होगा। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और कुमारी शैलजा उस समय सोशल जस्टिस की मंत्री थीं। उन्होंने जो सुझाव दिये, उसके आधार पर कुमारी शैलजा के आफिस से मुख्य मंत्री जी को पत्र आया। उस पत्र के आधार पर, यह जो 2012 के आदेश की चर्चा अभी अजमेर से आने वाली माननीय विधायक ने की है, वह उसके आधार पर निकला। उसमें स्पष्ट लिखा था कि यह कमेटी होगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का भी उसमें प्रावधान था, कलेक्टर की अध्यक्षता में।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उस समय 2012 में माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे। यदि आप एस.सी., एस.टी. के लिये इतने संवेदनशील थे तो यह एक्ट उस दिन आना चाहिये था। यह एक्ट उस दिन आना चाहिये, यदि आप इतने संवदेनशील थे। आपने हमारे 10 साल खराब कर दिये, आप 10 साल बाद ला रहे हैं। चलो, 10 साल बाद ही सही, लेकिन अब भी जो लाये हैं, वह भी लूला-लंगड़ा लाये हैं। आपके उस आदेश में भी कुछ कमियां थीं, उनको लेकर कंफ्यूजन पैदा हो रहे थे, इम्प्लीमेंट करने वाली ब्यूरोक्रेसी, अफसर उसमें गलियां निकाल लेते थे। मैंने खुद ने एक जनप्रतिनिधि के नाते कई बार महसूस किया, किसी गली में पाइपलाइन ले जानी है, कोई दो-चार लाख का खर्चा है और तत्काल किसी योजना में कवर नहीं हो पा रही है तो अफसर धीरे से कहते हैं, साहब, एस.सी. कम्पोनेंट में पैसा पड़ा है, उसमें से कर लें क्या? और एकाध मकान एस.सी. वाले का है उसका नाम डालेंगे और वहां तक पाइपलाइन खींच लेंगे। एक मकान, बाकी सौ मकान दूसरे हैं। ऐसे दुरुपयोग हुआ है उसका, तो यह सब होता रहा। उसको रोकने के लिए 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक परिपत्र और निकला आयोजना विभाग से और उसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण दिये गये, जिसके कारण से इसको लागू करना आसान हो सके।

सभापति महोदय, उसके बाद में भी जो इस एक्ट में जो मैंने बार-बार कहा है कि लूला-लंगड़ा एक्ट है वह मैं इसलिए कह रहा हूं उसके बारे में अब उस बिन्दु पर आता हूं मैं। पी.एस. कृष्णन साहब ने एक ड्राफ्ट बनाकर भारत सरकार को भी दिया था। उसी आधार पर वहां जो भी उन्हीं के प्रयासों से नेशनल कमीशन फोर एस.सी. एंड एस.टी. को संवैधानिक दर्जा मिला, उनको पावर मिले। उसी आधार पर ओ.बी.सी. कमीशन को भी पावर मिले तो वैसा ही उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर दिया था और सारे स्टेट्स को भेजा था और उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि एक तो मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बने राज्य स्तर की और उसके बाद उसमें नोडल एजेंसी और हो, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी हो जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए, कलेक्टर के पास बहुत काम होते हैं, अभी-अभी कहा, कलेक्टर के पास बहुत काम होते हैं, बहुत कमेटियों के चेयरमैन होते हैं वो, उनको इतना समय नहीं मिलता है। अतिरिक्त कलेक्टर या जाइंट कलेक्टर लेवल का एक अफसर पूर्णकालिक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

संयोजक, कन्वीनर लगेगा इसका। कितने जिलों में लगाया आपने? नहीं लगाया। यह होना चाहिए था इस एक्ट में प्रोविजन, वह आपने नहीं किया। फिर इन्हीं कृष्णन साहब के सुझाव पर आन्ध्र प्रदेश में यह एक्ट बना 2013 में, 24 जनवरी, 2013 में उसमें जो प्रोविजन है उनको हमने इसमें लागू नहीं किया और किया है तो गोलमोल भाषा में कर दिया। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी होगी और The State Council shall meet at least twice in a year. जो 2012 का आदेश है उसमें तीन महीने में एक मीटिंग का है, नहीं हुई। इस आन्ध्र प्रदेश के एक्ट में twice in a year, 6 महीने में एक मीटिंग का प्रावधान है और वह भी इसमें लागू नहीं किया आपने और the Government shall constitute District Monitoring Committee in each district with District Collector as its Chairman, which shall be responsible for implementation of the Scheduled Castes Sub-Plan, Tribal Sub-Plan in the district should be responsible. गोलमाल भाषा, स्पष्ट भाषा आपके बिल में नहीं है। फिर ऐसा ही एक्ट 2013 में कर्नाटक ने बनाया, जिसको उन्होंने 2017 में संशोधित किया, संशोधित करके इसको और मजबूत बनाया और उसमें जो कमेटी का प्रावधान किया उन्होंने उसमें पूरी डिटेल दी है उन्होंने, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में - The Minister for Social Welfare (Vice chairman), The Minister for Parliamentary Affairs (Ex-Officio Member), The Minister for Rural Development (Member), The Minister for Higher Education (Member), The Minister for Revenue (Member) and, at least 5 MLAs or MLCs or MPs, कम से कम पांच एम.एल.ए., एम.एल.सी. और एम.पी. जहां जो लागू होता है, belonging to SC/ST as nominated by the Government. आपके एक्ट में इसका प्रोविजन नहीं है। जनप्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, अफसर कर रहे हैं।

अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल में आपने वो मारवाड़ आदिवासी बोर्ड कुछ बनाया, एक भी जनप्रतिनिधि उसमें नहीं है। सारे अफसरों के भरोसे है। अगर अफसर कर लेते तो इस एक्ट की जरूरत कहां थी, अफसर नहीं कर रहे हैं इसलिए अफसरों को एक्ट में बांधने की जरूरत पड़ रही है और आप बांध नहीं रहे हैं उनको। चीफ सेक्रेटरी आफ द गवर्नमेंट उसका मैंबर होगा। डवलपमेंट कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट ये सारे होंगे उसमें, सोशल वेलफेयर का तो होगा ही होगा मैंबर सेक्रेटरी, ये इतनी स्ट्रोंग कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उस एक्ट में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लिखा है, रूल्स में नहीं। कर्नाटक सरकार ने जो एक्ट बनाया 2013 में और उसको जो वापस संशोधित किया उन्होंने 2017 में, उस एक्ट में ही यह मेन्शन है, प्रोविजन है कि ऐसी कमेटी बनेगी। आपके इस एक्ट में ऐसी कमेटी बनाने का कुछ भी उल्लेख नहीं है। नियम बनाये जायेंगे, नियम के माध्यम से लागू होगा, नियम फिर अफसर बनायेंगे तो जो उनकी मर्जी होगी वो कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में भी यही किया उन्होंने। नोडल एजेंसी में भी कौन-कौन होगा, वह सारा इस एक्ट में मेन्शन किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में भी मेन्शन किया है और उसमें भी जो कलेक्टर की चेयरमैनशिप में जो कमेटी होगी उसमें, Members of Legislative Assembly representing a part or whole of the district whose Constituency lie within district. यह भी उसमें किया और Chief Executive Officer of Zila Parishad उसका मैंबर और यह फिर जाइंट कमिश्नर और जाइंट डायरेक्टर, पी.डब्ल्यू.डी., एग्रीकल्चर, हैल्थ, सोशल वेलफेयर तो है ही। फिर यह ट्राइबल, ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स के डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर्स उसमें होंगे और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, सभापति महोदय, थोड़ा-सा आपका समय ले रहा हूं। 'Initiatives and Penalties' आपने भी लिखा है इसमें। आपने क्या लिखा है, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के अधीन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में समस्त स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बस। कर्नाटक का एक्ट क्या लिख रहा है - the government shall formulate an appropriate scheme, to award incentives for commendable performance. Any functionary or official being a public servant willfully neglects his duties required to be preformed by him under this Act shall be subjected to disciplinary action under the relevant service/disciplinary rules applicable to the government officials and functionaries or as decided by the Nodal agencies for the Scheduled Castes (sub-allocation), Tribal (sub-allocation) depending upon the intensity of such negligence shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend up to 6 months. 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है यदि अफसर लागू करने में कोताही बरते या जान-बूझकर बदमाशी करे, 6 महीने की सज़ा तक का प्रावधान है कर्नाटक एक्ट में। ऐसा ही प्रावधान है तेलंगाना के एक्ट में। ऐसा ही प्रावधान हमने क्यों नहीं किया? सिर्फ इंसेंटिव्ज के लिए बात कर ली हमने, डिसइंसेंटिव्ज की बात कर ली। ठीक है करे उसका भला, जो नहीं करे उसका भी भला।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, इसी हालत में तो सत्तर साल से जी रहे हैं हम। जो हम पर करता है, हम पर एहसान कर रहा होता है, मेहरबानी कर रहा होता है। हमारा अधिकार समझकर हमको देना चाहिए, यह चीज नहीं की जा रही है। उसी बात का रोना हमको बार-बार रोना पड़ रहा है इस हाउस के माध्यम से भी और अन्य फोरम पर भी कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। वह न्याय इस एक्ट में आपने ड्राफ्ट किया है, उसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है। ढुलमुल सा एक्ट है। जैसा हमारा अनुसूचित जाति आयोग है राजस्थान का, जैसा हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है राजस्थान का, कहां गये हमारे लक्ष्मण मीणा साहब माननीय विधायक जो आई.पी.एस. रहे हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया है। महीने भर से ज्यादा हो गया, ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं। जाकर क्या करें, नख, दन्तविहीन, न वो किसी को बुला सकते हैं न वो किसी को कुछ कह सकते हैं। आपका राजस्थान का ओ.बी.सी. कमीशन एम्पावर्ड है, जुडिशियल पावर दे रखे हैं आपने, दे रखे हैं इसी राजस्थान ने। माइनोरिटी कमीशन को भी अधिकार है वह अफसरों को बुलाते हैं और पेशी करते हैं। महिला आयोग को अधिकार है, एस.सी./एस.टी. आयोग को अधिकार नहीं है। वह किसी चपरासी को भी नहीं बुला सकते कि तूने ऐसा क्यों किया? कौन सुनेगा आपको, कौन मानेगा आपको? भारत सरकार के एस.सी. आयोग या एस.टी. आयोग का एक पत्र आ जाये तो अफसरों को दस्त लगने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको जुडिशियरी पावर है, वो सब-कुछ निर्णय कर सकते हैं। राजस्थान में हम यह वर्षों से डिमाण्ड कर रहे हैं कि यह एस.सी./एस.टी. का जो आयोग बना है उसको आप एक्ट बनाकर, उसके लिए ऐसा एक एक्ट बनाकर लाइये, उसको पावर दीजिये, वह नहीं हुआ अभी तक। एक नया झुनझुना हमको और पकड़ा रहे हैं, ताकि एस.सी. और एस.टी. के लोगों को एक बार और बेवकूफ बनाकर आप वोट ले सको, सिर्फ इसलिए लाया गया है। यह नख दंतविहीन कानून है, कोई सज़ा का प्रावधान नहीं। कमेटी बनाने के लिये एक्ट में जो मेंशन होना चाहिये, वह मेंशन नहीं, इस तरह से यह सारा किया गया है। इसको देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इस एक्ट को दुबारा ड्राफ्ट करने की जरूरत है। हमारी मत मानिए, आपके अपने महेन्द्रजीत सिंह जी, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो कहा है, वह मान लीजिए। उनके साथियों ने जो कहा है, वह मान लीजिए। उसके बिना इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक शेर निवेदन कर रहा हूं। मुझे याद है वो दिन, पदोन्नति में आरक्षण के बारे में पंजाब हाई कोर्ट का आदेश था, सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह याद है, अकेला राजस्थान वह प्रांत था, संवेदनशील मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब 10 आई.पी.एस. को रिवर्ट किया गया। एस.पी. को एडिशनल एस.पी. बनाकर वापस खांचों में बिठा दिया था और हजारों की संख्या में अधिकारी/कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया। यह कलंक सिर्फ राजस्थान के माथे पर लगा हुआ है और माननीय अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में लगा है। इसलिए मैं एक शेर निवेदन करना चाह रहा हूं,

'यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां

मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा।

धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 की मंशा थी कि देश के दुर्बल और वंचित लोगों को आमजन के बराबर लाने के लिये उनके अर्थ और शिक्षा के हितों की रक्षा करें और सामाजिक न्याय और सब प्रकार के शोषण में उनकी सुरक्षा करें। माननीय सभापति महोदय, संविधान की यह भावना अभी तक भी पूरी होने की ओर नहीं बढ़ रही है। सन् 1977 में जब माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब मुख्य मंत्री बने थे, अभी वह हमारे बीच में नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया ध्यान दीजिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आपस में बात नहीं प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): स्वतंत्र भारत के राजस्थान प्रदेश के एक मुख्य मंत्री ने ध्यान दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति काफी पिछड़ी हुई है। यह सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से वंचित लोग हैं। इनको आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उन्नयन करने की आवश्यकता है। इसलिए वह स्पेशल कंपोनेंट प्लान और टी.ए.डी. योजना लाए और उसके माध्यम से उन्होंने सैद्धांतिक रूप से यह कहा कि इनकी जातियों का प्रदेश में जितना प्रतिशत है, उतना बजट इनके उत्थान के लिये, इनके सर्वांगीण विकास के लिये खर्च होना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने राज्य स्तर पर कमेटी बनाई, जिला स्तर पर कमेटी बनाई। माननीय

(श्री मदन दिलावर)

भैरोंसिंह जी शेखावत साहब जब तक मुख्य मंत्री रहे, तब तक उनकी मीटिंग होती रही, उसके बाद यह बंद हो गई। 1993 में जब मैं समाज कल्याण मंत्री बना, तो मैंने उसको उठाकर देखा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल को छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त कांग्रेस राज के किसी भी मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने उसकी मीटिंग नहीं ली, यानी उसकी चिंता ही नहीं की जबकि उस संविधान की मंशा यह थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दूसरे शब्दों में कहूं तो जो वंचित लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, उनका सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वांगीण विकास किया जाय।

आपको जानकर खुशी होगी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने सोचा कि सत्ता में इनकी भागीदारी होनी चाहिये। पहले सत्ता में भागीदारी नहीं थी तो पंचायती राज में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण किया और उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं। आज जिला प्रमुख एस.सी. के हैं, एस.टी. के हैं। प्रधान हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद् सदस्य हैं। लेकिन कांग्रेस के इतना शासन करने के बावजूद भी इनके ध्यान में नहीं आया था कि इस देश में रहने वाले कुछ ऐसे हैं जो वंचित हैं, दुर्बल हैं, उनको भी इस शासन में सहभागिता चाहिये, उसकी चिंता नहीं की। बड़ी-बड़ी बातें करते रहे कि वह दुर्बल और वंचित लोगों के पक्षधर हैं, उनका विकास चाहते हैं, उनके भले की बात करना चाहते हैं। ऐसा करते रहे लेकिन उनको एक तरह से बेवकूफ बनाकर उनके वोट लेते रहे लेकिन उनके उत्थान की बात नहीं सोची। माननीय सभापति महोदय, जो बिल यह अभी लाये हैं, उससे पहले कई प्रदेश इससे कई गुना अच्छा बिल...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, आप प्रभारी मंत्री हैं, कृपया सुनिए। आपको कोई राय चाहिये तो इनको अपने चैम्बर में ले जाइए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इससे कई अच्छे बिल कई प्रदेश ला चुके हैं, जिनका उल्लेख मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कर दिया है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। यह बिल प्रभावी नहीं है, केवल यह मैसेज देने के लिये है कि हम आपका उत्थान करेंगे। यदि आपको उत्थान करना था तो बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया? बजट में आपने 0.9 परसेंट राशि का प्रावधान किया है, हिस्सा बनता है 32 प्रतिशत। 32 प्रतिशत की जगह आप 0.9 लाकर यह कहना चाहते हैं कि हम आपका उत्थान करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, आज

(श्री मदन दिलावर)

जो वंचित रह गये, उनको आगे बढ़ायेंगे। इससे साफ झलकता है कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बेवकूफ समझते हो। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, हम रोटी नहीं खाते हैं, हमारे में दिमाग नहीं है? हम सब जानते हैं कि यह धोखाधड़ी हमारे साथ हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति समझ गया है कि कांग्रेस सरकार हमारा भला नहीं कर सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर आइए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बिल पर ही आ रहा हूं। वह समझ गये हैं और इसलिए वह इनसे छिटकते जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अभी भी पहले वाली स्थिति होगी, इसलिए ऐसा लंगड़ा, लूला बिल लाये ताकि इनके मरहम लग जाय। इनको यह पता ही नहीं कि वे पढ़े-लिखे हो गये हैं। अब वे पढ़े-लिखे हो गये हैं, समझदार हो गये हैं। राजस्थान की विधान सभा में जो बोला जाता है, उसको वह सब सुनते हैं। दूसरे दिन अख़बार में भी पढ़ते हैं, परंतु इनको यह जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बिल में कहा कि प्रदेश स्तरीय परिषद् बनायेंगे और मानिटरिंग करेंगे। प्रदेश स्तरीय परिषद् क्या है? यह सलाहकार समितियां बनायेंगे जो सलाह देंगी और सलाह माने या ना माने, यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप प्राधिकरण क्यों नहीं बनाते हैं? राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्राधिकरण बनाइए। पर नहीं बनाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि नियम हम बनायेंगे। नियम हम इस एक्ट में नहीं डालेंगे, लेकिन हम बनायेंगे। क्यों, क्या डर लग रहा है आपको? क्यों नहीं डाल रहे हो इसमें? किस बात का डर लग रहा है? नियम इसी में डालने चाहिये, अलग से नियम बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: वैसे बीच में बोलना नहीं चाहिये, लेकिन मैं मेरे अनुभव के अनुसार निवेदन कर रहा हूं कि एक्ट पारित होता है और एक्ट पारित होने के बाद उसके रूल्स बनाये जाते हैं। यह प्रक्रिया है और इस एक्ट में ही नहीं, सभी एक्ट में ऐसा होता है। आप अपनी बात कहिये, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पहले भी एक्ट बने हुए हैं, दूसरे प्रदेशों ने बनाये हैं, उनमें डाले हैं। यह परम्परा होगी, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ऐसा न हो। यह परम्परा हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि स्टेट काउंसिल बनायेंगे।

(श्री मदन दिलावर)

काउंसिल का गठन कैसे होगा, उसका क्या कार्य होगा, कार्यप्रणाली क्या होगी? इसका प्रावधान नहीं बताया, उसका उल्लेख ही नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया, कहा कि माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी और माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी मीटिंग लेंगे। क्या उनको समय है? अगर उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चिन्ता होती तो वे सदन में होते और सबकी चर्चा सुनते और उसके आधार पर आगे का कार्य करते, लेकिन मुख्य मंत्री जी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चिन्ता नहीं है। ये उनके लास्ट पायदान पर पायी जाती हैं, वे इन लोगों को लास्ट पायदान पर समझते हैं, इसलिये यहां पर नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो बिल में प्रावधान किया है कि काउंसिल में माननीय मुख्य मंत्री होंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होंगे, आदिवासी मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे और एस.सी., एस.टी. के पांच विधायक और सांसद होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी होने चाहिये, प्रबुद्ध जन भी होने चाहिये, जन-प्रतिनिधि भी होने चाहिये। आर्थिक विकास के मामलों के जानकार विशेषज्ञ और शिक्षाविद् भी उसमें होने चाहिये। महिलाओं का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसी तरह का प्राधिकरण जिले में भी होना चाहिये, ताकि जिला स्तर पर अपनी योजनाएं बना सकें। नहीं तो क्या होगा, इसमें विभाग वाले अलग-अलग योजना बनाकर लायेंगे और फिर उसके आधार पर स्वीकृतियां करेंगे। पता ही नहीं है कि कहां किस प्रकार का विकास चाहिये। इसमें प्रावधान करना चाहिये था कि जहां पर अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, उसके आदर्श गांव का नक्शा, जिसे मास्टर प्लान कह सकते हैं, वह बनाना चाहिये। इन लोगों की किस प्रकार की जरूरतें होती हैं। किस प्रकार का अच्छा गांव बन सकता है? वहां किस प्रकार का इनको वातावरण देना है, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करते तो अच्छा रहता। नहीं तो, कभी तो पी.डब्ल्यू.डी. वाले प्रस्ताव लेकर आयेंगे, सड़क बना देते हैं। फिर पी.एच.ई.डी. वाले प्रस्ताव लेकर आयेंगे कि सड़क तोड़ देते हैं, मुझे लाइन बिछानी है। फिर दूसरा आयेगा कि मुझे फाइबर केबल बिछानी है, मैं तोड़ देता हूं तो फिर क्या अनुसूचित जाति का पैसा ऐसे ही बेकार होता रहेगा? इसमें सीधा-सीधा यह प्रावधान करना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसे कि मेरे

(श्री मदन दिलावर)

से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष आप बनायेंगे, आप तो परिषद् बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं, मैं जो प्राधिकरण कह रहा हूं, उसका गठन होना चाहिये और उसका अध्यक्ष कलेक्टर को बनायेंगे तो उसमें पूर्णकालिक सचिव ए.डी.एम. होना चाहिये, जो यही काम देखे और उसकी नियमित रूप से बैठकें होनी चाहिये। इसकी मानिटरिंग करने वाला होना चाहिये और हर विभाग में भी मानिटरिंग करने वाला होना चाहिये। आज तो पोपाबाई का राज है। कहीं भी कोई भी काम करके, इस पैसे को कम्पोनेंट प्लान में डाल दो। उससे पूछो कि आपने पैसे को कम्पोनेंट प्लान में डाल दिया, इस तालाब में क्यों डाला, इसका निर्माण किया, तो साहब, अनुसूचित जाति के लोगों के जानवर भी इसमें पानी पीते हैं, इसीलिये हमने इसमें डाल दिया है। इस सड़क पर अनुसूचित जाति के लोग भी गुजर रहे हैं, इसलिये हमने इसे डाल दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाह रहा हूं। यहां कहा गया है कि प्रस्तावित बिल में उत्तरदायित्व पारदर्शिता, इसका आपने उल्लेख तो कर दिया। पारदर्शिता कैसे होगी? उत्तरदायित्व कैसे तय करेंगे? इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी पालना कराना जरूरी है, तो पालना कराने के लिये आपने इसमें क्या प्रावधान किया है? क्यों नहीं किया? पालना ऐसी ही नहीं होती है, पालना के लिये डण्डा बताना पड़ता है, डर बताना पड़ता है। जैसा कि अन्य प्रदेशों ने किया है, छह महीने तक की सज़ा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 इन पर लगनी चाहिये, ताकि ये जेल जायें। एक-दो अधिकारी जेल चले गये तो अनुसूचित जाति के लोगों के पैसे का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। नहीं तो मनमाफिक दुरुपयोग करेंगे। इनको डर दिखाना पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा है, आरक्षण के मामले में इन्होंने क्या किया है? आरक्षण के मामले में टुकड़े-टुकड़े करके वैकेंसी निकालते हैं। ये सोचते हैं कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ न जाये। फिर इन्होंने सरकार को पाठ पढ़ा दिया कि यदि तीन साल तक भर्तियां नहीं होती हैं तो उनको सामान्य वर्ग से भर लिया जाये। तीन साल तक मत करो, हमको अयोग्य घोषित कर दो। आपका क्या जाता है? आपका तो कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। इसलिये हमको अयोग्य घोषित कर दो और दूसरों से भर लो। मैं कहता हूं कि आरक्षण में भी संशोधन होना चाहिये। जो आपने कहा कि carry forward नहीं होगा, उसको करना चाहिये। जो नहीं करते हैं, उन

(श्री मदन दिलावर)

पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिये, नहीं तो काम ऐसे चलने वाला नहीं है। नहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण होता रहेगा और जिस प्रकार से लोग दिखावा कर रहे हैं, उस प्रकार से यह चलता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह भी देखना चाहिये कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास अन्य लोगों की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है? जितने प्रतिशत कम हैं, उतना ही उनको उठाने के लिये प्रयास करना चाहिये। यह प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? आप यह बताना चाहते हैं कि हमने इतने रुपये खर्च कर दिये। यह बताना होगा कि ये लोग इतने परसेंट सामान्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नीचे हैं और उनको इस बिल के माध्यम से जो धन का आबंटन या प्रावधान करेंगे, उसके माध्यम से उनको वहां लायेंगे। लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी मानिटरिंग के लिये एक वेब पोर्टल बनाकर उसका नियमित रूप से रखरखाव करें। उसको ध्यान में रखें।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह बिल है और मैं गम्भीर बात कर रहा हूं। यह अनुसूचित जाति के लोगों का मामला है। धारीवाल जी इसको लाइटली ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के डवलपमेंट के लिये टेक्निकल और सपोर्ट इकाई का गठन करना चाहिये, ताकि टेक्निकल दृष्टि से और सपोर्ट देने की दृष्टि से एक इकाई का गठन हो और वह गठन प्रदेश स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो। कई बार ऐसा होता है कि बजट तो खर्च ही नहीं हुआ है। जैसे 100 करोड़ का प्रावधान किया और 10 करोड़ खर्च करके कह दिया कि यह तो खर्च ही नहीं हुआ। खर्च नहीं हुआ तो दूसरी जगह पर खर्च करो। यह नहीं होना चाहिये। इस वर्ष में यदि फंड बच गया है तो दूसरे साल में उसको कैरी-फारवर्ड कर दो ताकि वह पैसा उसी के लिये लगे, उसी समाज के लिये लगे, उसी वर्ग के लिये लगे, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिये लगे, लेकिन ऐसी सोच नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यदि इस सरकार की ऐसी सोच होती तो अभी तक इतना हो जाता। मैं तो इस सरकार से चाहता हूं कि पिछले साल से जितना हमारा पैसा बचा हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति का, उसकी गणना की जाये।

(श्री मदन दिलावर)

कितना नहीं लगाया, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर लगाना था। उसका सबका आकलन करके फिर टोटल अनुसूचित जाति के लोगों का विकास किया जाये तो मैं गारन्टी देता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग आपसे ज्यादा सब तरह से प्रोग्रेस करेंगे। उनके रहने की व्यवस्था ठीक होगी, उनका गांव ठीक होगा, उनका मकान ठीक होगा, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस कांग्रेस ने हम लोगों को पीछे रखने के लिये बजट में प्रावधान किया, नाटक किया, लेकिन हमारा शोषण करते रहे और उस पैसे को दूसरी जगह लगाते रहे।

(समय: 15.00 बजे)

एक उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं कोटा की बात कर रहा हूं। ये अनुसूचित जाति के लोगों का मामला है। धारीवाल जी बैठे हैं, अनुसूचित जाति के जनजाति के 5 वार्ड आते हैं रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में।

श्री सभापति: बिल पर बोलिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बिल पर ही है। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ क्या करते हैं? बिल पर ही है। अनुसूचित जाति के लोगों के क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा था, जो स्वीकृति दी थी इन लोगों ने, उनको रोक दिया मौखिक रूप से, कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों का विकास नहीं होना चाहिये। ये हमसे आगे बढ़ जाएंगे तो कल हमसे कम्पीटिशन करेंगे। यह कहकर काम रोक दिया। ये अनुसूचित जाति का उद्धार करेंगे? ये अनुसूचित जाति के लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। ये शोषण करेंगे, शोषण करना इन्होंने सीखा है।

माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं देखिए कांग्रेस के लोगों को, इस बिल पर चर्चा हो रही है, कितने लोग यहां बैठे हैं? कितने लोग हैं? कितने मंत्री हैं? मुख्य मंत्री गायब हैं। मैं घोर निन्दा करता हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के बिल पर चर्चा हो रही है, तब मुख्य मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनसे बड़ा विरोधी अनुसूचित जाति व जनजाति का, मुख्य मंत्री से बड़ा विरोधी और इस कांग्रेस से बड़ा विरोधी हो नहीं सकता। इस बात की मैं घोर निन्दा करता हूं, घोर निन्दा करता हूं।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक, 2022 के लिये चर्चा हो रही है।

श्री सभापति: मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं कि रिपीटेशन को कृपया अवाइड करें अदरवाइज बहुत लम्बा हो जायेगा। रिपीटेशन की बात तो सारी रिकार्ड पर आ रही है।

श्री छगनसिंह (आहोर): बिलकुल साहब। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें संशोधन लाना चाहिये और आपने भी कहा कि जब तक इसका एक्ट नहीं बनता तब तक इसमें संशोधन नहीं आ सकता।

श्री सभापति: यह नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा है कि सामान्यत: नहीं यह मैक्रो प्रेक्टिस है कि एक्ट पास होता है, पारित होता है और एक्ट बनने के बाद उसके रुल्स बनाये जाते हैं। प्रेक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिये, उसके प्रोविजन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिये, उसके रुल्स फार्म्युलेट किये जाते हैं, बनाये जाते हैं, ये कहा है मैंने। आप जो कह रहे हैं, वह नहीं कहा है। आप बोलिए, प्लीज।

श्री छगनसिंह (आहोर): बिलकुल। यही बात मैं आपसे रिपीट करवाना चाहता था क्योंकि अभी ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती का विधेयक पास भी होना है, उसका संशोधन भी साथ में आ गया है। मैं लम्बी चर्चा नहीं करूंगा और जो बातें अभी सभी माननीय सदस्यों ने रख ली हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उद्देश्य मैंने पढ़ा कि राज्य की जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। इस विषय को पढ़कर मैंने मेरे जोधपुर सम्भाग की तरफ देखा।

पिछले 70 साल का आकलन करते हैं। आरक्षण की अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सम्भाग के पाली जिले सहित 6 जिले हैं। वहां पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में मारवाड़ आदिवासी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। उसमें 6 सदस्य भी बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन उस विकास बोर्ड का कहीं नाम नहीं है, सिर्फ बजट घोषणा हुई है। 6 सदस्यों की तो अलग बात है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब इसमें खर्चे की बात आती है कि 500-500 करोड़ रुपये

(श्री छगनसिंह)

एस.सी. और एस.टी. फंड में हम यूज करेंगे, उसमें आपने लिखा है कि प्रशासनिक खर्च सहित तो वह होर्डिंग्स, बैनर में पूरा का पूरा खर्च हो जायेगा। आम जनता, जिस एस.सी. व एस.टी. के विकास की बात कर रहे हैं, वह कहीं नहीं होगा। होर्डिंग, बैनर और सरकारी खर्चा हो जायेगा। 200 करोड़ खर्च हो जायेंगे और 300 करोड़ बच जायेंगे। हम जिनके विकास की चर्चा कर रहे हैं, वहां कहीं भी एक पैसा भी खर्च नहीं होगा।

सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी और मेरे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हैं। वह इस मंत्रालय से भी सम्बन्ध रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे जोधपुर सम्भाग को एक बार देख लेना और जालौर विशेष को एक बार देख लेना कि जिस प्रकार से हम 50 साल से एस.सी. व एस.टी. के नाम से, यह तो भला हो डाक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, कि उन्होंने प्रारूप समिति में आरक्षण का लाभ दे दिया और लाभ भी दिया लेकिन उसका हमारे क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, आपने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

हमारे क्षेत्र से कभी आपने देखा है क्या कि जालौर से कितने आई.ए.एस. हैं? पाली से कितने हैं? सिरोही से कितने हैं? बाड़मेर से कितने हैं? ये आरक्षण का फायदा हमें कब मिलेगा? हमारे जोधपुर सम्भाग को कब मिलेगा? आप एक विश्लेषण करना कि हमारे पास जालौर जिले में क्या एक भी आई.ए.एस. है? आर.ए.एस. अधिकारी भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। जब आपका एक्ट आयेगा, यह भी उस एरिया में, एक ही जिले में जहां 100-100 आई.ए.एस. हैं, वहीं पर फंड यूज होगा और उस क्षेत्र में विकास होगा। हमारे क्षेत्र में कुछ आना-जाना नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में जोधपुर सम्भाग के लिए विशेष संशोधन करके, जोधपुर सम्भाग के सभी जिलों का, जिलेवाइज इसमें वितरण किया जाये और जिलेवाइज इसका फायदा कैसे मिले, इस पर भी संशोधन कीजिए कि पूरा का पूरा संभागवाइज इसका खर्चा इस प्रकार से होगा और इसमें यह फायदा होगा। यह करना अति आवश्यक है।

मैं निवेदन करूंगा जिस प्रकार से एस.सी./एस.टी. के लिये हम हमेशा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन क्या उस समाज का आज विकास हुआ है? एक क्षेत्र विशेष का विकास हो रहा है या सभी वर्गों का, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है? हमारे यहां जालौर और आहोर विधान सभा की बात करें तो पूरे जालौर क्षेत्र में भील व मीना है। एस.टी. वर्ग से आते हैं, लेकिन उनके वहां आज भी एक शिक्षक नहीं है। पूरे क्षेत्र में एक शिक्षक की नौकरी के लिये

(श्री छगनसिंह)

भी अगर हम देखेंगे तो वहां कहीं भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस आरक्षण का फायदा हमारे जोधपुर सम्भाग में अलग से दिया जाये और यह भी हो जाए कि आई.ए.एस. और आर.ए.एस. के लिए जिस प्रकार से टाडा-माडा में जुड़ते हैं, ऐसे ही जोधपुर सम्भाग को भी जोड़ा जाये। यह विशेष ध्यान रखने की बात है। वास्तव में ये कोई बात कहने की नहीं है, लेकिन आप सब लोग जो चिन्ता करने की बात करते हैं, एस.सी./एस.टी., और अपने आप को भला करने वाला बताते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भला होने वाला है।

उद्देश्य के साथ-साथ में आप अगर इसका भी इम्प्लीमेंटेशन करें, हमारे क्षेत्र में पांचोटा, हरियाली, भाद्राजून ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर टाडा-माडा में जोड़ने का है, 80-80 परसेंट आबादी है पूरी ग्राम पंचायत में, लेकिन उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता है। उनके विकास के लिये हम आवासीय छात्रावास मांगते हैं तो वह भी नहीं मिलता है हमें। हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हमारे क्षेत्र से कोई है ही नहीं। हमारे क्षेत्र से आई.ए.एस. बनते नहीं है। हमारे क्षेत्र से आई.ए.एस. नहीं बनते, एस.सी./एस.टी. से तो वहां पर ये इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में संशोधन करके जोधपुर सम्भाग के लिये भी कुछ दिया जाये तभी इस पूरी अनुसूचित जाति और जनजाति का फायदा होगा। मैं इसलिये कहूंगा कि इस बिल को 6 महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, एस.सी./एस.टी. बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया, बहत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 सरकार लेकर आयी है। आपने इसमें बताया कि इस बिल के आने से राज्य में जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

सभापति महोदय, आज सामाजिक न्याय की बात करें तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्य मंत्री सम्माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को कि उन्होंने एस.सी./एस.टी. वर्ग को पंचायतीराज संस्था में आरक्षण दिया जिसका फायदा

(श्री जोराराम कुमावत)

आज भी इन वर्गों को मिल रहा है। वर्तमान में सामाजिक न्याय की बात करें तो प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन जातियों के संरक्षण के कानून पहले से ही बने हुए हैं लेकिन सरकार की उदासीनता और शिथिलता से राजस्थान में एस.सी./एस.टी. अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान एस.सी./एस.टी. अत्याचार के मामले में देश में तीसरे नम्बर पर आ गया है। बिल लाने की बजाय इन वर्गों पर अत्याचार रोकने का प्रयास सरकार करती तो निश्चित रूप से अच्छा रहता।

जहां तक शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिये पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान पहले से ही हैं। उन्हीं योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था करते। पूर्व में बनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं होने से उनका भी लाभ इन वर्गों के लोगों को पूरी तरह से नहीं मिलता। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है। एस.सी./एस.टी. वर्ग में कुरीतियां व अंधविश्वास आज भी चल रहे हैं और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। इन वर्गों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिकता से योजना बनाने की भी आवश्यकता है। इस बिल में भी वह प्रावधान करने की आवश्यकता है। आज एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिये जगह-जगह छात्रावास खोले गये हैं, इन छात्रावासों को सम्भालने वाला भी कोई नहीं है। छात्रावास भवनों की हालत जर्जर है। मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें। बिल पर बोलें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): बिल पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, आ तो रहे हैं लेकिन बोलने वाले बहुत हैं।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): एस.सी., एस.टी. बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं नहीं हैं। यह सब इस बिल में प्रावधान करने की भी आवश्यकता है। आपने इस बिल के पैरा संख्या-5 में जो विधान मण्डल की कमेटी बनाई, उसमें मुख्य मंत्री को अध्यक्ष बनाया है। इस बिल में पैरा संख्या -7 में एस.सी., एस.टी. के विकास के लिये सशक्त समितियां गठित करेगी, प्रत्येक समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी। सभापति जी, मुख्य सचिव व मुख्य मंत्री जी को पूरा राजस्थान सम्भालना होता है, वह इन समितियों की अध्यक्षता कहां करेंगे? उनको समय नहीं मिलेगा और ये समितियां ऐसे ही फाइलों में पड़ी रहेंगी इसलिए इसके ऊपर कोई काम भी नहीं होगा।

(श्री जोराराम कुमावत)

हम सभी चाहते हैं कि एस.सी., एस.टी. के विकास के लिये बिल लाना चाहिये, पर सरकार पूरी तैयारी के साथ बिल नहीं लाई है। सदन में अनेक साथियों ने इस बिल में कई कमियां गिनाई हैं। अत: सरकार इस बिल को आज स्थगित कराये और इसे जनमत जानने के लिये 6 माह के लिये परिचालित किया जाये। जब जनता की सम्बन्धित राय आ जाये, तब पूरी तैयारी कर सरकार इस बिल को सदन में लाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख। श्री बलजीत यादव। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, कबीर ने बहुत पहले कहा था, कि हे ऊंची जाति वालों आप किसी और रास्ते से पैदा हुए हो क्या। जिस रास्ते से हम पैदा हुए हैं, उसी रास्ते से आप भी पैदा हुए हो। वह समय था, वह कबीर थे कि वह बात वह लिख सके।

माननीय सभापति महोदय, किसी संत ने कहा है, "जात-पात पूछे नाहि कोई, हरि को भजै सो हरि का होई।" भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाये, सोशल डेमोक्रेसी की तरफ जाये। आज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्राप्त करने में तो हम सफल हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का लक्ष्य अभी बहुत दूर दिखाई पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की यह पहली सरकार होगी, जिसके मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को वह प्रतिनिधित्व दिया जो 70 साल के इतिहास में किसी राज्य, किसी देश की सरकार में नहीं मिला। आज अशोक गहलोत की सरकार में अनुसूचित जाति व जनजाति के 6 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के 2 राज्य मंत्री है। सत्ता के हस्तान्तरण का इससे बेहतरीन उदाहरण हमारे प्रजातांत्रिक इतिहास में नहीं मिलेगा।

अभी एक पूर्व वक्ता पंचायती राज में आरक्षण का जिक्र कर रहे थे और अपनी पार्टी की पीठ थपथपा रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी यह संवैधानिक संशोधन पारित करना चाहते थे। उनके कार्यकाल में 1989 में यह संशोधन जब भारत की संसद में लाया गया, तो लोक सभा में पारित हो गया लेकिन

(श्री संयम लोढ़ा)

राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन नहीं करने के कारण वह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पारित नहीं हो सका। फिर दो साल के अन्तराल के बाद जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी का पिछड़ी जाति को, दलित को, महिला को, सत्ता में अधिकार देने का ऐतिहासिक सपना पूरा हो सका। माननीय सभापति महोदय, अभी पीठ थपथपा रहे थे, वसुन्धरा जी की सरकार के काम काज की...

श्री सभापति: बिल, प्लीज बिल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। यह 70 साल की व्यवस्था जिस तरह से रही है, उसके कारण इस बिल को लाने की परिस्थितियां बनी हैं। इसलिये सभापति महोदय, इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आपने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिये वसुन्धरा जी की सरकार के 30 में से सिर्फ 7 मंत्री इस विधान सभा के अन्दर हैं। 14वीं विधान सभा में जो 30 मंत्री थे, 15वीं विधान सभा में 7 पर आकर खड़े हो गये, बाकी को जनता ने रास्ता दिखा दिया।

मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके वक्त वित्त मंत्री के रूप में वसुन्धरा राजे ने घोषणा की थी, एस.टी. का बकाया ऋण व ब्याज माफ कर देगी, जो अनुसूचित जाति निगम से लिया हुआ है, क्या हुआ? स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नाम पर अन्त्योदय रोजगार योजना घोषित की थी, वह किस हश्र पर पहुंची? सुन्दर सिंह भण्डारी जी के नाम पर स्वरोजगार योजना घोषित की थी, उसका क्या हश्र हुआ? घोषणा करना बहुत आसान है, पर उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल है। यह इसी सन्दर्भ में कह रहा हूं। जब हम सत्ता में होते हैं, अपनी सरकार बजट का ऐलान करती है, बजट में घोषणाएं करती हैं, मंत्रिमण्डल में होते हुए भी हम इस पर ध्यान नहीं रख पाते कि हमारे किस बिन्दु पर कार्यवाही हुई, किस बिन्दु पर नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको सोशल डेमोक्रेसी का जिक्र किया। क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। मैं शर्मिन्दा हूं कि मैं ऐसे समाज का हिस्सा हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की रहने की क्या परिस्थितियां हैं, गांव के किस कोने में रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, क्या पानी की सुविधा है, क्या सड़क की सुविधा है, क्या बुनियादी सुविधाएं है? गांव में सबसे ज्यादा दरिद्र स्थिति पर कोई कालोनी होगी, कोई बस्ती होगी तो वह अनुसूचित जाति व जनजाति से जुड़े हुए लोगों की होगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, 70 साल के बाद भी उनके परिवार में शादी हो, घोड़ी पर बैठने पर अवरोध पैदा किये जाते हैं। वह पुलिस को सूचना देकर आ जाये, पुलिस इन्तजाम कर दे, शादी कर दे तो उसके भी कुछ दिन बाद, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां भी राजस्थान के सर्वोच्च सदन में बैठे हम लोगों के अन्दर अगर एकजुटता पैदा नहीं करती है तो हमारे सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता होने पर लानत है।

सभापति महोदय, मैं आपको विनती करूंगा। क्या होता है धार्मिक कार्यक्रमों में? जितने भी धार्मिक कार्यक्रम अनेकानेक स्थानों पर यह जो प्रतिष्ठा के होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खाने के लिये अलग टेंट बनाते हैं। उनके खाने की अलग व्यवस्था की जाती है। हमारे लिये क्या यह शर्म का विषय नहीं है? क्या हमारे तरह का खून उनके अन्दर नहीं है? हमारा शरीर जिन पांच तत्वों से बना हुआ है, क्या उनका शरीर उन पांच तत्वों से बना हुआ नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, मृत्यु मेल, जो मृत्यु के मौक़े पर होती है। हममें से कौन नहीं जानता कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये अलग से दरी बिछाई जाती है और दूसरी जाति के लोग जाकर अलग बैठते हैं, क्या यह हमारे लिये लज्जा का विषय नहीं है?

सरकार के कार्मिक एक-एक गांव में बैठे हुए हैं। पुलिस का बीट कांस्टेबल है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, क्या यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि देश के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, उनके साथ समान व्यवहार हो? क्या हमारे पास एक भी ऐसा अवसर है कि हमारी एजेंसी ने इनिशिएटिव लेकर उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा की हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा। अशोक गहलोत साहब 1998 से 2003, पहली बार शासन में आये तो उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को धर्मशाला और छात्रावास बनाने के लिये मुफ्त जमीन देंगे। सैकड़ों लोगों ने उस समय ज़मीनें लीं। उस समय बड़ी संख्या में सामुदायिक भवन बने, बाद में क्या हुआ? शासन की ओर से एक चिट्ठी निकाल दी, जिस गांव में दो सामुदायिक भवन बने हुए हैं तीसरा नहीं बन सकता। अब आप बताइये, अनुसूचित जाति एक ही जाति होती है? अनुसूचित जाति के अन्दर 8 जातियां हैं। क्या हम यह चाहते हैं 70 साल के प्रजातंत्र के बाद भी, कि उनके शादी हो

(श्री संयम लोढ़ा)

तो वह सड़क पर करें। उनके कोई मौत हो तो वह सड़क पर कार्यक्रम करें। ग्रामीण विकास मंत्री जी को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कहा। इतना ही नहीं सभापति महोदय, एम.एल.ए. लैड जो हमारा डिस्क्रिशन का फण्ड है, उसमें भी माननीय सभापति महोदय अनुमत नहीं।

आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा किसी गांव में चौराहे पर लगाना चाहते हैं, हम यह अनुशंसा करते हैं कि हम विधायक कोष से इतने पैसे की स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वह भी हमें अनुमत नहीं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से विनती करूंगा कि मंत्रीजी, वित्त मंत्री के रूप में आज जब सदन में प्रत्युत्तर दें तो कम से कम कुछ महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की तो हमें अनुमति प्रदान करें जिससे एक संदेश, उनका जीवन, उनका एक-एक दिन, उनके एक-एक शब्द पूरे समाज को ओज से भर देता है और ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में सभी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं। माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें नहीं तो यह व्यवस्था फिर सब माननीय सदस्यों के लिए होनी चाहिए।

श्री सभापति: विधेयक पर ही बोल रहे हैं। विधेयक पर बोलिये आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, वह ठीक है। नहीं, वह सबके लिए होनी चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं पर वह व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए।

श्री सभापति: कृपया, बिल पर आ जाएं आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने अम्बेडकर और नेहरू को लेकर टिप्पणी की थी कि अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हरवा दिया तब उनको यह ध्यान नहीं आया और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपको कि अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा में नहीं थे। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बुलाया और उनको कहा ...(व्यवधान) आप सुनिये पहले। पहले सुनिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप इस पर अलग से बहस कर लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, प्लीज। बैठिये आप। बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप सब बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। दिलावरजी, प्लीज। मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आप बिल पर बोलेंगे, बिल के अलावा कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलें, बिल के अलावा कोई बात न कहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: नहीं-नहीं, अंकित न करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपकी तरह ...(व्यवधान) जलाने वाले लोगों का साथ देने वाला आदमी नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट कर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये आप। बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आक्याजी, आप बैठिये। आप अपनी बात करिये बिल के ऊपर। बिल से हटकर नहीं बोलेंगे। बिल पर आइये, प्लीज। वैसे भी बोलने वाले बहुत हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल पर ही बोलता हूं। एक-एक शब्द बिल

(श्री संयम लोढ़ा)

की बुनियाद पर है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बुलाकर यह कहा कि अम्बेडकर देश का सम्मान है और वे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने और बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, इस बात को देश को भूलना नहीं चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताइये कि अम्बेडकर को धर्म क्यों त्याग करना पड़ा? तुम लोग जिम्मेदार हो इसके जिसके कारण अम्बेडकर को धर्म का त्याग करना पड़ा। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने चार घंटे इनको सुना है, चार घंटे। किसी के एक लफ्ज पर एतराज नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिल पर आइये सीधे। बिल पर आइये। (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: आप बैठिये। बैठिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: बैठिये। आपने अपनी बात कह दी। यह डिलीट होगा। आप बोलिये। प्लीज, सुनिये, आपको इन्होंने सुना है। देखिये माननीय सदस्य,

(श्री सभापति)

जब आप बोले तो इन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना, अब इनको भी सुनिये आप। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती करता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये, प्लीज।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी से यह विनती करता हूं कि आज किसी भी जगह नई कालोनी आती है, रूपांतरित होकर नई कालोनी बनती है तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिल पर आइये, बिल पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को कोई भूखण्ड नहीं देते और इस आधार पर नहीं देते कि आप आओगे तो हमारे पैसे कम हो जायेंगे। मैं सरकार से यह विनती करूंगा कि आप जिस कालोनी को भी एप्रूव करें, 25 परसेंट प्लाट उसमें हर कालोनी के अन्दर एस.सी., एस.टी. के लोगों के होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह व्यक्तिगत अनुभव है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी, अनुसूचित जाति, जनजाति का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, आप सुनिये। आप बीच में मत बोलिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई अधिकारी अगर ट्रांसफर होकर भी किसी शहर में आ जाता है तो सिर्फ जाति के कारण उसको मकान किराये पर लेने में भी कठिनाई आती है। यह व्यक्तिगत तजुर्बे से कहता हूं मैं आपको और.. (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

(भारी व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी सुनिये। बैठिये। प्लीज।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, अभी आप बोलें राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर। Please, limit your speech up to that. (व्यवधान) उसी पर आइये आप। इसके इधर-उधर मत जाइये। प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपका। मैं अब आपको यह विनती करूंगा कि देश में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आजादी से पहले और आजादी के बाद आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब बीच में मत बोलिये आप। ऐसे नहीं, गलत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिए लड़नी पड़ी कि समाज में बराबरी का स्तर आ सके, लेकिन आज फिर एक खतरा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए सामने खड़ा दिखाई पड़ता है। कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं उनके पास, कोई बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं हैं। उनके बच्चों के भविष्य का सपना साकार करने का एकमात्र माध्यम है शिक्षा प्राप्त करें और आपकी तरह आई.ए.एस. बन जायें, लेकिन आज, माननीय सभापति महोदय, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, रेलवे, डिफेंस, सब का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान कैसे होगा? इसलिए यह समय आ गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की तीस फीसदी आबादी और हिन्दुस्तान की बहुतायत आबादी को सामाजिक न्याय मिले तो निजी क्षेत्र के अन्दर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आरक्षण की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं यह निवेदन करूंगा आपसे कि जनजाति के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। क्यों? क्या इनका कोई कैडर है? क्या इनके मुलाज़िम हैं? क्या इनके अपने कोई कर्मचारी हैं? एस.टी. का एक-एक हॉस्टल, तीन-तीन, चार-चार हॉस्टल एक वार्डन सम्भालता है और वह वार्डन कभी-कभार आता है। उन बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है, वह बच्चे रह कैसे रहे हैं, छत देखो तो आपको गिरने को उतारू प्रतीत होती है। बिस्तर देखो तो आपको ऐसे प्रतीत होते हैं कि यह कितने सालों पुराने हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह विनती करूंगा कि इसमें बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। यह जो पैसे आप

(श्री संयम लोढ़ा)

अलग-अलग डिपार्टमेंट को देने का प्रपोजल इस बिल में लेकर आये हैं कि यह सभी विभागों के माध्यम से ही खर्च होंगे और दूसरे राज्यों के पैटर्न पर आप पूरा पैसा एस.टी. डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कीजिए, सोशल वेलफेयर को ट्रांसफर कीजिए जिससे उनके माध्यम से वास्तविक अर्थ में निचले स्तर पर पैसा खर्च हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको दूसरे राज्यों का उदाहरण बताऊंगा। गुजरात में जितना पैसा इस मद का है, वह जनजाति विकास विभाग को सीधे प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में इस मद का जितना पैसा है, वह जनजाति विकास विभाग को सीधे प्राप्त होता है। राजस्थान में विभिन्न विभागों के जरिये यह पैसा खर्च होता है और वास्तविक रूप से जितना लाभन्वित होना चाहिए, उतना नहीं कर पाते।

(समय: 15.30 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इसी तरीके से आपने इस बिल में मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और बेहतर काम हो सकेगा। यहां मैं सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइन्ड-अप करें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट, आपकी आज्ञा हो तो। आपने अभी तक कलेक्टर को 5 लाख रुपये की सैंक्शन की पावर दे रखी है और कमिश्नर को भी 5 लाख रुपये की दे रखी है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसको बढ़ा कर कलेक्टर को 25 लाख रुपये करो, कमिश्नर की एक करोड़ रुपये करो जिससे डिले खतम हो सके तथा आप और अशोक गहलोत की सरकार और आपका पूरा मंत्रिमण्डल जिस रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज तीन बिल हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि बिल के स्कोप के इतर मैं अलाउ नहीं करूंगा और डिबेट को हम डिबेट की तरह करें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बिल को कैसे पास करें, यही हम सीखना चाहते हैं तो फिर बिल की महत्ता, गवर्नर की स्पीच, बजट की स्पीच, डिमाण्ड पर चर्चा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पुन: सानुरोध प्रार्थना है कि अनप्लीजेंट ड्यूटी मुझे ही करनी

(श्री अध्यक्ष)

पड़ेगी, सभापति को ही करनी पड़ेगी। आउट आफ बिल के स्कोप पर बोलेंगे तो उसको रोका जायेगा और उसके बाद अन्य माननीय सदस्य को बुलाया जायेगा। जिन बातों पर चर्चा हो गयी, जो चीजें आ चुकी हैं, उसके अलावा कोई नई चीज डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस करें, बाकी तीन बिलों को हम लेट तक नहीं कर पायेंगे माननीय सदस्य। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक, 2022 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक राज्य सरकार का अपनी असफलताओं को छिपाने का एक निरर्थक प्रयास है। विधेयक लाने के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि यह विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने एवं विशेष लक्षित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परिमाणात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए लाया जा रहा है, किन्तु इस विधेयक के प्रावधान घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, इस विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कोई नवीन पहल की गई हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इस वर्ग के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, इस वर्ग को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। शिक्षा एवं स्वास्थ्य किसी भी वर्ग की प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाज का जो वर्ग शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आगे बढ़ गया, उसको प्रगति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस विधेयक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी पहल नहीं की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि राज्य सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए निष्ठा के साथ कार्य करने की भावना हो तो इन वर्गों के बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। राज्य सरकार ने विधेयक के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, इन वर्गों की शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति के बारे में कोई भी

(श्रीमती संतोष)

आंकड़े नहीं दिये हैं। विगत वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। विधेयक के उद्देश्यों में केवल मात्र इतना कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना से इन लोगों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है, किन्तु सरकार ने इसके लिए कोई भी आंकड़े नहीं दिये हैं।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार से सीधी वित्तीय सहायता देने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। पंचायतों में सरपंच के लिए विभिन्न वर्गों को क्रमानुसार आरक्षण दिया जाता है। आज ग्राम पंचायतों को केन्द्र सरकार की सीधी वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना में सहायता, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पर्क विहीन सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, नि:शुल्क रसोई गैस योजना आदि कई योजनाओं के माध्यम से गांवों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। किसी क्षेत्र विशेष के त्वरित विकास के लिए वहां की ग्राम पंचायत के माध्यम से संरचनात्मक विकास के लिए विशेष वित्तीय आबंटन विशेष लाभदायक होता है। यदि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल गांव का त्वरित विकास करना चाहती है तो उसके लिए ऐसे निरर्थक कानून की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इन वर्गों के बहुल वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान संरचनात्मक विकास के लिए दे तो केवल 5 वर्ष में ही इन गांवों का कायाकल्प हो सकता है।

अध्यक्षजी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए इन वर्गों में उद्यमिता का विकास करने की विशेष आवश्यकता है। विगत वर्षों में आरक्षण के द्वारा इन लोगों को राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता देने से इनमें आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण बढ़ा है, किन्तु आज भी यह वर्ग व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। इन वर्गों में उद्यम भावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। कौशल प्रशिक्षण और उद्यम प्रशिक्षण के विशेष अभियान चलाने चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, राज्य सरकार इस विधेयक को पारित कराने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वर्तमान आर्थिक और

(श्रीमती संतोष)

सामाजिक स्थिति और उनके सशक्तीकरण के उपायों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करे। इन वर्गों के उत्थान के लिए आंकड़ों के परिदृश्य में ठोस नीतियां अपनायी जायें। माननीय सदस्य अनिताजी और जोगेश्वरजी ने जो पीड़ा व्यक्त की थी, वह वाजिब है। कानून में दण्डात्मक प्रावधान भी होने चाहिए। मेरा मत है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि का सम्बन्धित योजनाओं में समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस अधिनियम में इन तबकों के लिए वित्तीय ज्ञापन में योजनाओं के लिए केवल 500 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, शोषित तबकों के लिए विकास का काम सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से ही हो सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि का समय पर खर्च नहीं होना यह दर्शाता है कि हमारी वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार इन तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इसके प्रति गम्भीर नहीं होने का यही कारण है।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का तबका पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक में समय पर योजनाओं की क्रियान्विति नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का प्रावधान किया जाये और जो 50 करोड़ की राशि वित्तीय ज्ञापन में दर्शायी गयी है वह बहुत कम है, सरकार इस राशि को बढ़ा कर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति को जाहिर करे। इस विधेयक पर मेरे द्वारा दिये गये संशोधन को वापस लेते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना,

(श्री फूल सिंह मीणा)

आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अधिनियम के उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति उपयोजना और अनसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के द्वारा इन दोनों वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में उपबन्ध रखे जाते हैं, लेकिन 40 वर्ष से अधिक समय से यह उपयोजना चलने के बाद भी महत्वपूर्ण योजना में असर नहीं ला सकी है। अत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24 फरवरी, 2021 को बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास और उनकी आबादी वाले क्षेत्रों में उनका समग्र विकास निश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि सृजित कर उसमें एक निश्चित रकम आबंटित की गयी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा कि हमने यह किया, वह किया। इन्होंने यह सूची बनायी है परामर्शदात्री परिषद्। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं लेने की तो इन्होंने कसम खा ली कि इस कमेटी में नहीं लेना। मैं टी.ए.डी. कमेटी का मैम्बर हूं और कुल 13 मैम्बर हैं। उनमें से कुछ को लिया और कुछ को लिया ही नहीं, उसमें मैं भी हूं। मगर अभी कह रहे थे कि जनजाति के लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी के अन्दर लक्ष्मीनारायण पाण्ड्या, पूर्व उप जिला प्रमुख को लिया है। क्या हमारे ट्राइबल का कोई भी ऐसा मैम्बर नहीं था, जो हमारे जनजाति के लिए कोई अच्छी योजना का समर्थन करे और अच्छा काम करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है कि जनजाति के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्य में अनुपात क्रमश: 17.83 एवं 13.48 प्रतिशत हमारी आबादी है मगर यह बजट उस आबादी के अनुपात में खर्च नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मेरे पहले वक्ता हमारे लाहोटी साहब ने यह सारे आंकड़े बताये हैं, उनमें मैं नहीं जाता हूं। केवल 10 करोड़

(श्री फूल सिंह मीणा)

रुपये खर्च किये हैं और सब में जीरो, जीरो, जीरो। दो योजनाओं में इन्होंने 500-500 लाख रुपये खर्च किये हैं, बाकी जीरो बैलेंस। इन्होंने कोई खर्च नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जिलों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति मूल्यांकन तथा दिशा-निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जिला कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मगर तीन साल से ऊपर हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक भी मीटिंग नहीं की। यह क्या हमारे ट्राइबल एरियों का उत्थान करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल लाने का क्या मतलब है? इतने बरसों से भी हमारी जनजाति के लिए बजट आता था, मगर उस बजट को कहां खर्च कर रहे हैं, इसका कोई अता-पता नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: बजट के स्कोप पर बोलें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हमारा बजट, हमारी जनजाति के अन्दर होना चाहिए। शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली, पानी, आज भी हमारी एक-एक पंचायत समिति का जो अम्बेडकर भवन बनाना था वह भी नहीं बना। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बिल के माध्यम से कोई ऐसी योजना होती जो हमारे ट्राइबल, अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्थान करने का कोई ऐसा पाइंट होता और बिल लाते तो इसका बहुत सार्थक परिणाम निकलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को जनमत जानने हेतु छह माह के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करूंगा इस बिल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रखा है। किसी बिल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, यह जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम जनरल डिबेट

(श्री अध्यक्ष)

करते रहेंगे। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं बिल के बारे में हम पूरा अध्ययन करके आवें। सार्थक चर्चा होगी तो उपयोगी होगा। जनरल डिमांड में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें सीधा प्रोविजन है कि सरकार ने एक बजट रखा, उस बजट को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक काउन्सिल बनाकर आपकी पापुलेशन के हिसाब से एस.सी., एस.टी. के डिवोल्यूशन में है, उसके अलावा कोई स्कीम बनाकर इसको डिवॉल्व करने के लिए यह प्रोविजन लाया गया है और इसके लिए फाइनेंशियल बिल का स्टेटमेंट लगाया है। इसलिए मेहरबानी करके इस बिल के सन्दर्भ में ही हम चर्चा करेंगे तो सार्थक चर्चा होगी। दूसरे बिल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। कितने आदमियों को मालूम है कि इस बिल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लगा रखा है? किसी को मालूम है? जितने भी पुराने आदमी हैं, उन सबको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड फण्ड से यह पैसा ट्रांसफर होगा और कंसोलिडेट फण्ड का ट्रांसफर तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि इस बिल को लाने से पहले गवर्नर की परमिशन नहीं ली जाए। इसलिए इस बिल के साथ में गवर्नर की परमिशन होगी। यह सब चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमारा फंक्शन है, मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली, जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को करना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मुझे हर बार यह कहना पड़ता है कि मेहरबानी करके बजट की जो सैंक्टिटी है, उसको हम समझें। यह बजट फाइनेंशियल सैंक्शन के साथ डिवोल्यूशन करने के लिये बजट है, इसलिए अपनी बात जो कर रहे हैं, उसमें जनरल बात में आपने कहा, वह ठीक है। शिड्यूल्ड कास्ट के कम्पोनेंट के हिसाब से, पापुलेशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्कीम बनी हुई है। ट्राइब के सम्बन्ध में उनकी पापुलेशन के हिसाब से ट्राइबल सब-प्लान की बनी हुई है। उससे अबॉव यह पैसा प्रोविजन किया जा रहा है कि जो चीजें उन स्कीम्स के अन्दर कवर नहीं हो सके और यह काउन्सिल मिलकर कोई अच्छी चीज आइडेंटिफाई करे। जैसे उदाहरण के लिए मुझसे कोई पूछे ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स के अन्तर्गत एजुकेशन के अन्दर, हैल्थ के अन्दर एस.सी., एस.टी. का यह स्टेटस है और दूसरी कम्युनिटी का यह स्टेटस है तो सरकार को ज्यादा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में देना चाहिए, हैल्थ के क्षेत्र में देना चाहिए, एस.सी., एस.टी. की बच्चियों के लिए करना चाहिए, ड्राप-आउट है उनके सम्बन्ध में करना चाहिए। उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा निकालकर उस पैसे

(श्री अध्यक्ष)

को डाइवर्ट करने का काम करें। इस परपज के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए मेहरबानी करके बिल के सम्बन्ध में क्यों फाइनेंशियल बिल का स्टेटमेंट लगाते हैं, दूसरे बिल के साथ क्यों नहीं लगाते हैं, यह चीज हम नहीं समझेंगे तो बिल को जिस ढंग से चाहते हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे। मैं क्षमा-प्रार्थी हूं, इसलिए मुझे बार-बार टोकना पड़ता है। हम इस बिल में लिख तो देते हैं पर उसके उद्देश्य को हम नहीं देखते हैं। इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे, आज तीन बिल पास करने हैं। बाकी सदस्यों को दूसरे बिल में बोलने का मौका देंगे। मैं माननीय कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्लीज, बैठें। आप बैठें। I will not allow it. आप बैठें। माननीय सदस्य, I am on legs. माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूं। वास्तव में यह जो बिल लाया गया है, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2022, इसकी भावना अच्छी है। इसके पीछे आने वाला भविष्य अच्छा बने, यह इसके अन्दर समाहित है। मंशा अच्छी है, इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती पर बिल बहुत लेट लाए और राजस्थान इसमें बहुत पीछे रह गया। यह बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि इस विधान सभा में एक लम्बे कालखण्ड तक हम हमेशा चर्चा करते रहे शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उनकी जितनी आबादी है, उसके अनुसार उनके बजट का एलोकेशन होना चाहिए और उनके लिए खर्च किया जाए ताकि सामान्य जनता के साथ उनका बराबरी का हिस्सा बनकर वह उनके साथ चलने के लायक बन जाए, इसके पीछे भावना यह थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि पूर्व मंत्री, खेरवाड़ा वाले दयाराम जी परमार बैठे हैं, आपने भी देखा होगा हमने महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में बड़ा आग्रहपूर्वक प्रयास किया था कि 8 प्रतिशत जो अपना टोटल बजट है, उसका महाराष्ट्र पैटर्न के हिसाब से खर्च होना चाहिए, लेकिन अपन उस टार्गेट को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इस बजट में वह मंशा जाहिर है, उसका मैं स्वागत करता हूं। सच में जितनी आबादी है, उस आबादी के अनुपात से राज्य का जो बजट बनता है, उतना पैसा उस समाज के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। उसकी मंशा के आधार पर यह कहा है, लागू कितना कर पाते हैं, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी कमजोरी है। मैं सोचता हूं इस कानून में प्रावधान है और अगर हम प्रयत्न करें, सब लोगों की मंशा से इस बात में, तो निश्चित रूप से यह कानून एक तरह से राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के समाज को बहुत तेजी से आगे लाने में सफल हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मैंने समझा और पढ़ा है, उससे मुझे लगता है कि हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे, नहीं। कारण क्या है कि जब इतना पैसा बजट का, अगर दोनों को हम मिला लें तो लगभग एक तिहाई हो जाता है। हमारा इस साल का जो टोटल प्लान बजट है, वह 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ का है और अब एक-तिहाई का मतलब एक लाख से अधिक है। इन दोनों समाजों के लिए हमारे बजट का एलोकेशन होना चाहिए और वह उन्हीं पर खर्च होना चाहिए ताकि उनका डवलपमेंट बहुत तेजी से हो और जो बहुत पीछे रह गये हैं, उनको हम बराबरी पर लाने में सफल हो जाएं, इसकी भावना तो यह है लेकिन जो बिल बनाया है, जो कुछ भी एक्ट बनाकर यहां लेकर आये हो, आपकी भावना अच्छी है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके आधार पर आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। उसमें जिस प्रकार की तैयारी चाहिए, आपने स्टेट लेवल कमेटी में मुख्य मंत्री जी को अध्यक्ष बना दिया, आपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी लेकिन जब तक आप नीचे जिला और ब्लाक लेवल है, वहां तक की आपकी कमेटियां बनाकर के विकास के पैसे को वहां से प्लानिंग करके ऊपर आये, फिर उस प्लानिंग के आधार पर स्टेट की जो कमेटी है, वह निर्णय करके उस पैसे को खर्च करे। वहां नीचे की जो यूनिट बनती है उसमें वहां के सारे जन-प्रतिनिधि रहें। जिला लेवल की कमेटियां बनें, उनमें उस प्रकार के जन-प्रतिनिधि रहें और वह नीचे से आने वाले हर विभाग के काम के प्रस्ताव को आगे से आगे पहुंचा करके स्टेट लेवल की कमेटी तक आये, फिर उसका डवलपमेंट होगा।

अब तक क्या होता है कि हम अपने-अपने विभाग को पैसा देते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. को 20 लाख दे दो, 50 करोड़ दे दो, 40 करोड़ दे दो। एक तरह से हम खैरात बांटने का काम करते हैं इतने वर्षों से। जो कुछ भी बजट हमको मिलता है, वह भी हम इन विभागों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यह विभाग खर्च करते हैं, नहीं करते हैं, पड़ा रखते हैं या ऐसे ही धूल खाने की स्थिति बनती है, उसकी कोई प्रोपर मॉनिटरिंग की अभी तक व्यवस्था नहीं है। आपकी भावना इसके अंतर्गत है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विशेष रूप से प्रार्थना है कि ये दो बाते हैं जिनके बारे में आप स्पष्ट करिये। एक तो यह है कि यह जो आपकी पांचवीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 (1) है, जिसमें राज्यपाल को विशेष प्रकार की शक्तियां शिड्यूल्ड एरिया के लिए हैं। राज्यपाल समय-समय पर शिड्यूल्ड एरिया में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहें, किसी भी प्रकार का संवर्धन करना चाहें तो वह करें। इस शिड्यूल्ड एरिया का लाभ मिलकर ही मेरे उस ट्राइबल क्षेत्र में जहां पहले राजस्थान का आरक्षण केवल 12 परसेंट ही था, उस 12 परसेंट में सारा राजस्थान आता था, लेकिन शिड्यूल्ड एरिया का लाभ लेते हुए कानून में तरमीम की कि उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखकर 45 परसेंट शिड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल को स्केल नम्बर 1 से लेकर 6 तक भैरोंसिंह जी के समय पर और उसके बाद वसुन्धरा जी ने इसको स्केल नम्बर 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी सर्विसेज होंगी, उसमें वहां का 45 परसेंट ट्राइबल को सलेक्शन मिलेगा। उसके कारण से आज मेरे उस क्षेत्र में 4-5 घर के बाद कोई न कोई छोटी-मोटी सरकारी नौकरी में बच्चा प्रवेश कर रहा है।

यह जो शिड्यूल्ड एरिया का पावर राज्यपाल को है, इस 244 (1) में और राज्यपाल जिस तरह की परामर्शदात्री समिति बनाता है और उसके आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति को भी अपने यहां की जो भी प्रगति रिपोर्ट है, वह भी उनको देनी पड़ती है। यह कानून पुराना है और आज जो हम बना रहे हैं, इन दोनों का मेल-मिलाप कैसे होगा? क्या एक-दूसरे के विपरीत होगा या एक-दूसरे को कमजोर करने वाला होगा? इसके बारे में मंत्री महोदय जरूर आप थोड़ा-सा स्पष्ट करने का प्रयास करें ताकि हम समझ पायें कि शिड्यूल 5 के तहत राज्यपाल को जो विशेष शक्ति राष्ट्रपति ने इस संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत दी है, हमारा यह नया कानून आ जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए।

आपने जैसा कहा, क्योंकि हम लोग सालाना अभी जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि 500 करोड़ रुपया इसको देंगे, अब 500 करोड़ की जगह आप आबादी के आधार पर जब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन आ गया, तो इसके कारण से हमारे इस विधेयक के पीछे इसमें वित्त का भी एक पैरा इसलिए लिखा है कि यह पैसा हमारे कंसोलिडेट फंड से उसमें जाने वाला है। मैं सोचता हूं कि इस बात को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ध्यान में रखकर कई राज्यों ने कानून बनाये हैं। हमने उस कानून को बहुत पोंचा बना दिया। मेरी प्रार्थना है, जिद मत करो, मैं सोचता हूं कि जब हमने इतना बड़ा मन करके इस समाज को उस लाइन पर लाने की कोशिश की है, जिसकी हम वर्षों से कल्पना कर रहे थे, उसका इसमें आधार है। इस आधार को जब तक हम बाकी राज्यों में जो कानून बनाया है, उसको ध्यान में रखकर अगर हम अपने कानून को उस तरह से ड्राफ्ट करें तो निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। मेरी धारणा है कि अगर हमने इसको धरती पर उतार दिया और ईमानदारी से इसका पालन करा दिया तो 10 वर्षों में यह जो दोनों के बीच खाई है, सामान्य समाज और उस समाज के बीच में, यह खाई बिलकुल पटने की स्थिति में आ जायेगी। कृपा करके जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा विचार करके करें। इतना मेरा आपसे आग्रह है।

मैं सोचता हूं कि कर्नाटक ने कर्नाटक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एलोकेशन कानून 2013 में बना दिया था। इस कानून में उन्होंने जो प्रोविजन किये, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उस कानून को उसी रूप में लाने का प्रयास करें तो हमारी यह जो सारी मेहनत है यह बहुत अधिक सफल होगी। उसके सेक्शन 11 में है - Implementation of the Scheduled castes (sub-allocation) or tribal (sub-allocation) schemes in districts. उन्होंने कानून में ही प्रोविजन कर दिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट में भी इसी प्रकार की, there shall be a District Monitoring Committee in each district, which shall be responsible for implementation of the Scheduled Castes or Tribal in the district consisting of the following members. उन्होंने इसमें मैम्बर्स भी बनाये हैं। इसमें यहां डिप्टी कमिश्नर, अपने यहां कलेक्टर हो सकता है। मैम्बर आफ लेजिस्लेटर, हम जो विधान सभा के सदस्य हैं, वह सदस्य इसमें हैं। जहां कहीं सैकण्ड सदन और बना हुआ है, वहां उनके मैम्बर्स को भी लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर आफ द जिला पंचायत, जिला पंचायत का सी.ई.ओ. इसमें मैम्बर है। इसी तरह से जॉइंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर इसमें है, पी.डब्ल्यू.डी. का इंजीनियर इसमें है, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आफिसर इसमें है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्लान बनकर आता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट के वह सारे लोग अगर इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हैं और उनके सुझावों से छनकर के उस एरिया की आवश्यकता क्या है, वह जब ऊपर तक आये और उसके आधार पर हमारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्टेट की मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी है, वह उसको फाइनल करके फिर उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं कि हर डिपार्टमेंट की प्रोपर मॉनिटरिंग होगी। उसके कारण इस काम को ठीक प्रकार से कर सकेंगे।

इसके आगे भी उन्होंने किया है, तीन में, taluka level Monitoring Committee. अर्थात् उन्होंने इस एक्ट में ही डाल दिया, जिला कमेटी भी डाली है, तालुका कमेटी भी डाली है और तालुका कमेटी के आधार पर यह जो सारा बजट आप देंगे, उस बजट का ठीक प्रकार से उपयोग होगा। हम जो चाहते हैं, वास्तव में होता यह रहा है, चाहे आप रहे हों या मैं रहा हूं, सरकार में रहें या विरोध में रहें, सामान्यतया उनका जो पैसा होता है वह किसी न किसी दूसरी जगह खर्च कर देते हैं। समय पर तो अधिकारी खर्च करता नहीं है और बाद में सबका दिल और दिमाग यह है कि गांव भले ही वह हो, लेकिन उस गांव की आबादी में 5 परसेंट भी ट्राइबल नहीं हों और शिड्यूल्ड कास्ट नहीं हैं, वहां सारा का सारा खर्चा उसके नाम से बजट निकालकर वहां खर्च कर देते हैं। माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने जैसे कहा कि आज भी सबसे ज्यादा अभाव वहां है यह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। सच को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक तालुका लेवल पर हमारी इस प्रकार की कमेटी बनकर के इनको आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पायेंगे।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश का भी, नहीं, The Telangana State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Special Development Fund (Planning, Allocation And Utilization of Financial Resources) Act, 2017. यह 2017 में तेलंगाना ने भी इसी बारे में कानून बनाया। उस कानून के आधार पर उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये। उसमें भी उन्होंने वैसे ही जैसा मैनें अभी बताया था, वैसे तेलंगाना में भी इसका सेक्शन 24 है, the Government shall constitute a District Monitoring Committee in each district with the Collector as its Chairman, which shall be responsible for implementation of the Scheduled Castes Special Development Fund. यह कमेटी इसके लिए रेस्पोंसिबल होगी कि उसके पैसे का सदुपयोग हो जाये। यह उन्होंने इसमें कहा है - the District Monitoring Committee of the district shall review the implementation of Scheduled Castes. वह इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि जो पैसा दिया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया है, वह सही ढंग से वहां खर्च हुआ कि नहीं हुआ। उसके पीछे उनका भी यही सोच था और तेलंगाना ने भी इसको किया।

इसी तरह से आपने देखा कि आंध्र प्रदेश ने भी इसी भावना को ध्यान में रखकर 2013 में ही इसी प्रकार का कानून बनाया। उसमें बाकी चीजें तो हमारे जैसी ही हैं। इसमें वही बात है कि जब तक आप नीचे के लेवल पर कमेटी नहीं बनाओगे, तब तक आप इसमें जो चीज चाहते हो वह इससे प्राप्त नहीं कर पाओगे।

(समय: 16.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में, the Government shall constitute a District Monitoring Committee in each district with the Collector as its Chairman, which shall be responsible for implementation of the Scheduled Castes Special Development Fund/Scheduled Tribes Special Development Fund in the district. इसके नीचे भी जाने का प्रयास किया उन्होंने। आपने देखा कि इसमें इन्होंने लिखा है 23वें सेक्शन में, the Government shall take such measures as may be necessary for institutional strengthening of State, ये भी नीचे ब्लाक लेवल तक गये हैं, एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर तक गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वास्तव में हम जिस मंशा से ला रहे हैं और जिस मंशा का हमारा विचार है, निश्चित रूप से जो कानून आप लाये हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप यह पोचा कानून लेकर आ गये। इससे आप जमीन पर जो चीज उतारना चाहते हैं और जिसके बारे में आप प्रयत्न करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि आपने सारा का सारा स्ट्रेंथन कर दिया, हमारे यहां मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी बनायी है, अब मुख्य मंत्रीजी तो राज्यपाल महोदय के द्वारा बनायी हुई हमारी जो परामर्शदात्री समिति है उसके भी चेयरमैन हैं, उसकी तीन साल में एक मीटिंग नहीं हुई। अगर यही दुर्गति इस कानून की करनी है तो हम और आप खाली कानून पास करके भले ही राज़ी हो जायें पर परिणाम नहीं आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जब तक आप नीचे के लेवल पर इस सारे के सारे पैसे को जो हम सोच रहे हैं कि 13 परसेंट शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जाये, 17 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स को जाये, जब इतनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंशा से और जब हम कह रहे हैं कि हमारा एक लाख करोड़ रुपये अधिक सालाना बजट इन सेक्शन के विकास के लिए जायेगा तो इसको ठीक प्रकार से खर्च कब कर पायेंगे? जब नीचे की आपकी कमेटी एक तरह से ताकतवर भी होगी और उसकी मानिटरिंग करने की भी उसकी ताकत होगी और उसमें उन सारे अधिकारियों को इसमें समाहित करेंगे तब जाकर इसमें करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि इस पर जिद मत करिये, आपने एक अच्छा प्रयास किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। इस कानून को अगर परफेक्ट कानून बनाकर हम लाये तो हम जिस मंशा से हम चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हमारी आजादी के 75वें वर्ष में भेंट अगर हम राजस्थान में देना चाहते हैं तो ईमानदारी से इस कानून को मजबूत कानून के रूप में फिर से बनाकर लेकर आयेंगे तो निश्चित रूप से हम हंड्रेड परसेंट आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, वो भी आपको दुआएं देंगे जो आपको सुन रहे हैं कि पहली बार कभी किसी सरकार ने इस बारे में, आपने 2021 में घोषणा की थी 24 फरवरी के दिन कि हम ऐसा कानून लायेंगे, आप लाये जरूर हो पर कानून इतना पोचा है कि वो कुछ जमीन पर नहीं कर पायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने जो पांच सौ करोड़ की घोषणा की, उस पांच सौ करोड़ की जगह आपको इन दोनों सेक्शन में एक लाख करोड़ रुपये, आपका जो टोटल बजट का ढांचा है उसमें खर्च करना पड़ेगा। उसको खर्च करने के लिए जब से नीचे से लेकर कमेटियां आपके पावरफुल बनकर प्रस्ताव को ठीक प्रकार से आगे नहीं भेजेगी और पैसा जाने के बाद भी उसकी ठीक प्रोपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो उस पैसे का सदुपयोग जिसके लिए करना चाहते हो वो नहीं कर पायेंगे, इसलिए इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जिद मत करिये। मैं सोचता हूं कि सन्तोष से बैठिये, इसमें न सरकार की तौहीन होती है और न किसी और की तौहीन होती है। हम एक बार वापस लेकर, ठीक प्रकार से, और भी कई लोगों को इन्वॉल्व करके, जैसा आपने कहा था, कोई कमेटी यहां की हमारी आई.ए.एस. आफिसरों की बनी हुई है, उसने भी कुछ सुझाव दिए हैं, एक बार इस पर और खुली चर्चा की जाये, चार-छह महीने तक और करने के बाद इस पैसे का ठेठ नीचे तक कैसे उपयोग हो और वास्तव में आने वाले दस साल में उनको हम अपनी बराबरी में लाकर कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस पर अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चिन्ता करने का विषय हो तो इसको एक बार जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चन्द्रकान्ताजी, मेरे को ध्यान है आपका, आपको थर्ड रीडिंग पर बुलवा देंगे।

माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 24.02.2021 को और 23.02.2022 को राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के नाम पर एक नया विधेयक लाने की घोषणा की थी। यह विधेयक उसी दृष्टि से लाया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की योजना के बारे में यह अभी जो बिल प्रस्तुत किया गया है 2022 में, उसी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 46 की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की वृद्धि करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में राज्य के बजट में प्रावधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विधेयक काम करेगा। इस विधेयक के माध्यम से आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर इन समुदायों का स्वायत्त, त्वरित विकास किया जायेगा तथा उनके अभावों को पूर्ण किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायी हैं, पहले तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके विचार सुनने को मिले और सुझाव भी सुनने को मिले। उन सुझावों का तो मैं स्वागत करता हूं बाकी तो जिस प्रकार से आदेश, आपकी तरफ से, आसन की तरफ से भी आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: बिल पर बोलें और इसके अलावा किसी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन बिल के अलावा कई बातें यहां हुई हैं उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिल के अलावा जवाब नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका जवाब भी नहीं देना चाहता पर मोटी बात यह थी कि सबसे पहले बोले लाहोटी साहब, लाहोटी साहब गायब हो गये। कभी सुनते नहीं हैं वो, बोलने के बाद चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब दो ही मत, आप आगे बढ़ो। वो सुन ही नहीं रहे तो उनका जवाब ही मत दो, आगे बढ़ो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मैं बढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद लॉबी में बैठे हों। मेरी आवाज सुनकर आ जायें। सबसे पहले तो उन्होंने यह सवाल उठाया कि प्रतिवर्ष आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है? क्यों प्रतिवर्ष आप आदेश जारी करना चाहते हैं? (व्यवधान) आ गये, आ गये। आपने बताया था कि प्रतिवर्ष आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है। आपका जो भाषण था उसका टोटल जो मैं समझ पाया, उसकी बिटविन द लाइन जो मैं समझ पाया, वो तो यही बात थी। पृथक् से प्रतिवर्ष आदेश जारी करने का उद्देश्य यह है कि हर वर्ष स्कीम तैयार हो कि इस वर्ष के लिए क्या स्कीम होनी चाहिए, यह है। जैसा कि धारा-4 में उल्लेख है और उसका अनुमोदन करना और उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जाये, पिछले साल रखा गया पैसा, उसके लिए क्या स्कीम बनायी गयी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, नेक्स्ट ईयर जो पैसा रखा जायेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा और उसमें क्या सुधार किया जायेगा इसलिए हर वर्ष रखने के लिए यह धारा-4 में जो उल्लेख किया गया है, वो इसीलिए उचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राठौड़ साहब की बात का जवाब देता हूं। राठौड़ साहब ने लम्बी-चौड़ी बात कही, जैसा आप कहते हैं उसमें कोई दिक्क्त नहीं। माननीय सदस्य ने राज्य के बजट में टी.एस.पी. और एस.सी., एस.टी. की जनसंख्या के अनुपात में प्रोविजन नहीं होने का उल्लेख किया। आपकी बात को लेकर ही कई प्रतिपक्ष के हमारे साथी इस बात के लिए बोले कि जनसंख्या का आधार, जनसंख्या का आधार, जनसंख्या के आधार पर आप प्रोविजन नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आपने फरमाया कि टोटल बजट 3 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का है, उसका वन थर्ड है ये, वन थर्ड, बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप। ये स्कीम बजट जो है, वो है एक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लाख 69 हजार 655 करोड़ 55 लाख का, जनसंख्या बैठती है अनुसूचित जाति की 17.83 परसेंट, यहां जो आबंटन किया जा रहा है वो 17.87 परसेंट किया जा रहा है, 0.04 परसेंट बढ़ाकर उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जा रहा है। यह बैठता है कुल मिलाकर 30 हजार 322 करोड़ 16 लाख अनुसूचित जाति के लिये। कई सदस्य इसी बात के लिये बोले थे कि जनसंख्या का आधार, जनसंख्या का आधार, उन सबकी बात का जवाब आ रहा है यह। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जनसंख्या बैठती है 17.83 परसेंट और अलाटमेंट किया जा रहा है 17.87 परसेंट पर, 30 हजार 322 करोड़ 16 लाख। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति को ले लें आप। अनुसूचित जनजाति की पापुलेशन बैठती है 13.48 परसेंट और किया क्या जा रहा है 14.82 परसेंट, जनसंख्या के आधार से भी ज्यादा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कौन-से बजट हैड में है? यह भी बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2022-23 का ही तो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे डांट नहीं खानी, मगर आप तो बजट हैड बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें 25 लाख 143 करोड़ 60 लाख रुपये, मतलब आबंटन जो हो रहा है, वह जनसंख्या के अनुपात से भी ज्यादा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं सुनना आपको?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये तो गप्पे मार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें माननीय सदस्य। अगर ये गप्पे हांक रहे हैं तो आप बाहर जाएं। आप क्यों बैठे हुए हैं फिर?

माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठें। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो टोटल आउट-ले है, उस पापुलेशन का फिगर माननीय मंत्री जी ने बताया है, यह बिल का पार्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बिल का पार्ट सिम्पल है। यह एलोकेशन तो सरकार कर रही है। ये 500 करोड़ रुपये जो हैं, उनमें इसके अलावा जो स्कीम बनानी है, उसके सम्बन्ध में यह बिल है। हम कहां अन्यथा डायवर्ट हो रहे हैं? मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी ने जो बताया, वह फिगर है, टोटल आउट-ले में स्टेट की जितनी एस.सी./एस.टी. की

(श्री अध्यक्ष)

पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा का एलोकेशन किया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, आप तो to the point आएं और बात खतम करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सेक्शन 3(2) पढ़ लें आप। उसमें क्या लिखा है इन्होंने?

श्री अध्यक्ष: क्या लिखा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने लिखा है कि वार्षिक बजट का अनुपात होगा राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या के बजट के अनुपात में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आधा पढ़ रहे हैं। तीन बार पढ़ लें इसे। एस.सी./एस.टी. की जितनी पॉपुलेशन है, टोटल आउट-ले जो प्लान का है, उसमें उतनी पापुलेशन का एलोकेशन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो ज्यादा कर रही है। ये फिगर मंत्री जी ने दिये हैं। यह बिल इस सम्बन्ध में नहीं है। यह बिल तो सिम्पल है। यह तो होगा ही। इसमें सरकार कट नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार उससे ज्यादा दे रही है। ये जो 500 करोड़ रुपये दिये हैं, इनके अलावा एनुअल स्कीम बनाकर किसमें खर्च करना है, उसके डिवॉल्यूशन के लिये बिल है। माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा, उसी पर चर्चा करें और खतम करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक चीज समझना चाहता हूं। आपका जो पूंजीगत खाते में विकास का पैसा खर्च होगा, उससे सम्बन्ध है और जिसके लिये आप बता रहे हैं कि सारा मिलाकर राजस्थान में एक लाख करोड़ के लगभग इस बार खर्च होगा, उसके हिसाब से परसेंटेज। अभी तक आपने 2022-23 का जो बजट रखा, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैड में यह अमाउंट नहीं है। क्या यह अमाउंट इसके बाद आप जोड़ेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह बिल लिमिटेड बिल है। इस बिल में यह है कि राजस्थान सरकार ने एक फंड क्रिएट किया है, जिसमें 500 करोड़ का प्रोविजन किया है। ये 500 करोड़ रुपये राजस्थान की जो स्कीम है, जिस बजट में एस.सी./एस.टी. की पापुलेशन है, उनका तो एलोकेशन है ही, उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसमें तो ज्यादा दे रहे हैं वे। ये 500 करोड़ रुपये जो above हैं, उस 500 करोड़ रुपये को डिवॉल्व कैसे करेंगे, इसके सम्बन्ध में यह बिल लाया गया। उसकी कमेटी बनायी जायेगी। यह इसका परपज है। माननीय मंत्री जी,

(श्री अध्यक्ष)

ब्रीफ करके आप इसी पर आ जाएं। (व्यवधान) यह तो आप ज्यादा जानते हैं, बैठें आप प्लीज। मैं पढ़कर आया हूं। आप बैठें आराम से। (व्यवधान) हां, सुन लिया मैंने। माननीय मंत्री जी की बात सुनें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक 500 करोड़ रुपये का सवाल है, वह तो बजट में अनाउंस कर चुके हैं। 500 करोड़ का उन्होंने यह भी दे दिया कि 200 करोड़ रुपये तो रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिये हैं, 150 करोड़ रुपये शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिये हैं और 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना और जन सहभागिता से कराये जाने वाले कामों के लिये रखा जाना प्रस्तावित है। यह है 500 करोड़ का हिसाब तो।

आपने कहा कि साहब, बजट हैड क्या है, बजट हैड के बगैर कुछ होता है क्या? बजट हैड यह रहा। बजट हैड आपका एससीएसपी का है 789 और टी.एस.पी. का है 796, बताएं और क्या पूछना है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो उस बजट हैड का फिगर बता दें। चलिये मैं आपके चैम्बर में आऊंगा, आप मुझे सन्तुष्ट कर देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप फिर डिटेल में जा रहे हैं। टोटल एलोकेशन बता दें। डिटेल में जाएंगे तो डिमांड में चले जाएंगे आप। आप मोटी बात करें न प्लीज। यह बिल इस पर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपके चैम्बर में आ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: चाहे आप इनके चैम्बर में जाएं या ये आपके चैम्बर में आ जाएं, पर यह बिल इस पर नहीं है। सीधी बात है। माननीय मंत्री जी, आप प्रस्ताव करें कि जनमत को रिजेक्ट किया जाये। अन्त ही नहीं होगा इसका तो कभी भी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कटारिया साहब की बात का जवाब दे दूं एक बार। कटारिया साहब ने कहा कि शिड्यूल 5 और प्रस्तावित एक्ट में कोई विरोधाभास है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आपके प्रस्तावित एक्ट धारा 4 के सब-क्लाज 3 में यह प्रावधान है कि एस.सी./एस.टी. के बेनेफिट के लिये इस तरीके की योजनाओं को प्रिफर किया जायेगा, जिनसे कि डवलपमेंट इंडिकेटर में जो गैप है, वह पूरा हो सके और एस.सी./एस.टी. के डायरेक्ट बेनेफिट स्कीम में मिल सके।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सवाल यह आता है कि आपने यह कहा कि साहब, यह कर देंगे क्या, कैसे हो जायेगा, 2016 और 2017 में आपकी सरकार थी, कुल-मिलाकर बजट में जो प्रोविजन आपने रखा था, उसका टी.एस.पी. पर सिर्फ 72.85 परसेंट खर्च किया आपने और एस.सी.एस.पी. पर जो खर्च किया है आपने सिर्फ 76.63 परसेंट। यह गलत नहीं है साहब फिगर मेरी। आप ही के अफसरों से ली है मैंने। अब 2020-21 में हम आ गये। हमने जो प्रोविजन किया टी.एस.पी. पर उसका 90.70 परसेंट जो है, वह खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। क्या तकलीफ है आपको? कोई प्रोब्लम है? कोई तकलीफ है आप लोगों को? कोई नया डाक्टर ढूंढकर लाएं क्या? (व्यवधान) प्लीज, गलत बात है यह। सीनियर मेम्बर होकर आप ऐसे बिहेव करते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं रिपीट कर दूं, प्रोविजन जो रखा गया था टी.एस.पी. पर, उसका 90.70 परसेंट खर्च किया गया और एस.सी.एस.पी. पर जो खर्च किया गया, वह 8.74 परसेंट खर्च किया गया। इसी तरीके से 2021-22 में ले लें आप। 2021-22 के प्रोविजंस जो हैं, खैर वह तो जब अभी 31 मार्च आयेगा, तभी जाकर पूरे हो पायेंगे और इस वर्ष जो रखा गया है, टी.एस.पी. के लिये 25 हजार 143 करोड़ 60 लाख और एस.सी.एस.पी. के प्रावधानों के लिये 30 हजार 322 करोड़ 16 लाख खर्च किये गये। इसके बाद 2020-21 में भी देख लें आप। उसमें 18000 का प्रोविजन किया गया है।

यह सब तो लम्बी-चौड़ी बात है साहब, कुल-मिलाकर जो इनका इश्यू था, वह यह था कि आप कितना दे रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर दे रहे हैं कि नहीं। यहां तो जनसंख्या के आधार से भी ज्यादा दे रहे हैं। सबका दबाव आ गया आपका। मेरा निवेदन यह है, देखिये आपने जैसा फरमाया कि साहब, चीफ मिनिस्टर के अंडर में आप एक कमेटी बना रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में एक एम्पावर्ड कमेटी बना रहे हैं, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग कमेटी बना रहे हैं और फिर तालुका की अलग बनायी जाये। मुझे ध्यान नहीं है कि तालुका की होगी कि नहीं, लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो कमेटी बनने जा रही है, स्टेट काउंसिल जो बनने जा रही है, वह इसी स्टेट में नहीं बन रही है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, कई जगह ऐसी हैं, जहां सेम कमेटी बनी हुई है और वह जो एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है सीएस. के अंडर में, वह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी कई स्टेट्स में बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी कई जगह बनी हुई है। निश्चित तौर पर इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, यह सुझाव जो आपका था, वह सुझाव ठीक है, उस सुझाव के अनुसार ही मोटे तौर पर यह सब इन्कारपोरेट किया गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हमारा निवेदन है, इसे पार्ट आफ द बिल बनाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, अब हो गया। आप बैठिये। कोई अन्त है क्या इसका? 5 बज गये हैं, यह बोल रहा है, वह बोल रहा है। सीनियर मैम्बर्स ही इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं? That is very unfortunate. माननीय मंत्री जी, अब हो गया वाइंड-अप?

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 13, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को आज सदन में रखा है और सबने अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त की। मैं धन्यवाद देती हूं कि जो वर्षों की मांग थी, कई संगठनों ने, कई अधिकारियों-कर्मचारियों के संगठनों ने भी इस बात की मांग रखी और आम जनता की भी मांग थी। इस विधेयक को आज अमलीजामा पहनाने के बाद क्या हम इस वर्ग का सही ढंग से जैसा कि अभी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि कमेटियां बननी चाहिए, कमेटियों की समय पर मीटिंग्स हों और उनके अनुभवों के आधार पर बजट खर्च हो, ये सारी बातें रखीं। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस व्यक्तित्व ने, जिस महान विभूति ने आज हम लोगों को यहां बैठने लायक बनाया और जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, मैं उसी वर्ग से आती हूं इसलिए मन की पीड़ा यहां बताना चाहूंगी कि जिस वर्ग के नाम पर वर्षों से वोट लेते आ रहे हैं, क्या ईमानदारी से उसके विकास की परिकल्पना हम लोगों ने की? आज उस वर्ग के बीच में हम जायेंगे, भले ही हम आज विधेयक लेकर आये हैं, लेकिन अगर उसके मन की पीड़ा जानेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय मेरे कोटा जिले से ही आते हैं, आप किसी कच्ची बस्ती में जाकर देखेंगे तो पीने के पानी के लिए भी वे बन्धु जूझ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बिल पर बोलें। बिल पर बोलें, माननीय सदस्या। बिल फाइनेंस बिल है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं इसी बिल पर आना चाहती हूं। 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने यह देखा कि हमारा लाखों-करोड़ों रुपये का बजट, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एस.सी. कमेटी की चेयरमैन रही हूं, मुझे मालूम है और मेरे पास अनेकों मुद्दे ऐसे आते थे जिनमें चाहे हमारा बैकलाग भरने के हों, चाहे रोस्टर प्रणाली को लेकर हों, चाहे इस वर्ग की पदोन्नति के हों, इतने मेरे पास मुद्दे आते थे कि मैं देख-देखकर दंग रह जाती थी। मैंने कितनी ही बार कमेटी के मार्फत अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, सरकार से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ नहीं हो पाता।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना-सा निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम सब कुछ देख रहे हैं कि चाहे हमारे एस.सी., एस.टी. का बजट हो उसको चाहे पी.एच.ई.डी. में खर्च किया जाये, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च किया जाये क्योंकि मैंने देखा है, मैं इतना सा निवेदन करती हूं कि आज हमारे प्रदेश की स्थिति बदली है, आज एस.सी., एस.टी. वर्ग और जनरल के बीच में जितनी बातें.....

श्री अध्यक्ष: This is not a general demand. Please wind up.

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं इसी पर आ रही हूं, बजट पर।

श्री अध्यक्ष: बजट पर भाषण है क्या? बजट पर भाषण नहीं है प्लीज। यह बिल है। आप सीनियर मेंबर हैं, बोल क्या रही हैं? प्लीज।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं इसी बजट पर आ रही हूं, साहब। क्या इस विधेयक में जो आप बजट रखोगे, इस विधेयक के मार्फत क्या आप यह प्रावधान करोगे कि हम सामाजिक समरसता के लिए भी 10 परसेंट, 20 परसेंट बजट खर्च करेंगे? अगर ऐसा रखोगे तो निश्चित तौर पर इस वर्ग को न्याय मिलेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश की लगातार क्या हालत हो रही है। जितेन्द्र मेघवाल की क्या दशा कर दी गयी, यह हम सबको मालूम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में, मैं विधेयक पर आ रही हूं, मेरे सुझाव देना चाहती हूं। विधायक पर मेरे सुझाव देने हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्या, हो गया प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद, बैठें प्लीज। दिव्या मदेरणा। प्लीज, बैठें आप। एंडिंग नहीं है। I will not allow it. नहीं है, प्लीज हो गया। प्लीज। मैंने गलती की है, मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ किया, मैंने गलती की। दिव्या मदेरणा। Please, be brief. प्लीज। दिव्या मदेरणा, Please, be brief.

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): Speaker Sir, I will be very precise and I am going to target on two points:- what was the need to bring this legislation? Why have we brought this legislation after 40 years and, what will be the impact?

श्री अध्यक्ष: Please be relevant on this bill. That's all. थर्ड स्टेज पर बिल समअप हो रहा है। You just give suggestions about the implementation of this Bill.

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, मैं तो जनमत से आयी थी बट, The Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation, and Utilization of Financial Resources) Bill, 2022. बिल का टाइटल ही पूरी बात को समअप कर देता है कि हम इस बिल को क्यों ला रहे हैं, इस बिल से क्या होगा। मुझे लगता कि एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। in itself यह कहता है कि यह बिल क्या करेगा। accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by giving a certain amount in the budget ताकि आप गारंटी कर सकें by creating a required institutional mechanism और उस निधि से हम फोकस सेक्टर्स पर उपयोग कर सकें। आर्टिकल 46 का उल्लेख करते हुए कि हम दुर्बल वर्गों पर विशेष ध्यान दें, उनकी शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से जो पीछे रह गये हैं और जो सामाजिक असुरक्षा और शोषण महसूस करते हैं उनकी सरकार संरक्षा करे, उनको सिक्योरिटी करे। Article 388 of the Constitution: National Commission for SC/ST एक रिपोर्ट देता है कि इकनोमिक डवलपमेंट, सोशल डवलपमेंट, पॉलिटिकल डवलपमेंट और एट्रोसिटीज जब तक नहीं रुकेंगी तब तक हम एस.सी., एस.टीज. को मुख्य धारा में नहीं लेकर आ सकते। फिफ्थ ईयर प्लान और सिक्स्थ ईयर प्लान का उल्लेख इस बिल के अन्दर किया है कि ये सब-प्लान्स थे, ये सब-प्लान्स बन्द कर दिये गये, प्लानिंग कमीशन बन्द कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से रिप्लेस हो गया which works like an NGO. It doesn't work like how Planning Commission used to work earlier. अब

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

ओनली स्कीम बेस्ड रह गया और परसेंटेज एलोकेशन रह गयी है। पहले वाला जो था उसके अन्दर फण्ड डायवर्ट नहीं हो सकता था, नॉन लैप्सेबल था, कम्युनिटी असैट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करता था। अध्ययन हुए और यह पाया गया कि करीब 2 से 3 परसेंट ही पापुलेशन के प्रपोर्शन के अन्दर इन स्कीम्स में पैसा है। वर्तमान में जो अब स्कीम्स आयी हैं उनमें भी जो बेस है उसके अन्दर परसेंटेज रिड्यूस हो गयी हैं तो दलित लीडर्स, सोशलिस्टिक लीडर्स और एक भावना 2014 के बाद में जब यह अमृत काल की जगह शनि काल लगा। शनि महाराज ने जब प्लानिंग कमीशन बन्द कर दिया, सब-प्लान भी बन्द हो गये, जो स्कीम्स का बेस है उसे रिड्यूस कर दिया तो एक भावना पूरी असुरक्षा की एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए उठी कि क्या किया जाये तो एक बात आयी कि हम इसका लेजिस्लेशन लाकर इनको सिक्योरिटी कवर दें। Andhra Pradesh, Telangana was the first Government - Congress Government to bring this Act. Karnataka again was the Congress Government to bring this Act. Uttarakhand again was the Congress Government to bring this Act. Ordinance in Punjab by Channi was a Congress Government and Rahul Gandhi's commitment in 2013 but, हमारी सरकार बदल गयी। Now, it is the fifth Congress led Government to ensure the social economic development. That's why we have got legislators. And what we aim to get out this, इसका प्रभाव क्या होगा? कम्युनिटी असैट्स डवलप होंगे, आन्ध्रा और तेलंगाना के अन्दर community assets डवलप हुए हैं प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर वैल इक्विप्ड। जो लैंडलैस थे, गवर्नमेंट ने परचेज करके, खरीद करके वहां दी है। रोड, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल्स, कोचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग भी वहां पर करायी जाती है। सोशल जस्टिस इम्प्रूव होगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। आपके यू.एन. के एस.डी.जी. जो 2030 तक हैं, सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स अचीव करेंगे, रिहैबिलिटेशन होगा, माइग्रेशन, पलायन को रिड्यूस करेगा, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, violence against women, violence against SC/ST में मददगार रहेगा। उसके अन्दर आपका जो हैड है सेंटर का, उसके अन्दर मात्र 600 करोड़ दिये हैं it is against the bill, क्योंकि violence against women की बात है। मैं इसको मेंशन करना चाह रही हूं, 600 करोड़। थर्टी सैकण्ड्स। लाइवलीहुड एनहांसमेंट होगा, बस्तियों में डवलपमेंट होगा, ट्रेडिशनल वर्कर्स, सांसी, कंजर जो ट्रेडिशनल वर्क करते हैं उनको मैनस्ट्रीम में जोड़ा जायेगा। Public Health obviously will reciprocate to improve malnutrition इम्प्रूव होगा

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

और जो 500 करोड़ की बात कर रही हूं I would like to thank the government. This is the largest sum of the budget that has been ever given. It's a landmark allocation given to SC/ST. How it will be executed? And how the expenditure will be done? That we are going to see hereafter. आप बात कर रहे थे डाक्टर की, मूलत: मैं जैसे बता रही थी यह कांग्रेस लैड है। इनका दलित विरोधी एजेंडा है इसलिए इस बिल के खिलाफ हैं और डाक्टर इनको निश्चित रूप से अब शाम को ढूंढना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। कैलाश जी मेघवाल।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यहां बिल का स्कोप कितना है, इस विषय पर भी चर्चा हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बिजनस एडवाइजरी कमेटी हो, उसमें तय हो कि कौन-सा बिल आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से तय होना चाहिये।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित बिल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में इन वर्गों के बारे में कितना विचार हुआ और कितना उस पर विमर्श हुआ क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण था। सारा राजस्थान ही नहीं, सारा देश और अध्यक्ष महोदय, मैं अगर यह कहने का दुस्साहस करता हूं कि देश की राजनीति ने शिड्यूल्ड कास्ट के साथ बहुत-बड़ा धोखा किया है। देश की राजनीति ने संविधान को धता बताया है। यह जो बिल आया इसका सिक्वेंस क्या है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, आप कह देंगे स्कोप नहीं तो मैं मान जाऊंगा, बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके लिये छूट है, पर टाइम पीरियड दस मिनट ही है।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): मैं बहुत शॉर्ट में कहूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा है, देश की राजनीति पर मैंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि देश की राजनीति ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के प्रति धोखा किया है। मैं प्रारम्भ करना चाहता हूं, 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। उस संविधान के आर्टिकल 17 में कह दिया गया, Abolition of Untouchability - 'Untouchability' is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of 'Untouchability' shall be an offence punishable in

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

accordance with the law. यह लॉ कब बना? 1950 में संविधान लागू हो गया, अनटचेबिलिटी समाप्त हो गयी और इस पर कानून बना 1955 में removal of Untouchability Act, 1955 में बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक यह जो आर्टिकल था, वह डेड पड़ा रहा। यह क्या देश की राजनीति ने संविधान को धता नहीं बताया? आखिर इस पर विचार होना चाहिये। संविधान लागू हुआ ही नहीं, अस्पृश्यता यह इतनी वीभत्स एवं भयावह समस्या है, इस पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिये।

ठीक है अनटचेबिलिटी एक्ट आ गया, लागू हो गया। उसमें कई कमियां थीं, उन कमियों के आधार पर फिर से विचार हुआ और फिर से विचार होने के बाद प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स बिल आया, एक्ट लागू हो गया। इसके बाद भी इसकी क्रियान्विति जो हुई, वह सन्तोषप्रद नहीं हुई और सन्तोषप्रद नहीं होने के कारण 1989 में पार्लियामेंट में फिर विचार हुआ और विचार से आया आपके Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities Act, 1989), ये आया। अब इसमें विस्तार से बताया गया कि कौन-कौन से कार्य होंगे जो अनटचेबिलिटी में माने जायेंगे, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के उसमें आयेंगे।

उसकी वजह से सारे देश में, अभी जैसे प्रतिपक्ष के नेता कुछ स्टेट्स का उदाहरण दे रहे थे। वे उदाहरण थे, सारे देश में इस एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों में एक्ट बने। राजस्थान में यह एक कमी रही थी और इसलिए जैसा मैंने परसों कहा था, मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कमी पूरी कर रहे हैं। यह सिक्वेंस जो मैंने आपके सामने रखा, उसका ही यह आउटकम है, आखिर किसी न किसी एक्ट का स्रोत था। आज जो यह एक्ट आपने रखा है, इसका स्रोत है आर्टिकल 17, इसका स्रोत आर्टिकल 46 बताया गया है। आज यह स्थिति है। इस स्थिति पर आज हम बहस कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप अलग से डिस्कशन कीजिये, क्योंकि पूरे राजस्थान में आज कोई मूंछ बता दे तो मर्डर हो जाता है। आज घोड़े पर बैठ जाये, तो निकाल देते हैं। आज घोड़े पर बैठ जाये, तो गोलियां चल जाती हैं। आज पानी खींच ले तो पानी खींचने वाले को, तो सारी तरह की वर्जनाएं, जो वर्जनाएं आजादी के पहले थीं, वे किसी न किसी रूप में आज भी जातिगत दुराग्रह और जातिगत पूर्वाग्रह के रूप में स्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश में छुआछूत अभी की नहीं, अस्पृश्यता

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

बहुत पुराने समय से चल रही है और इस विषय पर देश के सन्तों ने भी, इस देश के विचारकों ने भी, इस देश के अच्छे नेताओं ने भी, समय-समय पर इस पर चोट की है। राजा राम मोहन राय से लेकर महर्षि दयानन्द, डा. अम्बेडकर तक हम जायें तो अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ इसको समाप्त करने के लिये कहा गया है, लेकिन क्या आज अनटचेबिलिटी खतम हो गयी? आज छुआछूत के दुराग्रह और पूर्वाग्रह किसी न किसी रूप में हैं। उस रूप में आपने एक कदम यह उठाया है, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया था, क्योंकि शिक्षा आयेगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो छुआछूत के प्रकरणों में कुछ कमी आयेगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बिल तो पास होगा, समर्थन भी करता हूं, लेकिन अलग से एक दिन आप शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की समस्याओं और आज तक हुई प्रगति के बारे में विचार करने के लिये सेशन बुलाइये, यह मेरा आपसे निवेदन है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि इसका लक्ष्य है मोटे तौर पर एस.सी./एस.टी. के भीतर जो सामाजिक समूहों के बीच समान रूप से विकास की वृद्धि के लिये फण्ड ईयरमार्क किया जायेगा। 2011 की जनसंख्या का तो आधार होगा ही होगा, 2021 की जनसंख्या आ जायेगी तो उसके अनुसार फिर आगे जाकर के होगा।

मोटे तौर पर यह जो बात बतायी गयी है, कृत्य क्या, इन मामलों में जो ये परिषदें बनायी गयी हैं, इन परिषदों को बनाने का कृत्य यह है कि वे विकास निधि से सम्बन्धित सभी नीतिगत मामलों पर सलाह देंगी और विभाग की स्कीमों को प्रोपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिये सुझाव देंगी, ताकि वगैरह-वगैरह अन्य कार्य भी उसे सौंपे जा सकें।

एम्पावर्ड कमेटी का अलग काम है। एम्पावर्ड कमेटी का गठन जो किया गया है, उसका कंवीनर सी.एस. है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसकी दो नोडल एजेंसी बनायी गयी हैं, एक तो सामाजिक विभाग बनाया गया है और एक अनुसूचित जाति, जनजाति का विभाग बनाया गया है। मोटे तौर पर...

श्री अध्यक्ष: मोटे तौर पर सब बातें आ गयी हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, एक ही बात है, साहब। बात वही है इम्प्लीमेंटेशन के परिणाम, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके जो परिणाम हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट विधान सभा के सदन की मेज पर प्रस्तुत की जायेगी, ताकि उस पर विचार हो सके। जैसा आपने कहा कि साहब पारदर्शिता होनी चाहिये, इससे बढ़िया पारदर्शिता नहीं हो सकती कि इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट हर साल आयेगी। वह यहां पर मेज पर रखी जायेगी, ताकि उस पर विचार के बाबत अध्यक्ष महोदय फैसला दे सकें। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि साहब इसको पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: पास किया जाये, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी। माननीय सदस्य, पांच से सात मिनट में सभी सदस्य अपनी बात कहेंगे तो सभी सदस्य इस पर बोल पायेंगे। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 की चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का

(श्री धर्मनारायण जोशी)

अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। राजस्थन भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (क) की उपधारा 8 का प्रावधान है, उक्त उपधारा 17 जून, 1999 से पूर्व गैर कृषक प्रयोजन के लिए धारित और उपयोग में ली गई कृषि भूमि पर लागू होती है। सरकार इस तारीख का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 2021 करना चाहती है। इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा और विचार होना चाहिये। जब हमने अधिनियम की उप धारा-8 में 17 जून, 1999 की तारीख तय कर ली है, अब तारीख क्यों बदलनी पड़ रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही कारण है कि सरकार कृषि भूमि पर होने वाले अवैध निर्माण रोक नहीं पा रही है। पहले अधिनियम लाये, तारीख तय कर ली, पट्टे दे दिये फिर कृषि भूमि पर नयी कालोनियां बस गईं, फिर संशोधन करो, तारीख बदलो, यह क्रम कब तक चलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय? मकान का निर्माण एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का बड़ा सपना होता है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगाता है। यू.आई.टी., नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं उसकी पहुंच के बाहर होती हैं। वह सस्ते दामों पर कृषि भूमि का भूखण्ड खरीद लेता है, निर्माण करता है, विभाग के कर्मचारी आते हैं, गैंती, फावड़े, तगारी ले जाते हैं। वह थका-हारा आदमी कुछ ले देकर अपना जुगाड़ करता है।

(समय: 16.40 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मास्टरप्लान की प्रस्तावित सौ फीट व साठ फीट सड़कों पर अवैध निर्माण हो जाते हैं। शिकायतों एवं नोटिसेज के बावजूद हो जाते हैं। अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया जाता है। वह कोर्ट जाकर स्टे लेता है, मकान बन जाते हैं। मकान चाहने वालों को ऊंची दर पर मकान मिले तो वह अवैध निर्माण नहीं करेगा लेकिन आम व्यक्ति जानता है सस्ता प्लाट ले लो, अवैध निर्माण कर लो, मेरे रहनुमा विधान सभा जाकर कानून बनवा देंगे, मेरा निर्माण वैध हो जायेगा। अब यह व्यवस्था रुकनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है सरकार इस कानून में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के कड़े प्रावधान शामिल करे।

माननीय सभापति महोदय, हाईवे निकलता है, हाईवे के आस-पास की जमीन, किसान को पता नहीं रहता कि हाईवे निकल रहा है। बिल्डर, भूमि के

(श्री धर्मनारायण जोशी)

दलाल जमीन खरीद लेते हैं। किसान का रोजगार भी जाता है, उसका पैसा भी जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपको याद दिला दूं, 6-7 साल पहले आमेर में एक किसान को जिन्दा जला दिया। यह यहीं की घटना है। बैक डेट में पट्टे लिये जाते हैं किसान सस्ती जमीन ले लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सोसायटीज ब्लैक लिस्टेड हो गयीं और वो अभी भी पट्टे बांट रही हैं। 1999 के पहले जो ब्लैक लिस्टेड हो गयीं और अभी भी पट्टे बांट रही हैं। उन सोसायटीज का आप क्या करने वाले हैं? मेरी आपसे यही प्रार्थना है इसलिए इस विधेयक को अभी जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। इस राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, 2022 के माध्यम से मूल रूप से सरकार लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा-90 ए की उप धारा-8 में अभिव्यक्ति 17 जून, 1999 के स्थान पर नयी अभिव्यक्ति 31 दिसम्बर, 2021 पुर:स्थापित करने जा रही है और इसके साथ मंत्री महोदय, एक परन्तुक भी आपने जोड़ा है और उसमें जोड़ा है आपने कि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् किसी रिहायशी भूमि का आबंटन और उस पर पट्टा जारी किया गया है तो उसे उप धारा-8 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने यह लिखा कि पिछले दो दशकों से नगरीय क्षेत्र में बड़ी तीव्र प्रगति हुई है। रोजगार की तलाश में गांवों के लोग शहरों में आने लगे हैं और उसका परिणाम यह रहा कि आज सभापति महोदय, शहरों के आस-पास जो भी पैरीफेरी जमीन है या शहर के पास जो भी कृषि भूमि आ गई, उनमें लगातार बिना नियमों के, बिना अनुमोदन के कुकुरमुत्ता की तरह कृषि भूमि पर कालोनियां काटी जा रही हैं। कालोनियों में कई जगह पर गृह निर्माण सहकारी समिति और कई जगह पर अलग से भूमाफिया इसको बिना किसी अनुमोदन के काट रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें कट आफ डेट दी है। आपने कट आफ डेट बढ़ाई है 17 जून, 1999 से इसको लेकर गये हैं आप 31 दिसम्बर, 2021 तक तो आप मुझे यह बतायें कि आप इसमें डिफरेंशियेट कैसे करोगे? 17 जून, 1999 से पहले कृषि भूमि पर अगर किसी गृह निर्माण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहकारी समिति ने कालोनी काटी उसको तो आप जरूर उसमें कंसीडर करेंगे पर इसको आप डिफरेंशियेट कैसे करोगे कि गृह निर्माण सहकारी समिति ने उसके बाद कोई कालोनी काटी है या किसी ने वैसे ही कोई भी व्यक्ति ने किसी भी जमीन पर काट दी। आप उसमें एक तरफ के लोगों का तो नियमन करोगे और यह जो गृह निर्माण सहकारी समिति है इसको आप छोड़ोगे। इसमें निश्चित तौर पर एक ऐसी खामी आयेगी क्योंकि कोई ऐसा डिमार्केशन नजर आता नहीं है। कौनसी जमीन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 1999 के बाद में काटी गयी है। अगर उसने पट्टे नहीं दिये हैं तो कोई प्रमाण नहीं है कि यह जमीन किसकी है और उसी प्रकार की पास में जमीन अगर किसी कालोनाइजर ने लेकर उसमें उसने अलग-अलग प्लॉटों को बेच दिया तो वह नियमन की श्रेणी में आ जायेगा। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा और एक मंत्री महोदय, आप यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1990 की धारा-1 उपधारा-8 में तो संशोधन लेकर आ गये पर जब तक आप राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में अमेंडमेंट नहीं करोगे, आपके जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में नहीं करोगे, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में नहीं करोगे और राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 2009 में नहीं करोगे और इसी तरह अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में अगर आप संशोधन नहीं करोगे तो आप इन सारे क्षेत्र में आयी जमीन के कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन किस धारा में करोगे क्योंकि यह अब सम्पूर्ण एक्ट है। आज मैं जिस तरह से चूरू का रहने वाला हूं तो मेरे यहां नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रभावी है। 2009 में कौन से प्रोविजन यह कहते हैं कि आप जो अमेंडमेंट ले आये वह स्वत: ही लागू हो गया? इसके बारे में आप निश्चित तौर पर स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा।

आपने एक परन्तुक तो जोड़ दिया और गृह निर्माण समिति के 17 जून, 1999 के पश्चात् आबंटन पट्टों पर नियमन सरकार नहीं करेगी, यह तो आपने तय कर दिया पर आप मुझे यह बतायें, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि एक उच्च न्यायालय का फैसला है, गुलाब कोठारी के मामले में 22 जनवरी, 2017 को एक फैसला आया, इस फैसले ने आपको कई बार मास्टरप्लान से छेड़छाड़ के लिए रोका। अब गुलाब कोठारी के फैसले में साफ यह कहा गया है कि आप चरागाह भूमि पर बसी हुई कृषि कालोनियों का नियमन नहीं करोगे। अब आप कर क्या रहे हैं? चरागाह जमीन की किस्म को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप पहले सिवायचक में बदल रहे हो और उसके बाद आप उन पट्टों का नियमन करोगे। मैं समझता हूं कि गुलाब कोठारी का जो उच्च न्यायालय का फैसला है उस फैसले को धता बताने के लिए आप गलियां ढूंढने का काम करते हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर यह फैसला, उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी जी की रिट नहीं होती तो आज हमारे जो फेफड़े हैं, आज मास्टरप्लान में क्या है मंत्री महोदय, मास्टरप्लान में नियोजित जो हमारा विकास है, वह छिपा है। मास्टरप्लान के अन्दर 60:40 फैसेलिटी एरिया की बात लिखी है। आज लगातार पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अभी भिवाड़ी का आज ही आपने अखबारों में पढ़ा, दुनिया में सबसे प्रदूषित हमारा शहर बन गया। इन सारी कालोनीज के बीच में फैसेलिटी के नाम पर जो उद्यान की जगह छोड़ी गयी है, जो गार्डन की जगह छोड़ी गयी है, आज उनमें भी आप इस नियमन की तरफ जाओगे तो फैसेलिटीज कहीं दिखेगी नहीं। पहले 60:40 से आप 70:30 पर आये। मुझे आप बतायें, आप नियमन करें, मुझे कोई एतराज नहीं है पर नियमन करेंगे तो फैसेलिटीज एरिया और मास्टरप्लान, मास्टरप्लान में अगर इकोलोजिकल जोन कोई दिखा दिया और इकोलोजिकल जोन के लिए गुलाब कोठारी का फैसला कहता है कि आप इकोलोजिक जोन में रिहायशी गतिविधियां नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? जरा स्पष्ट कर दें और आप मुझे यह भी बता दें कि मास्टरप्लान के विपरीत लैण्ड यूज चैंज करके आप कृषि भूमि पर बसी जमीनों को रेगुलराइज करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे? हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है और नहीं करेंगे तो इसका स्पष्टीकरण तो जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह वोट की फसल काटने के लिए और सिर्फ अपनी जिद के लिए, इस बार तो जिद भी नहीं, शान्ती जी को अशान्त कर दिया यह हमारे पानी पिलाने वाले महकमे के माननीय मंत्री जी ने और एक वो बाहुबली मंत्री जी हैं नहीं, इन्होंने फफेड़ कर रख दिया और इन्होंने तत्काल बिना सोचे-समझे कट आफ डेट बढ़ा दी। कट आफ डेट बढ़ायें, मुझे कोई एतराज नहीं पर मुझे तो आप यह फैसला बता दें कि गुलाब कोठारी और अब्दुल रहमान के फैसलों में अगर कोई जमीन आपकी नदी, नाले, जोहड़ और तालाब के क्षेत्र में दर्ज की है और दर्ज की है उसके बावजूद काश्तकार उस पर था। मामला अलग-अलग कोर्टों में है, स्थगन में है और उस जमीन पर जो कि नदी, नाले, जोहड़, मंदिर माफी की जमीन पर है, कृषि भूमि पर अगर कालोनी बस गई, चूंकि आपके यहां तो 31 दिसम्बर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2021, मतलब अब तो आपने एक तरह से फ्लड गेट खोल दिया। सभापति महोदय, जे.डी.ए. एक कालोनी काटती है, स्वप्नलोक काटता है या दूसरी काटता है, उसमें एक आदमी प्लाट लेता है और एक नाथूलाल महर्षि अपनी कृषि भूमि में जमीन काट देता है, उसमें लेता है, दोनों के रेट में दिन रात का फर्क है क्योंकि उस नाथूराम महर्षि को फैसेलिटी एरिया नहीं छोड़ना और जे.डी.ए. में जिसने पैसा ज्यादा दिया, आज यह फ्लड गेट खोलकर आप करना क्या चाहते हो, मुझे यह बताओ।

दूसरा मैं निवेदन करूं, अभी एक फैसला हुआ है संदीप मेहता और न्यायाधीश विनोद कुमार भरवानी ने, 35 साल पुराना आवासीय कब्जा हो, उसको नियमन करने का आपने फैसला किया। कोर्ट ने आपको रोका। आज निश्चित तौर पर गोचर भूमि पर बड़ी संख्या में आवासीय कालोनियां बस गईं। उन कालोनियों के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आप मुझे बताएं। मैं तो आपसे मोटे तौर पर इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने 31 दिसम्बर की तारीख तो आगे बढ़ा दी और आप इनसे 50 रुपये और 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर का विकास शुल्क भी लेंगे। इसके बदले में आप क्या उनको आधारभूत संरचनाओं सहित वह फैसेलिटीज देंगे? आपका कोई प्लान तो होना चाहिये। आज आप कह रहे हो कि इस जमीन पर मैं आपको पट्टा दे रहा हूं, आप रहो। पानी, बिजली, सड़क, विकास शुल्क के नाम पर विकास की कोई परिकल्पना आपके मन में हो तो मुझे निश्चित तौर पर बताएं।

मंत्री महोदय, मैं आखिर में यह कह रहा हूं कि रेवड़ियां बांट रहे हो। आप पट्टे बांट दोगे, एक बार लोग खुश हो जायेंगे, पर अलग-अलग समय में जब कोर्ट में जायेंगे और कोर्ट में उस गरीब का आशियाना टूटेगा, क्योंकि आप सारे नियमों और प्रक्रियाओं को धता बता रहे हो। उसके बाद उसके जीवन भर की कमाई चली जायेगी। इस पर आपको निश्चित तौर पर बात करनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, अकेले जयपुर में ढाई हजार कालोनियां हैं। आपने जून, 1999 की एक कट आफ डेट रखी है। अब यह बैक डेट में जो खेल चलेगा, उसको कैसे रोकोगे? सभापति महोदय, मैं आज सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह जो जून, 1999 की कट आफ डेट है, आज इस राजस्थान में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां थैले में गृह निर्माण सहकारी समितियों का आदमी ठप्पा नहीं लगाता है और बैक डेट में पट्टा जारी करता है। आप उस रैकेट को बढ़ावा देने की कोशिश करोगे। आपको फुलप्रूफ कोई न कोई मैकेनिज्म लेकर आना चाहिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरा मुझे बताओ, 31 दिसम्बर, 2021 आपकी तारीख है। इससे पहले किसी कोलोनाइजर ने किसी भी कृषि भूमि में परचेज आफ एग्रीमेंट कर लिया, सेल आफ एग्रीमेंट कर लिया और कालोनी काट दी, अब आप अगर उस कालोनी को रेगुलराइज करोगे तो आपने उस आदमी को फेसिलेटेड कर दिया और नहीं करोगे तो आपकी कट आफ डेट यह कहती है। आपकी इच्छा क्या है? कृषि भूमि पर बसी रिहायशी कालोनियों का नियमन आप कर रहे हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सभापति महोदय, नियमन में यह जिस तरह चलते हैं, मंत्री महोदय, इतनी क्या कमजोरी है? आपको इन्होंने कह दिया और एक मिनट में, आप इसका फुलप्रूफ प्लान लेकर आते।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री सभापति: यह इनके आपस की बात अंकित नहीं करनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 16 जून, 1999 के पट्टो का बैंक डेट में खेल कैसे रोकोगे? 31 दिसम्बर, 2021 से पहले कोई भी एग्रीमेंट टू सेल करके या अलग-अलग समय पर, आप जयपुर के आस पास चले जाएं, एक दो नहीं, एक हजार से ज्यादा जगह ऐसी मिलेंगी जहां कालोनियां काटी जा रही हैं और कालोनियां काट-काटकर आप उनके उस सेल टू एग्रीमेंट में भी उनका नियमन कर दोगे। उसमें फैसेलिटीज एरिया 60:40 के रूप में करोगे, 70:30 के रूप में करोगे या गुलाब कोठारी जी को धता बता कर आप सीधा ही कर दोगे? इन सारी बातों को आप बताएं तो ठीक रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि इसको अभी मत लाओ, इसको जनमत जानने के लिये परिचालित कर दो, फिर अपन बैठकर बात कर लेंगे, हमें भी समझा देना।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री बिहारीलाल जी (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, जैसा उप नेता, प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात रखी और भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, जिसको राजस्थान का हर आदमी 90ए, 90बी के नाम से जानता है, बड़ी प्रचलित धाराएं हैं। इन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, मेरा इस संबंध में निवेदन है कि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन कृषि भूमियों को गैर कृषि कार्यों के लिये उपयोग किया गया है, के नियमन की कट आफ डेट 17 जून, 1999 अंकित थी, उसके स्थान पर 31 दिसम्बर, 2021 किया जाना प्रस्तावित है। यह केवल एक लाइन इसमें लिखी है। सभापति महोदय, इसके पीछे पूरा एक समुद्र मंथन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस प्रकार से अव्यवस्थित शहर बढ़े हैं और जैसा अभी उप नेता महोदय ने भी बताया कि जिस प्रकार गुलाब कोठारी जी की जो 2004 की रिट थी और 2017 का जो फैसला आया था, उसके बाद राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में हर आदमी इस बात की चिंता करता है कि शहरों के हालात क्या हैं?

सभापति महोदय, यह केवल किन्तुक, परन्तुक जोड़ना था तो कोई बात नहीं थी। हम दिन-रात शहर में रहते हैं। दिन-रात इस बात को देखते भी हैं और सामने भी हैं। सभापति महोदय, मैं सीधे-सीधे 4-5 बातें आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। आपने कहा कि 1999 के बाद 2021 तक कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिये परमिट करते हैं, इसके लिये बिल लाये। हम इस बिल में आपकी बात का समर्थन करते हैं लेकिन मुझे यह बताएं कि 1999 से पहले जयपुर में ऐसी कितनी कालोनियां हैं जिनको आज तक पट्टा क्यों नहीं दे पाये? मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरी विधान सभा की 80 कालोनियों में 20 हजार पट्टे हैं जो 1999 से पहले बैठे हुए हैं। उनको आपके सरकारी महकमे ने ढाई साल तक इसलिए पट्टे नहीं दिये कि प्रशासन शहरों के संग आयेगा और आपकी एक घोषणा कि हम 10 लाख पट्टे देंगे, वह स्लिप आफ टंग थी या क्या थी? आप उसको पूरा करने के लिये जो-जो जतन करना चाह रहे हो लेकिन उसको नियम विरुद्ध न करें क्योंकि आपने इसको बड़ा कंट्राडिक्ट्री कर दिया। 1999 के पहले के 20 हजार लोगों

(श्री अशोक लाहोटी)

को आज तक पट्टा नहीं मिला। क्यों, क्योंकि उनको हाउसिंग बोर्ड एन.ओ.सी. नहीं दे रहा और जे.डी.ए. पट्टा दे नहीं पा रहा। दोनों ही डिपार्टमेंट आपके पास हैं। एक डिपार्टमेंट को एन.ओ.सी. देनी है और दूसरे डिपार्टमेंट को पट्टा देना है, लेकिन वह आप नहीं दे पा रहे हो।

(समय: 17.00 बजे)

दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप पट्टे 70:30 में दोगे, आज एक कालोनाइजर आपके पास आता है कि मैं एक कालोनी काटना चाहता हूं। आप कहते हो कि उसको रेश्यो 55 परसेंट से ज्यादा नहीं मिलता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, 22 साल तक सरकार सो रही थी क्या? बीच में आपकी भी दो बार सरकार रही है और हमारी भी आ गई। 22 साल तक क्या कर रहे थे? 22 साल तक लोग पट्टे का इंतजार करते रहे और अब एकदम से कट आफ डेट दे दी 31 दिसम्बर, 2021, इसमें डेट रखने की कहां आवश्यकता है? मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल में आप यह घोषणा करें कि जयपुर शहर सहित राजस्थान में जिस व्यक्ति को जहां पर भी जगह दिखती हो, वह वहां पर मकान बना ले, उसका पट्टा हम देंगे। यह घोषणा करो आप खुले में, डरने की क्या बात है? आप कर सकते हो। आप बिलकुल कीजिये, क्योंकि इस बिल की मंशा यह है। हम आपको कहेंगे कि जनता के फायदे के लिये हम आपके साथ हैं। सभापति महोदय, 1999 की डेट कहां से आयी? पूरे राजस्थान सहित देश में हाउसिंग सोसायटियों का काम शुरू हुआ। महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसायटियों का काम था तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि ये हाउसिंग सोसायटियां पट्टा निर्माण या कालोनियां काटने वाली नहीं हैं, ये गृह निर्माण समितियां हैं, इनको मकान बनाने चाहिये। मंत्री महोदय, उस समय आप भी यू.डी.एच. मंत्री थे। आपने कट आफ डेट दी कि 1995 के बाद कोई भी सोसायटी पट्टा नहीं काटेगी। आप शपथपूर्वक कह दें कि क्या कल रात तक पुरानी डेट में पट्टे नहीं बंट रहे हैं? वे क्यों बंट रहे हैं, कैसे बंट रहे हैं? 1999 की डेट वह थी कि 1999 तक का सारा रिकार्ड, सभापति महोदय, केवल कृषि और गैर कृषि का विषय नहीं है, 1999 तक का हाउसिंग सोसायटीज का रिकॉर्ड सम्बन्धित संस्थाओं में जमा हो गया, उसके बाद उस रिकार्ड में क्या हुआ?

आपके यहां को-आपरेटिव सैल थी, को-आपरेटिव सैल इसलिये हटायी

(श्री अशोक लाहोटी)

गयी, क्योंकि उसमें कोई भी आता, जब लिस्ट पेश करते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2021 होने के बाद भी मंत्री जी क्या आपने इस चीज की लिस्टिंग करवा ली क्या कि कौनसी कालोनी कब बसी थी और किसको पहले पट्टा दिया जायेगा और किसको बाद में पट्टा दिया जायेगा? भोले-भाले लोगों को सोसायटियां ठग रही हैं। ढाई सौ-ढाई सौ रुपये स्क्वायर यार्ड पट्टों के कन्वर्जन के लिये जमा हो रहे हैं। 1999 तक का रिकॉर्ड जब जे.डी.ए. में जमा था, रातों-रात एक फैसला हुआ। को-आपरेटिव सोसायटीज में धांधलियां हैं। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट भ्रष्ट है तो को-आपरेटिव की सैल जे.डी.ए. में बन्द कर दी गयी। किसके इशारे पर हुआ? कौनसे अधिकारी थे, जिन्होंने आपको मिस-गाइड किया? क्यों? क्योंकि कोई आदमी पट्टा लेने जाता था तो वह को-आपरेटिव की लिस्ट में देखता था कि उस लिस्ट में क्या मेरा नाम है? को-आपरेटिव डिपार्टमेंट उस पर अपनी टिप्पणी करता था। उससे वह डिप्टी कमिश्नर बाउंड होता था, लेकिन अब आपका जे.डी.ए., आपकी यू.आई.टी., सब तुर्रम खां हैं। मैंने कहा कि जे.डी.ए., यू.आई.टीज. ने तीन साल में एक भी मामले में, मैंने उस दिन आपसे कहा कि इतने-इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। जांच कमेटी बैठायें। आप विधायकों की बना दो, सत्तापक्ष के विधायकों की बना दो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा-सा समय लूंगा, क्योंकि शहरों का विषय है। सभापति महोदय, एक तरफ कल बुल्डोजर जाता है और कहता है कि चरागाह भूमि पर कोई किसान अपना मकान बना रहा है। चार भाई हैं, चार मकान बनाते हैं तो जे.डी.ए. का बुल्डोजर जाता है और आम आदमी का मकान तोड़कर आता है। इसी बात पर मंत्रियों का विवाद हुआ। यही मुद्दा था। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम चरागाह भूमि पर पट्टा देंगे। जब आप पट्टा दे रहे हैं तो बुल्डोजर क्यों भेज रहे हैं? जब आप एक दिन बाद पट्टा दे रहे हैं और एक दिन पहले तोड़ क्यों रहे हो? किसका तोड़ रहे हो? कालूराम का तोड़ रहे हो, भूराराम का छोड़ रहे हो। आंचूराम का तोड़ रहे हो, पांचू राम का छोड़ रहे हो। यह कौनसा नियम है? सभापति महोदय, कोई नियम होगा। तोड़फोड़ का दस्ता जाता होगा तो एक ले-आउट बनता होगा। किसी को साइट एक जैसी मिलती होगी, सैटबैक एक जैसे मिलते होंगे। किसका मकान टूटेगा और किसका नहीं टूटेगा। मंत्री महोदय, जे.डी.ए. के कुछ अधिकारी हैं, जो आपके

(श्री अशोक लाहोटी)

भी ध्यान में हैं, जो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, वे सुपर सी.एम. हो रखे हैं। वे अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, इसलिये मैंने पिछली बार भी कहा कि मंत्री महोदय आप थोड़ा कोटा से बाहर झांको। आज जिस प्रकार से अव्यवस्था हो रही है, आपने कहा कि हम गोचर भूमि पर देंगे। मन्दिर माफी की जमीन पर देंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मकान बनाकर बैठा है, यदि वह वाकई इनोसेंट है, आज क्या हुआ, सैकड़ों कालोनियों में, जहां फैसेलिटीज लैंड थी, उसमें तो पट्टे काट दिये गये और जिनको पट्टे दिये हुए थे, उसको फैसेलिटीज बता दी गयी। जहां फैसेलिटीज बता रखी है, उसमें लोग 20 -20 साल से रह रहे हैं, उनको पट्टा नहीं दे पा रहे हैं, जो फैसेलिटीज एरिया नहीं है, उसको फैसेलिटीज बता दिया। यह काम किसने किया? यह काम उन भ्रष्ट सोसायटियों ने किया, जिनका 1999 का सारा रिकार्ड जब आपके पास आ गया था, तो उस रिकार्ड को किस मंशा के कारण ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? 2003 तक तो आप खुद थे। वे ऑनलाइन नहीं होने के कारण आज तक करोड़ों लोगों के साथ राजस्थान में धोखाधड़ी हुई है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस शहरी विभाग को आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। इसको तुरन्त ऑनलाइन करवायें। इन को-आपरेटिव सोसायटीज का रिकार्ड जब तक ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक ये केवल और केवल अवैध और भू-माफिया सोसायटियां बनकर रह जायेंगी और इसमें आम गरीब व्यक्ति मारा जा रहा है। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में 600 से ज्यादा कालोनियां हैं, जो 1999 से पहले की बसी हुई हैं। 1999 के बाद भी बसी हुई हैं। उनको आज तक यह नहीं पता कि हमको पट्टा लेने के लिये क्या करना है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप बेशक पट्टा दीजिये। आप जन-प्रतिनिधियों और पार्षदों की एक टीम बनाइये, क्योंकि जन-प्रतिनिधि और पार्षद ही वह कड़ी है, जो गली-गली और घर-घर घूमकर, उसमें कांग्रेस का भी होगा और बी.जे.पी. का भी होगा, गली-गली, घर-घर घूमकर वह यह पहचान सकता है कि किसको तो पट्टा देना चाहिये और किसको नहीं देना चाहिये। हम केवल और केवल अधिकारियों के अधीन काम कर रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो पीड़ा रात-दिन हम देखते हैं, उन सोसायटीज में आज हालत क्या है? सोसायटी वाले ने बैक डेट में पट्टा काट दिया, उस

(श्री अशोक लाहोटी)

स्टाम्प की जांच करवा लो और कुछ नहीं करो तो। आज आप एक आदेश कर दें, उन सारे स्टाम्प पेपर की जांच करा लें, जिसमें 1999 तक के एग्रीमेंट होकर अभी आपके यहां कैम्प लगाने के लिये आते हों। पिछले डेढ़-दो सालों में किन कालोनियों के कैम्प लगे, जहां लोग नहीं रहते हैं। जहां लोग रहते हैं और जो पट्टा मांग रहे हैं, वहां कैम्प नहीं लगाये जा रहे, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा। यानी भूमाफियाओं के इशारे पर पट्टा कैम्प लगाकर पट्टे दिये जा रहे हैं। यह काम कौनसे अधिकारी कर रहे हैं? सभापति महोदय, मैं यह सारी साक्षात पीड़ा दिन-प्रतिदिन देखकर आपके सामने रख रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने इसलिये कह रहा हूं कि सोसायटियों की मिलीभगत का खेल कितना बड़ा है कि मैंने तीन कालोनियां उस दिन बतायीं, शिव एनक्लेव, सेन्ट्रल स्पाइन, वेस्टवे हाइट। मंत्री महोदय, मैं आपसे आज कह रहा हूं कि चौथी है लोहा मण्डी, जयपुर। आप इनकी जांच करवा लें। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सारे पेपर्स आपको जमा करा दूंगा। होली से ठीक एक दिन पहले 16 तारीख को रात को 11 बजे जे.डी.ए. खुलता है, लेकिन पूरा जे डी ए नहीं खुलता। सभापति महोदय, ये वीडियो मेरे पास है। मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। रात को 11 बजे जे.डी.ए. खुलता है। केवल एक जोन खुलता है। जिसमें लोहा मण्डी के पट्टे बनाये जाने हैं। इन अधिकारियों को हम जे डी ए में बैठाकर जनता का भला करेंगे? क्या उनके लिये हम कटआफ डेट चेंज कर रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूं कि रात को 11 बजे मीडिया के कुछ साथी पहुंचे। उन्होंने वीडियो बनाया तो सारे अधिकारी पीछे से निकलकर भागते हुए इस वीडियो में हैं। रात को 11 बजे एक जोन खुलता है, यदि खोलना है तो पूरा जे डी ए खोलें। मैं अभी आपको दे रहा हूं। मैं यह लाया हूं, आपको देकर जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे। बाकी लोहा मण्डी के पूरे दस्तावेज जो कि मैं लेकर आया हूं, ये भी सारे मैं आपको दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि शहरी मंत्रालय के ऐसे मंत्री, जिनसे कोई विद्वान नहीं हो सकता, उनके राज में ऐसा हो जाये, उस अधिकारी की खैर नहीं। मैं सारे पेपर आपको जमा करा दूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे लिखकर दे दो, पर आपने आज तक नहीं दिया। अब दे दीजिये, सबकी जांच करवा लूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं देने के लिये घूम रहा हूं, मंत्री जी कोटा में धारा 144 लगवा रहे थे। मैं किसको देता? मंत्री जी यहां होते, तब देता। मंत्री जी तो कोटा में धारा 144 लगवा रहे थे। मैं दर-दर घूम रहा हूं कि मंत्री जी को कागज दूं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। मंत्री जी, मेरा इस बिल पर हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इस बिल के माध्यम से सोसायटी, भू-माफियाओं को फायदा पहुंचने की पूरी-पूरी सम्भावनाएं बनी हुई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक 1999 के बाद सोसायटियों की जो स्थिति रही है, जयपुर के लाखों लोगों को इन सोसायटियों ने ठगा है, लूटा है। लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पार्कों में प्लाट दे दिये। 80:20 के रेशो में दे दिये, 90 प्लस में दे दिये। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है और न कुछ और है। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आखिर में यह पूछना चाहता हूं कि इस बिल में आप पट्टा देंगे, लेकिन इस बिल में एक शब्द नहीं कि आधारभूत सुविधाएं, सड़क कौन बनायेगा, नाली कहां से बनेगी क्योंकि आपने एक्ट में तो यह लिख रखा है कि सोसायटी ने पट्टा काटा। मेरे पास 50 से ज्यादा क्वेश्चनों के जवाब आये हैं। जिस बिल्डर ने कालोनी काटी, जिस किसान ने कालोनी काटी, जिस सोसायटी ने कालोनी काटी, वह ही आधारभूत सुविधाएं डवलप करके देगा लेकिन जे.डी.ए. ने ले लिया तो कोई डवलप नहीं कर रहा है।

श्री सभापति: वाइंड-अप करिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन सड़क देगा, कौन नाली देगा, कौन बिजली देगा, कौन पानी देगा, कौन पार्क देगा और लोग कहां जायेंगे? यह इस बिल में नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कट-आफ डेट बढ़ा दें, लेकिन पहले 1999 के जो लाखों लोग बैठे हैं, पहले उनको पट्टा दे दें। वरना केवल भू-माफियाओं को पट्टे मिलेंगे, अफसर आपको बदनाम करेंगे। पहले भी कई बार अफसर आपको फंसा कर भाग गये, बाद में आप ही दु:ख पाते रहे। ऐसा नहीं हो कि फिर फंसा दें। इसलिये मेरा आपसे निवेदन कि आप भोले-भाले मंत्री हो, आपको फिर कोई नहीं फंसा दे, आप मेहरबानी करें और इस बिल को अभी

(श्री अशोक लाहोटी)
रोक दें और पहले लोगों को पट्टे देने की पूरी योजना बनने के बाद दो महीने बाद बिल ले आना, तीन दिन में पट्टे दे देना।

श्री सभापति: वाइंड-अप प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप पहले लिस्ट तो बना लो कि पट्टे किसको देने हैं, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह कहूंगा कि इस बिल को एक बार वापस ले लें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यह गलत बात है। बाद में लोगों को बोलने नहीं देते आप। कोई आदमी 15 मिनट बोल रहा है। पहले 17 आदमियों को वाइंड-अप कर दिया। एस सी/एस टी पर बोलना था लोगों को। सभापति महोदय, ये क्या तरीका है? अन्याय क्यों हो रहा है आसन से?

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरे यहां साढ़े तीन लाख लोग शहर में हैं और इनके यहां 13 हजार लोग हैं। इनको बोलने की जरूरत ही कहां है? इनकी बात मैंने बोल दी।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। आपस में बात नहीं प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आज भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के लिए चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व सांगानेर से आने वाले विधायक महोदय ने नगर निगम, जयपुर की बात की। लगभग-लगभग नगर निगम जितने भी हैं, राजस्थान में उन सबकी स्थिति यही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय आज से चार माह पूर्व जब अजमेर के जवाहर रंगमंच पर पधारे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम दस लाख पट्टे देंगे। उनकी इस घोषणा के आधार पर अभियान प्रारम्भ होने से पहले मैंने उनको बहुत विस्तार से एक पत्र लिखा था और उसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया था कि यदि आप मन से लोगों को राहत देना चाहते हैं, लोगों को पट्टे देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भूमि का नियमन करना चाहते हैं तो ये-ये हर्डल्स हैं जिनको दूर कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर नगर निगम में मेरी विधान सभा क्षेत्र के लगभग 20 हजार लोगों ने पट्टों के लिये आवेदन किया हुआ है जिनमें मुख्य रूप से कब्रिस्तान पर बसी हुई कालोनियां हैं, चांदमारी पर बसी हुई कालोनियां हैं, एग्रीकल्चर भूमि पर बसी हुई कालोनियां हैं। इन भूमियों के पट्टे

(श्रीमती अनिता भदेल)

के लिये निवेदन किया है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में भूमि की किस्म अलग प्रकार से दर्ज है। कोई पहाड़ी है, कहीं बरडा है, कहीं और है, लेकिन सिवायचक और चरागाह जो भूमियां नहीं हैं, उनको यदि हम किस्म देकर पट्टा दे सकें तो ऐसा आग्रह मैंने मंत्री महोदय को उस समय किया था। बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ सरकार का पट्टा वितरण अभियान जो आलरेडी पट्टेशुदा मकान हैं, उन पट्टेशुदा मकानों को फ्री होल्ड पट्टे के नाम से ही दिये जा रहे हैं। उस फ्री होल्ड पट्टे के लिये भी फ्री होल्ड की भाषा नहीं लिखी हुई है। उस पट्टे पर फ्री होल्ड की भाषा लिख देते तो समझ में आ जाता कि ये फ्री होल्ड पट्टा है लेकिन उस फ्री होल्ड पट्टे के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है कि सरकार ने इतने पट्टे दे दिये।

मैं निवेदन करना चाहती हूं भगवानपुरा कालोनी, बैरवा बस्ती, अजमेर नानकरण का हाथा, जादूगर और गुलाब बाड़ी का। माननीय सभापति महोदय, गुलाब बाड़ी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पूरा का पूरा कृषि भूमि पर बसा हुआ है। कृषि भूमि के लिए जब फाइल अजमेर विकास प्राधिकरण में लगायी जाती है तो पहली बात तो वहां इतना भ्रष्टाचार है कि कोई व्यक्तिगत आदमी जाकर पट्टा नहीं ले सकता। यदि वह आवेदन करता है तो उसकी फाइल या तो कहीं गुम हो जाती है या उसको दीमक खा जाती है कि वह फाइल कहीं मिलती ही नहीं है। हां, दीमक खा जाती है उस फाइल को। कई वर्षों से बहुत सारे दीमक हैं वहां पर, दवाई छिड़कने के बाद भी दीमक खा जाती है उनको। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आफिसर्स गैलेरी में जितने लोग बैठे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगी कि वास्तव में सरकार यदि लोगों को राहत देना चाहती है, यदि उनको पट्टा देना चाहती है, एक तरफ तो गुलाब कोठारी जी का जो 2017 का फैसला आया है, जब किन्हीं प्रकरणों में आपको नहीं करना होता है, जब अधिकारियों की सांठ-गांठ नहीं होती है तो गुलाब कोठारी जी के उस फैसले का हवाला दे देते हैं और जब आपको करना होता है, आपकी सांठ-गांठ तय हो जाती है, आपका पैसे का लेनदेन तय हो जाता है, आप उस गुलाब कोठारी जी के फैसले का वायलेशन करते हुए भी उसमें पट्टा जारी कर देते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको दो-तीन उदाहरण बताना चाहूंगी। तीन प्रकरण हैं अजमेर में जिनमें गुलाब कोठारी जी की रिट में फैसले के अनुसार आप ओसियत भूमि पर और ग्रीन बैल्ट पर किसी तरह से स्वीकृति

(श्रीमती अनिता भदेल)

जारी नहीं कर सकते। लेकिन दो लोगों को, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूंगी, मंत्री महोदय पूछेंगे तो मैं बता दूंगी व्यक्तिगत रूप से मिलकर, तीन लोगों को तो आपने अनुमति दे दी और दो लोगों को आपने यह अनुमति नहीं दी कि गुलाब कोठारी जी का फैसला है। पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? जब गुलाब कोठारी जी के फैसले की आपको पालना करनी है तो पालना करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं?

इसी तरह से अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार के फैसले में जितने भी आपके पानी के स्ट्रक्चर हैं, उस पर आप नियमन नहीं कर सकते। उसको आप अलाट नहीं कर सकते लेकिन स्वयं सरकार ने ही आनासागर झील के जितने खसरे हैं, वे खातेदारी में दर्ज हैं, कृषि भूमि में दर्ज हैं, उन खातेदारी, कृषि भूमि के दर्ज जितने भी खाते हैं, उन सब पर आपने स्ट्रक्चर बना दिया। चौपाटी निर्माण कर दी उसके ऊपर। उसके ऊपर आप कैसे चौपाटी निर्माण कर सकते हैं जबकि वह खातेदारी में दर्ज है और वह पानी के स्ट्रक्चर के अन्दर आते हैं। आनासागर झील के अन्दर आते हैं। सरकार करे तो सब कुछ ठीक और कोई व्यक्ति करे तो सब गलत है।

मैं बार-बार आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर लैंड पर जो बस्तियां बस गयी हैं, उन बस्तियों में अनेकों बार, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी, क्योंकि नियमन नहीं होता है, एग्रीकल्चर लैंड का आवासीय भू रूपांतरण नहीं हो रहा है और नहीं होने की स्थिति में जब व्यक्ति को मकान बनाने की आवश्यकता होती है तो वह नगर निगम में, क्योंकि मकान बनाना है तो 50 लाख, 1 करोड़ रुपया लगना है, तो निश्चित रूप से कई लोग फायनेंस में जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक उनसे कहता है कि आप हमें नक्शा पास करवा कर दें।

श्री सभापति: अमेंडमेंट पर बोलिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं लैंड के बारे ही बोल रही हूं, पट्टे के बारे में ही बोल रही हूं कि पट्टा नहीं मिलने के कारण से वह नक्शा पास नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में नगर निगम पैसे लेकर नक्शा पास करने का काम करती है। बिना पट्टे के, बिना लैंड यूज चेंज करके कैसे नक्शे पास हो जाते हैं? वह नक्शे पास हो रहे हैं। नगर निगम की सीमा के अन्दर भी हो रहे हैं और नगर निगम की सीमा के बाहर भी हो रहे हैं। मैंने पिछली बार दो सवाल भी लगाये थे। उसमें सरकार ने कहा कि हमने कोई

(श्रीमती अनिता भदेल)

नक्शा पास नहीं किया है जबकि नक्शे मेरे पास हैं जो पास किये हैं। ऐसी स्थिति में जब आप लैंड यूज चेंज नहीं कर रहे हैं और लैंड यूज चेंज नहीं करने के कारण से ही, यदि आपका लैंड यूज चेंज हो और आप आवेदन करेंगे नगर निगम में मैप स्वीकृति के लिये, भवन निर्माण स्वीकृति के लिये तो चूंकि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और यदि आपके पास पट्टा नहीं है तो फिर आपको 50 हजार, 1 लाख रुपये अलग से फीस देनी पड़ेगी नक्शा पास करने के लिये। इस तरह से जो नक्शे पास होकर आ रहे हैं, वे नक्शे भी फर्जी हैं। अल्टीमेटली वे गलत नक्शे पास हुए हैं तो व्यक्ति भुगतेगा, क्योंकि व्यक्ति को तो पता नहीं कि नक्शा सही है या गलत है और वह पास करवा लेता है। बैंक में भी फायनेंस हो जाता है। बाद में पता पड़ता है कि इसका तो लैंड यूज़ चेंज नहीं है। नक्शा कैसे पास हो गया?

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि यदि वास्तव में उनकी मंशा है कि एग्रीकल्चर लैंड पर वे पट्टा देना चाहते हैं तो अभियान चलायें और अभियान के रूप में हर प्लानर जो विकास करता है, जो निजी विकासकर्ता है, वह यदि अपनी लैंड छोड़ता है, सड़क के लिये, नाली के लिये, बाकी का विकास करके देता है, वह स्ट्रीट लाइट लगाकर देता है या नालियां बनाकर देता है तो निश्चित रूप से आप उससे पैसा लीजिए लेकिन आप बिना पैसा जमा कराए अवैध कालोनियां जो बस रही हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध कालोनियां बस रही हैं कि कोई भी आया और काट दी कालोनी। सड़कों की चौड़ाई 12 फीट है जबकि हमारे प्रोविजन है कि सड़कों की चौड़ाई 30 फीट कम से कम होनी चाहिए। आप देखिए रेरा में पंजीकृत होते हैं कई सारे, लेकिन रेरा भी क्या कर रहा है? कुछ नहीं देख रहा है और आज भी धड़ल्ले से, मैंने चार कालोनियों की बात की है। मेरे विकास नगर में आज भी कालोनी कट रही है, बिना लैंड यूज चेंज के कालोनी कट रही है। जार्ज गंज में बिना लैंड यूज़ चेंज किये कालोनी कट गयी। बिना 90-ए, 90-बी के कालोनी कट गयी।

श्री सभापति: मैडम अमेंडमेंट पर। समय की सीमा है। बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि वास्तव में अच्छी भावना से आये हैं तो इसको कीजिए। यही बात करके इसको जनमत जानने के लिये जारी किया जावे, इतना ही निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: देखिए मैं निवेदन करता हूं कि बहुत लोग बोलने वाले हैं और इसके बाद एक बिल और है। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में अपना समाप्त कीजिए। सभी के लिये है। किसी इंडिविजुअल के लिये नहीं कह रहा हूं। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 इसलिये लाया गया है कि धन कमाने का सिलसिला सफलतापूर्वक जारी रहे। इस विधेयक को जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिये विचार कर रहे हैं। जब मैंने पढ़ा कि 17 जून, 1999 को 31 दिसम्बर, 2021 किया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मंत्री महोदय ने 31 दिसम्बर, 2021 का कोई मुहूर्त निकलवाया था क्या? यानी क्यों तो उन्होंने 17 जून, 1999 रखा और क्यों उन्होंने 31 दिसम्बर, 2021 रखा? यदि इनका बस चलता तो शायद ये 28 फरवरी, 2022 रख देते। कहीं न कहीं तारीख तय करने के पीछे कोई न कोई कारण, कोई न कोई सिस्टम होना चाहिये कि आखिर हम क्यों करना चाह रहे हैं? हालांकि यह सत्य है कि शहर के अन्दर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गयी, शहर के मकान छोटे पड़ते गये तो लोग बाहर आकर बसने लगे। गांवों के लोग भी आकर अपने मकान बनाने लगे। चूंकि सरकार की कोई योजना नहीं थी, इसलिये जितनी एग्रीकल्चर लैण्ड थी, लोग उस पर आकर बसते गये और उन्होंने अपने मकान बना लिये। वह मकान इस तरह बनाये, वहां किसी ने, किसी प्रकार का कोई सैट बैक नहीं छोड़ा, इस प्रकार से मकान बने। आज न वहां कोई सड़क है, न कोई नाली है, न किसी प्रकार की रोशनी है। स्थाई जन-प्रतिनिधि होने के नाते जब वे लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाते। जब हम एम.एल.ए. फण्ड से उनको कोई पैसा देते हैं, पंचायती राज में है कि खातेदारी की जमीन होनी चाहिये, उसके प्राइवेट खातेदारी की हम नहीं कर सकते।

आज मेरे फायसागर रोड पर लगभग 32 कालोनियां ऐसी हैं, जो बसी हुई हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं लाभ होता दिखता है। इसमें दो बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कालोनियां तो कटती गयीं, भूमाफिया जमीन बेचते गये, उनको किसी प्रकार

(श्री वासुदेव देवनानी)

की कोई सुविधा नहीं मिली। आज हमारे शहरों में तो कुछ ए.डी.ए. की जमीन है, कुछ नगर निगम की है, कुछ हाउसिंग बोर्ड की भी कालोनियां हैं। उन तीनों के नियम अलग-अलग हैं। उनका कौन फैसला करेगा कि किस नियम के तहत उनको पट्टे मिलेंगे?

ए.डी.ए. इन दिनों हमारे गांवों व कालोनियों में जाकर धड़ाधड़ मकानों को क्रश कर रहा है कि अतिक्रमण है। वे मकान एग्रीकल्चर लैण्ड पर हैं। अब तो आप उसको पारित कर रहे हो, यानी इसके पहले जिन्होंने बना लिया, उनके लिये तो आप प्रोब्लम खड़ी कर दो। आज अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिये, आप इस प्रकार की बात करो जो कहीं न कहीं ठीक नहीं लगता। इसलिये मेरी मांग है कि सबसे पहले तो आप यह तय करो कि 17 जून, 1999 के पहले के सब लोगों को पट्टे मिल गये क्या। उनको तो मिले नहीं और आपने कह दिया हम 31 दिसम्बर तक के लोगों को दे देंगे। वह इस कारण कि आपको 10 लाख का लक्ष्य प्राप्त करना है। 10 लाख का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये, आपने इस प्रकार का संशोधन लाने की कोशिश की। संशोधन लाने के पहले जरा सोच लेते कि कोर्ट केस तो नहीं होंगे। जैसा कि सबने जिक्र किया, गुलाब कोठारी के 2017 के प्रकरण में जो फैसला आया है, उसका पालन होगा क्या? पालन होगा तो आप कितने पट्टे दे पाएंगे? यानी इसमें किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है।

यह ठीक है कि बसी हुई कालोनी को आप पहले स्वैच्छिक में करेंगे, फिर आप उसको आबादी में चेंज करेंगे। इसके लिये न तो कोई मास्टर प्लान, न कोई नियमन। हाई कोर्ट के फ़ैसलों का क्या होगा, इसका भी कहीं, किसी प्रकार का, कोई विचार नहीं किया गया। मेरी मांग है कि इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये। जल्दबाजी में नहीं आना चाहिये। आपने फैसेलिटी एरिया का भी ध्यान नहीं रखा। इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाये, जिसके आधार पर कभी भी, आप आज जो पट्टे देंगे, यह अपना मकान बनाएंगे या बने हुए मकानों के पट्टे दे देंगे, तो कोई उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर, उसको मकान गिराने की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। मकान गिर गये तो क्या होगा? वह गरीब न घर का रहेगा, न घाट का रहेगा। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इन लोगों को पट्टे जरूर दें। पट्टे मिलने चाहिये, जो कालोनियां पहले की बसी हुई हैं। पट्टे देने के पहले, इन सारे प्रावधानों पर विचार करके, उसका

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसमें समावेश करें। नहीं तो वही बात हो जायेगी, जहां जंचे वहां मकान बना दो। अगली सरकार आयेगी या दूसरी सरकार होगी, वह फिर इस 2021 को 2025 कर देगी, फिर 2025 की जगह 2030 कर देगी। यह तो क्रम लगातार बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से नहीं बढ़े, इसलिये कहीं न कहीं एक कट आउट डेट होकर, उसके प्रति कोई नियम बनाकर, इन लोगों को भी राहत मिले, इन लोगों को पट्टे भी मिलें, इन लोगों को सुविधाएं भी मिलें।

आपने जैसा बताया 50 रुपये, 100 रुपये विकास शुल्क के नाम पर ले रहे हो। उसके साथ क्या गारंटी दे रहे हो वहां सड़कें बनवाएंगे, वहां हम लाइट देंगे, वहां उनको पानी के कनेक्शन देंगे? मंत्री महोदय, इस प्रकार का प्रावधान लेकर अपने उत्तर में दें तो लगता है कि उनकी मंशा ठीक होगी। नहीं तो केवल भूमाफियाओं को लाभ देना, वाह-वाही लूटना, वोट बटोरना, इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित रूप से यह जनता के साथ धोखा होगा।

हमारा नगर निगम अभी तक केवल 800 पट्टे ही दे पाया। ए.डी.ए. केवल 3 हजार पट्टे ही दे पाया है पिछले पांच महीनों में। अब आप कितने दिनों में, क्या दे दोगे? इस प्रकार की डेट बढ़ानी भी थी तो जरा समय से पहले बढ़ाते, ताकि इस अभियान का आपको लाभ मिलता। अभियान तो आप चला देते हो लेकिन बिना सोचे समझे, धूल में लट्ठ मारते जाओ और अपना काम किये जाओ और खुद केवल अपनी छोटी-सी राजनीति में लपेटे रहो। इस प्रकार से जनता का नुकसान नहीं हो। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, जब उत्तर दे तो इसका उत्तर दें कि उन सब कालोनियों को, आप जिनको भी पट्टे दोगे, वहां नागरिक की जो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको आप उपलब्ध करवाओगे, इसको सुनिश्चित करो।

साथ में 2021 तक, 1999 तक का पहले, फिर 2021 तक की जो बस्तियां बसी हैं, उन सबको आप एक-एक करके, पिक एंड चूज नहीं करोगे कि इसको तो दे दिया, इसको नहीं दिया। इसमें यह अड़ंगा लगा दिया, कहीं हाई कोर्ट का अड़ंगा लगा दिया, अर्थात् पिक एंड चूज करोगे, तो जनता के साथ यह न्याय नहीं होगा। हमारी पार्टी का है तो दे दो, यदि हमारी पार्टी का विधायक वहां है तो दे दो। विपक्ष का विधायक है, विपक्ष के हमको वोट नहीं मिलते, तो उसको नहीं देना, इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा। (समय-समाप्ति -सूचक घंटी)

(श्री वासुदेव देवनानी)

अतः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जल्दबाजी नहीं। इन सारी बातों पर विचार करो। तब तक के लिये इसको जनमत के लिये परिचालित करो, ऐसी मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2022 पर अपनी बात रखने का समय दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2022 में 1956 के राजस्थान अधिनियम की धारा 90-क की उप-धारा (8) में 17 जून, 1999 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 2021 तक के गैर कृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से शहरों के व्यवस्थित विकास के साथ-साथ मूलभूत सुविधा भी विकसित नहीं हो पायेगी। राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं का विकास, मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हुआ है। जहां मास्टर प्लान लागू है, वहां भी भू-माफियाओं द्वारा मास्टर प्लान की अनदेखी या संशोधन किया जाकर मास्टर प्लान की उपयोगिता ही खतम कर दी गयी है।

सभापति जी, आज किसानों से सस्ती दर पर जमीन ले ली जाती है। भोले-भाले किसानों को ठगा जा रहा है। शहर के पास जो कृषि भूमि आ गयी है, उस पर बिना नियम के ही कालोनियां काटी जा रही हैं। बिना किसी अनुमोदन के भू-माफियाओं के इशारे पर पट्टे दिये जा रहे हैं। जो कालोनियां, बस्तियां पुरानी बसी हुई हैं और पट्टे मांग रही हैं, उन्हें पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने ही लोग हैं जो पट्टों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

एक ओर यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल में आधारभूत सुविधा के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। पट्टे देना अच्छी बात है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिये। मास्टर प्लान के अनुसार भी कार्य होना चाहिये। मेरा यह मत है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानचंद

(श्री सभापति)

जी पारख (अनुपस्थित)। श्री अविनाश (अनुपस्थित)। श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2022 यह बिल सरकार लायी, भू-माफियाओं को लाभ देने के लिये, वोट बैंक की राजनीति करने के लिये। मैं इसका विरोध करता हूं और इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रामप्रताप कासनियां। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): रामप्रताप कासनियां जी बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2022 के अन्दर सरकार संशोधन लेकर आई है। संशोधन है, 90बी उप-धारा (8) में 17 जून, 1999 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 2021.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि इससे सिर्फ अवैध कालोनियां काटने वाले भू-माफियाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई किन्तु परन्तु नहीं है।

सभापति महोदय, किसान का नाम तो हर जगह यूज करते हैं। किसान की हालत नगरीय क्षेत्र के अन्दर, जिसके पास 50 वर्ष से भूमि है, उसको खातेदारी नहीं दी जा रही है। आपकी 10 किलोमीटर पैरीफेरी के कारण, उसमें आरक्षित दर की चार गुना राशि वसूल करने का प्रावधान है। यानी 16 लाख रुपये पर-मुरब्बा और वह भूमि डेजर्ट है। यानी 6 लाख रुपये प्रति बीघा, आज ओपन मार्केट में बेचें तो नहीं बिके। मेरा कहने का भावार्थ कि अगर सरकार को किसानों को फायदा देना और कोई गरीब को फायदा देना है तो उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन करो, यह अवैध कालोनियां जो बसी हुई हैं इनको आप बार-बार रेगुलराइज्ड करने का काम कर रहे हो, इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर प्रोविजन किया है कि 1999 से पहले जिन लोगों ने इकरारनामा, वसीयतनामा, आम मुख्तारनामा ले लिया और मकान बना लिया तो ऐसे लोगों को पट्टे दिये जायेंगे। मैं आज आपके

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी भी 1999 के पहले के इकरारनामे, खाली स्टाम्प बहुत मिल जायेंगे। यह जो चोरी करने का काम करते हैं भू-माफिया, ये हर वर्ष के इकरारनामे खरीदकर खाली रख लेते हैं तो इससे चोरी होने का भी बहुत अंदेशा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप नगरीय क्षेत्र के अन्दर तो इस तरह के प्रोविजन ले आते हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां खातेदारी पर मकान नहीं बने हुए हैं। उनकी तरफ आपका ध्यान कभी आकर्षित नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मकान बनाने के लिए तरस रहा है। उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ नगरीय क्षेत्र। क्यों? यहां माल बहुत मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर माल नहीं है इसलिए सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं होता। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको संशोधन लाना है तो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आबादी कम है, जो लोग खातेदारी भूमि लेकर कहीं बसे हुए हैं गांव के पास में तो उनको पट्टे दो ताकि वे गरीब अपना गुजर-बसर कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा सरकारी भूमि उपलब्ध है तो उसका नाम सूरतगढ़ है, गंगानगर जिले के अन्दर। अरबों रुपये की जमीन भू-माफियाओं की भेंट चढ़ गयी और अब इस बिल से और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा भूमि खुर्द-बुर्द होने का संदेह पैदा हो गया।

माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर अगर कोई एक गरीब झोंपड़ी बनाये हुए बैठा है 15 साल से, तो उसको नगरपालिका वाले एक मिनट के अन्दर, जे.सी.बी. आती है और उस पंजे में सारी झोंपड़ी सामान समेत ही डालकर उस गरीब का नगरपालिका में ले जाती है और बड़े-बड़े भू-माफिया, अवैध कालोनी, बिना कोई 90-बी करवाये, कम से कम आठ-दस कालोनियां ऐसी हैं सूरतगढ़ में, जो अवैध रूप से बेचकर मकान बना दिये गये तो इस तरह का बढ़ावा देने का आप काम करते हो। इस बिल के अन्दर कोई न कोई ऐसा प्रावधान डालो कि गरीब को पट्टा दोगे तो उसकी क्या सीमा होगी, क्या साइज होगा। यह तो खुला छोड़ दिया। एक यह वसीयतनामा और आम मुख़्तारनामा और यह जो है न, इसमें अधिकारियों के हाथ में उस्तरा और दे दिया। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं पर नीचे अधिकारियों पर भी छोड़ा हुआ है

(श्री रामप्रताप कासनियां)

वे तय करेंगे सारा। लास्ट में पोस्टमार्टम वे करेंगे तो इसमें लूट होने की भारी सम्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैरीफेरी के अन्दर आज भी सूरतगढ़ के अन्दर अवैध कालोनियां बस गयीं। जिन काश्तकारों ने उचंती में जमीन बेच दी, उनको तो लाभ मिल गया पर जिनको खातेदारी नहीं मिली है, 16 लाख रुपये प्रति मुरब्बा, वह कम करने का काम करो। किसानों की वाहवाही लेनी है तो 16 लाख हटा कर 4 लाख आरक्षित दर करवाओ तब मैं मानूंगा कि आप किसानों के हितैषी हो, गरीब के हितैषी हो। आये दिन संशोधन, संशोधन पर संशोधन, यह तारीख जो है 2021 ही क्यों? 21 वर्ष क्यों पकड़ा, 22 क्यों नहीं पकड़ा? 21 के बाद में जो बन गये उन पर बुलडोजर चलवाओगे? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह संशोधन आपका सही नहीं है। आज दिन तक जो बन गये मकान, यह शब्द आना चाहिए। 21 हटा कर, आज दिन तक इस बिल के अन्दर डालो कहीं, मुझे तो पता नहीं है कि कौनसे क्लाज में यह डालना है, यह काम सरकार का है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, ठीक है। मैं समझ गया।

श्री सभापति: कम्प्लीट कर लिया आपने? श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं असंतुष्ट हूं, इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार का यह विचार है कि ऐसी कृषि भूमियों, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है, के संपरिवर्तन में कतिपय कठिनाइयां हैं। उक्त उप धारा 17 जून,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

1999 से पूर्व गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोग में ली गयी कृषि भूमि पर लागू होती है। इसमें 17 जून, 1999 की अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाने की बात की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप इन गृह निर्माण समितियों की बात करते हो परन्तु जिस प्रकार से पूर्व के अन्दर विभिन्न सोसायटियों द्वारा 90-ए और 90-बी के माध्यम से यह कालोनियां काटी गयी हैं और उनकी अधिकृत रूप से स्वीकृति ली गयी है परन्तु उन कालोनियों में भी पेयजल, सड़क, विद्युत, सफाई की व्यवस्था नहीं है और आज भी वे लोग फ्लोराइड पानी पीते हैं जिसके कारण से उनमें अनेक प्रकार के रोग हो गये हैं परन्तु जो ये कालोनियां गृह निर्माण सहकारी समितियों को, यह आप भू-माफियाओं को मजबूत करने के लिए दे रहे हो पर उनके लिए आप पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था कैसे करोगे? जब पूर्व के अन्दर जो कालोनियां 90-ए और 90-बी के माध्यम से अधिकृत रूप से काटी गयी हैं, उनमें पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है और उनको यदि पानी के कनेक्शन की बात करते हैं तो किसी कीमत पर नहीं मिलता है तो इन गृह निर्माण सहकारी समितियों को आप कैसे दोगे?

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप, यह भू-राजस्व अधिनियम है, यदि आप गृह निर्माण सोसायटियों की सामूहिक बात करते हो तो मैं एक गृह कृषि सोसायटी जो 1975 के लगभग बनी थी, परन्तु आज तक उन काश्तकारों पर कोई ध्यान नहीं गया है और यह राजस्व के मामले हैं इसलिए मैं इस सदन में रखना चाहता हूं कि उनको अलाटमेंट हुए काफी दिन हो गये। जिनको यह सोसायटी बनाने का अधिकार था, उनका देहान्त हो गया, परन्तु उनके वारिसों के पास वह जमीन है, परन्तु आज तक उस काश्तकार को न तो कृषि कनेक्शन मिल सका और न ही किसी प्रकार से लोन वगैरह की सुविधा ही मिल सकी। ऐसी सोसायटियों के लिए आप अमेंडमेंट लाते ताकि उनके परिवारजनों को उनके खातेदारी का अधिकार मिलता। इसी प्रकार से अलाटमेंट में टी.सी. के टाइम में, जिस प्रकार से अलाटमेंट हुई उसको विषय सूची में डाल दिया, उसको आप अमेंडमेंट में लाते ताकि उस काश्तकार को खातेदारी का अधिकार मिलता। इसलिए मैं इस राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्रीमती चन्द्रकान्ताजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए यह विधेयक आज यहां पर हम लेकर आ रहे हैं और जैसा कि राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि कृषि भूमियां, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 की उप धारा (8) के अधीन गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया, के प्रावधान संपरिवर्तन में जो कठिनाइयां इनको आ रही थीं, उसी को इन्होंने जो डेट पहले रखी थी पट्टे देने की, उप धारा में इन्होंने 17 जून, 1999 से पूर्व गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोग में ली गयी कृषि भूमियों पर लागू होगी। उसको अब आपने परिवर्तन किया है और 31 दिसम्बर, 2021 तक आपने इसको बढ़ाया है।

बड़ी खुशी की बात है। कहीं न कहीं आपकी सोच अच्छी होगी कि किसी गरीब को लाभ मिले, लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि हम पहले भी देखते थे, हम कोटा की ही बात करें, क्योंकि आप भी कोटा से ही आते हो, हम पुराने कोटा को देख लें। कोटा के आस-पास के हमारे तीस से ज्यादा गांव जो नगर निकाय में आये हैं, अगर उनको भी हम देखेंगे तो हमारे पुराने, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उन कालोनियों का निर्माण किया, वहां पर हमें तालाब भी देखने को मिलते थे, वहां पर कुएं-बावड़ी देखने को मिलते थे। वहां पर स्कूलों की जमीन हुआ करती थी। वहां पर गार्डन के लिए भी, शादी-ब्याह कोई गांव का हो तो उसके लिए भी जमीनें छोड़ी जाती थीं, लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ रही हैं, बिना भू-परिवर्तन के हम देख रहे हैं कि लगातार हम कोटा को देखें, बूंदी जिले को देखें और जयपुर के आस-पास की हम बात करेंगे तो अनेकों कालोनियां कटती नजर आ रही हैं और इसका सीधा-सीधा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो आम जनता को हो रहा है।

मैं कोटा से आती हूं। मुझे मालूम है कि आपने अभी अभियान चलाया लेकिन मैं पूछना चाहती हूं सम्माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की 22 कालोनियां नगर निगम की सीमा में आ चुकी हैं। आखिर क्या कारण है कि कृषि भूमि पर जो 150 वर्ष से पूर्व

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बसे हुए लोग हैं, जिनके पास यह सबूत है कि यहां राजा-महाराजाओं के समय भी हमारे गांवों में इस तरह के कुछ फोटोज हैं, कुछ दूसरा उनके पास सबूत है, उसके बावजूद भी अभियान में हम पट्टे क्यों नहीं दे पाये और आज आप बात कर रहे हो कि हम लोग पट्टे देंगे तो क्या आप गुलाब कोठारीजी की जो याचिका है 2017 की, जो डिसीजन आया, जो अब्दुल रहमानजी का फैसला था कि नदी, नाले, तालाब, इन पर आप किस तरह से पट्टे देंगे, यह एक विचारणीय बिन्दु है। इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगी, मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम चाहते हैं कि जनता को फायदा मिले तो सबसे पहले तो जिस तरह आपने मास्टर प्लान में जोन घोषित कर रखे हैं, उसी तरह से सबसे पहले आप आर. आर. जोन घोषित करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा वरना इस विधेयक को लाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे कोटा शहर के अन्दर हमारी कम से कम बीस कालोनियां बसी हुई हैं, लेकिन क्या हम लेन-फोर-लेन कन्वर्ट यूज करवाकर उन कालोनियों को लाभ देना चाहते हैं। आज पीने के पानी के लिए वे कालोनियां तरस रही हैं। एक-एक कालोनी में 30 हजार मकान आंवली, रोजड़ी, नया गांव में बन चुके हैं और इतनी पापुलेशन वहां की बढ़ चुकी है कि आज किस तरीके से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। किसी भी तरह के उनके लाइटों के कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़े कर-कर के कैसे मिले हैं लेकिन मेरा निवेदन है, हम चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले तो हमें ए टू जेड कोटा शहर, बूंदी शहर में हमारे आसपास के मास्टर प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया आया है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, वरना हमें मालूम है कि जयपुर शहर में हम विधान सभा के आस-पास की कालोनियों को देख लें। निश्चित तौर पर जो आप लेकर आये हो, 17 जून, 1999 के पहले तक के पट्टे देने का आपने जो प्लान किया था, मैं आपको बोल रही हूं कि मुझे भी बहुत बार देखने का मौका मिला, आज वास्तव में पट्टे लेने के लिए लोग घूम रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए और भी अगर आप चरागाह भूमि पर विधेयक लेकर आयें कि हम गांवों में भी पट्टे देंगे, हम शहरों में भी पट्टे देंगे, लेकिन हम प्रशासन गांवों के संग शिविर में कोटा, बूंदी में एक भी पट्टा नहीं दे सके अभी तक, तो क्या कारण है कि हम पट्टे नहीं दे पा रहे हैं? जनता को लाभ दें, इसलिए मेरा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निवेदन है कि इस विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, 137 पट्टे मेरे विधान सभा क्षेत्र के भादरा में इस बात के लिए पेंडिंग रह गये कि भूमि का सही निस्तारण नहीं हो पाया। इस विधेयक से मुझे यह लगता है कि उन लोगों को पट्टे मिल पायेंगे, पर हमारे साथियों के सवाल हैं, क्या यह सवाल भी इसी विधेयक के अन्दर छिपा हुआ है कि जिन लोगों ने कृषि भूमि में कालोनी काट ली, कालोनी बस भी गयी, मकान भी हो गये, क्या उनको आगे से पेयजल के कनेक्शन मिल पायेंगे? क्या बिजली के कनेक्शन मिल पायेंगे? सभापति महोदय, मैं इसको समझ रहा हूं कि 17 जून, 1999 के पश्चात् उन कृषि भूमियों को जो गैर कृषि कार्य के प्रयोजन में ली गयी हैं, की धारा में उपबन्ध किये गये थे। अभी एक साथी ने बहुत शानदार सुझाव रखा है कि आपने इसको दिसम्बर, 2021 रख दिया, अब अप्रैल आ रहा है, अप्रैल तक क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी बजट घोषणा में कह रहे हैं कि हम आगे एक साल तक प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान को ले जायेंगे तो कृषि भूमि लेकर लोगों ने मकान बना लिया और जब मकान बन गया, उसी दिन इसको पढ़ा जाये। बार-बार संशोधन थोड़े ही सरकार लेकर आयेगी।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आपने पट्टे देने का इन्तजाम तो कर दिया, पैरीफेरी में जो लोग बसे हुए हैं, उनको खातेदारी क्यों नहीं है? उनके लिए सरकार के दिमाग में कोई बात है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि पैरीफेरी वाला किसान बहुत भारी दुःखी है इसलिए किसान और जमीन का शब्द आया तो हमारा मन कर गया कि हम पैरीफेरी की बात भी इस पवित्र सदन में उठायें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चन्द्रकान्ताजी सही कह रही थीं कि शहर का समाधान आपने कर दिया इस विधेयक के जरिये और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव के उस आदमी का समाधान भी तो करो। वह भी इसी सदन से होना है। चरागाह भूमि, सिवायचक में, वन विभाग की

(श्री बलवान पूनियां)

जमीन दूसरी जगह ट्रांसफर करके लोग बसे हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है अजीतपुरा, वहां 450 घर हैं। जमीन है हमारे पास। हम दूसरे प्रयोजन के लिए उसे डायवर्ट कर सकते हैं। इसलिए सरकार इस पर भी समाधान निकाले और यह जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने शहर के लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 में शहरों में पट्टे देने के लिए जो संशोधन 90ए के तहत लाये हैं, के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान गांवों का प्रदेश है। शहर कम हैं लेकिन रेवेन्यू एक्ट में जब भी बदलाव आता है तो नगर के लिए ही आता है। गांवों के लिए कुछ बदलाव नहीं आते हैं। अभी चन्द्रकान्ताजी और बलवानजी ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि 50-60 वर्ष पूर्व के कई गांव ऐसे हैं कि वह गांव के बाहर बस गये। उस समय ओरण और गोचर का कोई विषय नहीं था। उनको पट्टे भी दिये गये थे। 1960 में भी दिये गये, उससे पहले भी दिये गये, लेकिन अब गुलाब कोठारी का फैसला हो, अब्दुल रहमान का फैसला हो, उसके तहत उनको कहीं न कहीं परेशान किया जाता है। गांव में जब आपसी रंजिश शुरू होती है तो उनको पता है कि अगर हम हाई कोर्ट में इस विषय को लेकर जायेंगे तो उनको बेदखल कर दिया जायेगा। तीन-तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। आहोर विधान सभा का एक ओडवाड़ा गांव हैं, उसमें 450 घर हैं, वहां एक व्यक्ति ने रिट लगा दी, आपसी विवाद था, तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। पानी की सुविधा थी, विद्युत की सुविधा थी, सारे कनेक्शन थे, सड़कें भी थीं, उनके 1960 के पट्टे भी हैं, लेकिन वह जमीन ओरण में बोल रही है तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान आ सकता है कि जो ओरण है उसके बदले में उस गांव की जमीन को खातेदारी में देना भी चाहते हैं, उस जमीन को आबादी में बदलकर दे दी जाये, ताकि वह लोग शांति से जीवन यापन कर सकें। मैं पहले भी इस विषय को बोल चुका हूं। मैं प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का भी एक्ट लायें। जो ओरण में बसे हुए हैं, भले ही उनसे पैसा लेकर खातेदारी जमीन खरीदकर भले ही गोचर में दे दें, उसका नामान्तरण करवाकर दे दें। आहोर के साथ-साथ राजस्थान के हर गांव में सौ-पचास घर ऐसे हैं जिनमें हरेक में यह

(श्री छगनसिंह)

समस्या है। मैं इस एक्ट में यह भी चाहूंगा कि ऐसे प्रावधान भी लायें जिससे गांवों में भी सुविधा हो और वहां भी पट्टे मिल सकें, उन्हें भी रहने की सुविधा मिल सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एक्ट के साथ-साथ दूसरे गांवों के लिए भी संशोधन एक्ट लाया जाये। मेरा निवेदन है कि इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री जोरारामजी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आपने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 राज्य सरकार लेकर आयी है। इसमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 15 की उपधारा 90 क की उपधारा 8 में 17 जून, 1999 के पूर्व शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकसित हुई आवासीय कालोनियों, अवैध रूप से बसी हुई औद्योगिक, व्यावसायिक इकाइयों को नियमित कर कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में संपरिवर्तन करने का प्रावधान है। सभापति महोदय, सरकार इस कट आफ डेट को 17 जून, 1999 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2021 करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 17 जून, 1999 से पूर्व में काटी गयी सभी कालोनियों के अभी सरकार पट्टे नहीं दे पायी है और उन कालोनियों में बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधाएं भी अभी तक सरकार नहीं दे पायी है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार 20-21 साल की छूट क्यों देना चाहती है? राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बना हुआ है तो इसमें कृषि भूमि को आबादी व्यावसायिक, औद्योगिक गतिविधियों हेतु उपयोग में लेने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवाया जा सकता है। निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि भूमि से आबादी में आवासीय, व्यावसायिक संपरिवर्तित करने हेतु 40 से 60 फीट के रास्ते, सार्वजनिक यूटिलिटी, बग़ीचा, हास्पिटल, शौचालय हेतु कुल जमीन 40 प्रतिशत भूमि छोड़कर व कम आय वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्ड में भूखण्ड आरक्षित कर मास्टर प्लान के अनुसार नक्शा टाउन प्लानर के पास, स्वीकृत कराया जाता है। माननीय सभापति महोदय, कालोनाइजर आवासीय कालोनियों में पेयजल हेतु पानी की टंकियां, पाइप लाइन, सीवरेज, बिजली के पोल, तार, ट्रांसफार्मर लगाकर व सड़कों की समुचित व्यवस्था करके देगा, तब टाउन प्लानर नक्शा

(श्री जोराराम कुमावत)

पास करके देगा। यह समुचित आन्तरिक व बाह्य विकास की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक साढ़े 12 प्रतिशत भूखण्ड नगरपालिका अपने पास आरक्षित रखेगी।

माननीय सभापति महोदय, सरकार व नगरपालिकाओं की पुख्ता मॉनिटरिंग के अभाव में व भ्रष्ट शासन प्रणाली से शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कालोनियां व व्यावसायिक कालोनियां लम्बे समय से बस रही हैं। पिछले 20 वर्षों में राजस्थान भर में लाखों कालोनियां कृषि भूमि पर विकसित हुईं, जिसमें मास्टर प्लान की अवहेलना हुई। रास्ते संकरे छोड़े गये, सार्वजनिक यूटिलिटी की भूमियां नहीं छोड़ी गयीं। कम आय वर्ग को भी भूखण्ड नहीं दिये गये। कालोनियों को विकसित भी नहीं किया गया। भू-माफिया व अन्य जुड़े हुए लोगों ने खूब फायदा उठाया व सरकार को खूब चूना लगाया। अब सरकार राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 15(9)(क) में संशोधन कर उन भू-माफिया व कालोनाइजर को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अधिनियम लाने के बजाय नगरपालिका और नगर परिषदों में रिक्त पड़े पदों को भरने की व्यवस्था कर पुख्ता मॉनिटरिंग करती तो स्वयंसेवी संस्थाओं की आय भी बढ़ती व अवैध कालोनियों पर रोक भी लगती। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में तख्तगढ़ नगरपालिका में 52 कार्मिकों के पद हैं और 52 में ये 41 पद रिक्त हैं और सिर्फ 11 कर्मचारी कार्यरत हैं तो कैसे मॉनिटरिंग होगी और कैसे अवैध कालोनियां पर नगरपालिका रोक लगा पाएगी?

श्री सभापति: आप पदों पर नहीं, इस अमेंडमेंट पर बोलें। प्लीज कन्क्लूड।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, यदि सरकार नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को खतम करने हेतु कोई कठोर प्रावधान करती तो सरकार के रुपयों की बचत होती। यदि सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं में सभी विभागों का समन्वय कराकर विकास प्रणाली व कार्ययोजना बनाने का कोई विधेयक या बिल लाती तो जनता के रुपयों की बचत होती। मैं

(श्री जोराराम कुमावत)
इस बिल का विरोध करता हूं और इस बिल को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 लेकर आई है। मोटा-मोटा इस विधेयक के अन्दर यह है कि 1999 की जगह 31 दिसम्बर, 2021 तक के जो भी एग्रीकल्चर जमीनों के ऊपर आवास या कालोनाइजरों ने, जो कालोनियां कट चुकीं, उनको रेगुलर करने का काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, गुलाब कोठारी जी का गला बैठ गया बोलते-बोलते, कि राजस्थान के अन्दर मास्टर प्लान की कोई पालना नहीं हो रही। उनकी कलम घिस गयी सम्पादकीय लेख लिखते-लिखते कि राजस्थान के अन्दर मास्टर प्लान की पालना कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बार-बार कहा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के अन्दर जो गोचर जमीन है, उसके ऊपर भी जयपुर विकास प्राधिकरण कालोनियां डवलप करने का काम कर रहा है। जो जिस चीज के लिए आरक्षित है, कम-से-कम उस जमीन को बचाने का तो काम करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार यह तो कर रही है कि 2021 तक हम इनको भू-रूपान्तरण का अधिकार भी रखते हैं, इनको पट्टा देने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन उन लोगों का सरकार क्या कर रही है, जिन्होंने कालोनियां काटते समय नक्शा पेश किया और कालोनी जब पूरी कट गयी, बिक गयी तो उसके बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण में या नगरपालिका के अन्दर जब भू-रूपान्तरण करने के लिए फाइल लगाई तो उस समय नक्शा अलग है। जब कालोनी काटी जाती है, तो वहां पर फैसेलिटी डवलप की जाती है कि यहां पार्क की जगह हम छोड़ेंगे, इतने गज का पार्क रहेगा, इतनी जगह हम मन्दिर के लिए भी छोड़ रहे हैं, इतनी जगह फैसेलिटी की हम छोड़ रहे हैं। अगर यहां कोई सब-सेन्टर खोलना हो तो उसके लिए भी हम यहां जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन कालोनी बिकने के बाद में जब अप्रूव्ड के लिए जाती है, चाहे वह जे.डी.ए. में जाए, चाहे नगरपालिका में जाए, वह सारी की सारी फैसेलिटी गायब मिलती है और अपने आपको ठगा-सा महसूस करते हैं वे सारे-के-सारे कालोनी वाले।

माननीय सभापति महोदय, आज भी जयपुर के अन्दर भी कई सोसायटियां ऐसी हैं, जो सोसायटियां आज की तारीख के अन्दर, आप चाहो तो

(श्री रामलाल शर्मा)

1984 का पट्टा ले लो, 1985 का पट्टा ले लो, 1990 का पट्टा ले लो, 1996 का पट्टा ले लो, जिस वर्ष का आपको पट्टा चाहिए, आप बैक-डेट के अन्दर पट्टा लेने का काम करो तो सबसे पहले तो सरकार को यह चाहिए कि जो भू-माफिया इन सोसायटियों के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करो और इस बिल के बाद में तो कौन आदमी कन्वर्जन कराने के लिए जाएगा। आज जयपुर के अन्दर भी एग्रीकल्चर जमीनों के ऊपर जो सोसायटियां डवलप हो रही हैं, आज जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर कोई शिकायत जाती है, तो एक इंस्पेक्टर जाता है और अपनी चौथ-वसूली करके आ जाता है और उसके बाद में वह सारी की सारी कालोनी अवैध रूप से डवलप हो जाती है। आज भी जयपुर जिले के अन्दर मन्दिर माफी की जमीनों के ऊपर भी कालोनियां बस गयीं। वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हैं। वहां पर बड़े-बड़े काम्प्लेक्स बन गये। वहां पर सैकड़ों मकान बन गये, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से साधारण आदमी को परेशान करने और भू-माफियाओं को लाभ दिलाने का काम इस संशोधन के बाद में होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह बात बिलकुल सही है जिस समय सरकार ने प्रतिबन्ध इस बात का लगाया कि एस.सी., एस.टी. की जमीन जनरल व्यक्ति के नाम नहीं होगी, उस समय परिस्थितियां अलग थीं और आज परिस्थितियां अलग हैं। आज शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। आज जनरल कास्ट की जमीन है, उसका भाव 20 लाख रुपये बीघा है और एस.सी., एस.टी. की जमीन है तो उसका भाव 12 लाख रुपये बीघा है। कम से कम इस बात का भी ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के साथ अब शोषण क्यों हो रहा है? उसकी जमीन कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है तो कम से कम यह राइट भी मिले, एक सीमा तक मिले, ताकि उस व्यक्ति का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से भी बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम निवेदन करने के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय सभापति महोदय, कई आबादियां ऐसी हैं, उनको बसे हुए 100 साल हो गये। 100 साल बसने के बाद भी आज वह खातेदारी किसी अमुक व्यक्ति के नाम से ही बोल रही है। अमुक व्यक्ति, जिसके नाम खातेदारी बोल रही है, कभी उस जगह के ऊपर आया नहीं, कभी वहां पर रहा नहीं। ऐसी जमीनों के ऊपर हम न तो एम.एल.ए. लैड का पैसा

(श्री रामलाल शर्मा)

लगा सकते हैं, न सड़क बना सकते हैं, न बिजली का कनेक्शन करा सकते हैं। तो कम से कम सरकार ऐसी आबादी, जो 100 सालों से बसी हुई है, उन कालोनियों के वाशिन्दों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए या पट्टा देने के लिए कोई रास्ता ऐसा अपनाए। आपने शहरी क्षेत्र के अन्दर तो यह काम कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, लेकिन शहरी क्षेत्र के अन्दर तो डायवर्जन के लिए आपके पास जमीन ही नहीं है। गोचर जमीनों के ऊपर आबादी बस गयी और कई वर्ष हो चुके, आप उनका डायवर्जन कहां से कराओगे, न तो नगरपालिकाओं के पास आबादी की इतनी जमीन है, न सिवायचक जमीन है, जिसके आधार पर आप डायवर्जन करा सकते हो। आप इस बात का भी ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम निवेदन और करना चाहूंगा। आज की तारीख के अन्दर गुलाब कोठारी जी ने बार-बार कहा है कि मास्टर प्लान की पालना होनी चाहिए। आज भी जो आरक्षित जमीनें हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, आबादी की कालोनियां बस रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मास्टर प्लान की पालना हो और पालना सुनिश्चित करने से पहले, इस तरीके के संशोधन लाने से पहले कम से कम आम आदमी को फायदा हो सके, उस चीज को ध्यान में रखें, इसलिए सरकार जल्दबाजी नहीं करे। संशोधन तो आप कर रहे हो, लेकिन 2023 के अन्दर जनता भी आपका संशोधन करने के लिए तैयार बैठी है। संशोधन तो वह भी जनता लेकर आयेगी। इसलिए कम से कम मेरा निवेदन है कि जनता के अहित के अन्दर कोई निर्णय नहीं करें, इसलिए इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रेषित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया (अनुपस्थित)। श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विधेयक के अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा लम्बा चौड़ा कुछ नहीं है, खाली एक डेट बदली जानी है। लेकिन मेरी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश है कि ये 17 जून, 1999 की जगह 31 दिसम्बर, 2021 कर रहे हैं। मेरे से पूर्व किसी वक्ता ने भी कहा कि इस डेट को टिल डेट कर देना चाहिए, क्योंकि

(श्री अभिनेश महर्षि)

2021 तक करो या 2022 तक करो, तो 2022 के बाद में यदि किसी ने मकान बना लिया, तो वह उस परिधि के अन्दर नहीं आता है, अतः इसको टिल डेट तक करना चाहिए।

(समय : 18.00 बजे)

नम्बर दो यह कंट्राडिक्शन है, गुलाब कोठारी जी की रिट और उसके बाद 2017 का फैसला और अब यह जो आप संशोधन ला रहे हैं, यह दोनों कंट्राडिक्शन है। इस संशोधन के अन्दर मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने यह बात कही कि गृह निर्माण सहकारी समिति, इसके अन्दर आपने दिया है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति ने गृह निर्माण सहकारी समिति से जमीन देखकर, कि यह ठीक है और उसने जमीन खरीद ली, जमीन खरीदकर उसने मकान बना लिया। अब उसको नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर न तो बिजली का कनेक्शन मिल रहा है और न पानी का कनेक्शन मिल रहा है।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसके अन्दर सबको शामिल कर लिया जाये, अदरवाइज क्या होगा कि एग्रीमेंट बढ़ायेंगे और पुरानी डेट में एग्रीमेंट बनाकर के ले जायेंगे। एग्रीमेंट बने हुए लोगों को तो आप पट्टा दे रहे हो और जिन्होंने सोसायटी से ले लिया उनको आप पट्टा नहीं दे रहे हो। यह भी एक कंट्राडिक्शन है। ये जो छोटे -मोटे संशोधन हैं, ये मेरे हिसाब से आपको और करने चाहिए।

दूसरी बात, इसके अन्दर जो 60:40 का और 70:30 का रेशो है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। इसके अन्दर किस तरह से 60:40 रखा जायेगा या 70:30 रखा जायेगा? अब होता क्या है कि कालोनी बस गयी और उसके बाद किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उस कालोनाइजर को एप्रोच किया तो वह जो फैसिलिटी की जमीन छोड़ी है, उस जमीन में वह पट्टा काटकर दे देता है। जिसकी खाली पड़ी है, जिसको पहले पट्टा दे दिया, उसको सोसायटी फैसिलिटी एरिया में दिखा देती है। इससे गरीब व्यक्ति मारा जाता है। प्रभावशाली व्यक्ति उसके ऊपर काबिज हो जाता है। उसके बाद में जब जे.डी.ए. कैंप लगाता है या नगरपालिकाओं के द्वारा कैंप लगते हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, 2 ही मिनट नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 2 मिनट नहीं हुए हैं। मैं रिलेवेंट बोल रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं। वह व्यक्ति जिसने पट्टा लेकर अपने प्लाट पर बाउंड्रीवाल कर दी, उसका प्लाट सोसायटी फैसिलिटी में दिखा देती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे मामलों को दिखवायें। एक तो जब करना है तो चाहे एग्रीमेंट से ले ले और चाहे सोसायटी वाले से ले ले। वह इस हाथ से ले या इस हाथ से ले, बैक डोर से उसको एंट्री देनी है। आपकी मंशा ही यह है। चुनावी वर्ष आ रहा है। आप इन सबको कर दें।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि एक संशोधन के लिए, बल्कि यह जो छोटी-मोटी और जितनी भी खामियां हैं, उनको दुरुस्त करके 6 महीने के लिए इसको जनमत के लिए परिचालित करें। उसके बाद में करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। ओ.के.। (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 2022. इसमें मुख्यत: सिर्फ 2 बाते हैं। एक तो 17 जून, 1999 तक जो कट आफ डेट थी, हम उसको 31 दिसम्बर, 2021 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले 70:30 के रेशो में हम 1999 तक पट्टे दे रहे थे। The Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-agricultural Purposes) के जो रूल्स हैं, उसमें आपने 70:30 को मेंशन किया। इसमें 70 प्लाटिंग होगी और 30 फैसिलिटीज होंगी। इस अवधि को आप बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को भी मैं सुन रही थी कि सदन में जब वह फाइनेन्स बिल पर रिप्लाई दे रहे थे तो कह रहे थे कि हम कच्ची बस्तियों को सैक्शन 8, 90 (ए) से रेगुलराइज करेंगे। मेरे एक प्रश्न जेहन में आता है कि जब हम कच्ची बस्तियों को रेगुलराइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर 70:30 का रेशो मेंटेन होगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा डेंस होती हैं। अब आप उनको रेगुलराइज करना चाहेंगे तो शायद आप उस रोड को 30 में इन्क्लूड करेंगे और खानापूर्ति ही करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम किस तरीके से इसको कर पायेंगे। जो मास्टर प्लानिंग की जरूरत है, जो गुलाब कोठारी जी का जजमेंट कहता है। मैंने उसको पूरा पढ़ा है in consensus

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

with master plan, वह हम नहीं कर पायेंगे, लेकिन मैं यह मानती हूं कि जो हम करने जा रहे हैं उसके अच्छे परिणाम भी होंगे क्योंकि हम एक व्यक्ति को मकान का टाइटल दे पायेंगे but, at the same time we need to safeguard and avoid unplanned colonies in regard to public facilities. ठीक है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। मैं मानती हूं कि गरीब ने गाढ़ी कमाई से पैसा कमाकर मकान बनाया तो हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन एज स्टेट हमारे क्या दायित्व हैं? हमने ऐसे निर्माण होने कैसे दिये? किस तरीके से यह एक्सटेंशंस हुए। हमारी कोई पालिसी क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही थी? हमारे कोई प्रिकाशनरी मेजर्स क्यों नहीं थे? हमारी एनफोर्समेंट विंग्स क्या कर रही थीं? जितनी भी आपके जे.डी.ए. के अन्दर अर्बन प्लानिंग आ रही हैं, उनकी एक विंग बनानी चाहिए थी कि why did we extend? हमारे यहां ऐसा मौका ही क्यों आया?

आपको पता है कि आगे भी जो अर्बनाइजेशन है वह बहुत ही रैपिड होगा। आपने इसमें भी दिया है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। आगे भी होगा। पापुलेशन इंक्रीज कर रही है। गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करेंगे। यह बढ़ेगा और बसावट भी बढ़ती जायेगी।

सभापति महोदय, अब आप 70:30 पर तो दे रहे हैं लेकिन जो 60:40 पर आपको इन 22 सालों में देना था, आपने उसमें शिथिलता दे दी। मुझे लगता है कि 2021 के बाद जब हम यह एक्सटेंशन देंगे तो वापस लोग 70:30 में बसेंगे कि हमें वापस आगे शिथिलता मिल जायेगी। मुझे लगता है कि 60:40 और मास्टर प्लान जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल है कि वेल प्लांड सिटी है। मुझे लगता है कि this is the grey area in this bill and in hope of extension we are regularising the colonies और 60:40 का रेशो हम मेनटेन नहीं कर पायेंगे। मुझे लगता है कि आपको एक स्ट्रिक्ट पालिसी और नीति लेकर आनी पड़ेगी। अभी तो आप कर रहे हैं कि गरीब को मकान का टाइटल मिल जाये। उसको उसकी सुविधाएं मिल जायें। वह बैंक का लोन ले सके। उसको आर्थिक सुरक्षा मिल जाये बट यह एक आनगोइंग तरीका नहीं बन जाये। इसके लिये मुझे लगता है कि मंत्री महोदय आपको एक स्ट्रिक्ट नीति लेकर आनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो इस बिल के अन्दर है, वह है कि आप हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज को इससे एक्सक्लूड कर रहे हैं। मैने

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

तोपखाना का जजमेंट भी बहुत गहनता से पढ़ा है। आपका एक आर्डर है 9 सितम्बर, आपकी एक अधिसूचना है जिसमें आप बताते हैं कि आप किस तरह से करेंगे, क्या आपके पास है। उसको भी मैंने बहुत गहनता से पढ़ा है। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न यहां पर खड़े होते हैं कि उनकी कानूनी वैधता 1999 के बाद नहीं है, लेकिन आपने उसमें मेंशन किया है ताकि उसका मिस यूज नहीं हो जाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का उद्देश्य क्या था? गरीब को सस्ते आवास बनाकर देना न कि पट्टे काटना। फिर इनको पट्टे काटने का अधिकार किसने दिया? राज्य में ऐसी कितनी गृह निर्माण समितियां हैं? मुझे पता है कि आपके विभाग ने सर्वे करा लिया और यह मेन मुद्दा जयपुर का ही है। ये 3 मंत्री हैं, जो जयपुर से आ रहे थे, ये भी कैबिनेट की मीटिंग में कह रहे थे। उनकी आडिट कब हुई? कितनी बार हुई? मान लीजिये, आपके पास जो जयपुर में सोसायटियां हैं, उनकी सूची होगी आपके पास में कि कितनी सोसायटियां हैं? कितनी सोसायटियां उसमें से आज की तारीख में ब्लैक लिस्टेड हैं? मैं आपको बताना चाहती हूं कि वह ब्लैक लिस्टेड सोसायटीज भी आज के दिन पट्टे बांट रही हैं जो कि जे.डी.ए. को बांटने चाहिए थे।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि यह जो 22 साल का पीरियड है, जहां मकान बना लिया, आज आप उसको कानूनी वैधता तो नहीं दे रहे हैं और न ही उसको इसके अन्दर इन्क्लूड कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जिसने हाउसिंग सोसायटी से पट्टा ले लिया। मैं मानती हूं कि फर्जीवाड़ा है, बिचौलिया हैं, एग्रीमेंट वाले हैं, भू-माफिया हैं। वह इंडिविजुअल जिसने बेनिफिट लिया हाउसिंग सोसायटी से और मकान बना लिया, उसकी क्या गलती है? उसको हम टाइटल नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ उस बिचौलिये को ट्रेप करने के लिए हम हजारों लोगों को जो उनसे बैनेफिट हुए, उन इंडिविजुअल को हम इससे बाहर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के अन्दर और जयपुर में आपको इसे देखना पड़ेगा।

जयपुर की जो 95 परसेंट बसावट है, वह हाउसिंग बोर्ड को छोड़ दीजिये तो हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज ने ही बांटी है। आप पट्टे देंगे कैसे? कितने इंडिविजुअल्स को पट्टे देंगे? 10 लाख का जो हमारा टार्गेट है कि 10 लाख हम अटेन करना चाहते हैं, वह आप जब तक हाउसिंग सोसायटीज को इन्क्लूड नहीं करेंगे, I think the limit of individuals is very less. हाउसिंग सोसायटीज की नहीं है। आपको लगाम लगाने की जरूरत है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मैं यह भी मानती हूं कि वह तो एक पैड लेकर बैठे हैं। अब आप कह रहे हैं 1999, जो उप नेता कह रहे थे कि बैक डेट में फर्जीवाड़े का गेम होगा। वह तो एक पर्चा लेकर बैठे हैं कि ठीक है यह लो 2022 काटा, लो अब आपको 1995 में बता देते हैं। आप उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे? लेकिन वह इंडिविजुअल तो वहां पर मर रहा है। उसकी क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है कि आप इन हाउसिंग सोसायटीज को भी 2021 तक रेगुलराइज करिये। उन इंडिविजुअल्स को टाइटल दीजिये।

यह आपका एक आर्डर है जो मैंने यहां पर पढ़ा, जिसमें आप कहते हैं कि 31.12.2001 तक जारी पट्टों की सूची रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा कर लिया गया। ऐसे भूखण्डधारी सदस्यों की सूची पुस्तिका के रूप में मुद्रित की गयी। ऐसे रिकार्ड ले लिया गया। यही सूची हमारे यहां मान्य है जो 2001 तक है। अब यह किसने ली, कैसे ली, इसमें सब आये, नहीं आये। अगर कोई छूट गया तो वह भी अगेन इंडिविजुअल की गलती तो नहीं है? अगर गृह निर्माण सहकारी समिति ने आपको 2001 तक रिकार्ड नहीं दिया तो। एक चीज इसमें आप और कह रहे हैं कि ऐसे में जिनका रिकार्ड नहीं है, लेकिन उनका कब्जा है, चारदीवारी है तो आप सर्वे करवायेंगे और उनको देंगे। मुझे लगता है कि इसके अन्दर आप हाउसिंग सोसायटीज को इनक्लूड कर लें और एक स्ट्रिक्ट प्रतिबन्ध लेकर आयें कि आप आगे इसको रोक पायें। उदाहरण के तौर पर कोई प्लानिंग करता है, रोड्स बनाता है। आपके यहां से टीम जाती है और उसकी रोड उखाड़कर आ जाती है। 90ए, 90बी के अन्दर बहुत जबरदस्त भेदभाव हो रहा है। एक किसान का मकान तोड़ देते हैं और पड़ोसी का मकान रह जाता है। एक हाउसिंग सोसायटी को आप बैक डेट में वैध मान लेते हैं और एक को वैध नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि जबरदस्त भेदभाव यहां पर हो रहा है। निजी भूमि है उसका मालिकाना हक है लेकिन अनेकों मकान टूट रहे हैं। अनेकों उदाहरण यहां पर हैं।

सोसायटीज क्या करती हैं? जयपुर के पास की जमीन महंगी हो गयी, जैसे आप गुरुग्राम में देखेंगे, किसान अब हेलीकाप्टर उतारते हैं अपने घरों पर, जमीन महंगी हो गयी। जयपुर के अन्दर जमीन महंगी हो गयी तो उन्होंने रोड पर फैसेलिटीज पर ही पट्टे काट दिये। उसकी कोई आडिट नहीं। जे.डी.ए. के चक्कर काटते रहिये आप। मुझे पता नहीं है कि यहां पर इन्फोर्समेंट विंग क्या करती है लेकिन ठीक है आप अच्छा टाइटल दे रहे हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि लैंड माफिया ही बैकडोर से पालिसी बनाता है। सम्भव है, हैंड ट्विस्टिंग करके यही पालिसी बनाता है इसलिए आप इंडिविजुअल के बेनिफिट को देखिये, गृह निर्माण समितियों से जो इंडिविजुअल बैनेफिट होंगे उनको इनक्लूड कीजिये। यही भू माफिया, एक बार मैं पी सी सी के आफिस जा रही थी मेरे पिता के साथ, वहां बड़ी-बड़ी गाड़ियां थीं, सारे भू माफिया इन्हीं दलों के जब टिकट आयेंगे तो सबसे पहले उम्मीदवार बायोडेटा देकर आते हैं कि ये लीजिये और हमें टिकट दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं यू डी एच की बात नहीं करूंगी, किस मर्द की, किस मर्ज की दवा है, सारी स्लिप आफ टंग तो हो ही जाता है लेकिन स्लिप आफ आर्डर मत करिये, मंत्रीजी। I withdraw my amendment. Thank you.

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि की भू उपयोग की परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं बड़ी संख्या में ऐसी भूमि का उपयोग कर रहे व्यक्तियों को राहत देने के लिए आवश्यक प्रावधान है। यह एक अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करती हूं लेकिन पिछले दो वर्षों में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ा है। इस कारण से शहरों एवं उनकी पैरीफेरी भूमि पर कई व्यक्तियों ने मकान बनाये हैं, व्यवसाय प्रारम्भ किये हैं एवं अन्य गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। शहरों के प्लान डवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि कृषि भूमि जो कृषि कार्यों में उपयोग में नहीं ली जा रही है, उसे वास्तविक उपयोग के अनुसार कन्वर्ट किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर लैंड के लैंड यूज कन्वर्जन फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा काम्पलिकेटेड है, इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्वर्जन से डरते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो बिल अमेंडमेंट का हम लेकर आ रहे हैं उससे पहले ही यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर नोटिस करें कि यह कन्वर्जन की जो फार्मेलिटीज हैं उनको अगर हम ईजी

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

करते हैं तो लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और वे खुद अपनी लैंड कन्वर्जन कराने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व विधायकों ने यह बात रखी है सदन के पटल पर, मैं भी वही बात कहना चाहूंगी कि अगर हम इन काम्पलिकेशंस को ईज आउट करते हैं, इन फार्मेलिटीज को कम करते हैं तो बेसिक जिसको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक किसान जिसकी एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ इसलिए थोड़े कम रुपयों में बिक जाती है क्योंकि वह कन्वर्जन नहीं करा पाता और भू माफिया बहुत बड़े-बड़े लैंड ऑनर्स उनको कम दामों में खरीद कर उनको कन्वर्ट कराते हैं। अगर हम वाकई में उनको सुविधा देना चाहते हैं तो छोटे-छोटे किसान जिनकी जमीनें है, उनको हम ईज आफ फार्मेलिटीज करें जैसे ऑनलाइन करें। जैसा माननीय सदस्य, लाहोटी साहब ने भी कहा, अगर हम इसको ऑनलाइन करें तो उसका बैनेफिट वो खुद ले सकते हैं, इससे वो कम दरों में अपनी लैंड नहीं बेचकर ज्यादा दरों में बेच सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात और कहना चाहूंगी कि यह सर्व ज्ञात सत्य है कि लैंड कन्वर्जन के प्रकरणों में भारी भ्रष्टाचार है। सभी शहरों में भू माफिया बहुत हो चुके हैं। अगर हम इन फार्मेलिटीज को ट्रांसपेरेंट कर दें, जो प्रक्रिया है उसको ईजी कर दें और एक ऑनलाइन प्लेटफार्म, एक बेस दे दें तो उसकी वजह से करप्शन को भी हम बहुत हद तक घटा सकेंगे।

बहुत सारे पाइंट्स, बहुत सारे विधायकों ने बोले हैं इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने बार-बार हमसे यह विनती करी है लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आफिसर्स, जितने भी अधिकारीगण हैं, इस लैंड रेवेन्यू से सम्बन्धित वे सभी अधिकारी कितनी जगह बिना बात के विलम्ब करते हैं, बिना बात की कमियां निकालते हैं और छोटे किसानों को कन्वर्जन कराने में इस वजह से बहुत परेशानी होती है तो अधिकारियों पर भी जरूर से सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये ताकि वे प्रोसेस को ईजी बनाने में जनता की मदद करें न कि काम्पलिकेट करें।

माननीय सभापति महोदय, अर्बनाइजेशन तो हुआ है लेकिन सिटी के मास्टर प्लान में जो छेड़छाड़ हुई है उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा न हो। लैंड कन्वर्ट हो रही है, वहां पर बेसिक फैसेलिटीज भी नहीं हैं। मेरे राजसमन्द में भी कितनी ही कालोनीज हैं, अरिहन्त कालोनी, शिवांश नगर, सनसिटी, आज तक वहां पर रोड लाइट नहीं है, रोड नहीं बनी है, पानी नहीं

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

पहुंचा है, प्रोपर सीवरेज सिस्टम नहीं है। जब हम ये कालोनीज काट रहे हैं तो हमें इन बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक स्टेंडर्डाइजेशन आफ प्रोसेस हो जाये कन्वर्जन में तो उससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। उनको पता रहेगा कि हमें इन रूल्स को फोलो करना है और हमारी लैंड बहुत ईजीली कन्वर्ट हो जायेगी।

मावली से आने वाले माननीय विधायक और ओसियां से आयीं विधायक, उन्होंने भी अपनी यह बात बहुत अच्छे से रखी है, अच्छे से पाइंट आउट किया है, that this bill has only come to give benefits to the big land owners, not to the small agricultural land owners. मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे स्ट्रिक्ट नोर्म्स बनें ताकि सोसायटी में इक्वैलिटी थोड़ी बढ़े और सिटीज में प्लान डवलपमेंट हो सकें। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन को मैं जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करने का निवेदन करती हूं।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, धारा 90-ए को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में राज्य सरकार द्वारा 1958 में एक नई धारा के रूप में जोड़ा गया है। इस धारा का उद्देश्य कृषि भूमि धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति को पाबन्द करना था कि वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण या गैर कृषि प्रयोजन उपयोग नहीं करेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के अधिकारी से विधिवत अनुमति लेकर अर्बन असेसमेंट प्रीमियम की राशि चुकाकर गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगा। जो भी व्यक्ति बिना राज्य सरकार की अनुमति के निर्माण, गैर कृषि उपयोग करेगा उसको अतिक्रमी मानकर बेदखल किया जा सकेगा। दिनांक 17.06.1999 को राज्य सरकार ने एक और नई उप धारा 90-बी भू-राजस्व अधिनियम में जोड़ी। जिसके अनुसार 17.06.1999 से पहले, जिसमें मोटे तौर पर यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि है, यदि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करता है अथवा उसका बेचाननामा, वसीयत, पावर आफ एटार्नी या किसी अन्य तरीके से करता है तो उसके खातेदारी अधिकार पुनर्गृहीत किये जाकर वह भूमि

(श्रीमती शोभा चौहान)

सरकार के स्थानीय निकाय यथा जे.डी.ए., यू.आई.टी, नगरपालिका में निहित हो जायेगी। फिर स्थानीय निकाय जो भी उस भूमि पर अन्तिम रूप से काबिज होगा या अपना क्लेम साबित कर सकेगा उसको आबंटन कर पट्टा दे देगी। राज्य सरकार ने भू-राजस्व अधिनियम को पुन: संशोधित करते हुए धारा 90-बी को भी विलोपित कर दिया है। प्रस्तावित संशोधन में पूर्व में जो प्रावधान 1999 में कट आफ डेट का था वह वह भी स्वीकार्य किया जा सकेगा लेकिन कट आफ डेट को आगे बढ़ाकर 31.12.2021 करने का मतलब होगा कि हम अनरजिस्टर्ड हस्तांतरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत 100 रुपये के मूल्य से अधिक कोई भी अचल सम्पत्ति बिना पंजीयन के हस्तांतरित होने पर उसकी मान्यता नहीं है। इससे न सिर्फ राज्य सरकार को स्टाम्प पंजीयन शुल्क में भारी हानि होगी बल्कि मालिकाना हक को लेकर नये विवादों को भी जन्म मिलेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के खातेदारों की कृषि भूमि को सुरक्षित करने हेतु प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को नहीं बेची जा सकेगी। प्रस्तावित संशोधन द्वारा इस प्रावधान का भी उल्लंघन हुआ है। इससे भू माफियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह संशोधन विधेयक भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की उप धारा 8 में संशोधन हेतु प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान अभिव्यक्ति '17 जून, 1999 के पूर्व' के स्थान पर अभिव्यक्ति '31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व' की बसी हुई कालोनियों को पट्टा देने के लिए आपने यह जो बिल रखा है। इसमें अच्छी बात है कि सबको पट्टा मिले मगर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर पैरीफेरी एरिया में यू आई टी की बहुत सारी कालोनियां बसी हुई हैं। मगर वहां पर बसी हुई कालोनियों में आज भी आधी को तो पट्टा मिल गया और आधी अभी भी पट्टों का इन्तजार कर रही हैं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो एस.डी.ओ. कन्वर्टेड कालोनियां हो गयी हैं, उनका आज नामान्तरण नहीं हो रहा है। जब एस.डी.ओ. कन्वर्टेड कालोनियों का पहले आदेश था और गरीब लोगों ने जो एस.डी.ओ कन्वर्टेड के पट्टे लेकर जमीन ले ली, आज वे उसमें लोन नहीं ले पा रहे हैं, उनके खाते में नहीं आ रही है। इस बिल में ऐसी कालोनियां, जो एस.डी.ओ. कन्वर्टेड हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ते तो बहुत अच्छा रहता।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भुवाणा पैरीफेरी एरिया में ग्राम पंचायत है। उसमें काली मगरी बसी हुई है, जो कम से कम 50-60 साल पहले बस गयी, यू.आई.टी. के अधिकारियों ने वहां पर आफिस में बैठकर पट्टे काट दिये, जबकि वहां पर 50 साल पहले की कालोनी बसी हुई है। आज उसने पट्टा ले लिया आक्शन में और आज वह उस पट्टे पर मकान बनाने के लिये तरस रहा है। अब उस कालोनी में लाइट्स हैं, रोड्स हैं, सब-कुछ उनकी आधारभूत सुविधाएं बसी हुई कालोनी को दे रखी हैं मगर वह यू.आई.टी से आक्शंड पट्टा लेकर बैठा है। यह अधिकारियों की जो मिलीभगत... (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) सभापति महोदय, दो मिनट तो दें कम से कम।

सभापति महोदय, मेरी विजय सिंह पथिक नगर, सेक्टर 9 में जो यू.आई.टी. द्वारा आधी कालोनी को पट्टा दे दिया और आधी को देवस्थान में स्थानान्तरित कर दिया, आज उसे भी पट्टे की जरूरत है। यही नहीं, पूर्व में बसी हुई कालोनियां, जो वास्तव में पट्टों के लिये इन्तजार कर रही हैं, जैसे जो हमारी जनकपुरी कालोनी बसी हुई है, उसमें प्रभावशाली व्यक्तियों ने पट्टे ले लिये, 5 आदमियों ने पट्टे ले लिये, पूरी कालोनी का नक्शा ही बदल दिया, पर दूसरे लोगों ने आज पट्टों के लिये पैसे भी जमा करा दिये, मगर उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा, क्योंकि कब्जे पर कोई और बैठा है और वह पहले का पट्टा किसका है, यह पता ही नहीं है।

सभापति महोदय, करणी नगर कालोनी 90 परसेंट बसी हुई है और उसके लिये ये कह रहे हैं कि इन्हें पट्टा नहीं देंगे, तो उन्हें भी इस योजना में लेकर पट्टे दिलाने का प्रयास करें। जिन-जिन जमीनों का किस्म मगरा कर दिया है, उन्हें भी यू.आई.टी. हो या नगर निगम में, (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) एक मिनट लूंगा सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उन्हें भी पट्टे देने के लिये उस किस्म मगरा को आबादी में करें, कैसे भी करके इनको चेंज करके, 90 परसेंट क्या 100 परसेंट कालोनी बसी हुई है और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसी कालोनियों को भी हमारे वहां जो गरीब परिवार बसे हुए हैं, उन्हें पट्टा दिलाने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनता के हित के लिये 6 माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा। दो मिनट में समाप्त करें आप। Only two minutes.

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 के बारे में आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अन्तिम वक्ता हूं और अन्तिम राजस्थान के उस जिले से आता हूं, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बाकी वक्ताओं ने सभी ने शहर की ही बात कही है मैं ग्रामीण इलाके की बात कह रहा हूं। इस संशोधन में ग्रामीण क्षेत्र में किसान 91 के तहत कहीं लम्बे समय से पैसा भरते आये हैं, नोटिस मिलते हैं, लेकिन जमीन का आबंटन नहीं होता है। इस संशोधन में राजस्थान उदयपुर सम्भाग के आदिवासी किसानों की जमीन के आबंटन हेतु इस संशोधन बिल के अन्दर प्रस्ताव में सुझाव दे रहा हूं।

इसके साथ ही, सेटलमेंट का मामला है, सेटलमेंट 50-50 साल तक नहीं होता है तो इस संशोधन बिल के अन्दर मेरी मांग है, माननीय मंत्री महोदय, कम से कम दस वर्ष के अन्दर सेटलमेंट किया जाये ताकि जमीन की गड़बड़ न हो, दूसरे के नाम जमीन बिक भी न जाये और किसान को राहत मिल सके।

एक और मेरा निवेदन है कि वन विभाग की बांसवाड़ा जिला और उदयपुर सम्भाग में हजारों-हजारों बीघा जमीन पड़ी है, लेकिन उदयपुर सम्भाग का सबसे बड़ा बांध माही बांध परियोजना है और वहां पर डूब में गये काश्तकार, उनके खाते की जमीन डैम के अन्दर गयी है, वे आज गांवों में भटक रहे हैं, उनके नाम से कई लोगों की जमीन आज तक आबंटन नहीं हुई है।

यही एरिया कडाणा का है जो गुजरात में बना है, लेकिन बांसवाड़ा गढ़ी विधान सभा के किसानों की जमीन डूबी है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें ही संशोधन बिल के अन्दर इस तरह का प्रावधान

(श्री हरेन्द्र निनामा)

करके माही बांध में जिन किसानों की जमीनें डूबी हैं, जैसे पासलवासा का एक गांव है, खांदूका एक गांव है, ऐसे 115 गांवों में से कम से कम 15 गांवों के किसान गांवों में भटक रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुंवानिया पंचायत में लाम्बा घाटा के जंगल के अन्दर सौ मकान झोपड़ियां बनाकर लोग रह रहे हैं। क्यों नहीं वन विभाग की जमीन उन माही बांध के विस्थापितों को अलाट की जाये? यह संशोधन इसके अन्दर होना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। Thank you very much.

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय। मैं आज इस बिल में आदिवासी सम्भाग के लोगों के लिये, मेरे जगपुरा के अन्दर गोल्ड प्रोजेक्ट के नाम से 1945 से एक खान चल रही थी, लेकिन वे खोदकर सोना भी ले गये, आस्ट्रेलिया की कम्पनी आयी, सोना भी ले गयी पर जगपुरा, अमरसिंह का गढ़ा, देलवारा, रूंझिया और मोटागांव के आस-पास गांवों के किसानों की पचास साल से जमीन का आबंटन नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा आग्रह है, पूरे सदन से मेरा आग्रह है, ऐसी जगह पर, ऐसी किसानों की जमीनों का आबंटन भी किया जाये और उदयपुर सम्भाग में जो रजिस्ट्रियां होती हैं, उन रजिस्ट्रियों में स्टाम्प ड्यूटी कम की जाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज। विराजें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, वर्तमान कानून के अनुसार 17.06.1999 के पहले की जो कृषि भूमि थी, अगर उस पर कृषि कार्य कर लिया गया होता तो ऑथोराइज्ड आफिसर जो है, सुओमोटो उस जमीन को राज्य सरकार के खाते में डाल देता था, लेकिन 17.06.1999 के बाद में नहीं डाल सकता था जब तक कि खातेदार उसको लिखकर न दे। इसके बाद नगरीय निकाय रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेल डीड, इकरारनामा, मुख़्तारनामा, वसीयत, गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे या आबंटन पत्र के आधार पर या फिर खातेदार या भू-धारक अथवा उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर के द्वारा किसी दस्तावेज के आधार पर काबिज भूखण्डधारी नियमानुसार निर्धारित प्रीमियम और लीज राशि लेकर भूखण्ड का नियमन करवा सकता था। पोजीशन यह थी 17.06.1999 के पहले की।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उसके बाद की भी बता दी मैंने आपको। दिनांक 16.06.1999 के बाद भी कृषि भूमि पर अनेक आवासीय कालोनियां विकसित हो गयीं। यह फैक्ट है। 17.06.1999 को रोक लगा दी थी और ले-आउट प्लान वगैरह पास करवाना पड़ता था 60×40 का, लेकिन उसके बावजूद भी आवासीय कालोनियां विकसित हो गयीं, खातेदार ने छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर विभिन्न लोगों को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों से बेचान कर दिया। भूखण्डधारियों ने निर्माण भी कर लिया। ऐसे लोगों को पट्टा देने में अब कठिनाई आ रही है। वे पट्टा मांगते हैं। मेरा ख्याल है, प्रतिपक्ष के आज जितने भी स्पीकर्स बोले हैं, मैं उनका धन्यवाद तो देता ही हूं, पर वे भी बोले तो यही हैं कि पट्टा तो मिलना चाहिये। किसी ने यह नहीं कहा कि, साहब, पट्टा नहीं मिलना चाहिये, अलावा एक-दो +++ के। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज, मंत्री जी का जवाब सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब, अलावा दूसरों के।

खातेदार भूमि को कन्वर्ट करवाने में कोई इन्टरेस्ट लेता नहीं था, क्योंकि अगर वह इन्टरेस्ट ले और रिप्लाई करे, आवेदन करे तो दस तरह के टैक्सेज लगे, आपकी फीस वगैरह जो देनी पड़ती थी, ले-आउट प्लान की फीस अलग, भवन निर्माण की फीस अलग, डवलपमेंट के चार्जेज वगैरह-वगैरह, इसलिये वह देता नहीं था तो इसलिये अकृषि कार्यों की परमिशन देना भी सम्भव नहीं था।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने भी अपनी जमीन पर कालोनियां काट दीं, उन लोगों को भी पट्टे नहीं मिल सकते थे, उन्होंने अन्य वर्गों को बेच दिये। 16.6.1999 के बाद भी अनेकों मामलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों ने खातेदारी भूमि अन्य वर्गों को बेचकर ट्रांसफर कर दी जिन पर मकानात और दुकानात बन गये। अब सवाल यह आता है कि इस वजह से यह कट-आफ डैट जो 31.12.2021 किया जाना प्रस्तावित किया गया है, तो 31.12.2021 तक कृषि भूमि चाहे वह एस.सी. की हो, एस.टी. की हो या अन्य किसी वर्ग की हो, उस पर विकसित हो चुकी कालोनियों के भूखण्डधारियों को नियमन करके पट्टा दिया जा सके, साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व भी प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर यह इस मकसद से लाया गया है कि उनको पट्टा मिल जाये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राठौड़ साहब ने कई तरह के इश्यूज उठाये और मेरा ख्याल है कि आपके उठाये हुए इश्यूज को ही बाकी लोगों ने रिपीट किया, कोई नयी बात नहीं बतायी अलावा एक लाहोटी जी के। वे भी एक विद्वान हैं। (व्यवधान) पीछे से तो पता नहीं क्या-क्या करते हैं। आपने बताया कि जे.डी.ए. एक्ट में, जोडा एक्ट में या अजमेर डवलपमेंट अथोरिटी के एक्ट में या यू.आई.टी. के एक्ट में संशोधन नहीं होगा तो नियमन कैसे होगा। यह तो आलरेडी इसमें प्रावधान दे रखा है। जे.डी.ए. एक्ट की धारा 54बी देख लो आप, जोडा की 49 देख लो, यू.आई.टी. की 60 देख लो और म्युनिसिपैलिटी की 71 देख लो, उनमें आलरेडी है, कोई नयी बात नहीं है। अब आप बार-बार तो यह कह रहे थे कि मैंने ढूंढने की खूब कोशिश की, ढूंढ़ने की कोशिश की तो फिर क्या ढूंढा आपने? यह इतनी-सी बात नहीं ढूंढ़ पाये आप?

मास्टर प्लान का इश्यू आपने उठाया। मैं आज फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम मास्टर प्लान का कतई वायलेशन नहीं करेंगे। जो अदालत ने फैसला दिया है गुलाब जी कोठारी के मामले में कि बाकायदा सेक्टर प्लान बनाओ, सेक्टर प्लान बनाकर उसको कन्वर्ट करो, वहीं जाकर आप नियमन कर सकोगे, दूसरी जगह नियमन नहीं कर सकोगे तो प्रोविजन पहले से ही है। मास्टर प्लान में परमिशेबल होगा, जो चीज मास्टर प्लान में परमिशेबल है उसी का नियमन होगा। अगर वह 17.6.1999 के पहले का हो और चाहे 31 दिसम्बर, 2021 तक का हो, मास्टर प्लान के अनुसार ही नियमन होगा। अगर मास्टर प्लान अलाउ नहीं करता तो उस जगह पर नियमन नहीं होगा। आप ख्वामखाह में यह हवा मत बनाओ कि गुलाब कोठारी वाले जजमेंट की खिलाफत कर रहे हो, यह कर रहे हो, वह कर रहे हो, यह सब गलत है। कुछ जो अमेंडमेंट हुए हैं हम डी.बी. में जीतकर आये हैं और जो चीफ जस्टिस के साथ की जो डी.बी. थी, उसने जो अभी महीने-डेढ़ महीने फैसला दिया, उसके अनुसार सारा है।

2012 में हमने अभियान चलाया, आपको मालूम ही है, पांच लाख पट्टे बांटे थे और 2017 में आपने चलाया, कुल मिलाकर 56 हजार पट्टे बांट पाये आप। परन्तु इस अभियान में भी संशोधन के बाद सी.एम. साहब ने यह कह दिया कि 2023 तक उसको बढ़ाया गया है और 10 लाख पट्टे दिये जायेंगे। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 2 लाख समथिंग पट्टे तो हम दे चुके, लेकिन पूरे 10 लाख पट्टे देंगे। आप खुद सोचो कि शहरों में कोई आदमी आकर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
बस गया, उसने मकान बना लिया तो क्या उसको तोड़ दें? अगर मान लीजिये वह मास्टर प्लान के खिलाफ है तो कार्यवाही की जा सकती है, इकोलॉजिकल जोन में बना लिया, ग्रीन बैल्ट में बना लिया तो कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन किसी ऐसी जगह बना लिया जहां पर उसका नियमन हो सकता है तो फिर उसको क्यों तोड़ें? तोड़ दें क्या? आप बता दो। कह दो कि साहब तोड़ दो। हम सुओमोटो सर्वे करवाकर उसका ले-आउट प्लान पास करवायेंगे, उसके कैम्प लगवायेंगे और अब तक ढाई लाख पट्टे हम बांट चुके हैं।

आपने अब्दुल रहमान का केस बताया कि आप नदी-नाले वगैरह सबमें पट्टे बांटोगे, यह करोगे, वह करोगे। हम नदी-नालों की जमीन पर कोई पट्टे नहीं बांटेंगे, पानी के बहाव के क्षेत्र में पट्टे बिलकुल नहीं देंगे।

अभी आपने एक बात और बता दी कि जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस भारवानी की हाई कोर्ट बेंच ने गोचर भूमि पर पट्टा देने का मना किया है। आपको फैक्ट ही मालूम नहीं है कि किस बात के लिए मना किया, किसके लिए नहीं किया। उन्होंने गोचर भूमि के लिए मना नहीं किया। सुन लें मेरी बात। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। आप मुझे कहने दीजिये। मैंने बहुत तसल्ली से आपको सुना और बर्दाश्त भी किया है। जो फैसला अभी आया है वह ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों के 100 मीटर तक के बाड़ों का नियमन का उन्होंने फैसला दिया है, शहरों के लिए कोई फैसला नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): शहरों में गोचर भूमि में पट्टे दे रहे हो न? (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, देंगे और मैं बता रहा हूं कि क्यों देंगे। मैं आगे बता रहा हूं न। विधान सभा के मानसूत्र सत्र में हमने शहरों में स्थित चरागाह भूमि को, जिस पर आबादी बसी होने के कारण स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने का कानून पारित किया था। आपने भी किया था। इसी सदन ने वह पारित किया था। अगर शहरों में चरागाह भूमि है और आलरेडी वहां पर कोई मकानात बन गये, बसावट हो चुकी है तो उसको कन्वर्ट करके बाकायदा वहां पर पट्टे दिये जायेंगे, यह निश्चित तौर पर सही बात है। गुलाब जी कोठारी का कई बार नाम लिया। बिना कानून पारित किये आप यह नहीं कर सकते। उसमें यह कहा था गुलाब कोठारी में कि बगैर कानून पारित किये आप यह नियमन का काम नहीं कर सकते, तो हमने कानून बदला है, कानून बनाया है, नियमन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर रहे हैं। यदि सरकार विधान सभा में कोई कानून पास करती है तो उसको लागू करने का काम भी सरकार का है। अत: कानून में संशोधन करके ही नया कानून बनाकर 2021 तक की कालोनियों का नियमन करेंगे। इकोलॉजिकल जोन, फैसेलिटी एरिया, पार्क आदि, नदी-नाले वगैरह में किसी में कोई पट्टे नहीं बांटे जायेंगे। मास्टर प्लान का जोनल प्लान बनाकर ही नियमों के तहत पट्टे बांटे जायेंगे।

गृह निर्माण सहकारी समिति के लिए बहुत बातें कइयों ने कही। बात भी ठीक थी, दर्द की बात थी कि आज भी फर्जी पट्टे बंट रहे हैं। मैडम दिव्या जी ने भी यह बात कही। यह सही बात है। चोरी कभी बन्द नहीं हो सकती, डकैती कभी बन्द नहीं हो सकती, कोई भी जुर्म कभी बन्द नहीं हो सकता वरना तो फिर ये 900 थाने.... (व्यवधान) विराजो, थोड़ी-सी तसल्ली रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): +++ (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++

श्री सभापति: यह जो आपस की बात है वह डिलीट कर देना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): +++

गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टों का क्या करोगे, इसका लाहोटी जी ने भी सवाल उठाया कि 17.6.1999 के पहले के 20 हजार पट्टे बने हुए हैं। कहां गये थे वे लोग जब यह कह दिया गया था कि 17.6.1999 तक जिनके पास पहले के पट्टे बने हुए हैं वे आकर जे डी ए में अपने सारे दस्तावेज पेश कर दो। हम किताब बना रहे हैं, उस किताब में नाम लिखेंगे गृह निर्माण सहकारी समिति का। (व्यवधान) आप विराजिये, विराज जाओ, सुन लो आप। वे कहां गये थे 20 हजार आदमी? कहां थे वे? वे ही बैक डेट वाले हैं जो अपने आपको बताते हैं कि हमारे पास पट्टा है। 17.6.1999 के बाद में भी जब हमारे पास डेपुटेशन के डेपुटेशन आये और कहा कि 17.6.1999 की तारीख तो आपने दे दी कि अपने कागजात सारे के सारे पेश कर दो, जिससे तुम्हें पट्टे मिल जायेंगे लेकिन हम कर नहीं पाये इसलिए हमें कुछ मौका और दो तो हमने उनको 2001 की तारीख दे दी। 2001 तक जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समितियों के कागजात हमें मिले, यह किस्सा जयपुर का ही है। बाकी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह राग राजस्थान में और किसी जगह पर नहीं है। 2001 तक जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने हमें दस्तावेज दिये, उनकी बाकायदा बुकलेट बना ली गयी। उस बुकलेट के अनुसार ही आज पट्टे बंट रहे हैं। अगर उस बुकलेट में आज भी उस व्यक्ति का नाम है, जिसको पट्टा नहीं मिला तो पट्टा मिलेगा। आपके बात समझ में आ गयी।

1999 के बाद में आज तक ये सोसायटी बैक डेट में पट्टे दे रही हैं, उनको किसी भी हालत में मान्यता नहीं दी जायेगी। 1999 से 2021 तक 22 साल में कृषि भूमि पर हजारों कालोनियां बस गयीं, उसका क्या करोगे? यह आपने सवाल उठाया है। इस बिल के पास होने के पश्चात् उन सभी कालोनियों में पट्टे देंगे, 70:30 का अनुपात देखकर के ये पट्टे दिये जायेंगे। यदि इससे कम का अनुपात होगा तो पट्टा नहीं मिलेगा। यह 70:30 जो है, यह 70:30 आज भी नियमों में मौजूद है, पहले से मौजूद था, अब भी मौजूद है। बाद में हमने आकर सन् 1998 में, 17.06.1999 के बाद 60:40 का रेशो बताया था कि 60:40 कर दो, लेकिन ये 70:30 तो पहले से चला आ रहा है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के बाबत मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि खासतौर पर जयपुर के लिये बहु त बड़ा इश्यू है। 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि पर विकसित कालोनियां को सहकारी समितियों के द्वारा जारी पट्टों की कोई मान्यता नहीं होगी। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) के प्रावधान के दृष्टिगत समितियों से उनका रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 31.12.2001 तक जमा करा लिया गया और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे भूखण्डधारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिका के रूप में भी मुद्रित कर ली गयी थी। उसमें से यदि किसी को पट्टे अभी तक जारी नहीं हु ए हैं तो वह रिकार्ड मान्य होगा। अगर उसका बुक में नाम है तो उसको पट्टा जरूर मिलेगा। बुक में नाम नहीं है तो वह कितना ही घूमता फिरे, 17.06.1999 के पहले की बता दे, उसको नहीं मिलेगा। केवल उसी सदस्य जिसका प्रस्तुतीकरण हो चुका है। यदि भूखण्डधारी ने, जिसको पट्टा मिल चुका है, भूखण्ड का बेचान कर दिया या विरासत के आधार पर हो गया या नाम हस्तान्तरण हो गया तो ऐसे मामले में भी जयपुर विकास प्राधिकरण नाम हस्तान्तरण की मान्यता देगा। 17.06.1999 के बाद यदि कोई आवासीय कालोनी बिना अनुमति विकसित हो गयी तो ऐसी कालोनियों में गृह निर्माण सहकारी समिति के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा जारी किये गये पट्टे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

17.06.1999 के पूर्व के जारी किये गये दर्शाये गये हैं तो वर्तमान में उन्हें वास्तविकता में बैक डेट में जारी किये हुए ही माना जायेगा।

अब सवाल यह आता है, ऐसे भूखण्डधारी को परामर्श दिया गया है, बाकायदा इस बात का कि यदि भूखण्डों पर आवास या आंशिक, जैसे गृह निर्माण सहकारी समिति ने पट्टा दे दिया उसको और जे.डी.ए. में जाकर उसने अपना रिकार्ड भी जमा नहीं कराया, लेकिन उस जमीन पर आज उसने मकान बना लिया है, चारदीवारी खींच ली या आंशिक बना लिया या पूरा मकान बना लिया, उन लोगों को परामर्श दिया गया है कि यदि भूखण्डों पर आवास या आंशिक निर्माण या चारदीवारी का निर्माण कर लिया गया हो तथा भूखण्डधारी का कब्जा हो, उसका कब्जा भी होना चाहिये, तो राजस्थान टाउनशिप पालिसी के तहत वह आवेदन कर सकता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का सर्वे करवाया जायेगा, सर्वे करवाया जाकर भूखण्डधारियों की सूचियां तैयार करवाकर सर्वे के आधार पर आबंटन और नियमन की कार्यवाही की जायेगी और ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि भूखण्डधारी का कब्जा है और जिसके सबूत में निम्नलिखत में कोई भी एक दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के लिये प्रस्तुत करता है जैसे- बिजली का पुराना बिल हो, पानी का पुराना बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डाकघर, किसान पास बुक हो, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मुख्तयारनामा, इकरारनामा, वसीयतनामा, पेंशन दस्तावेज ऐसे करते-करते ये कई ऐसे दिये हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिलती हो और उसका मकान बना हुआ हो, रिहायश हो रही हो, कब्जा हो उसका, यह साबित होता हो कि उसका पुराना कब्जा चला आ रहा है तो उसका नियमन किया जायेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी कालोनी के भूखण्डधारियों के द्वारा आवेदन करने पर राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में विज्ञप्ति जारी कर सभी भूखण्डधारियों को आवेदन देने और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा शार्ट करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब इससे शार्ट में, आप मुझे 5-7 मिनट तो देंगे।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गृह निर्माण सहकारी समितियों के बाबत बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने खुद ने बोला है कि जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अनधिकृत पट्टे दिये जाने की गम्भीर समस्या बनी हुई है। इससे जहां एक ओर शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आमजन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिये राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2001 में यथोचित संशोधन करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मतलब, ये गृह निर्माण सहकारी समितियां, जो को-आपरेटिव एक्ट में चलती थीं, उनको भी खतम किया जायेगा।

आपने यह भी कहा कि पट्टे तो आप दे दोगे लेकिन वहां विकास का काम कौन करवायेगा? जब पट्टा मिल जायेगा तो पट्टे के नियमन से आने वाली राशि के साथ विकास का भी कुछ शुल्क लिया जायेगा, वहां पर भी विकास का काम जे.डी.ए. के द्वारा करवाया जायेगा।

1999 की तारीख कहां से आयी? ये लाहोटी साहब ने पूछा था कि 17.06.1999 की तारीख कहां से आयी? 17.06.1999 की तारीख आपने कैसे तय की? आपको ध्यान होगा 1999 में हाई कोर्ट में तोपखाना गृह निर्माण समिति का एक केस चला था और उसमें 1999 की तारीख 16 जून, 1999 तक गृह निर्माण सहकारी समितियों को पट्टा देने की मान्यता दी थी। बस, 16 जून तक की दी थी, 17 जून को हम यह एक्ट ले आये और यह एक्ट पास हो गया।

जे.डी.ए में को-आपरेटिव सेल को मैंने ही बन्द किया है। जिसको आप सबसे भ्रष्ट बताते हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो को-आपरेटिव सेल के द्वारा हुआ है, गृह निर्माण सहकारी समितियों ने किया है। इसे मैंने ही बन्द किया है। अब मुख्य मंत्री जी ने तो बाकायदा घोषणा ही कर दी है, एक्ट में ही संशोधन करेंगे। साहब, बाकी सारे जवाब आ गये हैं, करीब-करीब वही हैं।

मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि मास्टर प्लान के अनुसार जो मास्टर प्लान में अनुमत है और जिस तरीके का आदेश है, जो गुलाब कोठारी के केस में हुआ था कि सेक्टर प्लान बनाकर के आप कुछ कर सकते हो तो उसी अनुसार ये सब काम होगा। इसके विपरीत कोई काम नहीं होगा। यह मैं आपको आश्वस्त कर चुका हूं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ये बात भी आ गयी, ओरण है, मन्दिर माफी की जमीन है, पानी के बहाव की है, इस तरह की जमीनों पर कोई पट्टा नहीं दिया जायेगा। यह शक जो है, वैसे तो साहब आप ऊपर से दिखते गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध हो, लेकिन अन्दर से आपकी पूरी मित्रता है। दिनांक 23.09.1999, जब यह एक्ट आ रहा था, पुरानी विधान सभा थी, तब भी आपने बोला था। आपने कहा था कि ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन अब निपटारा करो इनका और जो भी तलवार लटकी हुई है उस तलवार को हटाओ। आप जो फैसला करोगे वह हमें मान्य है, तो आपका विचार भी करीब-करीब वो ही था कि गृह निर्माण सहकारी समितियों से वाकई जनता परेशान है और धोखाधड़ी हो रही है, सब-कुछ है। यह आपका उस वक्त भी विचार था।

सभापति महोदय, अब और क्या निवेदन करूं मैं आपसे। मैं मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव आपने दिया है कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, इसको विदड्रा कर लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूराजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ा कर 8.00 बजे तक कर दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा में मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार नगरपालिका सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु परीक्षा संचालित करने का दायित्व राजस्थान लोक सेवा आयोग को देना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में रीट की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करायी। राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश का प्रतिष्ठित बोर्ड रहा है लेकिन इस रीट परीक्षा में बोर्ड की कीर्ति कलंकित हुई है हमारे सामने है। जनता ने अभियान के रूप में रीट परीक्षा को उत्सव मान कर सहयोग किया। बेरोजगारों व उनके परिवार में आशा जगी, जनता ने परीक्षार्थियों के जलपान, भोजन व आवास तक की व्यवस्था की लेकिन हुआ क्या? सोशल मीडिया पर मैंने पोस्टें देखीं। रीट की परीक्षा निरस्त करने पर राजस्थान के जननायक को बधाई। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में इतनी वाहवाही मैंने कभी नहीं देखी, जिस पर बेशर्मी होनी चाहिये थी।

माननीय सभापति महोदय, देश में परीक्षाएं अनेक होती हैं, बैंक की परीक्षा जिसमें लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। यू.पी.एस.सी. परीक्षा, जिसमें लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। उसमें भी आपने देखा होगा परन्तु राजस्थान में जिस प्रकार से हमारे जारोली और पाराशरों के जिम्मे परीक्षा का अभियान ले लिया, वह परीक्षा मैं सोचता है कि हमारे देश में, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार भी किया कि हमारे कुछ लोगों की गलती के कारण राजस्थान सरकार इसमें बदनाम हुई है, इस बात को स्वीकार किया, मैं अच्छी बात मानता हूं कि उन्होंने किसी गलती को स्वीकार किया। परीक्षा आयोजित कौन करेगा, विषय यह नहीं है। विषय है, माननीय सभापति महोदय, कि जो पद पर बैठा है वह कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) पहले चले गये वहां बात करने के लिए। यह तरीका है? आफिसर्स को भी पाबन्द करो आप। यह विधान सभा है कि सब्जी मण्डी है? अधिकारियों को भी कहें। अधिकारियों को भी कहें कि यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे नहीं करते हैं। यह हाउस है, ऐसे नहीं करते हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, ये आदर्श नगर वाले तो आते ही केवल इसलिए हैं। ये दिन भर वहीं खड़े रहते हैं, इन पर रोक लगायी जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) एक्ट पास हुआ है इससे पहले शुरू हो गये ये। हमें पता है चांदी कूटोगे आप इससे।

श्री सभापति: धर्मनारायण जी, बोलें आप। श्री धर्मनारायण जी, कंटीन्यू करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षा और कोचिंग के जंजाल में उलझा रहे, ऐसी डिग्री का अर्थ क्या है, इस पर भी विचार करो। डिग्री के बाद छात्र के पूरे अकेडमिक करियर की समीक्षा का सूत्र बनाकर उसका रोजगार या नौकरी सुनिश्चित करो।

माननीय सभापति महोदय, मैंने गुजरात में देखा, गुजरात में पुलिस की नौकरी में वहां पर पुलिस विश्वविद्यालय बना हुआ है। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से पुलिस की भर्ती में भर्ती होता है। वह ग्रेजुएशन करता है चार साल में। वहां लॉ की परीक्षा भी होती है। अन्त में चार साल की ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद सीधा उसको पुलिस में अपोइंटमेंट मिल जाता है। हमारे यहां क्या स्थिति है? हमारे यहां एक इंच लम्बाई कम पड़ गयी, दो सेंटीमीटर सीना कम पड़ गया। दौड़ता है, अनेक लोग मर गये, घायल हो गये, यह स्थिति परीक्षा की है। ऐसी डिग्री का अर्थ क्या है, इस पर भी विचार करो। डिग्री के बाद छात्र के पूरे अकेडमिक करियर की समीक्षा का सूत्र बनाकर उसका रोजगार या नौकरी सुनिश्चित हो। यह प्रतियोगी परीक्षा युवाओं के लिए किसी मृग मरीचिका से कम नहीं है। यह परीक्षा अधिकांश युवा वर्ग को झांसा देने और रोजगार की आस में टिकाये रखने का माध्यम लगती है। जब डिग्री के आधार पर ही नौकरी की व्यवस्था होगी तो कम प्रतिशत लाने वाला छात्र बिना भ्रमित हुए स्वरोजगार का रास्ता ढूंढेगा लेकिन कम प्रतिशत वाले छात्र भी प्रतियोगी परीक्षा में अवसर लेने के फेर में उलझे रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी बीच परीक्षा निरस्त, पेपर आउट, सामूहिक नकल जैसी घटनाएं कोढ़ में खाज करती हैं। मेरा निवेदन है कि प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करिये। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन साहब का उदाहरण देना चाहता हूं, उन्होंने बिना कोई नया कानून या संशोधन लाये देश में चुनाव सुधार करके बता दिया। जरूरत है केवल इच्छा शक्ति की। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, विधान बनाने वाली सभा के अन्दर विधान बनाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है सरकार की, सत्ता पक्ष की, उनके हालात जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करके और विधान बनाने वाली इस सभा का अपमान कर रहे हैं।

(समय: 18.58 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

ट्रेजरी बैंचेज की जो हालत है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और उसके साथ मैं सदन की गरिमा को भी गिरते हुए देखता हूं जब याचक के रूप में आफिसर्स गैलेरी के सामने खड़े होकर अधिकारी कागज के रूप में न जाने क्या मांगते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022, आपको मालूम होगा 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसी सदन में स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सदारत में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1993 पारित हुआ और इसमें भी कोई शक नहीं कि समय-समय पर इस नगरपालिका अधिनियम में कई संशोधन हुए और वर्ष 2009 में जब माननीय मंत्री महोदय ही, जो अपने आप को इन सब चीजों का एन्साइक्लोपीडिया समझते हैं, उन्होंने 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया और उसी समय धारा 331 में आपने यह प्रावधान किया कि नगरपालिकाओं में जितने भी विभागीय पद हैं, जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनको आर.पी.एस.सी. से भर्ती किया जाय। सभापति महोदय, फिर वह समय भी आया जब इस भर्ती में जिस तर्ज पर यह भर्ती कराना चाहते थे, हरियाणा की तर्ज पर, सूची भेजकर जब अपने चहेतों को भर्ती नहीं करा पाये तो 2011 में फिर एक संशोधन लेकर आये और नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 331 में आर.पी.एस.सी. से भर्ती का प्रावधान किया, उसको विलोपित कर दिया और विभागीय स्तर पर भर्ती करने का काम इन्होंने प्रारम्भ किया। सभापति महोदय, इस भर्ती का मंजर हमने देखा है। नगरपालिका में अलग-अलग समय पर अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली, समाचार पत्र रंगे गये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय: 19.00 बजे)

कई भर्ती परीक्षाओं में तो परिणाम आने से पहले ही नियुक्ति पत्र जारी हो गये। मंत्री महोदय, जिस सेक्शन 331 को आपने विलोपित किया था, उसको पुनर्जीवित करने के लिये नगरपालिका अधिनियम, 2009 की मूल धारा में सेक्शन 330 और 332 के बीच आज पुन: उस 331 को स्थापित कर रहे हो। आप कीजिए, पर आप जो इसके लिये बिल लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है 'वर्तमान में, राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक और तकनीकी) सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियों के लिये अभ्यर्थियों का चयन संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्य स्तरीय आयोग द्वारा भर्ती की जाती थी। यह राज्य स्तरीय आयोग कौनसा? सिर्फ एक आयोग, जिसको मंत्रालयिक आयोग कहते थे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती होती थी। उसमें भी एक विभाग नहीं, जितने भी विभाग हैं, उसमें पे मैट्रिक्स 10 तक के पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। अब यह मंत्री जी क्या लेकर आये हैं? अभ्यर्थियों के चयन में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नगरपालिका सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु परीक्षा संचालित करने का कर्तव्य राजस्थान लोक सेवा आयोग पर अधिरोपित करने का प्रशासनिक विनिश्चय किया है। आपने अच्छा विनिश्चय किया। इसका मतलब मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर आपकी जानकारी में आया होगा, आपके संज्ञान में आया होगा कि इससे पहले कौन-कौनसी भर्ती थी, जिसको आपने राजस्थान चयन बोर्ड से करवाई या आपका राज्य स्तरीय आयोग कोई और हो तो मुझे बता दें, हो सकता है मेरे ज्ञान में नहीं आया हो। राजस्थान राज्य आयोग ने भर्ती की और उस पर सवालिया निशान लगाकर आपने एक दो नहीं, सभापति महोदय, इन दिनों में राजस्थान में भर्ती का जो सिलसिला चला, मैंने निवेदन किया, मंत्रालयिक पे मैट्रिक्स 10 तक की जो भर्ती हुई, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भर्ती की, उन सब पर सवालिया निशान लग गया। निश्चित तौर पर जब रीट की बात हम करते हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, पर मंत्री महोदय, कम से कम बिल ड्राफ्ट करने के साथ इतना ज्ञान तो होना ही चाहिये कि आप बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में आरोपित किसको कर रहे हो? आपने अंगुली यूं कर ली, अपनी तरफ उठा ली।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं यही पूछना चाहता हूं कि यह जो दो शब्द 'निष्पक्ष और पारदर्शी' आपने इस्तेमाल किया, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी, क्या ऐसा मामला आ गया था कि आपको यह लगा कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती नहीं हो रही और अब आप भर्ती दे रहे हैं आर.पी.एस.सी. को। यह आर.पी.एस.सी. वो ही तो नहीं, जिस आर.पी.एस.सी. में आर.ए.एस. की परीक्षा में, सभापति महोदय, आपसे ज्यादा कौन जानता है? सबसे बड़ी बात है राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की गोपनीयता की। मैं सवाल करना चाहता हूं किस प्रकार मालूम पड़ गया रसूखदार के परिवार के लोगों को कि अमुक आदमी मेरा साक्षात्कार लेगा और अमुक आदमी के परीक्षा में नंबर आये 46 परसेंट और साक्षात्कार में नंबर आये 87 परसेंट, यह आर.पी.एस.सी. वो ही है? मतलब आप एक संस्था को आरोपित कर रहे हो जो आपकी खुद की संस्था है। जिस राज्य स्तरीय आयोग की आपने बात की, आप उसको आरोपित कर रहे हो और दूसरी संस्था आर.पी.एस.सी. को यह सारा जिम्मा दे रहे हो।

मंत्री महोदय, अभी आर.ए.एस. भर्ती 2018 के एक प्रकरण में उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। एक साथ 6 परीक्षाएं रद्द की थीं। यह और किसी ने नहीं की, यह राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द की और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने 6 परीक्षाएं रद्द करते हुए आर.पी.एस.सी. के लिये टिप्पणी की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने खुद की परीक्षा के रिजल्ट में पूर्णत: फेल हो गया। आप किसको सौंप रहे हैं? आपका क्या हेतु है, क्या नेक्सस बन गया वहां, किस प्रकार के लोग बैठे हैं? इस बार कौनसे रसूखदार के परिवार को नौकरी की वैतरणी पार करने का रास्ता दे रहे है? मैं इनकी मर्दानगी का कायल हूं, चाहे किसी भी पड़ाव में रहे। सभापति महोदय, राणा प्रताप अगर मर्द नहीं होते तो उन कंदराओं में लड़ते नहीं। मंत्री महोदय, आप मुझे बताओ यह जो परीक्षाएं हुई राजस्थान कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती 2018, राजस्थान कृषि अधिकारी भर्ती 2018, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2018, वेटरिनरी आफिसर भर्ती 2019, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2019, आर.ए.एस. भर्ती 2020, जे.ईएन. भर्ती 2020, पटवारी भर्ती 2021, एस.आई. भर्ती 2021, रीट भर्ती, कितनी पढूं मैं? अब आप सिर्फ हमें यह विश्वास दिला दो, हमारी भाषा में कहते हैं गोल मथोल, पीछे की बात को भूलें, पर यह निष्पक्षता का और इसका भरोसा तो दिलाओ। आपका ट्रेक रिकार्ड क्या कह रहा है? बलजीत यादव के विधान सभा के सवाल के उत्तर में आपने कहा कि हमने 85 आदमियों को आठ प्रश्न-पत्र लीक करने के आरोप में हमारे शासन में गिरफ्तार किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज राजस्थान का नौजवान यह देख रहा है कि हम एक कानून पर बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके जो सारे उच्च पद हैं, आयुक्त है, उपायुक्त है, सचिव है, सभापति महोदय, इन सारे पदों पर आई.ए.एस., आर.ए.एस. और अलाइड आर.ए.एस. के सर्विस के लोगों को आप प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं, कइयों को पदोन्नति पर भेजते हैं। इसके बाद आपकी पे मैट्रिक्स 10 में जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती होनी है। अब आप एक अजगर के मुंह से निकालकर एक बहुत बड़े अजगर के मुंह में डाल रहे हैं। कर क्या कर रहे हैं? क्यों आप कर रहे हैं? इसलिए मैं तो आपसे आखिर में यही कहूंगा कि कई चीजें पदचिह्न छोड़ जाती हैं। उस रीट के लिये हमने राजस्थान में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपना पूरा विरोध प्रकट किया। आपने हमारी नहीं मानी, आपकी ब्रूटल मेजोरिटी है, आप अब भी नहीं मानोगे और आप गृह मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हो। और कुछ नहीं, यह राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जारोली जी कहां हैं? उनके एक बार दर्शन तो कराओ, जिन्होंने कहा था कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उच्च पदों पर बैठे हुए बड़े रसूखदारों ने किया है। मैं उन जारोली जी के दर्शन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसलिए इसमें तो आप मेरी मदद करना और मेरा यही कहना है कि हे मर्द मंत्री, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से अधिनियम की विद्यमान धारा 330 के पश्चात् और 332 से पूर्व नयी धारा 331 अंत:स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। सभापति महोदय, जैसा कि अभी उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि क्या ऐसे कारण रहे कि ऐसी इमरजेंसी पड़ी कि सदन में इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ गयी। ऐसी कौनसी भर्ती, इनके पास पहले से जो प्रावधान थे। राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवाओं के लिये पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बना हुआ है। संशोधन विधेयक में स्पष्ट नहीं किया। इसके साथ-साथ अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान आपने कर दिया, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के होते हुए भी। संशोधन विधेयक में स्पष्ट नहीं किया कि नगरपालिका सेवा, अधीनस्थ

(श्री अशोक लाहोटी)

सेवा के जो पद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में थे, उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग में दिये जाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कौनसा? वह आर.पी.एस.सी. का तो नाम ही बदल गया। उसका नाम तो राजस्थान भ्रष्ट सेवा आयोग हो गया, कब का ही। जनता के दिमाग में उसका नाम आर.बी.एस.सी. हो गया। राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता इस चीज की गवाही देती है कि उसका नाम आर.बी.एस.सी. हो गया। आप अभी भी कह रहे हैं कि आर.पी.एस.सी. में।

सभापति महोदय, सीधे राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान किये जाने का औचित्य क्या है? यह समझ में नहीं आ रहा है। उल्लेखनीय तो यह भी है कि निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग में पूर्व से ही एक कर्मचारी चयन आयोग अलग से गठित है। डी.एल.बी. में खुद का एक कर्मचारी चयन आयोग अलग से गठित है, जिसके तहत पहले भी डीएलबी ने 2010-17 तक भर्तियां की हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग अलग से है। दो-दो एजेंसियां होने के बाद उक्त आयोग को अभी तक भंग नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दो समानान्तर भर्ती एजेंसी राजस्थान में एक, दो और यहां तीन, इस बिल में ये तीन समानान्तर भर्ती एजेंसी विद्यमान हैं। उनके क्षेत्राधिकारों को अब अपवर्जित भी नहीं किया गया है। मेरा यह मानना है कि ऐसे मनमाने तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग को नगरपालिका सेवा के पदों की भर्ती के लिये अधिकृत नहीं किया जाये। मंत्री जी की मंशा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बिल में लिखा भी है कि निष्पक्ष, पारदर्शी। जो उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि पारदर्शी करवायें यह तो अच्छा है, लेकिन उससे पहले कौन-कौनसे घपले हुए यह भी तो एक बार सदन में बतायें कि यहां पारदर्शिता डी एल बी ने तोड़ी, यहां पारदर्शिता चयन आयोग ने तोड़ी, इसके कारण से यह किया गया।

सभापति महोदय, जब हम नगरपालिका एक्ट की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों के चयन से सम्बन्धित बात कर रहे हैं तो नगरपालिका सेवा का लास्ट में कैडर कब रिव्यू किया था? मंत्री महोदय, नगरपालिका का कैडर 1963 में बना था। आज 60 साल हो गये। आज तक नगरपालिका सेवा का कैडर रिव्यू नहीं हुआ। नगरपालिका सेवा के वे कर्मचारी, आपसे बेहतर तो कौन जानता है? नगरपालिका के आयुक्त, नगरपालिका के अधिशासी अभियंता आदि पदों, राजस्व निरीक्षक, राजस्व सहायक निरीक्षक, लेखाकार, लिपिक स्तर के कर्मचारी को जब पदस्थापित किया जाता है तो वह सेवा में पूरे करियर में

(श्री अशोक लाहोटी)

फील्ड में नगरपालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों में काम करते हैं। सरकार की नीतियों, योजनाओं का एक्सपर्ट के रूप में क्रियान्वयन करते हैं और अपनी बेहतर प्रेक्टिस के कारण योजनाओं के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज तक उनकी योजना निर्माण में उनकी भूमिका आपने कहीं पर भी नहीं रखी। इस बिल के साथ इस कैडर को रिव्यू करने की आवश्यकता भी थी। 60 साल से यह कैडर रिव्यू नहीं हुआ, जिसके कारण से इन नगरपालिका सेवा के कर्मचारियों की प्रशासनिक पदों में कहीं पर भी कोई जगह नहीं बचती, जबकि पंचायती राज का कैडर सेम बना था, उस पंचायती राज का कैडर रिव्यू हो गया।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब हम नगरपालिका की बात करते हैं तो नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है? हम भर्ती की बात करते हैं। मंत्री महोदय, इसमें यह भी लिखते कि इसमें ई.ओ. और आर.ओ. के 320 पद हैं, जिनमें से 200 पद खाली हैं। सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, किसी के यहां तो जमादार को चार्ज दे रखा है, किसी के यहां पर जे.ईएन. को चार्ज दे रखा है, किसी के यहां पर ए.ईएन. संभालकर बैठा है, कहीं आयुक्त बैठे हैं, कहीं पर यह तय नहीं है। लास्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय में निर्णय दिया कि आप सक्षम अधिकारी से नीचे के स्तर के व्यक्ति को चार्ज नहीं दे सकते। तब जाकर थोड़ी बहुत राहत मिली, वरना ऐसी बंदरबांट हो रखी थी कि जिसका कोई धणी-धोरी नहीं था। सभापति महोदय, जे.ईएन. के 800 पदों में 300 पद खाली हैं। सफाई कर्मचारियों के 40 हजार पदों में से 8 हजार पद खाली हैं, जबकि 40 हजार पद भी बहुत कम हैं। यदि हम स्वच्छता की बात करेंगे तो राजस्थान में कम से कम 80 हजार सफाईकर्मियों की आवश्यकता है, जो आपके मानक हैं उसके हिसाब से। आपके स्वीकृत पदों में ही 8 हजार पद खाली हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नगरपालिका एक्ट में संशोधन केवल भर्ती की एजेंसी को बदलने के लिये लाने की बजाय हम यह लाते कि आज नगरपालिकाओं के हालात क्या हैं? मैंने उस दिन भी कहा कि नगरपालिका केवल और केवल अनुदान पर चली है। नगरपालिकाओं के पास तनख्वाह बांटने के लिये पैसे नहीं हैं। आप राजस्व बढ़ाने के लिये इसमें कुछ लेकर आते तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होता और उन लोगों का कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, वह काम होता। हमारा

(श्री अशोक लाहोटी)

टैक्स क्लेक्शन 0.002 परसेंट लोएस्ट इन इंडिया है, जिसमें कई बार सी.ए.जी. ने आडिट कर दी। कई बार टिप्पणियां आ गयीं। प्रतिकूल टिप्पणियां आ गयीं और नेता प्रतिपक्ष महोदय ने भी इस विषय में मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री जी से कई बार निवेदन किया कि इन नगरपालिकाओं का स्ट्रेन्थन करना बहुत जरूरी है। एजेंसी एग्जाम करेगी, प्रभावी मानिटरिंग होगी तो किसी एजेंसी में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। यदि प्रभावी मानिटरिंग नहीं होगी तो जैसे अभी कहा था कि जारोली जी कहां हैं, ये जारोली हर डिपार्टमेंट में बैठे मिलेंगे। राठौड़ साहब, ऐसे जारोली हर विभाग में हैं। उन जारोली को यदि आप लैंस लेकर देखेंगे तो भी वे दिखते नहीं हैं और भ्रष्टाचार होने के बाद अचानक से अख़बार में दिखते हैं।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री महोदय, राजस्थान में आप नगरपालिकाओं में जाकर देख लें, आप दौरा करके देख लें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके जो पार्षद हैं, उनको बुलाकर ईमानदारी से पूछ लें। हमारे पार्षदों पर तो विश्वास नहीं होगा, पर राजस्थान की नगरपालिकाओं के हालात क्या हैं? आमजन की तो बहुत दूर रही, जयपुर हैरिटेज में लगातार आप ही का बोर्ड है वहां कांग्रेस के पार्षद लगातार धरने पर बैठे हैं। आयुक्त मिलते नहीं हैं, डिप्टी कमिश्नर नहीं रहते हैं। उनकी गाड़ी में जी.पी.एस. लगाकर देख लो। एक घन्टे से ज्यादा कमिश्नर आफिस में नहीं बैठते और कोई पार्षद मिलने जाता है तो बाहें चढ़ाकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं और फिर आपको आकर गलत मिसफीड करते हैं। लास्ट में उनका निलम्बन कर दिया जाता है। सभापति महोदय, हालात ये हैं कि न पट्टा मिल रहा है, न अधिकारी मिलता है। नगरपालिकाओं में एक घन्टे से ज्यादा कोई नहीं बैठता है। मैंने तीन बार ध्यानाकर्षण लगाया, 7 बार अलग-अलग क्वेश्चन लगाये। आज तक जवाब नहीं आया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बिल पर बोलो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं नगरपालिका बिल पर ही बोल रहा हूं, पंचायत पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय, आप खुद मेयर रहे हैं। Please go to the specific point.

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इस बिल में इस अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, मैं यह कह रहा हूं।इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं यह

(श्री अशोक लाहोटी)

पूछना चाह रहा हूं कि इस दुर्दशा के हालात किसने किये हैं? इस बिल में यह आना चाहिये था। सभापति महोदय, जनता यह भी पूछ रही है कि इस हालात के लिये जिम्मेदार कौन है? (व्यवधान) हम तो दो साल मेयर थे, जयपुर गवाह है। पहली बार ही स्वच्छता देखी थी और परसों संकल्प पर और बोलूंगा। आप करो ना, तीन साल से आपकी सरकार है। तीन साल से सरकार है, कहां है? आपके नगरपालिका, नगर निगम के चेयरमैन से पूछो, भरतपुर का नगर निगम चेयरमैन कांग्रेस का है, उससे पूछो वह क्या कहता है? हैरिटेज वाले से पूछो। अलवर वाले से पूछो। आप अपने लोगों से तो पूछो। हमारी तो छोड़ो। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिन अधिकारियों को बेलगाम कर रखा है। ये जबरदस्ती पर्सनल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो अधिकारी बेलगाम हो रखे हैं, उन अधिकारियों पर मंत्री जी आपको शिकंजा कसना पड़ेगा कि वे निगम के और जोन के कार्यालयों में टाइम पर मिलें, जनता से मिलें, पार्षदों से मिलें।

पिछले दो साल में एक-एक वार्ड में केवल 50 लाख के काम हुए और कौनसी मद से हुए, नेशनल कैपेक्स के पैसे से हुए। एक पैसा राज्य सरकार से नहीं आया। आप उसका बिल लाते। नेशनल कैपेक्स का पैसा मोदी जी ने दिया, उसके पैसों से काम हुआ। एक सिंगल पैसा राज्य सरकार से नहीं आया। (व्यवधान) माननीय ज्यादा पैरवी मत करो, मंत्री जी बोल देंगे। मंत्री जी को आपकी जरूरत नहीं है, वे खुद बोल लेंगे, इसलिये आप ज्यादा मत करो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से आधे-अधूरे बिल लाकर हम सदन में केवल यह चर्चा करें कि परीक्षा कौन लेगा, परीक्षा एक्स लेगा या परीक्षा वाई लेगा। परीक्षा का फुलप्रूफ प्रमाण यदि हमने नहीं बनाया, परीक्षा को यदि हमने फुलप्रूफ नहीं बनाया तो भ्रष्टाचार तो कहीं भी हो जायेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह जल्दबाजी में इस तरह के जो छोटे-छोटे बिल लाये हुए हैं, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कौनसा बिल लाना आवश्यक है, इसके लिये भी विधान सभा में एक कमेटी बनायी जाये। कमेटी बनाकर यह तय करें कि कौनसा बिल लाकर सदन में कितनी देर चर्चा करनी है। हम यह बिल लेकर आ रहे हैं दो-दो एजेंसी बैठी हैं, उनको विलोपित नहीं करें, उनका हम अधिकार खतम नहीं करें और हम नयी एजेंसी को एग्जाम कराने के लिये दे दें।

श्री सभापति: माननीय कन्क्लूड कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अगली बार फिर लायेंगे कि इस एजेंसी को दे दें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय, जिस प्रकार से जयपुर में अधिकारियों ने एक लूट का अड्डा बना रखा है, बिल इस चीज पर लाइए कि आपने एक तरफ कहा सदन में कि हमने 500 स्क्वायर यार्ड तक, 500 गज तक कोई पट्टे की आवश्यकता नहीं है, कोई भवन निर्माण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जयपुर शहर में एक भी ऐसी जगह बता दें जहां पर बजरी गिरते ही नगर निगम के कर्मचारी नहीं जाते हों, बजरी गिरते ही।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इसके साथ-साथ मैंने कई बार ध्यानाकर्षण में पूछा कि आप बिल इस बात पर लाइए कि जिनको नोटिस दिये गये, उन नोटिस का आज क्या हाल है, जिनको सील की गयी, उनमें कितनी डील हुई, उनका आज क्या हाल है?

श्री सभापति: माननीय, कन्क्लूड कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय, ये नगरपालिकाएं जो हैं, इनको सक्षम बनाने का काम कीजिए। इनको केवल एक सरकारी एजेंसी और एक सफेद हाथी बनाने की बजाय इनको सक्षम बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो मंशा है, पट्टे देने की मंशा, काम करने की मंशा, उसको नीचे अधिकारी नहीं कर रहे हैं। एक घंटे भी बैठते नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय लाहोटी जी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिल इस चीज पर लाइए कि वह नगर निगम में बैठें, कार्यालय में बैठकर जनता की सेवा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजें, ये ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये 2009 का एक्ट है, इस 2009 के एक्ट में धारा 131, आयोग से परामर्श की बात इन्होंने की है। 2009 का एक्ट बनाते समय मंत्री महोदय आप स्वयं ही थे और 2009 में आपकी ही सरकार थी। 2009 के बाद में 2011 में इस धारा को रीपील किया गया और 27 अगस्त, 2009 को यह एक्ट बनता है। 27 मार्च, 2011 को इस धारा 131 को

(श्रीमती अनिता भदेल)

आपके द्वारा ही रीपील करने के लिये संशोधन लाया जाता है। संशोधन में क्या लिखा हुआ है? मैं आपको पढ़कर बताती हूं। धारा 331 - नगरपालिका सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति और उक्त सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासिक मामलों से सम्बन्धित सभी मामलों पर राजस्थान लोक सेवा से परामर्श का उपबन्ध करती है। राज्य सेवाओं के लिये नियुक्तियों, चयन इत्यादि के अत्यधिक, ये विशेष महत्वपूर्ण बात है जो मैं आगे बोलने जा रही हूं, चयन इत्यादि के अत्यधिक कार्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहले से ही व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए यह समुचित समझा गया कि आयोग को इस अतिरिक्त कार्य से मुक्त किया जाना चाहिये। तदनुसार धारा 131 हटाई जानी प्रस्तावित है।

अब 2009 में आप बिल लेकर आते हैं, कानून बनता है। धारा 131 में लोक सेवा आयोग को आप अधिकृत करते हैं। फिर लोक सेवा आयोग को वापस आप 2011 में हटा देते हैं और हटाते हुए कहते हैं कि अत्यधिक कार्य की व्यस्तता है, इस वजह से लोक सेवा आयोग को हटाया जाता है और यह धारा विलोपित की जाती है। आज हम वापस यही धारा एज इट इज, एक शब्द भी उसमें परिवर्तन नहीं है, वापस लेकर आ रहे हैं और यह बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नगरपालिका सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु परीक्षा संचालित करने का कर्तव्य राजस्थान लोक सेवा आयोग पर अधिरोपित करने का प्रशासनिक विनिश्चय किया है। क्या आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास कार्य की अधिकता नहीं है? आज कार्य की अधिकता खतम हो गयी है? ये कैसा मजाक है? 2009 में हम जो बिल लेकर आते हैं तो वही बात कहते हैं, 2011 में हम उस बात को वापस लेते हुए कहते हैं कि व्यस्तता अधिक है और 2022 में वापस लोक सेवा आयोग के पास लेकर आते हैं कि निष्पक्षता के लिये हम लोक सेवा आयोग को भर्ती की अनुमति देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सन्दर्भ में मैं आपको तीन-चार निवेदन करना चाहती हूं। अभी लोक सेवा आयोग की किस प्रकार की कार्यप्रणाली है? आप सभी ने सुना है कितनी भर्तियां निरस्त हुई हैं, कितनी भर्तियों में गड़बड़ हुई है। पिछली बार 2008 से लेकर 2103 के कार्यकाल में आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष महोदय कहां हैं आज? उनका क्या नाम है? वे

(श्रीमती अनिता भदेल)

भाग खड़े हुए थे, इस्तीफा देकर। गौराण जी, अपनी बिटिया को जूडिशियरी में जबरदस्ती इंटरव्यू के माध्यम से भेजना चाहते थे और उनकी पोल खुल गयी। फिर वे वहां से भाग खड़े हुए। अभी जारोली जी का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया।

मैं तो इतना निवेदन करना चाहती हूं कि ये जो प्रस्तुत प्रस्ताव है जिसमें राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक और तकनीकी सेवा के अधिकारियों का चयन राजस्थान लोक सेवा के माध्यम से किया जाना आपने प्रस्तावित किया है। मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय आपको देना चाहती हूं। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा, अभी कर्मचारी चयन आयोग की चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये राज्य कर्मचारी आयोग नहीं है, ये आयोग जो डी.एल.बी. ने स्वयंभू अपना एक आयोग बना रखा है और डी.एल.बी. उनकी भर्ती करता है, मुझे लगता है कि उस सन्दर्भ में ही यह है। जबकि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पृथक से अपना स्वयंभू चयन आयोग बना रखा है जिसके द्वारा अब तक राजस्व अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, फोरमेन, सहायक अग्निशमन अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाती रही है। जब डी.एल.बी. के माध्यम से यह चयन प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रचार-प्रसार के अभाव में या कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी होने की आशंका होती है। पिछली बार भी कई सारी भर्तियां निकाली गयीं और उनमें कई सारे आरोप लगाये गये।

मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाना बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। मेरा आपको सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, जिसके द्वारा पे ग्रेड 3600 तक के वेतनमान के कार्मिकों का चयन किया जाता है। मेरा निवेदन है सभी नगर निगमों में वेतन भत्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली चुंगी अनुदान से किया जाता है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि चुंगी से उनका भुगतान किया जाता है। फिर म्युनिसिपल सेवा के सभी अधीनस्थ व मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती भी राज्य सरकार द्वारा गठित राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड से की जानी चाहिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि जब हम चुंगी के पुनर्भरण से उनको पेमेंट देते हैं तो जिस तरह से अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती हम राजस्थान चयन बोर्ड से करते हैं, उसी तरह से पूरे राजस्थान में ये जो भर्तियां हैं, वह आप चयन बोर्ड से कराएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी और ईमानदारी से लोगों का चयन हो पायेगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा गठित सेवा चयन आयोग को तुरंत भंग कर देना चाहिये। इससे चयन में पारदर्शिता रहेगी और अनावश्यक विधिक विवाद से भी बचा जा सकेगा क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट केसेज में चले जाते हैं, भर्तियां समय पर होती नहीं हैं इसलिए इन भर्तियों को समय पर करने के लिये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग को पूरा काम जो मंत्रालयिक भर्ती का है, वह उनको देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी शहरी स्थानीय निकाय का जो मुख्य दायित्व होता है, हम नगर निगमों को याद करते हैं, मैं अक्सर कई बार कहती हूं कि नगर निगमों से, स्थानीय निकायों से हमारा जो वास्ता है, वह जीवनभर का होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो नगर निगम में जाकर उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र भी नगर निगम जाकर बनाना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो सफाई हुई या नहीं हुई इससे सबसे पहले हमारा वास्ता पड़ता है। रात को सोते हैं तो स्ट्रीट लाइट जली या नहीं जली, इससे हमारा वास्ता पड़ता है। शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य दायित्व शहरों की सफाई व्यवस्था का है। सरकार द्वारा समय-समय पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी निकाली जाती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 हजार पदों पर भर्ती की गयी। अभी जैसा बताया गया कि 8 हजार करीब पद अभी भी खाली हैं। भर्ती का दायित्व नगर निगमों, नगरपालिकाओं और परिषदों पर ही छोड़ दिया जाता है जबकि नगरपालिकाओं के कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में न तो दक्ष होते हैं और न ही उन्हें भर्ती सम्बन्धी नियमों की पेचीदगियों की जानकारी होती है जिसके कारण हर भर्ती में इन निकायों को अनेकों कोर्ट केसेज का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कोर्ट केसेज, भर्ती के बाद में लोग कोर्ट चले जाते हैं और वह भर्ती तो अटक ही जाती है, दूसरी तरफ जो नगर निगम के संसाधन हैं, वे कोर्ट केसेज में ज्यादा लगे रहते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): निकायों के कर्मचारी अपने मूलभूत दायित्वों को भूलकर इन कोर्ट केसेज में ही उलझे रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में नगर निगम, अजमेर में वर्ष 2004, 2012, 2018 की सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अनेक प्रकरण आपके पास भी....

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं सफाई कर्मचारियों की बात कर रही हूं। कर्मचारियों की भर्ती की बात कर रही हूं कि भर्ती नहीं होने से भर्तियों में गड़बडी होने से कैसे अटक जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि 2004, 2012, 2018 की सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अनेक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में आज भी लम्बित हैं। इस कारण मैं प्रस्ताव देती हूं कि शहरी नगर निकायों, नगरपालिकाएं तकनीकी सेवा के अधिकारियों की भर्ती, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के समस्त पदों की भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सभी पदों, जिसमें सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उनकी भर्ती राज्य सरकार के अधीन पृथक से एक चयन बोर्ड बनाकर उसके माध्यम से की जायेगी पूरे राजस्थान भर के लिये, तो निश्चित रूप से समय पर भर्ती भी हो सकेगी और जो स्थानीय निकाय जिस मैन पावर की...

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कमी से जूझ रही है, उस मैन पावर को भी पूरा किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम सुझाव देकर, मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूं कि पंचायती राज के कर्मचारियों को वेतन भत्तों का भुगतान राज्य की संचित निधि में से किया जाता है, इसी के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान भी राज्य सरकार की संचित निधि में से किया जाये क्योंकि आज भी बहुत सारी नगरपालिकाएं नगर निगम ऐसी हैं, जहां पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वह धरने पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, दो-दो, तीन-तीन दिन तक वह धरने पर बैठे रहेंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि स्थानीय निकाय जिन कामों के लिये उत्तरदायी है, वे काम पूरी तरह से हो पाएंगे।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिये मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इन सब सुझावों को ध्यान में रखते हुये अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से नगर निकायों का संचालन हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। बहुत सारे सपने हमने उस समय दिखाये थे, हम बार-बार कहते हैं कि स्थानीय...

श्री सभापति: माननीय श्री मदन दिलावर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो पाएगा, जब हम ये सब व्यवस्थाएं कर पाएंगे।

श्री सभापति: प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक बार पुन: इस बिल को, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022, इसमे कोई न कोई बड़ा घालमेल दिखाई देता है। अत: इसको तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू सर, थैंक यू वैरी मच। माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार कर रहे हैं। उसके उद्देश्य और कारणों में आपने जो बताया है चयन में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, यह मैं समझता हूं कि सभी चाहते हैं कि कोई भी भर्ती हो, वह पारदर्शिता से जुड़ी हुई हो, निष्पक्ष हो। यह शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। शायद आपको शोभा भी देते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली रही है, उसमें दोनों शब्द बड़ा महत्व रखते हैं।

अभी तक जिस प्रकार का चयन, आपके नगरपालिका के चयन आयोग द्वारा होता था, क्या वह निष्पक्ष नहीं था? आपने स्वीकार कर लिया। मैं बहुत लम्बा नहीं बोलकर, आपसे केवल दो बातें चाहूंगा। 2009 में आप कैसे लाये? 2011 में विलोपित क्यों किया? आज फिर 2022 में वापस उसी को क्यों लाये हैं? जरा इसको स्पष्ट कर देंगे तो शायद सारी स्थिति साफ हो जायेगी। इन स्थितियों में आपका जो चयन आयोग था, उसने क्या किया? चयन आयोग का नाम था, रोज भर्ती हो रही है। लेकिन आज निकाय,

(श्री वासुदेव देवनानी)

राजस्थान में क्या हालत कर रखी है? राजस्थान में 213 निकाय हैं, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 34 नगर परिषदें हैं, 169 नगरपालिकाएं हैं। इनमें 627 पद आपने स्वीकृत कर रखे हैं। हालत क्या है? उनमें से 390 पद रिक्त हैं, यानी केवल 237 ही कार्य कर रहे हैं तो फिर नगरपालिका और नगर परिषदों के हाल क्या होंगे?

और तो और, यह सब बातें हो रही थीं, वेतन नहीं दे पा रहे, आर्थिक स्थिति खराब है। रेवेन्यू अधिकारी, आखिर उस नगरपालिका में, नगर निकाय में रेवेन्यू अधिकारी होंगे, तो ही तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा। सभापति महोदय, रेवेन्यू अधिकारी की यह हालत है कि 87 में से 50 पद आज खाली हैं। जिसके कारण से कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है। बाकी भ्रष्टाचार तो इतना है, मैं बातें नहीं करता। किस प्रकार से निकाय में घालमेल हो रहा है। उसमें अभियांत्रिकी सिविल 661 में से 288 पद रिक्त पड़े हैं। यानी निकायों की हालत खराब है। आप जिस चयन आयोग से इनकी भर्ती करते थे, वह भी अपना रोल अदा नहीं कर पाये।

(समय: 19.34 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

जिसके कारण से इतने सारे पद खाली हुए। आपने सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां कीं, उनमें भी इतने ही पद। जो भी नियुक्तियां कीं, जो भी चयन आयोग ने किया, उसके कारण से आज 41,218 जिसमें भी सफाई कर्मचारी नियुक्त थे, आज हमारे यहां भी 182 सफाई कर्मचारी आपसे मांग कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे दो। इस प्रकार का चयन आयोग। चयन आयोग, रातों-रात आपको जंच गई कि इन चयन आयोग के माध्यम से तो नहीं, अब हम आर.पी.एस.सी. से इसका सलेक्शन करेंगे। आर.पी.एस.सी. के हाल क्या है? आर.पी.एस.सी. के हाल, अभी कुछ लोगों ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। किस प्रकार से माननीय सदस्य के तीन-तीन रिश्तेदारों के 80 अंक आये। कैसे आये, मैं आगे बात नहीं करता। आज अंक दिलाने के नाम पर, किस प्रकार से रिश्वत ली गयी, जिसके कारण ए सी बी ने ही 20 लाख लेते हुए एक प्रिंसिपल और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया, यह आर.पी.एस.सी. के हाल हैं। 166वीं रैंक आई, चयनित हरीश सहारण था। उसको 70 से ज्यादा अंक आर.पी.एस.सी. में मिले। इसके लिये उससे पैसे लिये गये। चूंकि उसके आये 54 अंक, इस कारण से उसको वापस लौटाने पड़े। इस प्रकार आज

(श्री वासुदेव देवनानी)

आर.पी.एस.सी. में हालत हो गयी कि आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन और मैम्बर्स तक के, मैम्बर के पति देव तक पर भी आक्षेप लगने लगे। इस प्रकार की स्थिति आने के बाद भी आज हम कह रहे हैं कि हम आर.पी.एस.सी. से कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आर.पी.एस.सी. की जो सारी नियुक्ति है, उसी में संशोधन किये जाने चाहिये, ताकि आर.पी.एस.सी. में नियुक्ति के कोई मापदण्ड तय हो। जिस प्रकार से आज स्तर में गिरावट आई है, उसी से आप यह सारी भर्ती कराओगे तो वहीं की वहीं रहेगी।

मैं चाहूंगा, यू.पी.एस.सी. की इतनी सारी परीक्षाएं होती हैं, किसी पर भी अंगुली नहीं उठी, कोई भी कोर्ट में चेलेंज नहीं हुआ। यू.पी.एस.सी. की तरह इसमें हो। साथ ही इस प्रकार के स्थानीय निकाय विभाग के सारे प्रकरण बताऊंगा किस प्रकार के 49 टाउन प्लानर, 79 ड्राफ्टसमैन के चहेतों की परीक्षा कराकर, आपने किस प्रकार ओ एम आर शीट तक में परिर्वतन कर दिये। जिसके कारण से चयन आयोग तो आपका बदनाम है ही। आर.पी.एस.सी. को देने जा रहे हो, तो आर.पी.एस.सी. को देने के पहले कम से कम इतना तो तय कर लें कि आप बाकी स्टेट का भी अध्ययन कर ले। यू.पी. और एम.पी. में आज समय पर परीक्षाएं होती हैं। समय पर परिणाम आते हैं। आज बिहार भी आपसे आगे चला गया है लेकिन राजस्थान सबसे पीछे है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसके कारणों में जाकर आर.पी.एस.सी. के माध्यम से कराने के पहले इन सारी बातों पर विचार करें। जल्दबाजी न करें अन्यथा हम वापस उसी स्थिति में आएंगे, जिस प्रकार रीट में आये हैं या बाकी बातों में आये हैं। इस प्रकार की स्थिति न बने, उसके लिये आवश्यक है कि इस विधेयक को आप जनमत के लिये परिचालित करायें, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। मंत्री जी बोलेंगे आप? चन्द्रकान्ता जी बोल लें पहले। टू-द-पाइंट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। जैसा कि, मात्र इतना-सा संशोधन इसमें लेकर आये हैं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है इसको हम आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करवाएंगे। मेरा तो इसमें इतना-सा सुझाव है कि हम लगातार इसमें परिवर्तन करते आते हैं। 2009 में भी लाये, फिर 2011 में लाये, उसको विलोपित भी किया, फिर हम वापस आर.पी.एस.सी. पर इतना विश्वास कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब जान चुके हैं कि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से राजस्थान की जो अभी किरकिरी हुई है, जिस तरह का हम सबको देखने को मिला, निश्चित तौर पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिये।

जब आपका खुद का आयोग बना हुआ है और हम सब जानते हैं, पहले भी इसमें भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, निश्चित तौर पर हमें अपने खुद के आयोग पर विश्वास करना चाहिये। अगर इसमें हम करते कि हमारे किस तरह से पद खाली हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता। आज नगरपालिका में कोई ई ओ रिटायर होने वाला होता है तो आप देखिये कि सबसे पहले तो वहां के चेयरमैन या निकाय के अध्यक्ष यह चाहते हैं कि इसको कहीं दूसरी जगह भेजा जाये। अगर यहीं से इसका रिटायरमेंट हो गया तो हम कहां से इसको पेंशन देंगे, यह हालात हमारे निकायों की है।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मेरा इसमें यही निवेदन है कि इसमें कतई आर.पी.एस.सी. के माध्यम से चयन प्रक्रिया नहीं करवायें। इसमें सीधी-सीधी हमें बू आती है। हम लोग जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, निष्क्रियता की बात कर रहे हैं वह बिलकुल गलत है। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे निकाय किन हालातों में हैं। पैसों की दृष्टि से देखें तो हम सबको मालूम है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): लेकिन पद खाली होने की वजह से आज हमारे जितने भी विकास कार्य होते हैं उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। किस तरह का भ्रष्टाचार उनमें होता है? मैं कहना चाहूंगी कि यह विधेयक हम लेकर आये हैं इसको जनमत जानने के लिये 6 माह के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप आरपी.एस.सी. पर विश्वास कर रहे हैं एक बार फिर, इस बात के लिए तो ठीक है पर नगरपालिका में अध्यक्षजी, जो पहले भर्तियां हुई हैं, जैसे सफाईकर्मी की भर्ती हुई और सफाईकर्मी में वाल्मीकि समाज सफाई करता है। अध्यक्षजी, वहां पर इतने लोग दूसरे भर्ती हो गये जो सफाई का काम ही नहीं करते इसलिए इन चीजों को भी इन भर्तियों में समझा जाये, देखा जाये और जिस पद के लिए भर्ती निकालें, उस पद के एलिजिबल लोगों को लिया जाये। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष: थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में बुलवा देंगे, आप बैठें। थर्ड रीडिंग में बोल लेना। बोलना ही है न, पहले बोलो या बाद में बोलो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एण्ड राजस्थान म्युनिसिपल टैक्निकल सर्विसेज में सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान था धारा 331 में, वह उस वक्त इसलिए विलोपित कर दिया गया, 27.03.2011 को इसलिए विलोपित कर दिया गया क्योंकि उस वक्त जो आर.पी.एस.सी. में काफी कुछ भर्तियां जारी थीं और उनके पास बिलकुल वक्त नहीं था। वह बार-बार जब भी हम कोई रिक्विजिशन भेजते थे कि साहब, यह भर्ती कर लो तो वे बार-बार मना करते थे कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, इतना टाइम लगेगा, यह लगेगा तो अल्टीमेटली यह तय किया गया कि साहब, इसको विलोपित कर दिया जाये और विलोपित करने के बाद, जो चयन आयोग बना हुआ था, उस चयन आयोग से भर्ती करवा ली जाये। उसके साथ-साथ एक आपका सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज का आयोग भी बना हुआ था, उससे भी भर्ती करवा ली जाये। अब सवाल यह आता है कि अब चूंकि, चयन आयोग के पास काफी कुछ काम आ गया, आर.पी.एस.सी. का काफी कुछ काम चला गया तो आर.पी.एस.सी. के पास इतना टाइम हो गया तो उन्होंने लेने से स्वीकार कर दिया कि साहब, अब हम ले सकते हैं, इसलिए उनका यह प्रोविजन डाला जा रहा है, मोटी बात।

दूसरी बात यह भी है कि यह प्रोविजन भी डाला जा रहा है कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अर्जेण्ट बेसिस पर अगर कोई मान लीजिए ऐसी चीज है जो हम जैसे एम.एन.आई.टी. से करवा सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, किसी एजेंसी से भी करवा सकते हैं। इतनी-सी बात है कुल मिलाकर इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आर.पी.एस.सी. से बात हो गयी क्या?

श्री अध्यक्ष: रोज ही सरकार की बात होती रहती है, आप क्यों बहस करते हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बताओ। फिर आगे आपसे बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने के हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अब मैं यह समझता हूं कि बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, गला साफ हो गया है।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा, एक मिनट के लिए बोलेंगे न? एक ही मिनट।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें वे यह कह रहे हैं कि 331 विलोपित इसलिए किया लेकिन इसमें कहीं आपकी मंशा बिलकुल स्पष्ट नजर नहीं आ रही और जो आपने बात की है कि आप जो recruitment through agency in scope for misuse वाला जो विषय है इस सैक्शन 2 में भी सब सैक्शन 5 में यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार ने जो अर्जेण्ट बेसिस पर भरी जाने वाली नियुक्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के पास न जाकर यह नियुक्तियां वह किसी और एजेंसी के माध्यम से भी कर सकती है तो यह अर्जेण्ट बेसिस है क्या माननीय मंत्री महोदय? हम यह जानना चाहते हैं कि यह एजेंसियां कौनसी रहेंगी? क्या इसके पीछे आपका यह मंतव्य तो नहीं कि आखिर में जाकर आप अपने हिसाब से एजेंसीज लगाकर उनके द्वारा आप भर्ती करवा दें और जैसा होता आया है और लगातार हम यहां पर जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं वे सारी की सारी रद्द हुई हैं तो क्या इन परीक्षाओं में भी ऐसा नहीं होगा? आप जिस तरीके से एजेंसीज को काम सौंप कर आपने नगरपालिकाओं को भरने का काम करेंगे, यह सरकार इस बिल के पारित होने के बाद पूरी तरीके से फ्री होकर इस कार्य को करने के लिए यह बिल ला रही है? लोक सेवा के लिए ताकत से अच्छी ज्यादा नीयत की आवश्यकता होती है परन्तु मुझे यह लगता नहीं, माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट हो गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक लीगल त्रुटि और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक धारा 331 जो आपने जिसको विलोपित किया है, 332, 333 और 335 की आपने जो बात कही है पर 331 का आप कह रहे हैं, इसका भी आज स्पष्टीकरण दें कि यह क्यों विलोपित की गयी है, यह बात हमारी समझ से बाहर है। मैं इस ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बता दिया न उन्होंने। (व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, 331 की यह उपधारा 4 में संविधान के अनुच्छेद 320 की जगह, 323 करके जो गलती आपने 2009 में, आपके द्वारा ही लाये गये विधेयक की तुलना में आपने

(श्री संदीप शर्मा)

सुधारी है, उसकी जगह मेरा यह सुझाव है कि धारा 330 में भी कोई उचित बदलाव करें।

मैं इस संशोधन विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। जनमत वाला निकल गया अब। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात टू द पाइंट रखने के हिसाब से मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि यह एक्ट 2009 में जब पारित हुआ था तब 2011 में वापस से यह 331 धारा हटाई गयी यह बोलकर कि आर.पी.एस.सी. एग्जाम नहीं, आर.पी.एस.सी. इसको नहीं ले सकता है, एम्प्लाई कर सकता है लोगों को क्योंकि इसके पास बहुत काम है। यह मेरे पास पूरा रिटर्न है। मैं बोलना चाहती थी लेकिन क्योंकि सदन का वक्त मैं जाया नहीं करना चाहती हूं। बाकी आपने इसमें बहुत स्पष्ट लिखा था और मिनिस्टर भी आप ही थे, आपने इसमें यह लिखा कि आर.पी.एस.सी. के पास इतना समय नहीं है इसलिए 2011 से हम इसको हटाते हैं और वापस आप इसको 2022 में आज लेकर आये हैं और अब आर.पी.एस.सी. के पास कैसे यह समय आ गया? इस बारे में ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि हम इस विधेयक को लेकर आ रहे हैं और आर.पी.एस.सी. के पास अब कैसे इतना समय आ गया सडनली कि वह अब यह एग्जाम्स कर सकते हैं? इस बारे में जानकारी जरूर से हम लोग, पूरा सदन यह जानना चाहेगा कि ऐसा क्या हुआ? मुझे यह लगता है कि यह सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक है हम सबके साथ, इस सदन के टाइम की वेस्टेज है क्योंकि हम एक बार तो कोई विधेयक लाते हैं और उसके बाद कोई विधेयक वापस से हटाते हैं और वापस ही उसको लाते हैं और बिना किसी स्पष्टीकरण के कि किस आधार पर हम इस विधेयक को लेकर आये हैं, यह आपने कहीं भी बहुत क्लेरिफाई नहीं करा है लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो इसके अन्दर आपने एड की है। एक पांचवां नियम, पहले चार थे 2009 में और अब आपने उसमें एक पांचवां जब 2011 में आपने हटाया तो वह चारों उपधारा भी हटाई और अब एक पांचवीं उपधारा आप इसके अन्दर लाये हैं, जिसके अन्दर यह कहा गया कि अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार सेवा में

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

अत्यावश्यक आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों के लिए परीक्षाएं संचालित करने हेतु किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकेगी तो अभी भी आप इसको जब बाहर किसी एजेंसी की सेवाएं ले सकते हैं और अभी तक ऐसा होता ही आया है तो इस विधेयक का क्या रीजन है वह बिलकुल भी क्लियर नहीं है कि यह क्यों इस तरीके से लाया गया है? यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी सी बात मुझे यह लगी तो मैं अपनी बात यह ही बोलते हुए यह कहना चाहूंगी कि बारबार हम इन विधेयकों को लाते हैं, काम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते हैं, लोगों को समझ आने में बहुत मुश्किल होती है स्पेशली मेरे जैसे नये विधायकों के लिए तो यह बहुत डिफिकल्ट होता है, इन सबको बार-बार समझना, एक बार आना और नहीं आना तो हम इन चीजों को कम करें और अब जनमत जानने के लिए, धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब देंगे कोई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि 332 और 333 में वर्णित सेवाएं, उसमें वर्णित सेवाएं, उसी में यह साफ-साफ लिखा हुआ है यानी कि राजस्थान नगरपालिका सेवा और राजस्थान तकनीकी सेवा, जहां तक सवाल इस बात का था कि आपने यह पूछा था अर्जेण्ट बेसिस क्या होता है? यह तो डिक्शनरी में भी मिल जायेगा आपको कि अर्जेण्ट बेसिस क्या होता है। लिखा मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखा मिल जायेगा कि अर्जेण्ट बेसिस क्या होता है। अर्जेण्ट बेसिस यह होता है कि इमिडिएटली मान लीजिए जरूरत पड़ गयी। आर.पी.एस.सी. मना कर रही है कि अभी ठहर जाइये, कोई दूसरी एजेंसी मना कर रही है तो एम.एन.आई.टी. है, आई.आई.टी. है, वगैरह कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा यह भर्ती करवायी जाती है, करवायी गयी है पहले भी और करवायी जायेगी।

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आर.पी.एस.सी. के मना करने का क्या कारण था। ज्यादा व्यस्तता होती है तो आर.पी.एस.सी. मना भी करती है कि अभी समय लगेगा, चार साल लगेंगे,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तीन साल लगेंगे। मान लीजिए विभाग को जरूरत नहीं है, विभाग कहता है कि जरा जल्दी करें, तब आर.पी.एस.सी. कहता है कि हम लेने को तैयार हैं तो आर.पी.एस.सी. का नाम डाल रहे हैं। उसमें हो क्या गया?

श्री अध्यक्ष: ठीक है बिलकुल।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.51 बजे गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मसूदा व भिनाय में जल जीवन मिशन योजना का कार्य

394. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय व मसूदा में जल जीवन मिशन योजना के तहत कितना कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 214 शेष गांवों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मगरा क्षेत्र के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, उक्त विधान सभा क्षेत्र के 43 ग्रामों हेतु 36 अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 40.98 करोड़ की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 06 जल योजनाओं अंतर्गत 06 ग्रामों के कार्य उक्त मिशन के तहत माह दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किये गये हैं तथा शेष 37 ग्रामों हेतु 30 जल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। उक्त जल योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष 211 ग्रामों हेतु जल जीवन मिशन के तहत राशि रुपये 451.16 करोड़ की बनाई गई भिनाय-मसूदा पेयजल परियोजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा बीसलपुर बांध में अतिरिक्त जल उपलब्धता की जल संसाधन विभाग से सहमति प्राप्त होने पर परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सम्मिलित 254 आबाद राजस्व ग्राम सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित 02 वृहद् पेयजल परियोजनाओं क्रमश: (अ) भिनाय-मसूदा फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना - द्वितीय चरण (कुल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सम्मिलित 121 ग्राम) एवं (ब) भिनाय-मसूदा फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना-तृतीय चरण (कुल सम्मिलित 133 ग्राम) से वर्तमान में जुड़े हुए हैं।

नागौर में रीको द्वारा ई-आक्शन से प्लाटों का आबंटन

401. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर मुख्यालय पर रीको द्वारा 18 जनवरी, 2022 से 20 जनवरी, 2022 के मध्य कुल कितने प्लाटों का आबंटन किया जाना था? क्या सम्पूर्ण प्लाट आबंटित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों का आबंटन ई-आक्शन द्वारा किया जाना था, जिसकी न्यूनतम सरकारी दर 1200/- रुपये प्रति स्क्वायर मीटर निर्धारित की गई है व ई-आक्शन के माध्यम से कुल 71 प्लाट की बोली लगाई गई थी? उक्त में से कुल कितने प्लाटों का आबंटन किया गया?

(3) सरकार की निर्धारित बोली 1200/- रुपये प्रति स्क्वायर मीटर से अधिक दर की बोली लगाने के पश्चात् भी क्या ई-आक्शन की बोली को निरस्त किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर मुख्यालय पर रीको द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2022 से 20 जनवरी, 2022 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र गोगेलाव में आबंटन हेतु कुल 75 भूखंडों की बिड आमंत्रित की गयी थी जिसमें से 18 भूखंडों का आबंटन दिनांक 21.03.2022 तक किया जा चुका है तथा 15 भूखण्डों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

75 भूखण्डों में से 4 भूखण्डों के लिए बिड प्राप्त नहीं हुई एवं शेष 38 भूखण्डों की बिड में प्राप्त दरें सक्षम समिति द्वारा उचित प्रतीत नहीं होने के कारण बिड स्वीकार नहीं की गयी।

(2) जी हां। प्लाट का आबंटन ई-आक्शन द्वारा किया जाता है जिसकी आरक्षित दर 1200/ रुपये प्रति स्क्वायर मीटर निर्धारित की गई थी।

ई-आक्शन में कुल 71 भूखंडों की बोली प्राप्त हुई जिसमें से सक्षम कमेटी द्वारा कुल 33 भूखण्डों की बोली उचित पाये जाने पर आवेदकों को

(उद्योग मंत्री)

आफर लेटर जारी किये गये। दिनांक 21.03.2022 तक कुल 18 भूखंडों का आबंटन किया जा चुका है।

(3) जी हां। आरक्षित दर 1200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक दर की बोली लगाने के बाद भी ई-आक्शन की बोली को निरस्त करने का सर्वाधिकार रीको भू-निपटान नियम 1979 के नियम संख्या 3 के अन्तर्गत ई-आक्शन नियम के प्रावधान 3(VI) में रीको के पास सुरक्षित है। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेड़ता में संचालित चिकित्सालयों में रिक्त पद

422. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभिन्न श्रेणी के संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थान में कौन-कौन से पद किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कई चिकित्सक तथा अन्य श्रेणी के कार्मिक अपने मूल पदस्थापन स्थान से अन्य स्थानों पर कार्य व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सा अधिकारियों तथा नर्सिंगकर्मियों एवं अन्य कार्मिकों की सूची उनके मूल पदस्थापन स्थान तथा वर्तमान पदस्थापन के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभिन्न श्रेणी के संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-अ तथा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के तहत कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभिन्न श्रेणी के संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-अ तथा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.03.2022 तथा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 53 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा विभाग में पदस्थापित कार्मिकों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
कार्यव्यवस्था के आदेश निरस्त किये जा चुके हैं। प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 1583 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में नर्स-द्वितीय के 1250 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना दिनांक 18.02.2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई गई है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ए एन एम के 1155 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के शेष पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)

सेवानिवृत्त फार्मासिस्टों को ग्रेच्युटी व उपार्जित अवकाश का भुगतान

423. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 में सेवानिवृत्त हुए फार्मासिस्टों को ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त को 9-18-27 का लाभ भी नहीं दिया गया? यदि हां, तो अब कब तक दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2019-20 में सेवानिवृत्त हुए फार्मासिस्ट (फार्मासिस्ट कम कम्पाउण्डर) को नियमानुसार ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) उक्त फार्मासिस्ट को नियमानुसार 9-18-27 का लाभ दिया गया है।

श्रीडूंगरगढ़ में आबंटित 108 एम्बुलेंस

424. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत कितनी सी एच सी में एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ सी एच सी में एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी 108 एम्बुलेंस आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में किसी भी सी एच सी पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आबंटित नहीं की गई है।

(2) श्रीडूंगरगढ सी एच सी में नवीन एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 (ए.एल.एस.) एम्बुलेंस आबंटित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में प्रतिस्थापित 108 (बी.एल.एस.) एम्बुलेंस वाहन निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	एम्बुलेंस रजि. नं.	बेस लोकेशन
1	आर.जे.14 पीसी 5238	सी.एच.सी., डूंगरगढ
2	आर.जे.14 पीई 7812	सी.एच.सी., मोमासर
3	आर.जे.14 पीसी 7542	पी.एच.सी., पुनरासर
4	आर.जे.14 पीडी 0590	पी.एच.सी., शेरूना

उक्त 108 एम्बुलेंस वाहनों के द्वारा अपनी लोकेशन के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को आपातकालीन सेवायें प्रदान की जा रही है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रति एक लाख की जनसंख्या पर एक 108 (बी.एल.एस.) एम्बुलेंस की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की जनसंख्या 3,27,465 है। नियमानुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चार 108 (बी.एल.एस.) एम्बुलेंस प्रतिस्थापित हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवीन 108 (बी एल एस) एम्बुलेंस आबंटित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

उच्चैन (नदबई) में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

425. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त ट्रोमा सेन्टर का भवन निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो अब कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की घोषणा की गई है।

उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त ट्रोमा सेन्टर हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

आगामी वित्तीय वर्षों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर उक्त ट्रोमा सेन्टर का भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त ट्रोमा सेन्टर हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

आगामी वित्तीय वर्षों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर उक्त ट्रोमा सेन्टर हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

नागौर में खरीफ फसल का मुआवजा

426. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में जिला नागौर में किसानों की खरीफ की फसल 90 प्रतिशत तक खराब हो चुकी थी? यदि हां, तो क्या सरकार व बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को मुआवजा राशि दी गई है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत राज्य में भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के प्रावधानानुसार फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज समंकों के आधार पर क्षति का आकलन कर आनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय होते हैं। खरीफ 2021 में नागौर जिले हेतु बीमा कम्पनी को विभाग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय बीमा क्लेम का आकलन कर लिया गया है। बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश प्रीमियम एवं केन्द्रियांश प्रीमियम प्राप्त होने के उपरान्त बीमा क्लेम का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्यांश प्रीमियम भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तद्उपरान्त केन्द्रियांश जारी होने पर बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा पालिसी धारक पात्र कृषकों को बीमा क्लेम का भुगतान किया जावेगा। नागौर जिले के कृषकों की बीमित फसलों का तहसीलवार अनुमानित बीमा क्लेम आकलन विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उप तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों की स्थापना

427. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने उप तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं तथा कितनों में अब तक उक्त श्रेणी का पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पशुधन की बढ़ोतरी एवं समय-समय पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अब शेष रहे उप तहसील मुख्यालयों में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 186 उप तहसील हैं, जिनमें से 132 उप तहसीलों में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं तथा 54 उप तहसीलों में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/क्रमोन्नत की जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

ब्यावर में लाभार्थी पशुपालक

428. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पशुपालकों को क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं? विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के पशुपालकों को क्या-क्या लाभ दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में खोले गये पशु चिकित्सा उप केन्द्रों/ पशु औषधालय से पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को लाभान्वित करने हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं इनसे लाभान्वित पशुपालकों का संख्यावार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनपोल में अमृत योजना में पानी की लाइनें

429. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

(1) क्या यह सही है कि अमृत योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में पानी की लाइन डाली जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डाली गई पानी की लाइन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को सही करवा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ की स्वीकृत अमृत योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में विभिन्न साइज एवं प्रकार की 15,160.00 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इस कार्य के अंतर्गत 07 स्थानों पर पाइप लाइनों के इन्टर-कनेक्शन का शेष कार्य प्रगति पर है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में बिछाई गई पाइप लाइन संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत अब तक 15,160.00 मीटर पाइप लाइन सड़क काट कर बिछाई एवं जोड़ी गई है तथा इसके विरुद्ध नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा 14,910.00 मीटर लम्बाई में सड़क की मरम्मत का कार्य अब तक पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त योजना में सड़क के मरम्मत कार्य हेतु प्रावधित राशि रुपये 278.92 लाख के विरुद्ध विभाग द्वारा रुपये 263.00 लाख का भुगतान नगर निगम, जयपुर हैरिटेज को किया जा चुका है तथा शेष राशि जमा कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर में घर-घर पानी के कनेक्शन

430. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (तारानगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र तारानगर के सभी गांवों में घर-घर पानी के कनेक्शन हो चुके हैं? यदि हां, तो कितने गांवों में कनेक्शन हो चुके हैं तथा कितनों में शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में पानी के घर-घर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने उच्च जलाशय बनकर तैयार हो चुके हैं तथा कितने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुल सम्मिलित 180 आबाद राजस्व ग्रामों में से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 118 ग्रामों हेतु स्वीकृत 02 वृहद् पेयजल परियोजनाओं में 32,564 तथा 62 ग्रामों हेतु स्वीकृत अन्य जल योजनाओं में 25,923, इस प्रकार कुल 58,487 क्रियाशील घरेलू जल संबंध जारी करना प्रावधित है।

उक्त प्रावधान के विरुद्ध प्रगतिरत बूंगी-राजगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना में सम्मिलित 38 ग्रामों में से 04 ग्रामों में जल संबंध जारी करने का कार्य प्रगति पर है एवं इन ग्रामों में 1,339 तथा अन्य जल योजनाओं अंतर्गत 54 ग्रामों में 20,984, इस प्रकार कुल 22,323 क्रियाशील जल संबंध दिनांक 14.03.2022 तक जारी किये गये हैं।

उक्त 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं तथा अन्य जल योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में स्वीकृति अनुरूप जल संबंधों का प्रावधान, दिनांक 14.03.2022 तक जारी किये गये जल संबंध एवं शेष रहे जल संबंधों वाले ग्रामों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु वर्णित वृहद् पेयजल परियोजनाओं अंतर्गत चरणबद्ध रूप से मार्च, 2024 तक तथा अन्य जल योजनाओं अंतर्गत माह जून, 2022 तक हर घर क्रियाशील जल संबंध जारी करना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के ग्रामों में हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में उक्त वर्णित 02 वृहद् पेयजल परियोजनाओं तथा अन्य जल योजनाओं अंतर्गत क्रमश: 24 एवं 11 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य के स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध, अन्य जल योजनाओं अंतर्गत समस्त 11 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजनाओं में उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु सम्मिलित 24 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त उच्च जलाशयों के संबंध में वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-स एवं परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डेगाना में सिंगल फेज बोरिंग

431. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक पेयजल योजना में कुल कितने सिंगल फेज बोरिंग व हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों के कार्यादेश जारी होने शेष हैं तथा उक्त आदेश जारी नहीं होने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से दिसम्बर, 2021 तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत माह दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 की अवधि में सौर ऊर्जा आधारित 10 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम तथा 90 हैण्डपम्पों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई। वांछित सूची क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत सौर ऊर्जा आधारित समस्त बोरवेल पम्पिंग सिस्टम तथा हैण्डपम्पों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा इनके निर्माण हेतु कोई कार्यादेश जारी किया जाना वर्तमान में शेष नहीं रहा है।

(3) उक्तानुसार स्वीकृति के विरुद्ध सौर ऊर्जा आधारित 08 सफल बोरवेल पम्पिंग सिस्टम तथा 64 सफल हैण्डपम्प निर्माण उपरान्त जल योजनाओं अंतर्गत चालू किये गये तथा वेधन कार्य के दौरान सौर ऊर्जा आधारित 02 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम एवं 17 हैण्डपम्प सूखे निकलने के कारण इनका निर्माण असफल रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्तानुसार शेष रहे 09 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा इन हैण्डपम्पों को माह अप्रैल, 2022 तक चालू करना प्रस्तावित है।

विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पिलानी में भू-जल का सर्वेक्षण

432. श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी में भू-जल का सर्वेक्षण करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कराया जाएगा?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के डार्क जोन, अतिदोहन प्रभावित क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों को भू-जल योजना या जल जीवन मिशन या अन्य किसी योजना में सम्मिलित कर उक्त पंचायतों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में जिला झुंझुनूं की कौन-कौनसी तहसीलों में कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले की पिलानी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 व 2019-20 एवं 2021-22 में पेयजल संकट के निवारण हेतु क्या-क्या उपाय किये गये व उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिलानी में भू-जल विभाग द्वारा वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् वर्ष में दो बार भू-जल स्तर का सर्वेक्षण किया जाता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिलानी की सभी ग्राम पंचायतें ग्राउण्ड वॉटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति) के अनुसार अतिदोहित श्रेणी में चिह्नित है।

विधान सभा क्षेत्र, पिलानी की कुल 44 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 132 आबाद राजस्व ग्रामों में से 17 ग्राम पाइप्ड जल योजना एवं 114 ग्राम

(भू-जल मंत्री)
परम्परागत जल स्रोत योजना (टी.एस.एस.) एवं 1 ग्राम हैण्डपम्प जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

उक्त वर्णित 132 ग्रामों में से 24 ग्राम पंचायतों के 29 ग्रामों को चिह्नित कर इन ग्रामों हेतु राशि रुपये 4283.31 लाख के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की जा चुकी है। इन 29 ग्रामों हेतु भू-जल आधारित अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति एवं इनकी वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत इंदिरा गांधी मुख्य नहर को सतही जल स्रोत प्रस्तावित करते हुए विधान सभा क्षेत्र पिलानी के 2 कस्बों क्रमश: चिड़ावा एवं पिलानी एवं 132 ग्रामों सहित झुंझुनूं जिले के कुल 5 कस्बे, 269 ग्राम एवं 184 ढाणियां तथा सीकर जिले के 13 कस्बों, 864 ग्राम एवं 672 ढाणियों में उक्त मिशन के तहत राशि रुपये 8,780.11 करोड़ की परियोजना के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही में वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उक्त परियोजना की स्वीकृति उपरान्त इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(3) झुंझुनूं जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 में कराये गये कार्यों पर व्यय की गई की राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर में डी.एम.एफ.टी. फंड से कार्य

433. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जिला जयपुर को कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सतीश पूनियां)

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से किन-किन कार्यों के लिए सरकार को विभिन्न माध्यमों से प्रस्ताव प्राप्त हुए? प्राप्त प्रस्तावों में से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय कर कार्य संपादित करवा दिये गये हैं तथा कितने कार्य प्रक्रियाधीन हैं एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राशि रुपये 3,476.79 लाख अंशदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। उक्त प्राप्त राशि में से व्यय की गई राशि रुपये 255.81 लाख का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल में विधान सभा क्षेत्र आमेर हेतु विभिन्न माध्यमों से 31 कार्यों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों में से 11 कार्यों पर राशि रुपये 37.66 लाख व्यय कर कार्य संपादित करवा दिये गये हैं तथा 5 कार्य प्रगतिरत हैं। कार्यवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है। कार्य निष्पादन की अवधि कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निर्धारित की जाती है एवं उसी अनुरूप कार्य प्रगतिरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

434. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की विगत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें विभाग को किन-किन व्यक्तियों, संस्थाओं से प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंच निर्णायक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को दिनांक 29.11.2021, 30.11.2021, 06.12.2021 एवं 09.12.2021 को जयपुर डेयरी चेयरमैन के

(श्री दयाराम परमार)

विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु कोई विशेष समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों का विवरण, शिकायत पर की गई अग्रिम कार्यवाही एवं जांच कार्यवाही की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। श्री उदय सिंह पुत्र श्री सीताराम गुर्जर द्वारा दिनांक 29.11.2021, 30.11.2021, 09.12.2021 एवं श्रीमती मनसा देवी गुर्जर द्वारा दिनांक 06.12.2021 को पंच निर्णायक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार, आर सी डी एफ को जयपुर डेयरी चैयरमेन के विरुद्ध शिकायती पत्र लिखे है, परन्तु पंच निर्णायक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार, आर सी डी एफ द्वारा श्री उदय सिंह के प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-60 के अन्तर्गत दिनांक 26.06.2019 को निर्णय जारी किया जा चुका है। पंच निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 एवं उक्त वर्णित शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या 10 से 13 पर अंकित है।

शिकायतकर्ता श्री उदय सिंह गुर्जर एवं श्रीमती मनसा देवी गुर्जर द्वारा उक्त पंच निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क पोर्टल पर पुन: शिकायत की गई। प्राप्त शिकायत पर उप रजिस्ट्रार, आर सी डी एफ को जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायतों की जांच के दौरान उक्त चारों पत्र दिनांक 29.11.2021, 30.11.2021, 06.12.2021 एवं 09.12.2021 पंच निर्णायक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार, आरसीडीएफ को सम्बोधित करते हुए शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतें भी, पंच निर्णय दिनांक 26.06.2019 में वर्णित बिन्दुओं में उक्त चारों शिकायतें भी सम्मिलित हैं। उप रजिस्ट्रार, आर सी डी एफ द्वारा

(गोपालन मंत्री)

जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत की गई, जिसमें शिकायत को निराधार पाया गया। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त प्राप्त 13 शिकायतों में 12 शिकायतें निराधार पाई गईं एवं 1 प्रकरण क्रम संख्या-09 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जांच पर स्थगन आदेश दिया गया है।

(विवरण एवं रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर में नवीन पंचायत समिति की स्थापना

435. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में नई पंचायत समितियां 19 से 21 ग्राम पंचायतों से बनाई गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कठूमर पंचायत समिति में 47 ग्राम पंचायतों के आधार पर दो नई पंचायत समितियां बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2022 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान भनोखर (कठूमर) को पंचायत समिति बनाये जाने की घोषणा की गई है।

सूरजगढ़ में संचालित राशन की दुकानें

436. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं व कितनी आबंटित की जानी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त शेष दुकानों को कब तक आबंटित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ में 120 राशन की दुकानें संचालित हैं जिनमें 13 दुकानें निरस्त/मृत्यु/त्यागपत्र के कारण आबंटित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त 3 नवसृजित दुकानों का भी आबंटन किया जाना शेष है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उक्त 120 संचालित दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं आबंटित की जाने वाली 16 दुकानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त रिक्त 13 दुकानों में से 11 दुकानों और 3 नवसृजित दुकानों, कुल 14 उचित मूल्य दुकानों को आबंटित किये जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है शेष 02 दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की जानी है। उचित मूल्य दुकान आबंटन सलाहकार समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। गठन उपरान्त उक्त उचित मूल्य दुकानों का यथाशीघ्र आबंटन किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पोषण के स्तर की जांच

437. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्दों पर बच्चों के पोषण का स्तर जांचने के लिए वेईंग मशीन, स्केल एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी आंगनबाड़ी केद्रों पर उपलब्ध हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जो वेईंग मशीन सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवायी गयी थी उनमें से अधिकांश खराब पडी हैं? क्या सरकार इन्हें बदलने या नवीन खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्दों पर बच्चों के पोषण का स्तर जांचने के लिए वेईंग मशीन, स्केल एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का जिलेवार एवं मात्रावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वेईंग स्केल एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। प्रतिउत्तर बिन्दु संख्या 2 में ही समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों का तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समान वेतनमान

438. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान वेतनमान एवं 3600 ग्रेड पे क्यों नहीं दी जा रही है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त वेतनमान एवं ग्रेड पे आदि में संशोधन कर तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान वेतनमान एवं ग्रेड पे 3600 देकर शिक्षक पदों के समान सम्मान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तृतीय श्रेणी अध्यापकों की बी.एस.टी.सी. एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की एन.टी.टी. डिग्री दोनों द्विवर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं? यदि हां तो क्या सरकार उक्त में वेतनमान एवं ग्रेड-पे में वर्तमान अंतर को विरोधाभासी मानती है? यदि नहीं तो क्यों व किस नियम से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अन्य प्रदेशों में दोनों पदों का समान वेतनमान-ग्रेड पे है एवं कुछ प्रदेश में तो एन.टी.टी. का वेतनमान-ग्रेड पे तृतीय श्रेणी अध्यापक से भी अधिक है व प्रदेश में एन.टी.टी. अध्यापकों की संख्या तृतीय श्रेणी अध्यापकों की संख्या के नही के बराबर है तो क्या सरकार उक्त दोनों पदों का समान वेतनमान एवं ग्रेड-पे 3600 करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक का पद रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 1900 (एल-5) में सृजित है। इनका वेतनमान, ग्रेड पे तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 2500 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें निर्धारित रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 1900 (एल-5) में नियुक्ति दी जाती है। तृतीय क्षेणी अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत दी जाती है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(4) जी नहीं। वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय जयपुर में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दायर वादकरण विचाराधीन है। प्रकरण वित्त विभाग द्वारा दिनांक 05.08.2021 को गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण कमेटी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता हेतु विशेष कार्ययोजना

439. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अच्छी गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण करवाने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घटिया किस्म की सडकों का निर्माण करवाने वाले अधिकारियों व संवेदकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सभी सड़कों के निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा जारी मापदण्ड, मानक व विशिष्टियों (स्टैण्डर्ड एण्ड स्पेसिफिकेशन) की पालना करते हुए गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है। गुण नियंत्रण शाखा द्वारा गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष तृतीय पक्ष गुण नियंत्रक की नियुक्ति भी की गई है। विभिन्न स्तरों से गुण नियंत्रण की जांच रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सुधार उपरांत ही संवेदकों का भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार के वर्तमान नियम वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील के प्रावधान पर्याप्त हैं, इसके अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार दोषी संवदेकों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुबन्ध की शर्तों तथा पंजीकरण नियमों के प्रावधान पर्याप्त हैं। इन नियमों के अनुसार ही दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अत: नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

बाली-पिंडवाड़ा सड़क का नवीनीकरण

440. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के राज्य राजमार्ग संख्या 62 बाली-पिंडवाड़ा सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण हेतु कब व कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी?

(2) उक्त राशि किस योजना या मद के तहत स्वीकृत की गयी थी व स्वीकृत राशि का अब तक कितना हिस्सा व्यय किया जा चुका है तथा कितना कार्य अपूर्ण है व अब तक कितनी राशि शेष है? उक्त शेष कार्य को विभाग द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के राज्य राजमार्ग संख्या 62 बाली पिण्डवाड़ा रोड के नवीनीकरण व चौड़ाईकरण कार्य हेतु वर्ष 2017 में राशि रुपये 141.63 करोड़ की स्वीकृति राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से कार्य करवाये जाने की जारी की गई थी।

(2) उक्त राशि एस.आर.एफ. मद के तहत स्वीकृत की गयी थी (प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है)। उक्त सड़क पर आज दिनांक तक राशि रुपये 78.32 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। बाली-पिण्डवाड़ा सड़क की कुल लम्बाई 61.00 किमी. है जिसमें से 57.50 किमी. में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3.5 किमी (187/400 से 190/900) लम्बाई में सड़क मार्ग DFCCIL (डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय) द्वारा अवाप्त किये जाने के कारण अलाइनमेंट शिफ्टिंग का कार्य किया जाना है। यातायात सुगम बनाये रखने हेतु इस भाग (3.5 किमी) की नियमित मरम्मत की जाती है। किमी 187/400 से किमी 190/900 (3.50 किमी. लम्बाई) में अलाइनमेंट शिफ्टिंग के कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 18.11.2021 को दिया जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सड़क मार्ग पर स्थित गांव पातावा, सेवाडी, पादरला में बाईपास प्रस्तावित है एवं इन गांवों के अन्दर से गुजरने वाले सड़क मार्गों पर सीसी का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। गांव पातावा, सेवाडी, पादरला के बाईपास (लम्बाई 9.20 किमी.) के लिये भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। वर्तमान में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं नियम 21(1) के अन्तर्गत प्रपत्र-9 में भूमि अवाप्ति की घोषणा का राजपत्र में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रकाशन किया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि में से वर्तमान में रुपये 63.31 करोड़ शेष है। भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण होते ही शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण नहीं होने में सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति कार्यवाही में विलम्ब प्रमुख कारण रहा है।

किमी 187/400 से किमी. 190/900 (3.50 किमी. लम्बाई) में अलाइनमेन्ट शिफ्टिंग के कार्य हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है किन्तु वर्तमान में फसलें खड़ी होने के कारण एवं जन प्रतिरोध होने से प्रगति कार्य बाधित है। फसलें कटते ही कार्य की प्रगति बढ़ाकर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा व गांवों के बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होते ही बाईपास का कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहपुर क्षेत्र में सड़कों के पेचवर्क का कार्य

441. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क कार्य करवाया जाता है? यदि हां, तो इसके निर्धारित मापदण्ड क्या-क्या हैं व उक्त के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, खण्ड-फतेहपुर, जिला-सीकर के अधीन दिसम्बर, 2018 से अब तक किन-किन सड़कों पर पेचवर्क कार्य कहां-कहां व कब-कब करवाये गये तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों की निविदायें कब-कब जारी की गईं तथा किन-किन फर्मों को कब-कब, किस-किस कार्य हेतु कार्यादेश दिये गये व उक्त फर्मों को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किस-किस स्तर से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क आई.आर.सी. कोड 82 में वर्णित प्रावधानों के तहत किया जाता है। आई आर सी के संबंधित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। क्षतिग्रस्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़कों का संबंधित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण कर कार्य की मात्रा का अनुमान किया जाता है। संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुमान के आधार पर उपलब्ध बजट की सीमा तक निविदायें आमंत्रित कर कार्य आदेश जारी कर पेचकार्य सम्पादन करवाया जाता है।

(2) सा.नि.वि. खण्ड फतेहपुर में दिसम्बर, 2018 से अब तक करवाये गये डामर पेच मरम्मत कार्यों का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय छात्रावासों व अनुदानित छात्रावासों में मैस की राशि में समानता

442. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के जरिये छात्रावासों का संचालन करवाया जा रहा है? क्या विभाग द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में मैस की राशि में समानता रही है? यदि हां, तो राजकीय छात्रावासों एवं अनुदानित छात्रावासों में अनुदानित शब्द क्यों विलोपित कर दिया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा कुल 775 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 691 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास सम्मिलित हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण 2022-23 सामान्य वाद विवाद के बिन्दु संख्या 25 के अनुसार राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में आवासरत छात्र/छात्राओं को देय मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुए 2500 किये जाने की घोषणा की अनुपालना में विभागीय आदेश 13335 दिनांक 14.03.2022 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। (विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में आवासरत छात्र/छात्राओ को देय मैस भत्ते की राशि में समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेंशनरों के लिये उपखंड स्तर पर कार्यालय का निर्माण

443. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेंशनरों के लिये सरकार के द्वारा उपखण्ड स्तर पर पेंशन कार्यालय का निर्माण करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नही। दिनांक 02.10.2021 से पूर्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति का कार्य उपखण्ड/विकास अधिकारी स्तर से किया जाता था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत दिनांक 02.10.2021 से पेंशन प्राप्त करने के लिये RAJSSP पोर्टल पर बिना मानवीय हस्तक्षेप (without human intervention) स्वत: सत्यापन (Auto Verification) के आधार पर स्वत: पेंशन स्वीकृति (Auto Approval) की प्रक्रिया शुरू की गई है। अत: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु उपखण्ड स्तर पर पृथक से पेंशन कार्यालय बनवाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

444. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान में स्थानीय बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दिये जाने हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं।

प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीक के अनुसार कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा तकनीकी कर्मियों को रोजगार प्रदान करते हैं।

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की गई है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।

1. इस प्रावधान के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई पी एफ एवं ई एस आई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2. उल्लेखनीय है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई पी एफ एवं ई एस आई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि से 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों हेतु किये जाने का प्रावधान किया गया है यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो।

पीसाहैडा व बपावर (सांगोद) में औद्योगिक विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण

445. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र सांगोद के गांव पीसाहैडा व बपावर में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भूमि का चयन कर अधिग्रहण किया गया है? यदि हां तो कुल कितनी भूमि का?

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि का चयन हेतु पंचायत समिति व जिला परिषद् या जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नही की गई? यदि हां, तो उक्त का चयन करते समय उनसे चर्चा नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि का चयन किस स्तर पर किया गया व किस-किस विभाग से एन ओ सी प्राप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा कोटा जिले की विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पीसाहैडा व बपावर में नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि चयन की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम पीसाहैडा, तहसील कनवास की 16.00 हैक्टेयर चरागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षण/आबंटन करने हेतु जिला कलेक्टर कोटा द्वारा राजस्व विभाग को अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं (जिला कलेक्टर को प्रेषित प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)।
2. ग्राम लटूरा, तहसील सांगोद की 11.35 हैक्टेयर चरागाह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको के पक्ष में आरक्षण/आबंटन करने की स्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई, जिसके आधार पर रीको के पक्ष में दिनांक 21.02.2022 को आबंटन किया जा चुका है तथा कब्जा दिनांक 15.03.2022 को रीको को सम्भलवा दिया गया है (आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)।

(2) उक्त दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायत समिति व जिला परिषद् या जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में गठित स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम पीसाहैडा की भूमि का स्थल निरीक्षण 15.09.2021 को किया गया था तथा सरपंच ग्राम पीसाहैडा से चर्चा भी की गई थी। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। बपावर औद्योगिक क्षेत्र हेतु चिह्नित भूमि के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। रीको के द्वारा स्थापित किये जाने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राजकीय भूमि का आबंटन जिला कलेक्टर एवं राजस्व विभाग की प्रक्रिया अनुसार होता है।

(3) खण्ड 1 में वर्णित नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको के कोटा इकाई कार्यालय द्वारा चरागाह भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव रीको मुख्यालय को प्रेषित किये गये थे। प्रथमदृष्टया भूमि उपयुक्त पाये जाने पर स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम लटूरा (बपावर) की भूमि का दिनांक 05.07.2021 को एवं ग्राम पीसाहैडा की भूमि का 15.09.2021 को मौका निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं की प्रति परिशिष्ट "द" व "य" पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

ग्राम पीसाहैडा की भूमि के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से एन ओ सी प्राप्त कर ली गई है (एन ओ सी की प्रति परिशिष्ट"र" पर सलंग्न है)। जबकि लटूरा की चरागाह भूमि के लिए किसी भी विभाग से एन ओ सी प्राप्त नहीं की गई है। स्थल चयन समिति की अभिशंसा अनुसार निगम प्रबन्धन द्वारा उपरोक्त भूमियों पर नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

घमोतर पंचायत समिति में खुले कुएं खोदने के आवेदन

446. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति घमोतर जिला प्रतापगढ़ में विगत तीन वर्षों में खुले कुएं (OPEN WELL) खोदने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उसमें से कितने कुएं स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुएं निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं करने के क्या कारण हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा खुले कुएं निर्माण की योजना संचालित नहीं की जाती है।

(2) खुले कुएं निर्माण की योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है।

आबूरोड व पिण्डवाड़ा में परियोजनाधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

447. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आबूरोड, पिण्डवाड़ा दोनों तहसीलों में परियोजनाधिकारी के रिक्त पदों पर कर्मचारी पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन आबूरोड, पिण्डवाड़ा दोनों तहसीलों में परियोजना अधिकारी का पद सृजित नहीं है। आबूरोड में उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कार्यालय स्थित है। इसमें उपायुक्त का पद सृजित होकर दिनांक 04.08.2021 से रिक्त है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा अपने पद के कार्य के साथ-साथ उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड के पद का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। यह पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पद है। इस पद पर पदस्थापन कार्मिक विभाग, जयपुर द्वारा किया जाता है। उपायुक्त के पद पर पदस्थापन हेतु इस विभाग के पत्र दिनांक 02.11.2021 एवं 11.01.2022 द्वारा कार्मिक विभाग, जयपुर को लिखा गया है।